7.341 " x 9.5 "

विभिन्न प्रकार के अपराधों की विवेचना से संबंधित चेकलिस्ट

विभिन्न प्रकार के अपराधों की विवेचना से सबंधित चेकलिस्ट

नोटः-

यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से संबंधित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है।

इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।

अनुक्रमणिका

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत अपराध		
क्र.सं.	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या
1.	अध्याय 5 – महिला और बालकों के विरुद्ध अपराध	4-12
2.	अध्याय 6 – मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध	13-134
3.	अध्याय 7 – राज्य के विरुद्ध अपराध	135-140
4.	अध्याय 9 – निर्वाचन सम्बन्धी अपराध	141-147
5.	अध्याय 10 – सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टॉम्पों से सम्बन्धित अपराध	148-153
6.	अध्याय 11 – लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध	154-160
7.	अध्याय 12 – लोक सेवकों द्वारा या उनसे सम्बन्धित अपराध	161-165
8.	अध्याय 13 – लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार की अवमानना सम्बन्धी अपराध	166-169
9.	अध्याय 14 – मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध	170-184
10.	अध्याय 15 – लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शिष्टता और सदाचार को प्रभावित करने वाले अपराध	185-189
11.	अध्याय 16 – धर्म से सम्बन्धित अपराध	190-194

12.	अध्याय 17 – सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध	195-209
13.	अध्याय 18 – दस्तावेजों और सम्पत्ति चिह्नों से सम्बन्धित अपराध	210-217
14.	अध्याय 19 – आपराधिक अभित्रास, अपमान, मानहानि आदि के अपराध	118-221
अन्य अधिनियम और राज्य अधिनियम		
क्र.सं.	**अधिनियम का नाम**	**पृष्ठ संख्या**
15.	आयुध अधिनियम, 1959	222-227
16.	कॉपीराइट अधिनियम, 1957	228-233
17.	पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960	234-237
18.	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955	238-244
19.	विस्फोटक अधिनियम, 1884	245-251
20.	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908	252-258
21.	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000	259-264
22.	किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015	265-267
23.	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985	268-278
24.	शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923	279-286
25.	लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012	287-293
26.	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	294-298

27.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	299-305
28.	व्यापार चिन्ह (ट्रेड मार्क्स) अधिनियम, 1999	306-311
29.	विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967	312-321
30.	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972	322-328
31.	सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867	329-334
32.	लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	335-338
33.	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961	339-343
34.	पासपोर्ट अधिनियम, 1967	344-348
35.	आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1981	349-352
36.	उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955	353-358
37.	उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910	359-364
38.	उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970	365-367
39.	उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986	368-375
40.	उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021	376-380
41.	परिशिष्ट- विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 में प्राप्त कराये जाने वाले प्रदर्शों के सम्बन्ध में	381-390

अध्याय - 05

महिलाओं एवं बालकों के विरुद्ध अपराधों के सम्बन्ध में

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विवरण	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध लैंगिक अपराध में क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की गयी है ?		
2.	जिन धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी है क्या सूचना में अंकित तथ्यों से प्रकरण उन धाराओं के अंतर्गत आता है ?		
3.	यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक/ मेल के माध्यम से दर्ज की गयी है, तो क्या बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक/मेल के माध्यम से दर्ज की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट पर विहित समय के भीतर आवेदक के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये हैं ?		
4.	क्या जीरो प्रथम सूचना रिपोर्ट/ ई-एफ0आई0आर0 के प्रकरणों में सभी मूल अभिलेख संग्रहीत कर लिये गये है ?		
5.	यदि लैंगिक अपराध से पीड़ित कोई महिला जिसके द्वारा अपने प्रति अपराध किये जाने की सूचना दी जाती है और वह महिला मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो क्या ऐसी इत्तिला उसके निवास स्थान पर किसी द्विभाषीय या विशेष प्रबोधक की उपस्थिति / सहायता से अभिलिखित की गयी है ? और क्या ऐसी इत्तिला के अभिलेखन की तैयार की		

	गयी वीडियो फिल्म को संकलित कर संलग्न केस डायरी कर लिया गया है ?		
6.	क्या प्राथमिकी दर्ज होने में देरी के सम्बन्ध में सुस्पष्टीकरण पीड़ित / साक्षी के कथनों में प्राप्त कर लिया गया है ?		
7.	सुसंगत मामलों में अपराध स्थल के निश्चित होने पर क्या अपराध स्थल को सुरक्षित करते हुये तत्काल फॉरेन्सिक टीम द्वारा अपराध स्थल पर जाकर साक्ष्य संग्रहित करा लिया गया है ?		
8.	क्या घटनास्थल या अन्य स्थानों से बरामद माल मुकदमाती सामानों की फर्द नियमानुसार बनाते हुये बरामद सामानों को विधिवत रूप से सील किया गया है तथा नमूना मोहर बना ली गयी है ?		
9.	क्या SR केसों में विशेष रिपोर्ट विहित प्रक्रिया द्वारा पर्यवेक्षण अधिकारी को भेजी जा चुकी है ?		
10.	क्या पीड़िता की आयु के सम्बन्ध में साक्ष्य का संकलन कर लिया गया है ?		
11.	पीड़िता के मानसिक या शारीरिक रुप से निःशक्त होने पर क्या धारा 180 बी.एन.एस.एस. व धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत बयान लिखते समय द्विभाषिये या विशेष प्रबोधक की सहायता ली गयी है ?		
12.	पीड़िता व अन्य साक्षियों का धारा 180 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत लेखबद्ध किया गया कथन क्या श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित किया गया है और क्या उसे केस डायरी के साथ संलग्न कर दिया गया है ?		

13.	क्या द्विभाषिये/विशेष प्रबोधक की योग्यता सम्बन्धी अभिलेखीय साक्ष्य संकलित कर द्विभाषिये/विशेष प्रबोधक के समक्ष साक्ष्य अंकित किये जाने हेतु प्रमाण-पत्र प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		
14.	क्या अपराध से पीड़ित महिला या मानसिक या शारीरिक रुप से निःशक्त अथवा गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति का बयान उसे थाने पर न बुलाकर उसकी सुविधा जनक स्थान पर लिया गया है ?		
15.	क्या महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक अपराधों में पीड़िता का धारा 180 बी.एन.एस.एस. का बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिया गया है ?		
16.	यदि पीड़िता का बयान श्रव्य - दृश्य इलेक्ट्रॉनिक विधि में लिया गया है तो क्या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को कब्जे में लेकर इसके सम्बन्ध में धारा 63 साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र ले लिया गया है ?		
17.	क्या पीड़िता का बाह्य व आंतरिक चिकित्सीय परीक्षण उसकी सहमति से 24 घंटे के अंदर करा लिया गया है ?		
18.	चिकित्सीय परीक्षण के दौरान क्या चिकित्सक द्वारा पीड़िता का संक्षिप्त बयान ले लिया गया है ?		
19.	क्या चिकित्सीय परीक्षण के दौरान DNA परीक्षण प्रदर्श ले लिये गए है ?		
20.	यदि पीड़िता सहमति देने में असमर्थ है तो क्या उसके परिजनों की सहमति चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्राप्त कर ली गयी है ?		
21.	यदि पीड़िता की आयु के सम्बन्ध में कोई ठोस अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध न हों तो क्या पीड़िता के		

	आयु के निर्धारण के सम्बन्ध में कोई चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है ?		
22.	यदि पीड़िता के आंतरिक परीक्षण में अपराध की पुष्टि के सम्बन्ध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त की जानी हो तो क्या इस सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त कर ली गयी है ?		
23.	यदि पीड़िता नाबालिग है तो क्या उसे CWC के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति विशेष न्यायालय व CWC को समय से प्रेषित कर दी गयी है ?		
24.	यदि पीड़िता की आयु के सम्बन्ध में शैक्षिक अभिलेख अथवा जन्म प्रमाण-पत्र उपलब्ध हो तो क्या इन अभिलेखों का सत्यापन कराते हुये सम्बन्धित का बयान अंकित कर लिया गया है, और अभिलेखों की सत्यापित प्रतियाँ प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर ली गयी है ?		
25.	यदि साक्ष्य से पीड़िता और अभियुक्त के पूर्व संपर्क परिलक्षित हो रहे हों तो क्या इस सम्बन्ध में समस्त मौखिक अभिलेखीय एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को संकलित कर उक्त के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		
26.	यदि पीड़िता और अभियुक्त के बीच वार्तालाप के सम्बन्ध में कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, ऑडियो-वीडियो रिकार्डिंग / संदेश उपलब्ध हो तो क्या ऐसी स्थिति में उक्त संदेश को विहित प्रक्रिया द्वारा कब्जे में लेकर प्रमाण पत्र सहित संलग्न केस डायरी कर दिया गया है एवं आवश्यकता होने पर क्या ऐसी वायस (ऑडियो) को सम्बन्धित व्यक्ति की स्वीकृत आवाज से		

	मिलान हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजकर उसकी रिपोर्ट प्राप्त कर ली गयी है ?		
27.	क्या घटनास्थल का निरीक्षण पीड़िता या प्रत्यक्षदर्शी की निशादेही पर करते हुये समस्त महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संग्रह कर विधिवत नक्शा नजरी बना ली गयी है और क्या इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कर ली गयी है ?		
28.	DNA परीक्षण के लिए पीड़िता के कपड़े आदि अन्य आवश्यक सामग्री कब्जे में लेकर अंगुलियों, पैरों के निशान, बाल, रक्त, वीर्य अन्य तरल पदार्थ, मिट्टी, आभूषण आदि की स्थिति तथा कब्जे में लेने के वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करते हुये उसे DNA परीक्षण के लिये भेजा गया है ?		
29.	यदि घटना रात्रि अथवा अपर्याप्त प्रकाश वाले स्थना पर कारित हुयी है तो क्या प्रकाश के स्रोत को स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन कर लिया गया है ?		
30.	क्या घटना के सम्बन्ध में सभी चश्मदीद साक्षियों, पीड़िता के परिजनों/निकट सम्बन्धियों, स्वतंत्र साक्षियों तथा सम्यक अभिलेखों से सम्बन्धित सभी आवश्यक साक्षियों के बयान धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज कर लिये गये हैं ?		
31.	गवाहों द्वारा अपने बयान को बार-बार बदलने की स्थिति या भविष्य में पक्ष द्रोही की संभावना के दृष्टिगत 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक की सजा के मामलों में आवश्यक साक्षियों के बयान धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज करा लिया गया है ?		
32.	पीड़ित महिला/बालिका के अपराध में गर्भवती होने की स्थिति में क्या पीड़िता की सहमति से मेडिकल		

	टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के प्राविधानों के तहत गर्भ समापन की कार्यवाही की गयी है ?		
33.	क्या गर्भ समापन के उपरान्त भ्रूण का DNA परीक्षण करने हेतु सैंम्पल ले लिए गये हैं ?		
34.	क्या अभियुक्त की गिरफ्तारी की दशा में क्या गिरफ्तारी प्रपत्र नियमानुसार तैयार कर संलग्न केस डायरी कर लिये गये हैं ?		
35.	क्या लैगिंक अपराधों के अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के समय धारा 52 बी.एन.एस.एस. के तहत निर्धारित प्रारूप में चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है ?		
36.	क्या अभियुक्त के चिकित्सीय परीक्षण के समय DNA परीक्षण हेतु प्रदर्श ले लिये गए हैं ?		
37.	क्या दांत काटने के प्रकरणों में अभियुक्त का इस बिन्दु पर डाक्टरी परीक्षण करवा लिया गया है ?		
38.	क्या विवेचना की प्रगति की सूचना युक्तियुक्त समयान्तराल पर पीड़िता / उसके परिवार को दी जा रही है ?		
39.	अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में सूचना/प्रति पीड़िता को भेज दी गयी है ?		
40.	पीड़िता की क्षतिपूर्ति मुआवजा के लिये कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है या नहीं एवं पत्रावली सम्बन्धित को भेज दी गयी है या नहीं और क्या उसका समय समय पर अनुश्रवण किया गया है ?		
41.	पीड़िता की सुरक्षा, पुनर्वास या अस्थायी निवास के लिए समुचित व्यवस्था कर ली गयी है ?		
42.	क्या यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि पीड़िता या उसके परिवार को कोई धमकी इत्यादि देकर प्रभावित करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है ?		

43.	अपहृत बालकों की सम्पूर्ण विशेषताएं Track the Missing Child Portal (मिशन वात्सल्य पोर्टल) पर Upload की गयी है ?		
44.	क्या साक्षी गण के न्यायालय में उपस्थित होने सम्बन्धी बंध पत्र, उनका मोबाइल नंबर, ई - मेल , स्थायी पता वर्त्तमान पता आयु आदि अभिलिखित कर लिए गये हैं ?		
45.	क्या अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. अंकित कर लिया गया है ?		
46.	क्या अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. यथावश्यक अंकित करा लिया गया है ?		
47.	क्या अभियुक्त की आयु के सम्बन्ध में विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		
48.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर कोई बरामदगी की गयी है और बरामदगी के सम्बन्ध में बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों का अनुपालन करते हुये की गयी वीडियो रिकार्डिंग को केस डायरी का भाग बना लिया गया है ?		
49.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी और जब्ती की रिपोर्ट उ0प्र0 बी.एन.एस.एस. नियमावली 2022 के अनुरूप 48 घंटे के अन्दर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी गयी है ?		
50.	क्या बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी उचित रूप से तैयार कर संलग्न कर लिया गया है ?		
51.	क्या बरामदगी के उपरान्त अभियोग में उचित धाराओं का अंकन कर लिया गया है ?		

52.	क्या अभियुक्त की पहचान (नाम व पता तस्दीक करते हुये) स्थापित कर ली गयी है ?		
53.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
54.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
55.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
56.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
57.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		
58.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		
59.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि		

	का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
60.	क्या आरोप पत्र के बिन्दु संख्या 16 पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप घटना का संक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, पंचनामा रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, साक्षियों के बयान, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है ?		
61.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		

अध्याय - 06

धारा 103 (1) के अन्तर्गत हत्या/ धारा 105 आपराधिक मानव वध

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1	**घटना की सूचना का माध्यम क्या हैः-**		
	पी0आर0बी0 कॉल या पी0सी0आर0 कॉल से आयी है ?		
	मौखिक		
	टेलीफोन		
	थाने पर उपस्थित होकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सूचना दी गयी है		
	अस्पताल से सूचना दी गयी है		
	स्वयं मजरूब द्वारा उपस्थित होकर दी गयी है		
	अन्य तरीके से		
2	**घटना की सूचना प्राप्त होने पर**		
	1- प्रथम सूचना रिपोर्ट अविलम्ब दर्ज करायी गयी थी ?		
	2- थाने की पुलिस तुरन्त घटनास्थल पर पहुँच गयी थी ?		
	3- अपराध की पुष्टि होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गयी थी ?		
	4- घटनास्थल को सुरक्षित किया गया?		

	5- घटनास्थल की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी की गयी?		
	6- नक्शानजरी विवेचक द्वारा तैयार की गयी है ?		
	7- घटना की सूचना विलम्ब से वादी द्वारा दी गयी है तो क्या विलम्ब से सूचना दिये जाने का स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट के कालम नं0-8 में अंकित है ?		
	8- क्या केसडायरी में विवेचक द्वारा वादी के बयान में विलम्ब का कारण अंकित किया गया है ?		
	9- विवेचक द्वारा किसकी निशानदेही पर नक्शा नजरी तैयारी की गयी?		
	10- क्या सुसंगत मामलों में घटनास्थल पर पहुँचने वाली फोरेंसिक टीम द्वारा संकलित साक्ष्य तथा फोटोग्राफ और वीडियो आदि प्राप्त कर लिए गये हैं ?		
	11- क्या नक्शा नजरी में निम्नलिखित तथ्यों का अंकन किया गया है ? (उत्तर प्रदेश पुलिस संशोधन विनियमावली 2022 की रूल 114 के अनुसार)		
	➢ घटना का स्थान ?		
	➢ शव की बरामदगी का स्थान ?		
	➢ रक्त के धब्बे का स्थान ?		
	➢ बुलेट बरामदगी का स्थान ?		
	➢ अन्य कोई अपराध में प्रयुक्त वस्तु के पाये जाने का स्थान ?		

	➢ घटनास्थल के आस-पास मानवीय संरचना, मकान दीवार आदि का स्थान ?		
	➢ घटना यदि रात्रि की है तो प्रकाश के स्त्रोत का स्थान ?		
	➢ घटनास्थल पर प्रवेश और निकास का स्थान ?		
	➢ घटनास्थल के आस-पास सी0सी0टी0वी0 का स्थान ?		
	12- क्या घटनास्थल का निरीक्षण फील्ड यूनिट द्वारा किया गया है ?		
	13- क्या घटनास्थल से अपराध में प्रयुक्त आला कत्ल की बरामदगी की गयी है ?		
	14- क्या घटनास्थल से बरामद आला कत्ल की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी की गयी है ? (धारा-105 बी.एन.एस.एस.)		
	15- क्या बरामद आला कत्ल या अन्य अपराध में प्रयुक्त वस्तुओं की बरामदगी की फर्द तैयार किये जाने की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी (धारा-105 बी.एन.एस.एस.)		
	16- क्या घटनास्थल से बरामद अपराध में प्रयुक्त वस्तुओं को एफ0एस0एल0 प्रेषित किया गया है ?		
	17- क्या शव की जामा तलाशी से बरामद वस्तुओं को सूचीबद्ध किया गया है ?		
	18- क्या शव की जामा तलाशी से प्राप्त वस्तुओं यथा मोबाईल, अन्य इलैक्ट्रानिक गजट को एफ0एस0एल0 प्रेषित किया गया है ?		

	19- क्या घटनास्थल से अभियुक्त एवं मृतक के बीच गुत्थम-गुत्था/ हाथापाई/ संघर्ष होने के साक्ष्य संकलित है ?		
	20- क्या घटनास्थल से मृतक के हाथ में या शरीर पर कोई बाल, नाखून, बाईट मार्क आदि का साक्ष्य संकलित है ?		
	21- जहर से मृत्यु के मामले में क्या उल्टी/झाग का सैम्पल लिया गया है ?		
	22- क्या बरामद जैविक अवशेषों के सैम्पल को एफ0एस0एल0 प्रेषित किया गया है ?		
	23- क्या बरामद जैविक अवशेषों का मिलान अभियुक्त/ आरोपी से प्राप्त जैविक सैम्पल कराया गया है ?		
	24- क्या घटना के बाद अभियुक्त के जाने और घटनास्थल पर आने की सभी सम्भावित सी0सी0टी0वी0 फुटेज ली गयी है ?		
	25- क्या तलाशी एवं जब्ती की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी नियमानुसार बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के अनुसार की गयी है तथा साक्ष्य मय प्रमाण पत्र संलग्न केस डायरी किया गया है ?		
3	क्या घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट सुसंगत एवं प्रार्थना पत्र के अनुरूप वैधानिक धाराओं में पंजीकृत है ?		
4	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति पीड़ित अथवा सूचनादाता को दी गयी है ?		
5	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट मय मूल प्रार्थना पत्र पंजीकृत होने के 24 घण्टे के भीतर सक्षम		

	अधिकारिता वाले न्यायालय में प्रेषित कर दी गयी है ?		
6	क्या मृतक के शव का पंचनामा अविलम्ब तैयार किया गया है ?		
7	क्या पंचनामा के साक्षियों का बयान ➢ मृत्यु के कारण के सम्बन्ध में ; ➢ शव की पहचान सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में ; ➢ मृत्यु का प्रथम दृष्टया कारण दर्शित होने के सम्बन्ध में, ले लिया गया है ?		
8	पंचनामा के साक्षियों का मोबाईल नम्बर, स्थायी पता, वर्तमान पता, ई-मेल आदि लिये गये हैं ?		
9	क्या मृतक के शव को अविलम्ब पोस्टमार्टम हेतु प्रेषित किया गया है ?		
10	क्या मृतक के शव की चेन ऑफ कस्टडी सुरक्षित रखी गयी है ?		
11	**शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजने के साथ क्या पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को निम्नलिखित के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने हेतु निर्देशित किया गया है ?**		
	➢ शव के पोस्टमार्टम के दौरान डी0एन0ए0/ फिंगर प्रिंट के लिए अनिवार्य सैम्पलिंग के सम्बन्ध में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया गया है ?		

	➢ गन शौट इन्जरी के प्रकरण में मृतक के शरीर के उस अंग का एक्सरे कराया गया है जहाँ पर गोली लगी है ?		
	➢ मृतक की चोटों को उजागर करने वाले रंगीन तस्वीरें लेकर उन्हें केसडायरी का हिस्सा बनाया गया है ?		
	➢ मृत्यु के कारण के सम्बन्ध में ?		
	➢ डायटम टेस्ट के सम्बन्ध में ?		
	➢ सूट टेस्ट के सम्बन्ध में ?		
	➢ कार्डियक अरेस्ट के मामले में हृदय को सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में ?		
	➢ जहर खाने आदि से सम्बन्धित मामले मे विसरा प्रिजर्व रखने हेतु ?		
	➢ हायड बोन के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के सम्बन्ध में ?		
12	क्या शव के पंचनामा तथा पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी संलग्न की गयी है ? (उ0प्र0 पुलिस संशोधन नियमावली 2022 की धारा-139ए के अनुसार)		
13	क्या घटना के आरोपी अभियुक्त को विवेचना के दौरान गिरफ्तार किया गया है ?		
14	क्या आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तारी के बाद उसके पास से घटना में प्रयुक्त किसी वस्तु की बरामदगी की गयी है ?		

15	क्या आरोपी अभियुक्त के पास से गिरफ्तारी के समय बरामद वस्तुओं की नियमानुसार फर्द तैयार की गयी है ?		
16	आरोपी अभियुक्त के पास से बरामद वस्तुओं को एफ0एस0एल0 जाँच हेतु प्रेषित किया गया है ?		
17	आरोपी अभियुक्त के पास से बरामद मोबाईल, इलैक्ट्रनिक डिवाईस को घटना के सम्बन्ध में फोरेन्सिक विश्लेषण हेतु प्रेषित किया गया है ?		
18	आरोपी अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने से पूर्व क्या उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है ?		
19	मेडिकल परीक्षण में क्या उसका ब्लड, उसका सीमेन इत्यादि, डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु लिया गया है ?		
20	अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड हेतु प्रेषित किये जाने से पूर्व सुसंगत धाराओं में आरोपित किया गया है ?		
21	क्या अभियुक्त से न्यायिक अभिरक्षा में कोई डिस्कवरी स्टेटमेन्ट अपराध में प्रयुक्त वस्तुओं के सम्बन्ध में लिया गया है ?		
22	क्या अभियुक्त से लिये गये डिस्कवरी स्टेटमेन्ट के पश्चात पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड लेकर उसके द्वारा बताये हुये स्थान से उसकी निशानदेही पर अपराध में प्रयुक्त कोई वस्तु बरामद की गयी है ?		
23	क्या अभियुक्त की पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड के दौरान वरामद वस्तुओं की फर्द तैयार की गयी है ? फर्द पर स्वतन्त्र साक्षियों के हस्ताक्षर हैं ? यदि नहीं		

	तो क्या उसका यथोचित कारण अंकित कर लिया गया है ?		
24	क्या अभियुक्त का घटना के सम्बंध में न्यायिक अभिरक्षा के दौरान अपराध की संस्वीकृति (धारा 183 बी.एन.एस.एस.) का बयान मा0न्यायालय के समक्ष दर्ज कराया गया है ?		
25	क्या अभियुक्त का कोई नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट आदि उसकी सहमति के अनुसार विधि पूर्ण ढंग से न्यायालय की अनुमति लेकर कराया गया है ?		
26	क्या अभियुक्त की आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र धारा 94 किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार संलग्न किया गया है ?		
27	क्या अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित सम्पत्ति के सम्बन्ध में धारा 107 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है ?		
28	क्या अभियुक्त का आपराधिक इतिहास, सी0सी0टी0एन0एस0 रिपोर्ट मय अद्यतन स्थिति के साथ संलग्न किया गया है ?		
29	क्या अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित करने के लिए कोई पहचान परीक्षण परेड करवाया गया है ?		
30	क्या अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सी0सी0टी0वी0 फुटेज या अन्य इलैक्ट्रानिक डिवाईस को संकलित कर लिया गया है ?		
31	क्या अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सी0सी0टी0वी0 फुटेज या अन्य इलैक्ट्रानिक		

	डिवाईस का विधि पूर्ण ढंग से फॉरेन्सिक विश्लेषण करवाया गया है ?		
32	क्या अभियुक्त से धारा 349 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत नमूना हस्तलेख, नमूना हस्ताक्षर, ॲंगुली छाप, आवाज का नमूना आदि लिया गया है ?		
33	क्या अभियुक्त से धारा 349 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत नमूना हस्तलेख, नमूना हस्ताक्षर, ॲंगुली छाप, आवाज का नमूना लेने के पश्चात् क्या उनका नियमानुसार परीक्षण कराकर संकलित साक्ष्य को संलग्न केस डायरी कर लिया गया है ?		
34	क्या अभियुक्त द्वारा किसी व्यक्ति से न्यायकेतर संस्वीकृति किये जाने सम्बन्धी साक्ष्य संकलित है ?		
35	क्या विवेचना के दौरान कोई सह अभियुक्त अपराध का एप्रूवर (राज्य साक्षी) बना है ? यदि बना है तो क्या न्यायालय के माध्यम से उसे नियमानुसार राज्य साक्षी (वादा माफ गवाह) बना लिया गया है ?		
36	अभियुक्त के बयान पर जिस किसी को सह अभियुक्त बनाया गया है, क्या उस साक्ष्य के अलावा उसे आरोपित करने के लिए अन्य सुसंगत साक्ष्य केसडायरी में संकलित हैं ?		
37	घटना की कड़ियों को जोडने के लिए क्या सी0डी0आर0 और सी0डी0आर0 लोकेशन का विश्लेषण किया गया है ?		
38	हत्या/आपराधिक मानव बध के मामले में यदि कोई दस्तावेज या भौतिक साक्ष्य संकलित करना है तो क्या सम्बन्धित को धारा 94 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत नोटिस देकर प्राप्त किया गया है ?		

39	क्या निम्नलिखित दस्तावेज आरोप-पत्र के साथ संलग्न किये गये हैं ?		
	➢ घटना की सूचना पी0आर0बी0 कॉल से आयी है तो कॉलर के सत्यापन सम्बन्धी दस्तावेज ?		
	➢ घटना की सूचना यदि विलम्ब से वादी/पीड़ित द्वारा दी गयी तो क्या विलम्ब से सूचना दिये जाने का स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट के कॉलम नं0-8 में अंकित है ?		
	➢ केसडायरी में विलम्ब से सूचना दिये जाने का स्पष्टीकरण वादी के बयानों में अंकित किया गया है ?		
	➢ घटना से सम्बन्धित चशमदीद साक्षियों, पंचनामा साक्षियों, पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक का बयान, वादी एवं अन्य साक्षियों का बयान प्रश्नोत्तर प्रारूप में संलग्न है ?		
	➢ साक्षियों के बयान इलैक्ट्रानिक डिवाईस से लिये गये हैं तो धारा-63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र संलग्न है ?		
	➢ नक्शानजरी में दर्शित घटनास्थल के पडोस में रहने वाले लोगों के बयान संलग्न हैं ?		
	➢ किसी साक्षी से अपराध से सम्बन्धित किसी दस्तावेजी अथवा इलैक्ट्रानिक साक्ष्य को बी.एन.एस.एस. में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत नोटिस देकर संकलित किया गया है ?		
	➢ साक्षियों के न्यायालय में उपस्थिति सम्बन्धी बन्ध पत्र, साक्षियों के मोबाईल नम्बर, ई-मेल,		

	स्थायी पता, वर्तमान पता, आयु आदि संकलित हैं ?		
	➢ मृतक का मृत्युकालिक बयान यह सुनिश्चित करते हुए लिया गया है कि वह बयान देते समय बयान देने में सक्षम था ?		
	➢ साक्षियों के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान की नकल संकलित है ?		
	➢ मृत्युकालिक बयान जिसके द्वारा रिकॉर्ड किया गया है उनका बयान संलग्न है ?		
	➢ साक्षियों के बयान यदि थाने पर बुलाकर अंकित किये गये हैं तो नोटिस की प्रति संलग्न है ?		
	➢ अभियुक्त की घटनास्थल पर घटना कारित करते समय उपस्थित होने सम्बन्धी सी0सी0टी0वी0 फुटेज, सी0डी0आर0 लोकेशन, कैफ आई0डी0 आदि धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के साथ संलग्न है ?		
	➢ प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति मय मूल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है ?		
	➢ थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की जी0डी0 की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है ?		
	➢ घटनास्थल पर या विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन की कार्यवाही के लिए जाने वाले पुलिस कर्मियों/ विवेचक की आमद एवं		

	रवानगी की जी0डी0 की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है ?		
	➢ नक्शा नजरी पर दिनांक, समय एवं तैयार करने वाले विवेचक के स्पष्ट हस्ताक्षर अंकित कर संलग्न है ?		
	➢ केस डायरी पर दिनांक, समय एवं तैयार कराने वाले विवेचक के स्पष्ट हस्ताक्षर अंकित है ?		
	➢ घटनास्थल से बरामद वस्तु की फर्द, वीडियो, फोटो, धारा-63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न है ?		
	➢ पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट प्रमाणित एवं टंकित रूप में संकलित है ?		
	➢ सी0सी0टी0वी0 फुटेज हैश वैल्यू के साथ संलग्न है ?		
	➢ घटना में प्रयुक्त बरामद वस्तुओं को एफ0एस0एल0 हेतु प्रेषित किये जाने सम्बन्धी दस्तावेज तथा उसकी रिपोर्ट के साथ संलग्न है ?		
	➢ इलैक्ट्रानिक डिवाईस, सी0डी0आर0/ सी0डी0आर0 लोकेशन धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न है ?		
	➢ अभियुक्त की आयु यदि 18 वर्ष से कम है तो चालानी रिपोर्ट किशोर न्याय बोर्ड को सम्बोधित करते हुए प्रेषित की गयी है ?		

	➢ पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी एवं जब्ती की वीडियो रिकार्डिंग को फर्द सूची के साथ में सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 48 घण्टे के भीतर प्रेषित किया गया है ? (यू0पी0 बी.एन.एस.एस. रूल 2024)		
	➢ आरोप पत्र विवेचक द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित तथा पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिनांक, नाम सहित अपने पूर्ण हस्ताक्षर के साथ अग्रसारित है ?		
	➢ अनुपूरक आरोप-पत्र प्रकरण में प्रेषित किया जाना है तो इसका उल्लेख मूल आरोप-पत्र में किया गया है ?		
	➢ विचारण के दौरान अनुपूरक आरोप-पत्र प्रेषित किये जाने से पूर्व न्यायालय की अनुमति प्राप्त की गयी है ?		
	➢ आरोप-पत्र में वर्णित अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धारायें आरोपित हैं ?		
	➢ यदि आरोप-पत्र में कोई निरसित अथवा असंवैधानिक घोषित की गयीं धारायें आरोपित हैं तो क्या उसका विधिवत संशोधन कर लिया गया है ?		
	➢ विवेचना के दौरान यदि प्रकरण से सम्बन्धित किसी संदेहास्पद व्यक्ति को थाने बुलाया गया है तो उसका चिकित्सीय परीक्षण (शासनादेश संख्या-4565/छ-पु0-9-2024 दिनांकः 04-12-2024) संलग्न है ?		

	➢ आरोप-पत्र के कॉलम-16 में घटना का संक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, पंचनामा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, साक्षियों के बयान, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख करते हुए प्रेषित किया गया है ?		
	➢ धारा 193(3)2 बी.एन.एस.एस. के क्रम में सूचना देने वाले पीड़ित को 90 दिन के भीतर जॉच की प्रगति की सूचना दी गयी है या नहीं?		
	➢ अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र, जमानत आदेश और बन्ध पत्र की कॉपी संलग्न है या नहीं?		
	➢ अभियुक्त यदि विदेश भाग गया है तो अभियुक्त को वापस ले आने की क्या कोई विधिक प्रक्रिया अपनाई गयी है ?		
	➢ अभियुक्त के यदि विदेश भागने की सम्भावना है तो लुक आऊट सर्कुलर जारी कराया गया है ?		
	➢ विवेचना पूर्ण होने पर अन्तिम निष्कर्ष अंकित करने से पूर्व विधिक अभिमत लिया गया है ?		
	➢ अगर विधिक अभिमत में अभियोजक द्वारा कुछ कमियाँ बताई गयी हैं तो उनकी पूर्ति कर पुनः विधिक अभिमत लिया गया है ?		
	➢ विधिक अभिमत को केस डायरी का भाग तो नहीं बनाया गया है ?		

	➢ मृतक के परिजनों को उनकी सुरक्षा की आवश्कता पर साक्षी सुरक्षा योजना में सुरक्षा दी गयी है या नहीं?		
	➢ एफ0एस0एल0 में प्रेषित किये गये कुल नमूनों की संख्या?		
	➢ उक्त प्रेषित नमूनों पर एफ0एस0एल0 से प्राप्त रिपोर्ट की संख्या?		
	➢ एफ0एस0एल0 से अप्राप्त रिपोर्ट की संख्या?		
40	**यदि प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है तो क्या निम्न बिन्दु समाहित है ?**		
	➢ घटना कारित करने के पीछे अभियुक्त का मोटिव/ हेतुक क्या था ?		
	➢ अभियुक्त तथा अपराध कारित करने में मोटिव की समस्त कडियां जुडी हुई हैं ?		
	➢ जिन परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त को आरोपी माना गया है उन परिस्थितियों का क्रमबद्ध साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है ?		
	➢ अभियुक्त और मृतक को अन्तिम बार किस साक्षी द्वारा किन परिस्थितियों में एक साथ देखा गया था ?		
	➢ अभियुक्त और मृतक को अन्तिम बार एक साथ देखे जाने का साक्ष्य पत्रावली पर संलग्न है ?		

धारा 103 (2) के अन्तर्गत मॉब लिंचिंग कर हत्या

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

1	अपराध की सूचना का माध्यम	हाँ/नहीं	रिमार्क
	➢ पी0आर0वी0 कॉल/पी0सी0आर0 कॉल?		
	➢ मौखिक, टेलीफोन?		
	➢ थाने पर उपस्थित होकर?		
	➢ अस्पताल से प्राप्त सूचना?		
	➢ अन्य तरीके से?		
2	**सूचना प्राप्ति पर**		
	➢ घटनास्थल पर पुलिस टीम अविलम्ब पहुँची थी ?		
	➢ अपराध की पुष्टि पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गयी थी ?		
	➢ जिला नियन्त्रण कक्ष में अपराध कारित होने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी ?		
	➢ पीड़ित मजरूब को हास्पिटल उपचार हेतु भेजा गया था ?		
	➢ अपराध के चक्षुदर्शी साक्षियों के बयान घटनास्थल पर घटना की पुष्टि के सम्बन्ध में लिये गये थे?		

	➢ किसी मृतक का मरने से पूर्व मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युकालिक कथन लिया गया था ?		
	➢ घटनास्थल की प्रत्येक दिशा से फोटोग्राफी एवं वीडियोग्रफी की गयी थी ?		
	➢ घटनास्थल का निरीक्षण विवेचक एवं मोबाईल क्राईम टीम द्वारा किया गया था ?		
	➢ निरीक्षण के दौरान घटना में प्रयुक्त हथियार, लाठी, पत्थर, ईट के टुकडे, रक्त, फटे हुए कपडे, जूता, चप्प्ल आदि पाये गये थे तथा उनकी सुरक्षित घेराबन्दी सुनिश्चित की गयी थी ?		
	➢ घटनास्थल पर जले हुये वाहन बरामद हुए थे?		
	➢ घटनास्थल पर जले हुए वाहन के स्वामी का पता किया गया था ?		
	➢ घटनास्थल के आस-पास की दुकानदारों ठेले लगाने वाले, रेहडी पटरी पर काम करने वाले की घटना के सम्बन्ध में बयान लिये गये थे?		
	➢ घटना कारित करते समय अभियुक्तों के मध्य वार्तालाप, नारे आदि का साक्षियों के बयानों में उल्लेख है ?		
	➢ घटना में प्रयुक्त बरामद वस्तुओं का संकलन एफ0एस0एल0 टीम द्वारा किया गया था ?		
	➢ घटनास्थल पर अभियुक्तों के आने ओर जाने वाले मार्गो का अवलोकन सी0सी0टी0वी0 कैमरों आदि से किया गया था ?		

	➢ विवेचक द्वारा बरामद बस्तुओं की फर्द तैयार की गयी थी तथा उनकी वीडियोग्राफी करायी गयी थी ? (धारा-105 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत)		
	➢ घटनास्थल के पास से कोई संदिग्ध व्यक्ति निरूद्ध किया गया था तथा उससे पूछताछ की गयी थी ?		
	➢ घटना में घायल हुये मजरूवों को अस्पताल ले जाकर उनकी मेडिको लीगल प्रपत्र आदि संकलित किये गये थे तथा उनके बयान लिये गये थे?		
	➢ क्या सुसंगत मामलों में घटनास्थल पर पहुँचने वाली फोरेंसिक टीम द्वारा संकलित साक्ष्य तथा फोटोग्राफ और वीडियो आदि प्राप्त कर लिए गये हैं ?		
3	**प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण**		
	➢ घटना के सम्बन्ध में प्राप्त लिखित शिकायत अथवा बयान के आधार पर धारा 103(2) बी0एन0एस0 आकर्षित हो रही है ?		
	➢ प्रथम सूचना रिपोर्ट से इस बात का प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्राप्त है कि घटना किस चीज से कारित की गयी थी जैसे पत्थर, लाठी, धारदार हथियार, तमंचा, बम, पेट्रोल या ज्वलनशील पदार्थ आदि ?		
	➢ विवेचक द्वारा पंचनामा तैयार कराया गया था ?		
	➢ घटनास्थल से बरामद वस्तुओं की फर्द तैयार की गयी थी ?		
	➢ घटनास्थल के आसपास सी0सी0टी0वी0 फुटेज की हैश वैल्यू प्राप्त करते हुए फर्द बनायी गयी थी ?		

	➢ जले हुए वाहनों को जब्त कर उन्हें एफ0एस0एल0 इस निष्कर्ष के साथ प्रेषित किया गया था कि इसमें आगजनी हेतु कौन सा रसायन, ईंधन प्रयुक्त हुआ था ?		
	➢ एफ0एस0एल0 हेतु प्रेषित बरामद वस्तुओं के साथ जो प्रपत्र भेजा गया था वह विवेचक द्वारा सुसंगत प्रश्नों के साथ भेजा गया था ?		
	➢ क्या थाना प्रभारी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जनपद में इस निमित्त नामित नोडल अधिकारी को सूचित किया और यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में पीड़ित के परिवार का उत्पीडन न होने पाये?		
4	**दस्तावेज जो आरोप-पत्र के साथ संलग्न किये गये हैं**		
	➢ घटना की सूचना पी0आर0बी0 कॉल से आयी है तो कॉलर की सत्यापन सम्बन्धी दस्तावेज ?		
	➢ घटना की सूचना यदि विलम्ब से वादी/ पीड़ित द्वारा दी गयी तो क्या विलम्ब से सूचना दिये जाने का स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट के कॉलम नं0-8 में अंकित है ?		
	➢ केसडायरी में विलम्ब से सूचना दिये जाने का स्पष्टीकरण वादी के बयानों में अंकित किया गया है ?		
	➢ घटना से सम्बन्धित चश्मदीद साक्षियों, पंचनामा साक्षियों, पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक का बयान, वादी एवं अन्य साक्षियों का बयान प्रश्नोत्तर प्रारूप में संलग्न है ?		

	➢ साक्षियों के बयान इलैक्ट्रानिक डिवाईस से लिये गये हैं तो धारा-63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र संलग्न है ?		
	➢ नक्शानजरी में दर्शित घटनास्थल के पडोस में रहने वाले लोगों के बयान संलग्न हैं ?		
	➢ किसी साक्षी से अपराध से सम्बन्धित किसी दस्तावेजी अथवा इलैक्ट्रानिक साक्ष्य को बी.एन.एस.एस. में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत नोटिस देकर संकलित किया गया है ?		
	➢ साक्षियों के न्यायालय में उपस्थिति सम्बन्धी बन्ध पत्र, साक्षियों के मोबाईल नम्बर, ई-मेल, स्थायी पता, वर्तमान पता, आयु आदि संकलित हैं ?		
	➢ मृतक का मृत्युकालिक बयान यह सुनिश्चित करते हुए लिया गया है कि वह बयान देते समय बयान देने में सक्षम था ?		
	➢ साक्षियों का धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान की नकल संकलित है ?		
	➢ मृत्युकालिक बयान जिसके द्वारा रिकॉर्ड किया गया है उनका बयान संलग्न है ?		
	➢ साक्षियों के बयान यदि थाने पर बुलाकर अंकित किये गये हैं तो नोटिस की प्रति संलग्न है ?		
	➢ अभियुक्त की घटनास्थल पर घटना कारित करते समय उपस्थित होने सम्बन्धी सी0सी0टी0वी0 फुटेज, सी0डी0आर0 लोकेशन, कैफ आई0डी0 और 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर लिये गये है ?		

	➢ प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति मूल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है ?		
	➢ थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की जी0डी0 की प्रमाणित छायाप्रति ?		
	➢ घटनास्थल पर या विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन की कार्यवाही के लिए जाने वाले पुलिस कर्मियों/विवेचक की आमद एवं रवानगी की जी0डी0 की प्रमाणित छायाप्रति ?		
	➢ नक्शा नजरी पर दिनांक, समय एवं तैयार करने वाले विवेचक के स्पष्ट हस्ताक्षर सहित संलग्न हैं ?		
	➢ केसडायरी पर दिनांक, समय एवं तैयार कराने वाले विवेचक के स्पष्ट हस्ताक्षर सहित संलग्न है ?		
	➢ घटनास्थल से बरामद वस्तु की फर्द, वीडियो, फोटो, धारा-63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न है ?		
	➢ पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट प्रमाणित एवं टंकित रूप में संकलित है ?		
	➢ सी0सी0टी0वी0 फुटेज हैश वैल्यू के साथ संलग्न है?		
	➢ घटना में प्रयुक्त बरामद वस्तुओं को एफ0एस0एल0 हेतु प्रेषित किये जाने सम्बन्धी दस्तावेज तथा उसकी रिपोर्ट के साथ संलग्न है ?		

	➢ इलैक्ट्रानिक डिवाईस, सी0डी0आर0/ सी0डी0आर0 लोकेशन धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न है ?		
	➢ अभियुक्त की आयु यदि 18 वर्ष से कम है तो चालानी रिपोर्ट किशोर न्याय बोर्ड को सम्बोधित करते हुए प्रेषित की गयी है ?		
	➢ पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी एवं जब्ती की वीडियो रिकार्डिग को फर्द सूची के साथ में सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 48 घण्टे के भीतर पेश किया गया है ? (यू0पी0 बी.एन.एस.एस. रूल 2023)		
	➢ आरोप पत्र विवेचक द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित तथा पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिनांक, नाम सहित अपने पूर्ण हस्ताक्षर के साथ अग्रसारित है ?		
	➢ अनुपूरक आरोप-पत्र प्रकरण में प्रेषित किया जाना है तो इसका उल्लेख मूल आरोप-पत्र में किया गया है ?		
	➢ विचारण के दौरान अनुपूरक आरोप-पत्र प्रेषित किये जाने से पूर्व न्यायालय की अनुमति प्राप्त की गयी है ?		
	➢ आरोप-पत्र में वर्णित अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धारायें आरोपित हैं ?		
	➢ आरोप-पत्र में कोई निरसित अथवा असंवैधानिक घोंषित की गयीं धारायें आरोपित हैं ?		

	➢ विवेचना के दौरान यदि प्रकरण से सम्बन्धित किसी संदेहास्पद व्यक्ति को थाने बुलाया गया है तो उसका चिकित्सीय परीक्षण (शासनादेश संख्या-4565/छ-पु0-9-2024 दिनांकः 04-12-2024) संलग्न है ?		
	➢ आरोप-पत्र के कॉलम-16 में घटना का सक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, पंचनामा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, साक्षियों के बयान, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख करते हुए प्रेषित किया गया है ?		
	➢ धारा 193(3)2 बी.एन.एस.एस. के क्रम में सूचना देने वाले पीड़ित को 90 दिन के भीतर जॉच की प्रगति की सूचना दी गयी है या नहीं?		
	➢ अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र, जमानत आदेश और बन्ध पत्र की कॉपी संलग्न है या नहीं?		
	➢ अभियुक्त यदि विदेश भाग गया है तो अभियुक्त को वापस ले आने की क्या कोई विधिक प्रक्रिया अपनाई गयी है ?		
	➢ अभियुक्त के यदि विदेश भागने की सम्भावना है तो लुक आऊट सर्कुलर जारी कराया गया है ?		
	➢ विवेचना पूर्ण होने पर अन्तिम निष्कर्ष अंकित करने से पूर्व विधिक अभिमत लिया गया है ?		
	➢ अगर विधिक अभिमत में अभियोजक द्वारा कुछ कमियाँ बताई गयी हैं तो उनकी पूर्ति कर पुनः विधिक अभिमत लिया गया है ?		

	➢ विधिक अभिमत को केस डायरी का भाग तो नहीं बनाया गया है ?		
	➢ मृतक के परिजनों को उनकी सुरक्षा की आवश्कता पर साक्षी सुरक्षा योजना में सुरक्षा दी गयी है या नहीं?		
	➢ एफ0एस0एल0 में प्रेषित किये गये कुल नमूनों की संख्या?		
	➢ उक्त प्रेषित नमूनों पर एफ0एस0एल0 से प्राप्त रिपोर्ट की संख्या?		
	➢ एफ0एस0एल0 से अप्राप्त रिपोर्ट की संख्या ?		

धारा 106 के अन्तर्गत उपेक्षा द्वारा कारित मृत्यु

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये ।)

4	अपराध की सूचना का माध्यम	हाँ/नहीं	रिमार्क
	➢ पी0आर0वी0 कॉल/पी0सी0आर0 कॉल?		
	➢ मौखिक, टेलीफोन?		
	➢ थाने पर उपस्थित होकर?		
	➢ अस्पताल से प्राप्त सूचना?		
	➢ अन्य तरीके से?		
	सूचना प्राप्ति पर		
	➢ प्रथम सूचना रिपोर्ट अविलम्ब दर्ज की गयी थी ?		
	➢ यदि घटना की सूचना विलम्ब से वादी द्वारा दी गयी हे तो क्या विलम्ब से सूचना दिये जाने का स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट के कॉलम-8 में अंकित किया गया है ?		
	➢ क्या केसडायरी में विवेचक द्वारा वादी/सूचनादाता के बयान में विलम्ब का कारण अंकित किया गया है या नहीं?		
	➢ घटनास्थल पर पुलिस टीम अविलम्ब पहुँची थी ?		

	➢ अपराध की पुष्टि पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गयी थी ?		
	➢ अपराध के सम्बन्ध में एफ0एस0एल0 टीम/मोबाईल क्राईम टीम एवं वीडियोग्राफी हेतु नामित व्यक्तियों को सूचना दी गयी थी ?		
	➢ पुलिस टीम घटना की सूचना पर घटनास्थल पर एफ0एस0एल0 की टीम के साथ पहुँची थी ?		
	➢ घटनास्थल जहाँ सड़क हो तथा वहाँ आवागमन लगातार जारी हो वहाँ घटनास्थल को सुरक्षित किया गया?		
	➢ जिस वाहन से दुर्घटना हुई थी उस वाहन को घटनास्थल से कब्जे में लिया गया?		
	➢ घटनास्थल पर मजरूब अथवा मृतक को नजदीकी अस्पताल भेजा गया था ?		
	➢ मृतक का शव अस्पताल में सुरक्षित रखा गया था ?		
	➢ घटनास्थल की प्रत्येक दिशा से फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी थी ?		
	➢ घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस टीम एवं एफ0एस0एल0 टीम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था ?		

	➢ घटना में मृतक की पहचान घटनास्थल पर ही सुनिश्चित की गयी थी ?		
	➢ मृतक के पास बरामद बस्तुओं की जामा तलाशी की गयी थी ?		
	➢ घटनास्थल से दुर्घटना करने वाले वाहन को सुरक्षित किया गया था ?		
	➢ घटना यदि वाहनों की टक्कर से हुई है तो क्या सम्बन्धित वाहनों को कब्जे में लिया गया?		
	➢ घटनास्थल पर दुर्घटना में प्रयुक्त वाहनों की वाहन स्वामी एवं वाहन चालक की मौके पर ही तस्दीक किया गया था ?		
	➢ विवेचक द्वारा बरामद बस्तुओं की फर्द तैयार की गयी थी तथा उनकी वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी करायी गयी थी ? (धारा-105 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत)		
	➢ दुर्घटना में क्षतिग्रस्त वाहन का घटनास्थल पर ही फॅटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी थी ?		
	➢ घटनास्थल पर ही दुर्घटना में प्रयुक्त वाहनों के आने एवं जाने वाली दिशाओं को तस्दीक पुलिस टीम द्वारा किया गया था ?		
	➢ घटनास्थल पर मृतक के शव एवं आस-पास खून, शरीर का कोई अंग विक्षिप्त अवस्था में पाया गया था एवं उसकी फोटोग्राफी की गयी थी ?		

	➢ घटना में प्रयुक्त वाहनों को टेक्नीकल परीक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया गया था ?		
	➢ घटनास्थल के आस-पास सी0सी0टी0वी0 कैमरों की फुटेज जिसमें घटना प्रत्यक्ष रूप से दर्शित हो रही हो का संकलन हैश वैल्यू के साथ किया गया था ?		
	➢ घटनास्थल पर ही दुर्घटना करने वाले वाहन को कब्जे में लेकर उसकी फर्द धारा-105 बी.एन.एस.एस. के तहत तैयार की गयी थी ?		
	➢ विवेचक द्वारा घटनास्थल पर बरामद वस्तुओं की फर्द तैयार की गयी थी ?		
	➢ फर्द पर घटनास्थल पर मौजूद साक्षियों के हस्ताक्षर कराये गये थे उनके नाम स्थायी और अस्थायी पता, व्यवसाय, आयु, मोबाईल नम्बर, वैकल्पिक मो0नं0, ई-मेल आदि लिये गये थे?		
	➢ फर्द बरामदगी एवं फर्द तैयार करते समय धारा 105 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कर उसे सुरक्षित रखा गया है ?		
	➢ मृतक के शव की पहचान सुनिश्चित किये जाने के पश्चात मृतक के परिवार वालों को सूचना दी गयी थी ?		
	➢ सूचना का माध्यम क्या था ?		

	➢ सूचना के पश्चात परिवार का कोई सदस्य घटनास्थल पर आया था ?		
	➢ मृतक अथवा घायल की मेडिल परीक्षण प्रपत्र अस्पताल से प्राप्त किया गया था ?		
	➢ मृतक का शव पहचान योग्य था ?		
	➢ घटना में प्रयुक्त वाहन पर फारेन्सिक विशेषज्ञ द्वारा कोई रक्त मानव टिशू आदि पाया गया था क्या उसे सुरक्षित रखा गया था ?		
	➢ अभियुक्त जिसका नाम विवेचना के दौरान प्रकाश में आया था को धारा 133 मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत सुनिश्चित किया गया था कि घटना के समय वाहन उसी के द्वारा चलाया जा रहा था ?		
	➢ अभियुक्त को घटनास्थल पर पकड कर यह सुनिश्चित किया था कि घटना कारित होते समय वाहन वही चला रहा था ?		
	➢ अभियुक्त को गिरफतार कर जमानत प्रदान की गयी थी ?		
	➢ अभियुक्त का ड्रइविंग लाईसेन्स, वाहन का बीमा प्रपत्र एवं वाहन का पंजीकरण प्रपत्र कब्जे में लिया गया था ?		
	➢ कब्जे में लेकर धारा 105 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत फर्द तैयार की गयी थी ?		

	➢ घटनास्थल पर प्रश्नगत वाहन का घटना के दौरान कोई हिस्सा टूट गया हो या टूट कर अलग हो गया हो, तो क्या उसकी बरामदगी की गयी थी ?		
	➢ प्रश्नगत वाहन के टूटे हुये हिस्से का मिलान वाहन से किया गया था ?		
	➢ जहाँ दुर्घटना दो वाहनों की टक्कर के कारण हुयी हो वहाँ दोनो वाहनों के टक्कर सम्बन्धी निशान, छूटे हुए रंगों का मिलान किया गया था ?		
	➢ दुर्घटना में प्रयुक्त वाहन किसी नाबालिग द्वारा चलाया जा रहा था ?		
	➢ नाबालिग द्वारा चलाया जा रहा था तो क्या उसके वाहन स्वामी पर कोई कार्यवाही की गयी थी ?		
	➢ दुर्घटना में प्रयुक्त वाहन के स्वामी का बयान लिया गया था ?		
	➢ दुर्घटना के समय वाहन स्वामी का बयान दुर्घटना करने वाले ड्राईवर के सम्बन्ध में लिया गया?		
	➢ जिस ड्राईवर को वाहन स्वामी द्वारा प्रश्नगत वाहन चलाने का कथन किया गया है उसकी दुर्घटना के समय उपस्थिति सुनिश्चित की गयी है ?		
	➢ उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा कौन सा दस्तावेजी मौखिक, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजी साक्ष्य संकलित किया गया?		

	➢ दुर्घटना किसी सरकारी वाहन से हुई थी या प्राईवेट वाहन से?		
	➢ सरकारी वाहन यथा बस, ट्रक, कार आदि के बारे में सम्बन्धित विभाग को सूचना दी गयी थी ?		
	➢ सम्बन्धित विभाग से घटना के समय वाहन चलाने वाले ड्राईवर की पुष्टि की गयी थी ?		
	➢ सम्बन्धित विभाग से वाहन चालक एवं रूट परमिट आदि प्रपत्रों का संकलन किया गया था ?		
	➢ क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि सम्बन्धित वाहन निर्धारित परमिट के अनुसार ही घटना वाले दिन चलाया जा रहा था ?		
	➢ घटना के 30 दिन के भीतर एक्सीडेन्ट इन्फोरमेशन रिपोर्ट (ए0आई0आर) मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण को प्रेषित की गयी थी ?		
	➢ प्रश्नगत वाहन के बीमा सम्बन्धी प्रपत्रों की जाँच विवेचना के दौरान की गयी थी ?		
	➢ दुर्घटना करने वाले वाहन के बीमा सम्बन्धी प्रपत्रों की जाँच बीमा करने वाले कम्पनी से करायी गयी थी ?		
	➢ दुर्घटना करने वाले वाहन की जाँच बीमा कम्पनी के सर्वेयर द्वारा की गयी थी ?		

	➢ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण को विवेचक द्वारा डिटेल एक्सीडेन्टल रिपोर्ट (DAR) प्रेषित की गयी थी ?		
	➢ दुर्घटना में मरने वाले मृतक का परिवार, व्यवसाय, आयु, स्थयी/अस्थायी पता, आदि का निर्धारण किया गया था ?		
	➢ मोटर वाहन नियमावली के नियम 203ए के अन्तर्गत दुर्घटना में प्रयुक्त वाहन प्रपत्रों की यथा ड्राईविग लाईसेन्स, बीमा प्ररपत्र, वाहन पंजीकरण प्रपत्र, टेक्निकल परीक्षण प्रपत्र आदि संकलित कर उनकी जाँच सम्बन्धित प्राधिकारियों से की गयी थी ?		
5	**आरोप पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज**		
	➢ प्रार्थना पत्र की प्रमाणित छायाप्रति		
	➢ प्रथम सूचना रिपोर्ट?		
	➢ घटनास्थल की नक्शा नजरी, फोटो, वीडियो ?		
	➢ घटनास्थल पर तैयार फर्द एवं जामा तलाशी प्रपत्र?		
	➢ मृतक की मेडिकल, पंचनामा एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट?		
	➢ साक्षियों के बयान घटनास्थन पर उपस्थिति एवं घटना देखे जाने विषयक?		

	➢ मृतक की पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफ एवं फोटोग्राफ आदि?		
	➢ पोस्टमार्टम में आटोप्सी सर्जन से चोट मृतक के शरीर की स्थिति, मृत्यु का सम्भावित कारण तथा मृत्य की अवधि सम्बन्धी बयान?		
	➢ नक्शानजरी में उस बिन्दु का अंकन है जहाँ से दुर्घटना करने वाले वाहन का आना सुनिश्चित हो रहा हो तथा मृतक को चोटे पहुँचायी गयीं?		
	➢ घटना यदि रात्रि की है तो विवेचक द्वारा नक्शानजरी में उस स्थान का अंकन किया गया है जहाँ से प्रकाश आ रहा हो?		
	➢ दुघर्टना करने वाले वाहन तथा मृतक के वाहन का तकनीकी एवं यांत्रिकी परीक्षण यथा वाहन की स्पीड घटना करते समय क्या थी दुर्घटना करने वाले वाहन पर आये डेन्ट और रक्त के निशान का मिलान मृतक के रक्त और मृतक की गाडी के डेन्ट से की गयी थी ?		
	➢ एम0ए0सी0पी0 के समक्ष घटना के 48 घण्टे के भीतर विवेचक द्वारा प्रथम दुघर्टना रिपोर्ट (FAR) प्रेषित कर दी गयी?		
	➢ एफ0ए0आर0 की प्रति पीड़ित/मृतक के परिवार, बीमा कम्पनी एवं डी0एल0एस0ए0 को प्रेषित की गयी थी		

	➢ घटना से 10 दिन के भीतर मृतक के परिवार के सदस्यों उसके विधिक प्रतिनिधियों को (DAR) विस्तृत दुघर्टना रिपोर्ट की प्रति सुपुर्द की गयी थी ?		
	➢ 90 दिन के भीतर (DAR) विस्तृत दुघर्टना रिपोर्ट की प्रति मोर्टर दुर्घटना दावा प्राधिकरण को सुपुर्द की गयी थी ?		
	➢ साक्षियों के बयान मय ई-मेल, फोन नम्बर, स्थायी व अस्थायी निवास आदि के साथ संकलित हैं ?		
	➢ विवेचक द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि दुघर्टना करने वाले व्यक्ति का मृतक से कोई पूर्व सम्बन्ध था दुघर्टना करने वाले व्यक्ति का मृतक से घटना कारित करने के पीछे कोई दुराशय था घटना केवल दुर्घटना थी या मृतक के जीवन को समाप्त करने का आशय था ?		
	➢ अभियुक्त एवं पीड़ित के मोबाईल की कोई सी0डी0आर0 लोकेशन घटनास्थल की संलग्न है ?		
	➢ मृतक का कोई मृत्युकालिक कथन है ?		
	➢ विवेचक द्वारा घटना से सम्बन्धित समस्त जी0डी0 संलग्न की गयी है ?		
	➢ दुघर्टनाग्रस्त वाहन में सवार यात्रियों का बयान लिया गया है ?		

	➢ अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण आदि संकलित है ?		
	➢ आरोप पत्र के पैरा-16 में विवेचक द्वारा इस आशय का उल्लेख है कि घटना का संक्षिप्त विवरण एवं उसमें समस्त संकलित साक्ष्यों यथा नक्शानजरी, साक्षियों के बयान, सी0डी0आर0 टेक्निकल परीक्षण आदि अन्य दस्तावेजों का उल्लेख है ?		
	➢ आरोप पत्र सक्षम प्राधिकारी/पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित है ?		
	➢ विवेचना की प्रगति की सूचना पीड़ित के परिवार को दी गयी है ?		
	➢ दुर्घटना करने वाला वाहन चालक वाहन लेकर यदि मौके से भाग गया है तो दुर्घटना उसी वाहन चालक द्वारा ही की गयी थी इसका साक्ष्य संकलित है ?		
	➢ घटना स्थल पर आने-जाने वाले रास्ते पर सी0सी0टी0वी0 फुटेज में प्रश्नगत वाहन की संलिप्तता का साक्ष्य है ?		
	➢ सी0सी0टी0सी0 फुटेज में दर्शित वीडियो, फोटो से अभियुक्त की पहचान की गयी?		
	➢ सी0सी0टी0सी0 फुटेज जिससे प्राप्त किया गया है उससे धारा-63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र संकलित किया गया है ?		

	➢ दुर्घटना करने वाले वाहन को यदि दुर्घटना के वाद विवेचना के दौरान वाहन को कब्जे में लिया गया था तो वाहन की मरम्मत और पेन्ट यदि करवायी गेयी हो तो पेन्ट करने वाले का बयान और अगर कोई सी0सी0टी0सी0 फुटेज है तो उसका संकलन किया गया है ?		
	➢ यदि वाहन स्वामी द्वारा न्यायालय से अपने दुर्घटना में प्रयुक्त वाहन की रिलीज का प्रार्थना पत्र दिया गया है तो उसमें ड्राईवर का क्या नाम अंकित किया गया है, इस बारे में साक्ष्य संकलित किया गया है ?		

धारा – 108 के अन्तर्गत आत्महत्या का दुष्प्रेरण

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1	**घटना की सूचना का माध्यम क्या है:-**		
	1-पी0आर0बी0 कॉल या पी0सी0आर0 कॉल से आयी है ?		
	2-मौखिक		
	3-टेलीफोन		
	4-थाने पर उपस्थित होकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सूचना दी गयी है		
	5-अस्पताल से सूचना दी गयी है		
	6-अन्य तरीके से		
2	**घटना की सूचना प्राप्त होने पर**		
	1-प्रथम सूचना रिपोर्ट अविलम्ब से दर्ज करायी गयी थी ?		
	2-थाने की पुलिस तुरन्त घटनास्थल पर पहुँच गयी थी ?		
	3-अपराध की पुष्टि होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गयी थी ?		
	4-घटनास्थल को सुरक्षित किया गया?		

	5-घटनास्थल की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी की गयी?		
	6-नक्शानजरी विवेचक द्वारा तैयार की गयी है ?		
	7-घटना की सूचना विलम्ब से वादी द्वारा दी गयी है तो क्या विलम्ब से सूचना दिये जाने का स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट के कालम नं0-8 में अंकित है ?		
	8-क्या केस डायरी में विवेचक द्वारा वादी के बयान में विलम्ब का कारण अंकित किया गया है ?		
	क्या नक्शा नजरी में निम्नलिखित तथ्यों का अंकन है ? (उत्तर प्रदेश पुलिस संशोधन विनियमावली 2022 की रूल 114 के अनुसार)		
	➢ घटना का स्थान		
	➢ शव की बरामदगी का स्थान		
	➢ रक्त के धब्बे का सीन		
	➢ बुलेट बरामदगी का स्थान		**या**
	➢ अन्य कोई अपराध में प्रयुक्त वस्तु के पाये जाने का स्थान		
	➢ यदि आत्महत्या कमरे में फाँसी लगाकर की गयी है तो फाँसी लगाने में प्रयुक्त चुनरी, रस्सी, दुपटटा आदि की फोटोग्राफ एवं रेखांकन?		
	➢ शव की स्थिति यथा पंखे से लटकी हुई, छत की हुक से लटकी हुई, छत एवं फर्श की लम्बाई मृतक द्वारा जिस टेविल या कुर्सी के		

	सहारे से फाँसी लगाई गई है उसकी बरामदगी एवं रेखांकन?		
	➢ यदि आत्महत्या जहर खाकर की गई है तो जहर की प्राप्ति का स्रोत?		
	➢ मृतक के किस हाथ से फायर आर्म की बरामदगी की गयी है ?		
	➢ यदि आत्महत्या गोली कार कर की गई है तो बुलेट एवं फायर आर्म की स्थिति		
	➢ यदि आत्महत्या स्वयं को जलाकर की गयी है तो ज्वलनशील पदार्थ आदि की बरामदगी?		
	➢ घटनास्थल के आस-पास मानवीय संरचना, मकान दीवार आदि का स्थान		
	➢ घटना यदि रात्रि की है तो प्रकाश के स्रोत का स्थान		
	➢ घटनास्थल पर प्रवेश और निकास का स्थान		
	➢ घटनास्थल के आस-पास सी0सी0टी0वी0 का स्थान		
	8-घटनास्थल का निरीक्षण फील्ड यूनिट द्वारा किया गया है ?		
	9-घटनास्थल से अपराध में प्रयुक्त आला कत्ल की बरामदगी की गयी है ?		
	10-घटनास्थल से बरामद आला कत्ल की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी की गयी है ? (धारा-105 बी.एन.एस.एस.)		

	11-बरामद आला कत्ल या अन्य अपराध में प्रयुक्त वस्तुओं की बरामदगी की फर्द तैयार किये जाने की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी (धारा-105 बी.एन.एस.एस.)		
	12-घटनास्थल से बरामद अपराध में प्रयुक्त वस्तुओं को एफ0एस0एल0 प्रेषित किया गया है ?		
	13-शव की जामा तलाशी से बरामद वस्तुओं को सूचीबद्ध किया गया है ?		
	14-शव की जामा तलाशी से प्राप्त वस्तुओं यथा मोबाईल, अन्य इलैक्ट्रानिक गजट को एफ0एस0एल0 प्रेषित किया गया है ?		
	15-घटनास्थल से अभियुक्त एवं मृतक के बीच गुत्थम-गुत्था होने के साक्ष्य संकलित है ?		
	16-घटनास्थल से मृतक के हाथ में या शरीर पर कोई बाल, नाखून, बाईट मार्क आदि का साक्ष्य संकलित है ?		
	17-जहर से मृत्यु के मामले में उल्टी/झाग का सैम्पल मृतक लिया गया या नहीं?		
	18-बरामद जैविक अवशेषों के सैम्पल को एफ0एस0एल0 प्रेषित किया गया है ?		
	19-क्या अभियुक्त द्वारा मृतक को आत्महत्या करने से कुछ दिन पहले आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया था		
	20- क्या आत्महत्या से पहले अभियुक्त/आरोपी को एक साथ देखे जाने का साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		

	21-क्या घटनास्थल और आरोपी के मध्य सम्बन्ध को स्थापित करने वाले साक्ष्यों का संकलन कर लिया गया है ?		
	22-आत्महत्या हेतु आरोपी द्वारा किस प्रकार उकसाया गया था:-		
	1-फोन पर अपमानित गाली गलौच आदि किया गया		
	2-प्रत्यक्ष रूप से गाली गलौच, अपमानित किया गया		
	3-ब्लैक मेल कर उद्ययापन किया गया		
	4-अवैध धन की मॉग की जा रही थी		
	5-फोटो या पत्र के माध्यम से उद्ययापित किया जा रहा था		
	6-मानसिक एवं शारीरिक रूप से पताडित किया जा रहा था 7-अभियुक्त द्वारा आत्महत्या करने वाले मृतक को आत्महत्या के लिए कोई सक्रिय सहायता दी जा रही थी 8-मृतक के आत्महत्या करने से अभियुक्त को कोई लाभ आदि प्राप्त हुआ हो तो उसका साक्ष्य		
	23-मृतक की कोई मेडिकल हिस्ट्री उसकी डिपे्रशन, संवेदनशीलता के सम्बन्ध में संलग्न है		
	24-मृतक के पास से कोई सुसाईड नोट प्राप्त हुआ है		
	25-क्या सुसाईड नोट के हस्तलेख का मिलान किया गया है		

	26-सुसाईड नोट किसके द्वारा लिखा गया है		
	27-आत्महत्या करने वाले के साथ आत्महत्या करने से पहले कोई मारपीट या उसका अपमान आदि हुआ था या भय कारित किया गया था		
	28-सुसाईड नोट में लिखी हुयी बातों की सत्यता के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य संकलित है		
	29-बरामद जैविक अवशेषों का मिलान अभियुक्त आरोपी से प्राप्त जैविक सैम्पल कराया गया है ?		
	30-घटना के बाद अभियुक्त के जाने और घटनास्थल पर आने की सभी सम्भावित सी0सी0टी0वी0 फुटेज ली गयी है ?		
3	घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट सुसंगत एवं प्रार्थना पत्र के अनुरूप वैधानिक धाराओं में पंजीकृत है ?		
4	प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति पीड़ित अथवा सूचनादाता को दी गयी है ?		
5	प्रथम सूचना रिपोर्ट मय मूल प्रार्थना पत्र पंजीकृत होने के 24 घण्टे के भीतर सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में प्रेषित कर दी गयी है ?		
6	मृतक के शव का अविलम्ब पंचनामा तैयार किया गया है ?		
7	पंचनामा के साक्षियों का बयान ➢ मृत्यु के कारण के सम्बन्ध में, ➢ शव की पहचान सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में, ➢ मृत्यु का प्रथम दृष्टया कारण दर्शित होने के सम्बन्ध में लिया गया है ?		

8	पंचनामा के साक्षियों का मोबाईल नम्बर, स्थायी पता, वर्तमान पता, ई-मेल आदि लिये गये हैं ?		
9	मृतक के शव को अविलम्ब पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रेषित किया गया है ?		
10	मृतक के शव की चेन ऑफ कस्टडी सुरक्षित रखी गयी है ?		
11	**शव को पोस्टमार्टम हेतु पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को निम्नलिखित के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने हेतु निर्देशित किया गया है**		
	➢ शव के पोस्टमार्टम के दौरान डी0एन0ए0/ फिंगर प्रिंट के लिए अनिवार्य सैम्पलिंग के सम्बन्ध में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया गया है ?		
	➢ गन शॉट इन्जरी के प्रकरण में मृतक के शरीर के उस अंग का एक्स-रे कराया गया है जहाँ पर गोली लगी है ?		
	➢ मृतक की चोटों को उजागर करने वाले रंगीन तस्वीरें लेकर उन्हें केसडायरी का हिस्सा बनाया गया है ?		
	➢ मृत्यु के कारण के सम्बन्ध में		
	➢ डायटम टेस्ट के सम्बन्ध में		
	➢ सूट टेस्ट के सम्बन्ध में		
	➢ कार्डियक अरेस्ट के मामले में हृदय को सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में		

	➢ जहर खाने आदि से सम्बन्धित मामले मे विसरा प्रिजर्व रखने हेतु		
	➢ हायड बोन के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के सम्बन्ध में		
12	शव के पंचनामा तथा पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी संलग्न की गयी है ? (उ0प्र0 पुलिस संशोधन नियमावली 2022 की धारा-139ए के अनुसार)		
13	घटना के आरोपी अभियुक्त को विवेचना के दौरान गिरफ्तार किया गया है ?		
14	आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तारी के बाद उसके पास से घटना में प्रयुक्त किसी वस्तु की बरामदगी की गयी है ?		
15	आरोपी अभियुक्त के पास से गिरफ्तारी के समय बरामद वस्तुओं की फर्द तैयार की गयी है ?		
16	आरोपी अभियुक्त के पास से बरामद वस्तुओं को एफ0एस0एल0 जाँच हेतु प्रेषित किया गया है ?		
17	आरोपी अभियुक्त के पास से बरामद मोबाईल, इलैक्ट्रनिक डिवाईस को घटना के सम्बन्ध में फोरेन्सिक विश्लेषण हेतु प्रेषित किया गया है ?		
18	आरोपी अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने से पूर्व मेडिकल परीक्षण कराया गया है ?		
19	मेडिकल परीक्षण में कोई उसका ब्लड, उसका सीमेन इत्यादि, डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु लिया गया है ?		

20	अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड हेतु प्रेषित किये जाने से पूर्व सुसंगत धाराओं में आरोपित किया गया है ?		
21	अभियुक्त से न्यायिक अभिरक्षा में कोई डिस्कवरी स्टेटमेन्ट अपराध में प्रयुक्त वस्तुओं के सम्बन्ध में लिया गया है ?		
22	अभियुक्त से लिये गये डिस्कवरी स्टेटमेन्ट के पश्चात पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड लेकर उसके द्वारा बताये हुये स्थान से उसकी निशानदेही पर अपराध में प्रयुक्त कोई वस्तु बरामद की गयी है ?		
23	क्या अभियुक्त की पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड के दौरान वरामद वस्तुओं की फर्द तैयार की गयी है ? फर्द पर स्वतन्त्र साक्षियों के हस्ताक्षर हैं ? यदि नहीं तो उसका यथोचित कारण है।		
24	क्या अभियुक्त का घटना के सम्बंध में न्यायिक अभिरक्षा के दौरान अपराध की संस्वीकृति/धारा 183 बी.एन.एस.एस. का बयान मा0न्यायालय के समक्ष दर्ज कराया गया है ?		
25	क्या अभियुक्त का कोई नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, बैन मैपिंग टेस्ट आदि उसकी सहमति के अनुसार विधि पूर्ण ढंग से न्यायालय की अनुमति लेकर करायी गयी है।		
26	अभियुक्त की आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र धारा 94 किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार संलग्न किया गया है ?		
27	अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित सम्पत्ति के सम्बन्ध में धारा 107 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है ?		

28	अभियुक्त का आपराधिक इतिहास, सी0सी0टी0एन0एस0 रिपोर्ट मय अद्यतन स्थिति के साथ संलग्न किया गया है ?		
29	अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित करने के लिए कोई पहचान परीक्षण परेड करवाया गया है ?		
30	अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सी0सी0टी0वी0 फुटेज या अन्य इलैक्ट्रानिक डिवाईस का फॉरेन्सिक विश्लेषण करवाया गया है ?		
31	अभियुक्त से धारा 349 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत नमूना हस्तलेख, नमूना हस्ताक्षर, ॲगुली छाप, आवाज का नमूना आदि लिया गया है ?		
32	अभियुक्त द्वारा किसी व्यक्ति से न्यायकेतर संस्वीकृति किये जाने सम्बन्धी साक्ष्य संकलित है ?		
33	विवेचना के दौरान कोई सह अभियुक्त अपराध का एप्रूवर (राज्य साक्षी) बना है यदि बना है तो क्या न्यायालय के माध्यम से उसे नियमानुसार राज्य साक्षी (वादा माफ गवाह) बना लिया गया है ?		
34	अभियुक्त के साक्ष्य पर जिस किसी को सह अभियुक्त बनाया गया है, क्या उस साक्ष्य के अलावा उसे आरोपित करने के लिए अन्य सुसंगत साक्ष्य केसडायरी में संकलित है ?		
35	घटना की कडियों को जोडने के लिए सी0डी0आर0 और सी0डी0आर0 लोकेशन का विश्लेषण किया गया है अथवा नहीं ?		
36	यदि कोई हत्या/आपराधिक मानव बध के मामले में यदि कोई दस्तावेज या भौतिक साक्ष्य संकलित करना है तो क्या सम्बन्धित को धारा 94		

	बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत नोटिस देकर प्राप्त किया गया है ?		
37	**दस्तावेज जो आरोप-पत्र के साथ संलग्न किये गये हैं**		
	➢ घटना की सूचना पी0आर0बी0 कॉल से आयी है तो कॉलर की सत्यापन सम्बन्धी दस्तावेज?		
	➢ घटना की सूचना यदि विलम्ब से वादी/पीड़ित द्वारा दी गयी तो क्या विलम्ब से सूचना दिये जाने का स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट के कॉलम नं0-8 में अंकित है ?		
	➢ केसडायरी में विलम्ब से सूचना दिये जाने का स्पष्टीकरण वादी के बयानों में अंकित किया गया है ?		
	➢ घटना से सम्बन्धित चश्मदीद साक्षियों, पंचनामा साक्षियों, पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक का बयान, वादी एवं अन्य साक्षियों का बयान प्रश्नोत्तर प्रारूप में संलग्न है ?		
	➢ साक्षियों के बयान इलैक्ट्रानिक डिवाईस से लिये गये हैं तो धारा-63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र संलग्न है ?		
	➢ नक्शानजरी में दर्शित घटनास्थल के पडोस में रहने वाले लोगों के बयान संलग्न हैं ?		
	➢ किसी साक्षी से अपराध से सम्बन्धित किसी दस्तावेजी अथवा इलैक्ट्रानिक साक्ष्य को बी.एन.एस.एस. में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत नोटिस देकर संकलित किया गया है ?		

	➢ साक्षियों के न्यायालय में उपस्थिति सम्बन्धी बन्ध पत्र, साक्षियों के मोबाईल नम्बर, ई-मेल, स्थायी पता, वर्तमान पता, आयु आदि संकलित हैं ?		
	➢ मृतक का मृत्युकालिक बयान यह सुनिश्चित करते हुए लिया गया है कि वह बयान देते समय बयान देने में सक्षम था?		
	➢ साक्षियों का धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान की नकल संकलित है ?		
	➢ मृत्युकालिक बयान जिसके द्वारा रिकॉर्ड किया गया है उनका बयान संलग्न है ?		
	➢ साक्षियों के बयान यदि थाने पर बुलाकर अंकित किये गये हैं तो नोटिस की प्रति संलग्न है ?		
	➢ अभियुक्त की घटनास्थल पर घटना कारित करते समय उपस्थित होने सम्बन्धी सी0सी0टी0वी0 फुटेज, सी0डी0आर0 लोकेशन, कैफ आई0डी0 और 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के साथ संलग्न है ?		
	➢ प्रथम सूचना रिपोर्ट मय मूल प्रार्थना पत्र के साथ प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है ?		
	➢ थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की जी0डी0 की प्रमाणित छायाप्रति ?		
	➢ घटनास्थल पर या विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन की कार्यवाही के लिए जाने वाले		

	पुलिस कर्मियों/विवेचक की आमद एवं रवानगी की जी0डी0 की प्रमाणित छायाप्रति ?		
	➢ नक्शा नजरी पर दिनांक, समय एवं तैयार करने वाले विवेचक के स्पष्ट हस्ताक्षर सहित संलग्न हैं ?		
	➢ केसडायरी पर दिनांक, समय एवं तैयार कराने वाले विवेचक के स्पष्ट हस्ताक्षर सहित संलग्न है ?		
	➢ घटनास्थल से बरामद वस्तु की फर्द, वीडियो, फोटो, धारा-63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न है ?		
	➢ पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट प्रमाणित एवं टंकित रूप में संकलित है ?		
	➢ सी0सी0टी0वी0 फुटेज हैश वैल्यू के साथ संलग्न है ?		
	➢ घटना में प्रयुक्त बरामद वस्तुओं को एफ0एस0एल0 हेतु प्रेषित किये जाने सम्बन्धी दस्तावेज तथा उसकी रिपोर्ट के साथ संलग्न है ?		
	➢ इलैक्ट्रानिक डिवाईस, सी0डी0आर0/सी0डी0आर0 लोकेशन धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न है ?		
	➢ अभियुक्त की आयु यदि 18 वर्ष से कम है तो चालानी रिपोर्ट किशोर न्याय बोर्ड को सम्बोधित करते हुए प्रेषित की गयी है ?		

	➢ पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी एवं जब्ती की वीडियो रिकार्डिग को फर्द सूची के साथ में सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 48 घण्टे के भीतर पेश किया गया है या नहीं? (यू0पी0 बी.एन.एस.एस. रूल 2023)		
	➢ आरोप पत्र विवेचक द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित तथा पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिनांक, नाम सहित अपने पूर्ण हस्ताक्षर के साथ अग्रसारित है ?		
	➢ अनुपूरक आरोप-पत्र प्रकरण में प्रेषित किया जाना है तो इसका उल्लेख मूल आरोप-पत्र में किया गया है ?		
	➢ विचारण के दौरान अनुपूरक आरोप-पत्र प्रेषित किये जाने से पूर्व न्यायालय की अनुमति प्राप्त की गयी है ?		
	➢ आरोप-पत्र में वर्णित अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धारायें आरोपित हैं ?		
	➢ आरोप-पत्र में कोई निरसित अथवा असंवैधानिक घोषित की गयीं धारायें आरोपित हैं ?		
	➢ विवेचना के दौरान यदि प्रकरण से सम्बन्धित किसी संदेहास्पद व्यक्ति को थाने बुलाया गया है तो उसका चिकित्सीय परीक्षण (शासनादेश संख्या-4565/छ-पु0-9-2024 दिनांकः 04-12-2024) संलग्न है ?		
	➢ आरोप-पत्र के कॉलम-16 में घटना का सक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, पंचनामा रिपोर्ट,		

	पोस्टमार्टम रिपोर्ट, साक्षियों के बयान, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख करते हुए प्रेषित किया गया है ?		
	➢ धारा 193(3)2 बी.एन.एस.एस. के क्रम में सूचना देने वाले पीड़ित को 90 दिन के भीतर जॉच की प्रगति की सूचना दी गयी है या नहीं?		
	➢ अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र, जमानत आदेश और बन्ध पत्र की कॉपी संलग्न है या नहीं?		
	➢ अभियुक्त यदि विदेश भाग गया है तो अभियुक्त को वापस ले आने की क्या कोई विधिक प्रक्रिया अपनाई गयी है ?		
	➢ अभियुक्त के यदि विदेश भागने की सम्भावना है तो लुक आऊट सर्कुलर जारी किया गया है ?		
	➢ विवेचना पूर्ण होने पर अन्तिम निष्कर्ष अंकित करने से पूर्व विधिक अभिमत लिया गया है ?		
	➢ अगर विधिक अभिमत में अभियोजक द्वारा कुछ कमियाँ बताई गयी हैं तो उनकी पूर्ति कर पुनः विधिक अभिमत लिया गया है ?		
	➢ विधिक अभिमत को केस डायरी का भाग तो नहीं बनाया गया है ?		
	➢ मृतक के परिजनों को उनकी सुरक्षा की आवश्कता पर साक्षी सुरक्षा योजना में सुरक्षा दी गयी है या नहीं?		

	➢ एफ0एस0एल0 में प्रेषित किये गये कुल नमूनों की संख्या?		
	➢ उक्त प्रेषित नमूनों पर एफ0एस0एल0 से प्राप्त रिपोर्ट की संख्या?		
	➢ एफ0एस0एल0 से अप्राप्त रिपोर्ट की संख्या?		
	38. प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है		
	➢ यदि हाँ तो घटना कारित करने के पीछे अभियुक्त का मोटिव/ हेतुक क्या था ?		
	➢ अभियुक्त तथा अपराध कारित करने मोटिव की समस्त कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं ?		
	➢ जिन परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त को आरोपी माना गया है उन परिस्थितियों का साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है ?		
	➢ अभियुक्त और मृतक को अन्तिम बार किस साक्षी द्वारा किन परिस्थितियों में एक साथ देखा गया था ?		
	➢ जिन परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त को आरोपी माना गया है उन परिस्थितियों का साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है ?		
	➢ अभियुक्त और मृतक को अन्तिम बार एक साथ देखे जाने का साक्ष्य पत्रावली पर संलग्न है ?		

धारा – 109 हत्या करने का प्रयत्न तथा धारा 110 आपराधिक मानव वध

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

	अपराध की सूचना का माध्यम	हाँ/नहीं	रिमार्क
	➢ पी0आर0वी0 कॉल/पी0सी0आर0 कॉल?		
	➢ मौखिक, टेलीफोन?		
	➢ थाने पर उपस्थित होकर?		
	➢ अस्पताल से प्राप्त सूचना?		
	➢ अन्य तरीके से?		
	सूचना प्राप्ति पर		
	➢ प्रथम सूचना रिपोर्ट अविलम्ब दर्ज की गयी?		
	➢ घटना की सूचना विलम्ब से की गयी या चुटैहिल द्वारा दी गयी है तो क्या विलम्ब से सूचना दिये जाने का स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट के कॉलम-8 में अंकित है ?		
	➢ क्या केसडायरी में सूचना देने वाले के बयान में विलम्ब का कारण अंकित किया गया है ?		
	➢ घटनास्थल पर पुलिस टीम अविलम्ब पहुँची थी ?		

	➢ अपराध की पुष्टि पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गयी थी ?		
	➢ अपराध के सम्बन्ध में एफ0एस0एल0 टीम/मोबाईल क्राईम टीम एवं वीडियोग्राफी हेतु नामित व्यक्तियों को सूचना दी गयी थी ?		
	➢ पुलिस टीम घटना की सूचना पर घटनास्थल पर एफ0एस0एल0 की टीम के साथ पहुँची थी ?		
	➢ घटनास्थल की सुरक्षित घेराबन्दी की गयी थी ?		
	➢ घटनास्थल से मजरूब को अस्पताल किन लोगों द्वारा पहुँचाया गया था ?		
	➢ मजरूब को अस्पताल पहुँचाने वाले लोगों का बयान संकलित है ?		
	➢ मजरूब घटनास्थल पर बयान देने की स्थिति में था ?		
	➢ मजरूब द्वारा घटनास्थल पर हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्तों की पहचान सुनिश्चित की गयी थी ?		
	➢ घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस टीम एवं एफ0एस0एल0 टीम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था ?		
	जलाकर मारने का प्रयास		

	➢ घटनास्थल से क्या कोई ज्वलनशील पदार्थ जिसमें वह रखा हुआ था बरामद हुआ था ?		
	➢ बरामद ज्वलनशील पदार्थ से ही पीड़ित जला हो इसके सम्बन्ध में डाक्टर का विशिष्ट रूप से बयान अंकित है ?		
	➢ मजरूब के शरीर का कितना प्रतिशत हिस्सा जला था ?		
	➢ शरीर का कौन-कौन सा हिस्सा जला था इस सम्बन्ध विशिष्ट बयान अंकित है ?		
	➢ अभियुक्त के पास ज्वलनशील पदार्थ पाये जाने का क्या श्रोत है ?		
	➢ अभियुक्त द्वारा घटना कारित किये जाने का आशय/हेतुक था ?		
	➢ घटना की सूचना देने में विलम्ब है यदि विलम्ब है तो विलम्ब का कारण दर्शित है ?		
	➢ घटना की सूचना देने वाला चश्मदीद साक्षी है ?		
	➢ मजरूब अस्पताल में कितने दिन तक रहा?		
	➢ आग से मजरूब का चेहरा तथा बाल जला था ?		
	➢ घटनास्थल के नक्शानजरी में वह विशिष्ट स्थान अंकित है जहाँ मजरूब, ज्वलनशील पदार्थ, जले हुये कपडे की बरामदगी आदि अंकित हैं ?		

	➢ घटनास्थल से मजरूब के जले हुये कपडे आदि बरामद हैं?		
	➢ घटनास्थल पर आग लगने से केवल मजरूब ही प्रभावित हआ या अन्य लोग भी प्रभावित हुये थे		
	➢ घटनास्थल पर अन्य प्रभावित लोगो का बयान अंकित है?		
	➢ ज्वलनशील पदार्थ/खाली पात्र एवं जले हुये कपडो आदि को एफ0एस0एल0 प्रेषित किया गया था ?		
7	**लाठी, डण्डे, चाकू, रॉड आदि से हत्या का प्रयास**		
	➢ घटनास्थल से हत्या के प्रयास हेतु लाठी, डण्डे, रॉड चाकू आदि बरामद है ?		
	➢ बरामद लाठी, डण्डे, रॉड एवं चाकू आदि की लम्बाई आदि सुनिश्चित की गयी है ?		
	➢ बरामद लाठी, डण्डे, रॉड एवं चाकू पर खून के धब्बे पडे हैं ?		
	➢ बरामद हथियार पर पडे हुये खून के धब्बे का मिलान मजरूब के रक्त से कराया गया था ?		
	➢ एफ0एस0एल0 में मजरूब के रक्त आदि संकलित करने के लिए सैम्पल लिये गये थे?		

	➢ उपरोक्त बरामद हथियारों की बरामदगी धारा-105 बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के अन्तर्गत की गयी थी ?		
	➢ बरामद हथियारों पर अभियुक्तों के फिंगरप्रिन्ट आदि लिये गये थे?		
	फायर आर्म इन्जरी द्वारा हत्या का प्रयास		
	➢ घटनास्थल पर फायर आर्म, कारतूस, छर्रे, खोखा, आदि बरामद हैं ?		
	➢ घटनास्थल पर तैयार नक्शानजरी में उपरोक्त बरामद वस्तुओं की फर्द धारा-105 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत तैयार है ?		
	➢ फायर आर्म से चोट शरीर के किसी हिस्से में आयी है ?		
	➢ फायर आर्म से कारित चोट शरीर के किसी हिस्से में आयी है तो शरीर के किस हिस्से में आयी है ?		
	➢ फायर आर्म से कारित चोट शरीर के जिस हिस्से में आयी है क्या उसकी फोटोग्राफी की गयी है ?		
	➢ मजरूब को घटनास्थल से किसी सर्जन के पास उपचार के लिए भेजा गया था ?		
	➢ फायर आर्म से कारित चोट की वजह शरीर का कौन सा अंग अधिक प्रभावित हुआ था ?		

	➢ घटना में प्रयुक्त फायर आर्म घटनास्थल से बरामद है या अन्य किसी स्थान से बरामद है ?		
	➢ घटना में प्रयुक्त हथियार अभियुक्त निशानदेही पर बरामद है ?		
	➢ घटनास्थल की नक्शानजरी चक्षुदर्शी साक्षी की निशानदेही पर बनायी गयी है ?		
	➢ घटनास्थल से बरामद आयुध एवं खाली कारतूसों की बैलिस्टिक रिपोर्ट एफ0एस0एल0 से प्राप्त की गयी है ?		
	➢ मजरूब के शरीर पर आयी चोटों का मिलान घटना में प्रयुक्त असलहों एवं कारतूसों से हो रहा है ?		
	➢ मजरूब के खून से सने हुए कपडे बरामद किये गये है ?		
	➢ घटनास्थल पर खूनालूदा मिट्टी एवं सादा मिट्टी संकलित है ?		
	➢ घटनास्थल यदि खेत है तो खेत में खडी फसल का विवरण नक्शानजरी में अंकित है ?		
	➢ घटनास्थल यदि खेत है तो खेत सूख था या गीला था नक्शानजरी में अंकित है ?		
	➢ घटना के पीछे कोई साम्पत्तिक विवाद है तो उस सम्पत्ति से सम्बन्धित दस्तावेज संकलित है ?		

	➢ घटना में प्रयुक्त हथियार अभियुक्त की निशानदेही पर किसी सार्वजनिक स्थान से बरामद है या किसी निर्जन स्थान से बरामद है ?		
	➢ घटना में प्रयुक्त हथियार पर फिंगरप्रिन्ट अभियुक्त से लिये गये फिंगरप्रिन्ट से सुमेलित हैं ?		
	➢ फायरिंग होते हुये देखने वाले किसी चक्षुदर्शी साक्षी का बयान अंकित है ?		
	➢ रक्तालूदा वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया है ?		
	➢ रक्तालूदा वस्तु का घटना में घायल हुये मजरूब के रक्त से रासायनिक परीक्षण/यथा ब्लड ग्रुप, सिरोलौजी रिपोर्ट कराया गया था मिलान कराया गया है ?		
	➢ क्या घटना के समय सहअभियुक्त भी थे?		
	➢ सहअभियुक्तों की मौजूदगी घटनास्थल पर होने के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित हैं ?		
	➢ घटना प्रयुक्त हथियार घटना के तुरन्त बाद बरामद है ?		
	➢ घटना में प्रयुक्त हथियार घटना के समय चालू हालत में था ?		
	➢ बरामद हथियार की बैलिस्टिक रिपोर्ट तैयार की गयी है ?		

	➢ घटना में प्रयुक्त हथियार, वस्तुओं की एफ0एस0एल0 फार्म विवेचक द्वारा भरा गया है ?		
	➢ एफ0एस0एल0 फार्म में सुसंगत प्रश्न पूछे गये हैं ?		
	➢ घटनास्थल के साक्षियें बयान में विरोधाभास है ?		
	➢ चक्षुदर्शी की साक्षियों के घटना के समय वास्तिविक उपस्थिति दर्शित है ?		
	➢ घटना में प्रयुक्त हथियार का अभियुक्त के पास प्राप्ति का स्रोत सम्बन्धित साक्ष्य संलग्न हैं ?		
	➢ घटनास्थल पर प्रयुक्त फायर आर्म के सम्बन्ध में धारा-39 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत संस्तुति संलग्न है ?		
	➢ अभियुक्त की गिरफ्तारी घटनास्थल से है ?		
	अभियुक्त का अपराध कारित करने का आशय सम्बन्धी साक्ष्य संलग्न है		
	➢ घटना में प्रयुक्त हथियार कैसी प्रकृति का है ?		
	➢ घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी अभियुक्त के पास से हुयी है या घटनास्थल से हुयी है ?		

	➢ हथियार की चोट शरीर के किसी नाजुक अंग पर आयी है ?		
	➢ चोट कारित करने के लिए आरोपी द्वारा कितनी मात्रा में बल का प्रयोग किया गया है ?		
	➢ अपराध अचानक झगड़े अथवा लड़ायी से उत्पन्न हुयी परिस्थितियों में हुआ है ?		
	➢ अपराध अचानक में हुआ है या पूर्व निर्धारित योजना के अन्तर्गत हुआ है ?		
	➢ आरोपी एवं मजरूब के मध्य पूर्व में कोई शत्रुता थी ?		
	➢ आरोपी को मजरूब द्वारा गम्भीर एवं अचानक प्रकोपन दिया गया था ?		
	➢ आरोपी को दिये गये गम्भीर एवं अचानक प्रकोपन का क्या कारण था ?		
	➢ आरोपी द्वारा मजरूब पर वार एक ही बार किया गया था या बार-बार किया गया था ?		
	आरोप पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज		
	➢ प्रार्थना पत्र की प्रमाणित छायाप्रति		
	➢ प्रथम सूचना रिपोर्ट?		
	➢ घटनास्थल की नक्शा नजरी, फोटो, वीडियो ?		

	➢ घटनास्थल पर तैयार फर्द एवं जामा तलाशी प्रपत्र?		
	➢ मजरूब का मेडिको लीगल प्रपत्र?		
	➢ रक्त की सिरोलौजी रिपोर्ट?		
	➢ मजरूब के शरीर पर आयी हुयी चोटों की फोटोग्राफ ?		
	➢ मजरूब की चोटों की सर्जरी यदि हुयी हो तो उससे सम्बन्धित प्रपत्र?		
	➢ नक्शानजरी में दर्शित घटनास्थल के पडोस में रहने वाले लोगों के बयान संलग्न हैं ?		
	➢ किसी साक्षी से अपराध से सम्बन्धित किसी दस्तावेजी अथवा इलैक्ट्रानिक साक्ष्य को बी.एन.एस.एस. में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत नोटिस देकर संकलित किया गया है		
	➢ साक्षियों के न्यायालय में उपस्थिति सम्बन्धी बन्ध पत्र, साक्षियों के मोबाईल नम्बर, ई-मेल, स्थायी पता, वर्तमान पता, आयु आदि संकलित हैं ?		
	➢ साक्षियों का धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान की नकल संकलित है ?		
	➢ साक्षियों के बयान यदि थाने पर बुलाकर अंकित किये गये हैं तो नोटिस की प्रति संलग्न है ?		

	➢ अभियुक्त की घटनास्थल पर घटना कारित करते समय उपस्थित होने सम्बन्धी सी0सी0टी0वी0 फुटेज, सी0डी0आर0 लोकेशन, कैफ आई0डी0 और 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के साथ संलग्न है ?		
	➢ प्रथम सूचना रिपोर्ट मय मूल प्रार्थना पत्र के साथ प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है ?		
	➢ थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की जी0डी0 की प्रमाणित छायाप्रति ?		
	➢ घटनास्थल पर या विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन की कार्यवाही के लिए जाने वाले पुलिस कर्मियों/विवेचक की आमद एवं रवानगी की जी0डी0 की प्रमाणित छायाप्रति ?		
	➢ नक्शा नजरी पर दिनांक, समय एवं तैयार करने वाले विवेचक के स्पष्ट हस्ताक्षर सहित संलग्न हैं?		
	➢ केसडायरी पर दिनांक, समय एवं तैयार कराने वाले विवेचक के स्पष्ट हस्ताक्षर सहित संलग्न है?		
	➢ घटनास्थल से बरामद वस्तु की फर्द, वीडियो, फोटो, धारा-63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न है ?		
	➢ सी0सी0टी0वी0 फुटेज हैश वैल्यू के साथ संलग्न हैं ?		

	➢ घटना में प्रयुक्त बरामद वस्तुओं को एफ0एस0एल0 हेतु प्रेषित किये जाने सम्बन्धी दस्तावेज तथा उसकी रिपोर्ट के साथ संलग्न है ?		
	➢ इलैक्ट्रानिक डिवाईस, सी0डी0आर0/सी0डी0आर0 लोकेशन धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न है ?		
	➢ अभियुक्त की आयु यदि 18 वर्ष से कम है तो चालानी रिपोर्ट किशोर न्याय बोर्ड को सम्बोधित करते हुए प्रेषित की गयी है ?		
	➢ पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी एवं जब्ती की वीडियो रिकार्डिंग को फर्द सूची के साथ में सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 48 घण्टे के भीतर पेश किया गया है ? (यू0पी0 बी.एन.एस.एस. रूल 2023)		
	➢ आरोप पत्र विवेचक द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित तथा पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिनांक, नाम सहित अपने पूर्ण हस्ताक्षर के साथ अग्रसारित है ?		
	➢ अनुपूरक आरोप-पत्र प्रकरण में प्रेषित किया जाना है तो इसका उल्लेख मूल आरोप-पत्र में किया गया है ?		

	➢ विचारण के दौरान अनुपूरक आरोप-पत्र प्रेषित किये जाने से पूर्व न्यायालय की अनुमति प्राप्त की गयी है ?		
	➢ आरोप-पत्र में वर्णित अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धारायें आरोपित हैं ?		
	➢ आरोप-पत्र में कोई निरसित अथवा असंवैधानिक घोषित की गयी धारायों का संशोधन कर लिया गया है ?		
	➢ विवेचना के दौरान यदि प्रकरण से सम्बन्धित किसी संदेहास्पद व्यक्ति को थाने बुलाया गया है तो उसका चिकित्सीय परीक्षण (शासनादेश संख्या-4565/छ-पु0-9-2024 दिनांकः 04-12-2024) संलग्न है ?		
	➢ आरोप-पत्र के कॉलम-16 में घटना का सक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, साक्षियों के बयान, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख करते हुए प्रेषित किया गया है ?		
	➢ धारा 193(3)2 बी.एन.एस.एस. के क्रम में सूचना देने वाले पीड़ित को 90 दिन के भीतर जाँच की प्रगति की सूचना दी गयी है ?		
	➢ अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र, जमानत आदेश और बन्ध पत्र की कॉपी संलग्न है ?		

	➢ अभियुक्त यदि विदेश भाग गया है तो अभियुक्त को वापस ले आने की क्या कोई विधिक प्रक्रिया अपनाई गयी है ?		
	➢ अभियुक्त के यदि विदेश भागने की सम्भावना है तो लुक आऊट सर्कुलर जारी किया गया है ?		
	➢ विवेचना पूर्ण होने पर अन्तिम निष्कर्ष अंकित करने से पूर्व विधिक अभिमत लिया गया है ?		
	➢ अगर विधिक अभिमत में अभियोजक द्वारा कुछ कमियाँ बताई गयी हैं तो उनकी पूर्ति कर पुनः विधिक अभिमत लिया गया है ?		
	➢ विधिक अभिमत को केस डायरी का भाग तो नहीं बनाया गया है ?		
	➢ मृतक के परिजनों को उनकी सुरक्षा की आवश्कता पर साक्षी सुरक्षा योजना में सुरक्षा दी गयी है ?		
	➢ एफ0एस0एल0 में प्रेषित किये गये कुल नमूनों की संख्या?		
	➢ उक्त प्रेषित नमूनों पर एफ0एस0एल0 से प्राप्त रिपोर्ट की संख्या?		
	➢ एफ0एस0एल0 से अप्राप्त रिपोर्ट की संख्या?		

धारा 111 (संगठित अपराध), धारा 112 (छोटे संगठित अपराध)

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	संगठित अपराध शीर्षक के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकन से पूर्व क्या यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि प्रकरण धारा 111 बीएनएस अथवा 112 बीएनएस में परिभाषित है ? संगठित अपराध के परिभाषित होने की दशा में प्रथम रिपोर्ट का नियमानुसार पंजीकरण किया जाये।		
2.	क्या संगठित अपराध (व्यपहरण, डकैती, यान चोरी, उददापन, भूमि हथियाना, संविदा पर हत्या करना, आर्थिक अपराध, साईबर अपराध, व्यक्तियो, औषधियों, हत्यारों, अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिये मानव दुर्व्यापार) अथवा छोटे संगठित अपराध (चोरी, झपटमारी, छल, टिकटो के अप्राधिकृत रूप से विक्रय या अन्य समरूप अपराधिक कार्य) के प्रमाणित अभिलेखीय साक्ष्य एकत्र कर लिये गये है ?		
3.	क्या संगठित अपराध में दर्शाये गये आपराधिक क्रियाकलापो से सम्बन्धित सिंडिकेट लीडर व सदस्यो द्वारा किये गये अपराध के अभिलेख यथा एफ0आईआर0, आरोप पत्र, फर्द बरामदगी एवं अभियोगो की मा0 न्यायालय में वर्तमान स्थिति प्राप्त		

	कर सिंडिकेट पंजीकृत कर चार्ट तैयार कर लिये गये है ? सिंडिकेट चार्ट में लीडर एवं उसके सदस्यो की वर्तमान स्थिति (जेल/जमानत/लापता), प्रमाणित आयु एवं अपराधिक स्थिति को भी सम्मिलित किया जाये।		
4.	क्या वादी से संगठित अपराध के सम्बन्ध में मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		
5.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट के वादी का कथन अंकित कर उसकी निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है ?		
6.	क्या घटनास्थल की नक्शानजरी नियमानुसार समस्त सुसंगत तथ्यों का अंकन करते हुये तैयार कर संलग्न केस डायरी कर ली गयी है ?		
7.	वादी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखीय प्रपत्रो/इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यो का सम्बन्धित विभाग से लिखित रूप में सत्यापन आख्या प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर ली गयी है ?		
8.	अन्वेषण के दौरान अन्य साक्ष्य प्राप्त होने पर क्या सम्बन्धित से आवश्यकतानुसार प्रमाणित प्रपत्र भी प्राप्त कर लिया गया है ?		
9.	संगठित अपराध में संलिप्त सदस्यो की तस्दीक कर वर्तमान निवास स्थान एवं मूल निवास स्थान से सत्यापित जानकारी करना एवं तदक्रम में		

	अभिलेखीय साक्ष्य प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया गया है ?		
10.	क्या अपराध के घटित होने के Modus Operandi (Methods) का अध्ययन कर सम्बन्धित गैंग के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिये गये है?		
11.	क्या सभी अभियुक्तों के बयान अंकित कर लिये गये है ?		
12.	संगठित अपराध में यदि आर्थिक अपराध, साईबर अपराध से सम्बन्धित प्रकरण होने पर सम्बन्धित से जैसेः- Income Tax Returns, Bank Account Details, Bank Locker Freezing, Search of home/other premises, Declaration form 1-6, FIU & SEBI इत्यादि डाटा प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर लिया गया है ?		
13.	विवेचना के दौरान अपराधियों के सम्बन्ध में अग्रलिखित माध्यमो जैसेः- MyMeta.Info, Vahan.nic.in, Upbhulekh.gov.in, MCA, PAN Details, Social Media इत्यादि का प्रयोग कर जानकारी एकत्र कर उसे संलग्न केस डायरी कर लिया गया है ?		
14.	संगठित अपराध में संलिप्त रहे प्रत्येक सदस्य का अपराधिक इतिहास में अंकित साक्षीगणो के कथन अंकित कर एवं अन्य लाभप्रद साक्ष्य एकत्र कर विवेचना में सम्मिलित कर लिया गया है ?		

15.	संगठित अपराध में संलिप्त लीडर एवं सदस्यो की सम्पत्ति का सम्बन्धित विभागों से मूल्यांकन करा लिया गया है ?		
16.	संगठित अपराध कारित कर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति अर्जित किया जाना पाये जाने पर क्या धारा 107 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही कर ली गयी है ?		
17.	क्या अपराध से पीड़ित व्यक्तियो एवं गवाहो/ संदिग्ध व्यक्तियों के कथन नियमानुसार अंकित कर लिये गये है ?		
18.	क्या बी.एन.एस.एस के प्रावधानों के अनुरूप नोटिस जारी कर अन्य आवश्यक/ महत्वपूर्ण व्यक्तियो के कथन अंकित कर लिये गये है ?		
19.	क्या घटना स्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरो की फुटेज एवं वीडियोग्राफी प्राप्त कर उनका विश्लेषण कर, नियमानुसार धारा 63 बी.एस.ए. के प्रमाण पत्र के साथ संलग्न केस डायरी कर लिया गया है ?		
20.	यदि संदिग्धो की नियमानुसार सर्विलांस और सीडीआर के माध्यम से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण कर उनके आधार पर कार्यवाही की गयी है तो क्या संकलित साक्ष्य नियमानुसार धारा 63 बी.एस.ए. के प्रमाण पत्र के साथ संलग्न केस डायरी कर लिया गया है ?		

21.	क्या आवश्यकतानुसार घटना से सम्बन्धित प्रपत्रों का मिलान/परीक्षण तकनीकी प्रयोगशाला एवं विशेषज्ञ से करा लिया गया है ?		
22.	सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर क्या अभियुक्तों की नियमानुसार गिरफ्तारी कर ली गयी है ?		
23.	क्या अभियुक्त की पहचान (नाम व पता तस्दीक करते हुये) स्थापित कर ली गयी है ?		
24.	अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने पर क्या मा0 न्यायालय से प्रोसेस प्राप्त कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी है ?		
25.	वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु क्या पुरस्कार घोषित कराने की कार्यवाही कर गिरफ्तारी करने तथा आवश्यकता होने पर सर्विलांस का अपेक्षित सहयोग प्राप्त कर लिया गया है ?		
26.	अभियुक्त के अन्य अभियोग में जेल में निरूद्ध होने की दशा में क्या मा0 न्यायालय से वारण्ट-बी तैयार कराकर जेल में दाखिल कर दिया गया है ?		
27.	क्या सम्बन्धित न्यायालय में जेल से तलब कराकर नियमानुसार रिमाण्ड बनवा ली गयी है ?		
28.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		

29.	विवेचना पूर्ण होने पर अन्तिम निष्कर्ष अंकित करने से पूर्व विधिक अभिमत लिया गया है ?		
30.	अगर विधिक अभिमत में अभियोजक द्वारा कुछ कमियाँ बताई गयी हैं तो उनकी पूर्ति कर पुनः विधिक अभिमत लिया गया है ?		
31.	विधिक अभिमत को केस डायरी का भाग तो नहीं बनाया गया है ?		
32.	अभियोग में सम्पूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही कर साक्ष्य के आधार पर क्या निर्धारित समयावधि के अन्दर आरोप पत्र / अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है तथा यदि कोई अभियुक्त फरार है तो क्या मफरूरी में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है ?		

धारा 113 (आतंकवादी कृत्य)

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	आतंकवादी कृत्य के मामलो में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने से पूर्व क्या पुलिस अधीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा यह विनिश्चित कर लिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 113 बीएनएस के तहत पंजीकृत की जाएगी या विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत पंजीकृत की जाएगी ?		
2.	नकल चिक, नकल रपट संलग्न केस डायरी कर ली गयी है ?		
3.	बयान लेखक एफ0आई0आर0 अंकित कर लिया गया है ?		
4.	बयान वादी (विस्तृत बयान, घटना स्थल, घटना तिथि समय, अभियुक्तों का विवरण, अभियुक्त की भूमिका आदि समाहित करते हुये) अंकित कर लिया गया है ?		
5.	सभी गवाहों के बयान उनके सम्पूर्ण विवरण के साथ अंकित कर लिये गये है ?		

6.	घटनास्थल का संरक्षण करते हुये वादी मुकदमा की निशानदेही पर निरीक्षण घटना स्थल कर नियमानुसार नक्शानजरी तैयार कर ली गयी है ?		
7.	स्थानीय फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड टीम के द्वारा संकलित भौतिक साक्ष्य/ प्रदर्शो (अपराध में प्रयुक्त विस्फोटक के अवशेष, विस्फोट से होने वाली क्षति के अवशेष आदि) को अपने कब्जे में लेते हुये उनकी नियमानुसार फर्द बनाकर संलग्न केस डायरी कर ली गयी है ?		
8.	घटना स्थल से पाये गये हथियार, शस्त्र, चाकू इत्यादि को ट्रीगर गार्ड से उठाया जाना सुनिश्चित किया गया है और अभियुक्त के फिंगर प्रिंट प्राप्त कर मिलान के लिये विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित किया गया है ?		
9.	घटनास्थल की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी के साक्ष्य धारा 63 बी.एस.ए. प्रमाण पत्र के साथ संलग्न केस डायरी कर लिया गया है ?		
10.	एससीआरबी/एनसीआरबी के माध्यम से अभियुक्तो के अपराधिक इतिहास ज्ञात कर लिया गया है ?		
11.	सभी अभियुक्तों के बयान का अंकित कर लिये गये है ?		

12.	अभियुक्तो की जानकारी के सम्बन्ध में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का सहयोग प्राप्त किया गया है ?		
13.	घटना में संलिप्त/ संदिग्धो के विशेषज्ञ से स्केच (चित्र) तैयार कराकर प्रचार-प्रसार कराया गया है ?		
14.	क्या अभियुक्त की पहचान (नाम व पता तस्दीक करते हुये) स्थापित कर ली गयी है ?		
15.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
16.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
17.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
18.	घटना के सम्बन्ध में एन0आई0ए0, आई0बी0, ए0टी0एस0 इत्यादि से समन्वय स्थापित कर लिया गया है ?		

19.	क्या घटना स्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरो की फुटेज एवं वीडियोग्राफी प्राप्त कर उनका विश्लेषण कर लिया गया है और नियमानुसार धारा 63 बी.एस.ए. के प्रमाण पत्र के साथ संलग्न केस डायरी कर लिया गया है ?		
20.	आंतकवादी घटना में संलिप्त अभियुक्तो को आश्रय देने वालो के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली गयी है ?		
21.	आंतकवादी घटना में संलिप्त रहे अभियुक्तो के किसी विशिष्ट आंतकवादी संगठन का सदस्य होने के सम्बन्ध में जानकारी कर ली गयी है ?		
22.	अभियुक्तो का किसी संस्था/ समुदाय विशेष से कोई लिंक होने के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी एकत्र कर ली गयी है ?		
23.	अभियुक्तो एवं उनके परिवार के आर्थिक श्रोतो का परीक्षण करते हुये टेरर फंडिंग से सम्बन्धित साक्ष्य के लिये पूरे मनी ट्रेल की जानकारी कर ली गयी है ?		
24.	सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर क्या अभियुक्तों की नियमानुसार गिरफ्तारी कर ली गयी है ?		
25.	क्या अभियुक्त की पहचान (नाम व पता तस्दीक करते हुये) स्थापित कर ली गयी है ?		

26.	अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने पर क्या मा0 न्यायालय से प्रोसेस प्राप्त कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी है ?		
27.	वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु क्या पुरस्कार घोषित कराने की कार्यवाही कर गिरफ्तारी करने तथा आवश्यकता होने पर सर्विलांस का अपेक्षित सहयोग प्राप्त कर लिया गया है ?		
28.	अभियुक्त के अन्य अभियोग में जेल में निरूद्व होने की दशा में क्या मा0 न्यायालय से वारण्ट-बी तैयार कराकर जेल में दाखिल कर दिया गया है ?		
29.	क्या सम्बन्धित न्यायालय में जेल से तलब कराकर नियमानुसार रिमाण्ड बनवा ली गयी है ?		
30.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
31.	विवेचना पूर्ण होने पर अन्तिम निष्कर्ष अंकित करने से पूर्व विधिक अभिमत लिया गया है ?		
32.	अगर विधिक अभिमत में अभियोजक द्वारा कुछ कमियाँ बताई गयी हैं तो उनकी पूर्ति कर पुनः विधिक अभिमत लिया गया है ?		

33.	विधिक अभिमत को केस डायरी का भाग तो नहीं बनाया गया है ?		
34.	अभियोग में सम्पूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही कर साक्ष्य के आधार पर क्या निर्धारित समयावधि के अन्दर आरोप पत्र / अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है तथा यदि कोई अभियुक्त फरार है तो क्या मफरूरी में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है ?		

धारा 115 (स्वेच्छया उपहति कारित करना)

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.स.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	उपहति के प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत की गयी है ?		
2.	मजरूब को चिट्ठी मजरूबी के साथ चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजकर , चिट्ठी मजरूबी में मजरूब की ज्ञात चोटों का विवरण अंकित कर ,घायल को ले जाने वाले कर्मी को चिकित्सालय रवाना किया गया है ?		
3.	पीड़ित का तत्काल मेडिकल परीक्षण कराकर परीक्षण परिणाम का उल्लेख रोजनामचाआम में किया गया है तथा चिकित्सीय परीक्षण की प्राथमिक एवं पूरक रिपोर्ट की मूल प्रति केस डायरी में संलग्न कर दी गयी है ?		
4.	घटना की सूचना जहाँ पर जैसे भी थाना एवं चौकी अथवा डायल-112 पर प्राप्त होगी तो सम्बन्धित सूचना प्राप्त होने पर घायल व्यक्ति अथवा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है एवं फील्ड यूनिट द्वारा घटना स्थल को येलो टेप से सुरक्षित कर भौतिक साक्ष्य सुरक्षित कर लिया गया है , ताकि उन पर लगे वैज्ञानिक साक्ष्य सुरक्षित रहें।		

5.	फारेसिंक टीम के माध्यम से घटनास्थल पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्यों को सावधानीपूर्वक संकलित करते हुये , तदोपरान्त नियमानुसार भौतिक साक्ष्यों को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है ?		
6.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त कर मूल प्रति संलग्न केस डायरी कर दी गयी है ?		
7.	घटना स्थल के आस-पास के सीसीटीवी कैमरो की फुटेज व घटना से सम्बन्धित वीडियो को प्राप्त कर, उसके प्रमाण पत्र सहित संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		
8.	घटना में प्रयुक्त अस्त्र/शस्त्र बरामद कर लिया गया है ?		
9.	मेडीकोलीगल इन्जरी रिपोर्ट एवं एक्स-रे रिपोर्ट को संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		
10.	चिकित्साधिकारी से प्राथमिक एवं पूरक आख्या प्राप्त कर मेडिकल परीक्षण करने वाले चिकित्सक के कथन अंकित कर, चोटों के प्रकार एवं गम्भीरता के आधार पर आंकलन कर उचित धाराओं का अधिरोपण कर लिया गया है ?		
11.	आरोप पत्र में चिकित्सक को बतौर गवाह सम्मिलित कर लिया गया है ?		
12.	विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित करते समय सर्व प्रथम आक्रामक पक्ष को चिन्हित कर प्रभावी विधिक कार्यवाही की गयी है ?		

13.	संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी है ?		
14.	विवेचना पूर्ण होने पर अन्तिम निष्कर्ष अंकित करने से पूर्व विधिक अभिमत लिया गया है ?		
15.	अगर विधिक अभिमत में अभियोजक द्वारा कुछ कमियाँ बताई गयी हैं तो उनकी पूर्ति कर पुनः विधिक अभिमत लिया गया है ?		
16.	विधिक अभिमत को केस डायरी का भाग तो नहीं बनाया गया है ?		
17.	अभियोग में आरोप पत्र किता करते समय गवाहों के सही नाम पते उनके बन्ध पत्र (190(2) बी.एन.एस.एस.) के साथ पूर्ण विवरण व मोबाइल नम्बर सहित आरोप पत्र में अंकित किये गये हैं ?		

धारा 117 (स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना)

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	घोर उपहति के प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है ?		
2.	पीड़ित/मुल्जिमान से पूछताछ करने पर यह भी दर्शाया जाए कि अभियुक्त द्वारा किस हथियार से चोट पहुचायी गयी है उसका उल्लेख किया जाये।		
3.	मजरूब को चिट्ठी मजरूबी के साथ चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजकर , चिट्ठी मजरूबी में मजरूब की ज्ञात चोटों का विवरण अंकित कर ,घायल को ले जाने वाले कर्मी को चिकित्सालय रवाना किया गया है ?		
4.	चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर ली गयी है ?		
5.	पीड़ित का तत्काल मेडिकल परीक्षण कराकर परीक्षण परिणाम का उल्लेख रोजनामचाआम में किया गया है तथा चिकित्सीय परीक्षण की प्राथमिक एवं पूरक रिपोर्ट की मूल प्रति केस डायरी में संलग्न कर दी गयी है ?		
6.	घटना की सूचना जहाँ पर जैसे भी थाना एवं चौकी अथवा डायल-112 पर प्राप्त होगी तो सम्बन्धित सूचना प्राप्त होने पर घायल व्यक्ति अथवा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है एवं फील्ड यूनिट द्वारा घटना स्थल को येलो टेप से सुरक्षित		

	कर भौतिक साक्ष्य सुरक्षित कर लिया गया है , ताकि उन पर लगे वैज्ञानिक साक्ष्य सुरक्षित रहें।		
7.	फारेसिंक टीम के माध्यम से घटनास्थल पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्यों को सावधानीपूर्वक संकलित करते हुये , तदोपरान्त नियमानुसार भौतिक साक्ष्यों को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है ?		
8.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त कर मूल प्रति संलग्न केस डायरी कर दी गयी है ?		
9.	जिन अपराधों में 07 वर्ष से कम सजा है, उनमें मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों का उल्लेख केस डायरी में अवश्य किया जाये।		
10.	मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तत्काल पूरक परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही की जाये।		
11.	चिकित्साधिकारी से प्राथमिक एवं पूरक आख्या प्राप्त कर मेडिकल परीक्षण करने वाले चिकित्सक के कथन अंकित कर, चोटों के प्रकार एवं गम्भीरता के आधार पर आंकलन किया जाये और उचित धाराओं का निर्धारण किया जाये । आरोप पत्र में चिकित्सक को बतौर गवाह सम्मिलित किया जाये।		
12.	घटनास्थल पर मौजूद एवं उसके आस-पास रहने वाले लोगों से घटना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कर साक्ष्य संकलित किया गया है ?		
13.	घटना स्थल के आस-पास के सीसीटीवी कैमरो की फुटेज व घटना से सम्बन्धित वीडियो को प्राप्त कर, उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसका विश्लेषण किया गया है ?		

14.	पीड़िता के नियमानुसार धारा 180/183 बी.एन.एस.एस. के कथन अंकित कराया गया है ?		
15.	उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी है ?		
16.	विवेचना पूर्ण होने पर अन्तिम निष्कर्ष अंकित करने से पूर्व विधिक अभिमत लिया गया है ?		
17.	अगर विधिक अभिमत में अभियोजक द्वारा कुछ कमियाँ बताई गयी हैं तो उनकी पूर्ति कर पुनः विधिक अभिमत लिया गया है ?		
18.	विधिक अभिमत को केस डायरी का भाग तो नहीं बनाया गया है ?		
19.	अभियोग में आरोप पत्र किता करते समय गवाहों के सही नाम पते उनके बन्ध पत्र (190(2) बी.एन.एस.एस.) के साथ पूर्ण विवरण व मोबाइल नम्बर सहित आरोप पत्र में अंकित किया गया है ?		

धारा 118

खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है ?		
2.	पीड़ित/पीड़िता को तत्काल चिकित्सीय सहायता (प्राथमिक उपचार) उपलब्ध कराते हुए नियमानुसार तत्काल मेडिकल परीक्षण कराया गया है ?		
3.	चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर ली गयी है ?		
4.	अभियुक्त द्वारा किस हथियार से चोट पहुचायी गयी है, क्या इस सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
5.	नक्शा नजरी यदि किसी कारणवश रात्रि में बनायी जाती है तो क्या उचित प्रकाश की व्यवस्था के मानकों का उल्लेख किया गया है ?		

6.	जिन अपराधों में 07 वर्ष से कम सजा है, उनमें मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों का उल्लेख केस डायरी में किया गया है ?		
7.	मजरूब को चिट्ठी मजरूबी के साथ चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजकर तथा चिकित्सीय परीक्षण परिणाम का उल्लेख रोजनामचाआम में अवश्य किया गया है ?		
8.	मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तत्काल पूरक परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही की गयी है ?		
9.	मेडिकल परीक्षण करने वाले चिकित्सक के कथन अंकित करते हुये आरोप पत्र में चिकित्सक को बतौर गवाह सम्मिलित कर लिया गया है ?		
10.	घटनास्थल का तत्काल फोरेंसिक टीम के साथ निरीक्षण किया जाये तथा घटनास्थल की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के अनुरूप की गयी है ?		
11.	घटनास्थल से घटना के सम्बन्ध में भौतिक/वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित कर संकलित भौतिक साक्ष्यों को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा दिया गया है ?		

12.	घटनास्थल पर मौजूद एवं उसके आस-पास रहने वाले लोगों से घटना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कर साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
13.	घटना में चोटिल समस्त मजरूबों के बयान अवश्य अंकित कर लिये गये है ?		
14.	पीड़ित/पीड़िता के नियमानुसार धारा 180/183 बी.एन.एस.एस. के कथन अंकित किये/करा लिये गये है ?		
15.	घटना स्थल के आस-पास के सीसीटीवी कैमरो की फुटेज व घटना से सम्बन्धित वीडियो को संकलित कर, उसका प्रमाण पत्र संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		
16.	यदि घटना में चोट खतरनाक आयुध (शस्त्र) या साधनों द्वारा कारित की गयी है तो शस्त्र/अस्त्र की बरामदगी कर नियमानुसार विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजकर परीक्षण परिणाम प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		
17.	घटना में प्रयुक्त आयुध/साधन के बारे में गहनता से जानकारी कर तदनुसार विधिवत कार्यवाही की गयी है, यदि घटना में अवैध शस्त्र का प्रयोग किया गया है तो अभियुक्त से उसकी प्राप्ति के स्रोत के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर केस डायरी कर दिये गये है ?		

18.	उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी है ?		
19.	विवेचना पूर्ण होने पर अन्तिम निष्कर्ष अंकित करने से पूर्व विधिक अभिमत लिया गया है ?		
20.	अगर विधिक अभिमत में अभियोजक द्वारा कुछ कमियाँ बताई गयी हैं तो उनकी पूर्ति कर पुनः विधिक अभिमत लिया गया है ?		
21.	विधिक अभिमत को केस डायरी का भाग तो नहीं बनाया गया है ?		
22.	अभियोग में आरोप पत्र किता करते समय गवाहों के सही नाम पते उनके बन्ध पत्र (190(2) बी.एन.एस.एस.) के साथ पूर्ण विवरण व मोबाइल नम्बर सहित आरोप पत्र में अंकित कर दिये गये है ?		

धारा 119

सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है ?		
2.	पीड़ित/पीड़िता का नियमानुसार तत्काल मेडिकल परीक्षण कराया गया है ?		
3.	चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर ली गयी है ?		
4.	मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तत्काल पूरक परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		
5.	मेडिकल परीक्षण करने वाले चिकित्सक के कथन अंकित कर, आरोप पत्र में चिकित्सक को बतौर गवाह सम्मिलित कर लिया गया है ?		

6.	घटनास्थल का निरीक्षण तत्काल बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के अंतर्गत कर लिया गया है ?		
7.	घटनास्थल पर मौजूद एवं उसके आस-पास रहने वाले लोगों से घटना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कर साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		
8.	सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने के लिए मजबूर कराने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करने के सम्बन्ध में विशेष साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ? यदि मोबाइल का प्रयोग किया गया है, तो क्या सीडीआर की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर दी गयी है ?		
9.	घटना स्थल के आस-पास के सीसीटीवी कैमरो की फुटेज व घटना से सम्बन्धित वीडियो को प्राप्त कर, उसके प्रमाण पत्र सहित संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		
10.	उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी है ?		
11.	अभियोग में आरोप पत्र किता करते समय गवाहों के सही नाम पते उनके बन्ध पत्र (190(2) बी.एन.एस.एस.) के साथ पूर्ण विवरण व मोबाइल नम्बर सहित आरोप पत्र में अंकित कर लिये गये है ?		

धारा 120

संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है ?		
2.	पीड़ित/पीड़िता का नियमानुसार तत्काल मेडिकल परीक्षण कराया गया है ?		
3.	चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर ली गयी है ?		
4.	मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तत्काल पूरक परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		
5.	मेडिकल परीक्षण करने वाले चिकित्सक के कथन अंकित कर, आरोप पत्र में चिकित्सक को बतौर गवाह सम्मिलित कर लिया गया है ?		
6.	घटनास्थल का निरीक्षण तत्काल बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के अंतर्गत कर लिया गया है ?		
7.	घटनास्थल पर मौजूद एवं उसके आस-पास रहने वाले लोगों से घटना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कर साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		

8.	संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके सम्पत्ति का प्रयावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करने के सम्बन्ध में विशेष साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ? यदि मोबाइल का प्रयोग किया गया है, तो क्या सीडीआर की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर दी गयी है ?		
9.	घटना स्थल के आस-पास के सीसीटीवी कैमरो की फुटेज व घटना से सम्बन्धित वीडियो को प्राप्त कर, उसके प्रमाण पत्र सहित संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		
10.	उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी है ?		
11.	विवेचना पूर्ण होने पर अन्तिम निष्कर्ष अंकित करने से पूर्व विधिक अभिमत लिया गया है ?		
12.	अगर विधिक अभिमत में अभियोजक द्वारा कुछ कमियाँ बताई गयी हैं तो उनकी पूर्ति कर पुनः विधिक अभिमत लिया गया है ?		
13.	विधिक अभिमत को केस डायरी का भाग तो नहीं बनाया गया है ?		
14.	अभियोग में आरोप पत्र किता करते समय गवाहों के सही नाम पते उनके बन्ध पत्र (190(2) बी.एन.एस.एस.) के साथ पूर्ण विवरण व मोबाइल नम्बर सहित आरोप पत्र में अंकित कर लिये गये है ?		

धारा 121
लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है ?		
2.	पीड़ित/पीड़िता का नियमानुसार तत्काल मेडिकल परीक्षण कराया गया है ?		
3.	चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर ली गयी है ?		
4.	मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तत्काल पूरक परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		
5.	मेडिकल परीक्षण करने वाले चिकित्सक के कथन अंकित कर, आरोप पत्र में चिकित्सक को बतौर गवाह सम्मिलित कर लिया गया है ?		
6.	घटनास्थल का निरीक्षण तत्काल बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के अंतर्गत कर लिया गया है ?		
7.	घटनास्थल पर मौजूद एवं उसके आस-पास रहने वाले लोगों से घटना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कर साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		

8.	लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करने के सम्बन्ध में विशेष साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ? यदि मोबाइल का प्रयोग किया गया है, तो क्या सीडीआर की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर दी गयी है ?		
9.	घटना स्थल के आस-पास के सीसीटीवी कैमरो की फुटेज व घटना से सम्बन्धित वीडियो को प्राप्त कर, उसके प्रमाण पत्र सहित संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		
10.	उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी है ?		
11.	विवेचना पूर्ण होने पर अन्तिम निष्कर्ष अंकित करने से पूर्व विधिक अभिमत लिया गया है ?		
12.	अगर विधिक अभिमत में अभियोजक द्वारा कुछ कमियाँ बताई गयी हैं तो उनकी पूर्ति कर पुनः विधिक अभिमत लिया गया है ?		
13.	विधिक अभिमत को केस डायरी का भाग तो नहीं बनाया गया है ?		
14.	अभियोग में आरोप पत्र किता करते समय गवाहों के सही नाम पते उनके बन्ध पत्र (190(2) बी.एन.एस.एस.) के साथ पूर्ण विवरण व मोबाइल नम्बर सहित आरोप पत्र में अंकित कर लिये गये है ?		

धारा 122
प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है।
इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर क्या तत्काल अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है ?		
2.	क्या पीड़ित/पीड़िता का नियमानुसार तत्काल मेडिकल परीक्षण कराया गया है ?		
3.	चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर ली गयी है ?		
4.	मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तत्काल पूरक परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		
5.	मेडिकल परीक्षण करने वाले चिकित्सक के कथन अंकित कर, आरोप पत्र में चिकित्सक को बतौर गवाह सम्मिलित कर लिया गया है ?		
6.	क्या घटना के मोटिव के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित किया गया है ?		
7.	घटनास्थल का निरीक्षण तत्काल बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के अंतर्गत कर लिया गया है ?		

8.	घटनास्थल पर मौजूद एवं उसके आस-पास रहने वाले लोगों से घटना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कर साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		
9.	प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करने के सम्बन्ध में विशेष साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ? यदि मोबाइल का प्रयोग किया गया है, तो क्या सीडीआर की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर दी गयी है ?		
10.	घटना स्थल के आस-पास के सीसीटीवी कैमरो की फुटेज व घटना से सम्बन्धित वीडियो को प्राप्त कर, उसके प्रमाण पत्र सहित संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		
11.	उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी है ?		
12.	अभियोग में आरोप पत्र किता करते समय गवाहों के सही नाम पते उनके बन्ध पत्र (190(2) बी.एन.एस.एस.) के साथ पूर्ण विवरण व मोबाइल नम्बर सहित आरोप पत्र में अंकित कर लिये गये है ?		
13.	विवेचना पूर्ण होने पर अन्तिम निष्कर्ष अंकित करने से पूर्व विधिक अभिमत लिया गया है?		
14.	अगर विधिक अभिमत में अभियोजक द्वारा कुछ कमियाँ बताई गयी हैं तो उनकी पूर्ति कर पुनः विधिक अभिमत लिया गया है ?		
15.	विधिक अभिमत को केस डायरी का भाग तो नहीं बनाया गया है ?		

धारा 123

अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है।
इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर क्या तत्काल अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है ?		
2.	क्या पीड़ित/पीड़िता का नियमानुसार तत्काल मेडिकल परीक्षण कराया गया है ?		
3.	क्या चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर ली गयी है ?		
4.	मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर क्या तत्काल पूरक परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		
5.	क्या मेडिकल परीक्षण करने वाले चिकित्सक के कथन अंकित कर, आरोप पत्र में चिकित्सक को बतौर गवाह सम्मिलित कर लिया गया है ?		
6.	घटना में प्रयुक्त विष आदि से सम्बन्धित प्राप्त साक्ष्य को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर तथा विष आदि के प्राप्ति के स्रोत की जानकारी कर तदनुसार कार्यवाही की गयी है ?		

7.	क्या घटना के मोटिव के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित किया गया है ?		
8.	घटनास्थल का निरीक्षण तत्काल बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के अंतर्गत कर लिया गया है ?		
9.	पीड़ित के धारा 180/183 बी.एन.एस.एस. के नियमानुसार कथन अंकित किये/कराये गये हैं ?		
10.	घटनास्थल पर मौजूद एवं उसके आस-पास रहने वाले लोगों से घटना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कर साक्ष्य संकलित कर लिये गये हैं ?		
11.	अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करने के सम्बन्ध में विशेष साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ? यदि मोबाइल का प्रयोग किया गया है, तो क्या सीडीआर की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर दी गयी है ?		
12.	घटना स्थल के आस-पास के सीसीटीवी कैमरो की फुटेज व घटना से सम्बन्धित वीडियो को प्राप्त कर, उसके प्रमाण पत्र सहित संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		
13.	उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी है ?		
14.	विवेचना पूर्ण होने पर अन्तिम निष्कर्ष अंकित करने से पूर्व विधिक अभिमत लिया गया है ?		

15.	अगर विधिक अभिमत में अभियोजक द्वारा कुछ कमियाँ बताई गयी हैं तो उनकी पूर्ति कर पुनः विधिक अभिमत लिया गया है ?		
16.	विधिक अभिमत को केस डायरी का भाग तो नहीं बनाया गया है ?		
17.	अभियोग में आरोप पत्र किता करते समय गवाहों के सही नाम पते उनके बन्ध पत्र (190(2) बी.एन.एस.एस.) के साथ पूर्ण विवरण व मोबाइल नम्बर सहित आरोप पत्र में अंकित कर लिये गये है ?		

धारा 124
अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर क्या तत्काल अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है ?		
2.	पीड़ित/पीड़िता का नियमानुसार तत्काल मेडिकल परीक्षण कराकर अविलम्ब मृत्युकालिक बयान अंकित करने हेतु नियमानुसार सम्बन्धित को रिपोर्ट प्रेषित की गयी है ?		
3.	मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तत्काल पूरक परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		
4.	मेडिकल परीक्षण करने वाले चिकित्सक के कथन अंकित कर, आरोप पत्र में चिकित्सक को बतौर गवाह सम्मिलित कर लिया गया है ?		
5.	घटनास्थल का तत्काल निरीक्षण कर प्रयुक्त अम्ल के सम्बन्ध में गहनता से साक्ष्य संकलित किये जायें तथा फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल से संकलित भौतिक साक्ष्य को नियमानुसार रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजकर रिपोर्ट प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर दी गयी है ?		

6.	घटनास्थल पर मौजूद एवं उसके आस-पास रहने वाले लोगों से घटना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कर साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		
7.	यदि किसी महिला के साथ एसिड अटैक की घटना कारित की जाती है तो उसके धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयानों की वीडियोग्राफी करायी गयी है ?		
8.	घटना स्थल के आस-पास के सीसीटीवी कैमरो की फुटेज व घटना से सम्बन्धित वीडियो को प्राप्त कर, उसके प्रमाण पत्र सहित संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		
9.	एसिड अटैक मामलों में अन्य कार्यवाही के साथ घटनास्थल का निरीक्षण एवं अभिलेखीकरण करते समय व निरीक्षण के समय क्या इस सम्बन्ध में भी साक्ष्य संकलित किये गये है कि जारक पदार्थ अभियुक्त द्वारा कहां से प्राप्त किया गया तथा इसकी सूचना तत्काल सम्बन्धित उपजिलाधकारी (एस0डी0एम0) को दे दी गयी है ?		
10.	घटना स्थल के साथ ही पीड़िता के जले हुए हिस्सों की फोटो ले ली गयी है ?		
11.	पीड़ित के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के नियमानुसार कथन अंकित करा लिये गये है ?		
12.	क्या घटना के मोटिव के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित किया गया है ?		

13.	उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी है ?		
14.	विवेचना पूर्ण होने पर अन्तिम निष्कर्ष अंकित करने से पूर्व विधिक अभिमत लिया गया है ?		
15.	अगर विधिक अभिमत में अभियोजक द्वारा कुछ कमियाँ बताई गयी हैं तो उनकी पूर्ति कर पुनः विधिक अभिमत लिया गया है ?		
16.	विधिक अभिमत को केस डायरी का भाग तो नहीं बनाया गया है ?		
17.	अभियोग में आरोप पत्र किता करते समय गवाहों के सही नाम पते उनके बन्ध पत्र (190(2) बी.एन.एस.एस.) के साथ पूर्ण विवरण व मोबाइल नम्बर सहित आरोप पत्र में अंकित कर लिये गये है ?		

धारा 125
कार्य, जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर क्या तत्काल अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है ?		
2.	क्या पीड़ित/पीड़िता का नियमानुसार तत्काल मेडिकल परीक्षण नियमानुसार करा लिया गया है ?		
3.	मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर क्या तत्काल पूरक परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		
4.	क्या मेडिकल परीक्षण करने वाले चिकित्सक के कथन अंकित कर, आरोप पत्र में चिकित्सक को बतौर गवाह सम्मिलित कर लिया गया है ?		
5.	क्या फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल से संकलित कियै गये भौतिक साक्ष्यों को नियमानुसार परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजकर रिपोर्ट प्राप्त कर ली गयी है ?		
6.	घटनास्थल पर मौजूद एवं उसके आस-पास रहने वाले लोगों से घटना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कर साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		
7.	घटना स्थल के आस-पास के सीसीटीवी कैमरो की फुटेज व घटना से सम्बन्धित वीडियो को प्राप्त कर,		

	उसके प्रमाण पत्र सहित संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		
8.	उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी है ?		
9.	अभियोग में आरोप पत्र किता करते समय गवाहों के सही नाम पते उनके बन्ध पत्र (190(2) बी.एन.एस.एस.) के साथ पूर्ण विवरण व मोबाइल नम्बर सहित आरोप पत्र में अंकित कर लिये गये है ?		

उत्तर प्रदेश सरकार

धारा 126 से 127

सदोष अवरोध और सदोष परिरोध

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है ?		
2.	पीड़ित/अभियुक्त के मोबाइल नम्बर की सीडीआर निकलवाकर उसका विश्लेषण कर तदनुसार कार्यवाही की जाये।		
3.	घटनास्थल का निरीक्षण तत्काल बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के अंतर्गत कर लिया गया है ?		
4.	पीड़ित के धारा 180/183 बी.एन.एस.एस. के नियमानुसार कथन अंकित किये/कराये गये है ?		
5.	घटनास्थल पर मौजूद एवं उसके आस-पास रहने वाले लोगों से घटना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कर साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		
6.	घटना स्थल के आस-पास के सीसीटीवी कैमरो की फुटेज व घटना से सम्बन्धित वीडियो को प्राप्त कर, उसके प्रमाण पत्र सहित संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		
7.	उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी है ?		
8.	अभियोग में आरोप पत्र किता करते समय गवाहों के सही नाम पते उनके बन्ध पत्र (190(2) बी.एन.एस.एस.) के साथ पूर्ण विवरण व मोबाइल नम्बर सहित आरोप पत्र में अंकित कर लिये गये है ?		

धारा 128 से 136

आपराधिक बल, हमला

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है ?		
2.	घटनास्थल का निरीक्षण तत्काल बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के अंतर्गत कर लिया गया है ?		
3.	घटनास्थल पर मौजूद एवं उसके आस-पास रहने वाले लोगों से घटना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कर साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		
4.	घटना स्थल के आस-पास के सीसीटीवी कैमरो की फुटेज व घटना से सम्बन्धित वीडियो को प्राप्त कर, उसके प्रमाण पत्र सहित संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		
5.	पीड़ित/अभियुक्त के मोबाइल नम्बर की सीडीआर निकलवाकर उसका विश्लेषण कर तदनुसार कार्यवाही की जाये।		
6.	क्या घटना के मोटिव के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित किया गया है ?		
7.	उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी है ?		
8.	अभियोग में आरोप पत्र किता करते समय गवाहों के सही नाम पते उनके बन्ध पत्र (190(2) बी.एन.एस.एस.) के साथ पूर्ण विवरण व मोबाइल नम्बर सहित आरोप पत्र में अंकित कर लिये गये है ?		

धारा 137

व्यपहरण

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	व्यपहरण की सूचना मिलने पर क्या तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर ली गयी है ?		
2.	क्या व्यपहृत के आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये गये हैं एवं आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की दशा में आयु निर्धारण सम्बन्धी चिकित्सीय परीक्षण करा लिया गया है ?		
3.	किस माध्यम से गुमशुदा/अपहृत की बरामदगी का प्रयास किया गया है ?		
4.	व्यपहृत के सहपाठी/ मित्रों से जानकारी प्राप्त कर ली गयी है ?		
5.	व्यपहृत के परिवार के व्यक्तियों से वार्ता कर संदिग्ध व्यक्तियों की सूची बना ली गयी है ?		
6.	सर्विलांस की मदद से अपहृत/संदिग्धों/नामितों के मोबाईल नम्बरों आदि का विश्लेषण कर लिया गया है ?		
7.	संदिग्ध/नामित अभियुक्तों के परिजनों, रिश्तेदारों एवं दोस्तों से पूछताछ की गयी है ?		

8.	व्यपहृत की बरामदगी हेतु सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर बरामदगी करायी गयी है ?		
9.	व्यपहृत की फोटो पम्पलेट तैयार कराकर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराकर एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कार्यवाही की जा चुकी है ?		
10.	घटनास्थल के आस-पास के मार्ग, टोलप्लाजा आदि के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण कर जानकारी एकत्र कर ली गयी है ?		
11.	व्यपहृत की फोटो पम्पलेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यथा-फेसबुक (No More Missing), ट्वीटर आदि पर प्रसारित कराने की कार्यवाही कर ली गयी है ?		
12.	व्यपहृत की फोटो पम्पलेट/डाटा तैयार कर जनपदीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (डी०सी०आर०बी०)/ एस०सी०आर०बी०/ एन०सी०आर० बी० के माध्यम से सीमावर्ती जनपदों/ सभी राज्यों को गश्ती तलाश हेतु रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी है ?		
13.	व्यपहृत का डाटा ऑनलाइन पोर्टल "Track The Missing Child" पर अपलोड कराने की कार्यवाही कर दी गयी है ?		
14.	व्यपहृत की बरामदगी हेतु गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) आदि का सहयोग प्राप्त किया गया है ?		
15.	व्यपहृत की बरामदगी के उपरान्त चिकित्सकीय परीक्षण नियमानुसार करा लिया गया है ?		

16.	व्यपहृत की बरामदगी होने पर अपहृत के धारा 180 बी०एन०एस०एस० के कथन (अपहृत महिला/बालिका होने की स्थिति में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा) अंकित कर ऑडियो/वीडियोग्राफी कराकर अभियोग दैनिकी के साथ संलग्न कर दिया गया है ?		
17.	धारा 183 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत मा० न्यायालय में कथन अंकित करा लिया गया है ?		
18.	नाबालिग व्यपहृत के साथ किसी यौन उत्पीड़न का साक्ष्य मिलने पर नियमानुसार पॉक्सो एक्ट की समुचित धाराओं का समावेश करा लिया गया है ?		
19.	व्यपहृत की बरामदगी के उपरान्त सुपुर्दगी हेतु बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत कराकर प्रोफार्मा-क एवं ख भरकर विवेचना में सम्मिलित करा लिया गया है ?		
20.	संलिप्त अभियुक्तों की साक्ष्य के क्रम में नियमानुसार गिरफ्तारी करा ली गयी है ?		
21.	गिरफ्तारी न होने की दशा में नियमानुसार एन०बी०डब्लू०/ धारा 84, 85 बी०एन०एस०एस० आदि की कार्यवाही करा ली गयी है ?		
22.	गिरफ्तारी के बाद अभियुक्तों के NAFIS पोर्टल पर फिंगर प्रिन्ट अपलोड कर दिये गये है ?		
23.	सोशल मीडिया/बैंक एकाउन्ट का पता लगाकर सम्बन्धित साक्ष्यों को संकलित कर संलग्न केस डायरी कर लिया गया है ?		

24.	सुसंगत साक्ष्य के आधार पर अभियोग में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है ?		
25.	विवेचना पूर्ण होने पर अन्तिम निष्कर्ष अंकित करने से पूर्व विधिक अभिमत लिया गया है ?		
26.	अगर विधिक अभिमत में अभियोजक द्वारा कुछ कमियाँ बताई गयी हैं तो उनकी पूर्ति कर पुनः विधिक अभिमत लिया गया है ?		
27.	विधिक अभिमत को केस डायरी का भाग तो नहीं बनाया गया है ?		

धारा 138, 139, 140

अपहरण, भीख मांगने के प्रयोजनो के लिए बालक का व्यपहरण या विकलांगीकरण तथा हत्या करने के लिए फौजदारी, आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	अपहरण की सूचना मिलने पर क्या तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर ली गयी है ?		
2.	क्या अपहृत के आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये गये हैं एवं आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की दशा में क्या आयु निर्धारण सम्बन्धी चिकित्सीय परीक्षण करा लिया गया है ?		
3.	अपहरण करने का मोटिव स्थापित करने के सम्बन्ध में विशिष्ट साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		
4.	किस माध्यम से गुमशुदा/अपहृत की बरामदगी का प्रयास किया गया है ?		
5.	अपहृत स्कूल का छात्र/छात्रा है, तो उसके सहपाठी से जानकारी प्राप्त कर ली गयी है ?		

6.	अपहृत के परिवार के व्यक्तियों से वार्ता कर संदिग्ध व्यक्तियों की सूची बना ली गयी है ?		
7.	सर्विलांस की मदद से अपहृत/संदिग्धों/नामितों के मोबाईल नम्बरों आदि का विश्लेषण कर लिया गया है?		
8.	संदिग्ध/नामित अभियुक्तों के परिजनों, रिश्तेदारों एवं दोस्तों से पूछताछ की गयी है ?		
9.	अपहृत की बरामदगी हेतु सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर बरामदगी करायी गयी है ?		
10.	अपहृत की फोटो पम्पलेट तैयार कराकर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराकर एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कार्यवाही की जा चुकी है ?		
11.	घटनास्थल के आस-पास के मार्ग, टोलप्लाजा आदि के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण कर जानकारी एकत्र कर ली गयी है ?		
12.	अपहृत की फोटो पम्पलेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यथा-फेसबुक (No More Missing), ट्वीटर आदि पर प्रसारित कराने की कार्यवाही कर ली गयी है ?		
13.	अपहृत की फोटो पम्पलेट/डाटा तैयार कर जनपदीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (डी०सी०आर०बी०)/		

	एस०सी०आर०बी०/ एन०सी०आर०बी० के माध्यम से सीमावर्ती जनपदों/ सभी राज्यों को गश्ती तलाश हेतु रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी है ?		
14.	अपहृत का डाटा ऑनलाइन पोर्टल "Track The Missing Child" पर अपलोड कराने की कार्यवाही कर दी गयी है ?		
15.	अपहृत की बरामदगी हेतु गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) आदि का सहयोग प्राप्त किया गया है ?		
16.	अपहृत की बरामदगी के उपरान्त चिकित्सकीय परीक्षण नियमानुसार करा लिया गया है ?		
17.	अपहृत की बरामदगी होने पर अपहृत के धारा 180 बी०एन०एस०एस० के कथन (अपहृत महिला/बालिका होने की स्थिति में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा) अंकित कर ऑडियो/वीडियोग्राफी कराकर अभियोग दैनिकी के साथ संलग्न कर दिया गया है ?		
18.	धारा 183 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत मा० न्यायालय में कथन अंकित करा लिया गया है ?		
19.	नाबालिग अपहृत के साथ किसी यौन उत्पीड़न का साक्ष्य मिलने पर नियमानुसार पॉक्सो एक्ट की समुचित धाराओं का समावेश करा लिया गया है ?		

20.	अपहृत की बरामदगी के उपरान्त सुपुर्दगी हेतु बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत कराकर प्रोफार्मा-क एवं ख भरकर विवेचना में सम्मिलित करा लिया गया है ?		
21.	संलिप्त अभियुक्तों की साक्ष्य के क्रम में नियमानुसार गिरफ्तारी करा ली गयी है ?		
22.	गिरफ्तारी न होने की दशा में नियमानुसार एन०बी०डब्लू०/ धारा 84, 85 बी०एन०एस०एस० आदि की कार्यवाही करा ली गयी है ?		
23.	गिरफ्तारी के बाद अभियुक्तों के NAFIS पोर्टल पर फिंगर प्रिन्ट अपलोड कर दिये गये है ?		
24.	सोशल मीडिया/बैंक एकाउन्ट का पता लगाकर सम्बन्धित साक्ष्यों को संकलित कर संलग्न केस डायरी कर लिया गया है ?		
25.	सुसंगत साक्ष्य के आधार पर अभियोग में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है ?		
26.	विवेचना पूर्ण होने पर अन्तिम निष्कर्ष अंकित करने से पूर्व विधिक अभिमत लिया गया है ?		

27.	अगर विधिक अभिमत में अभियोजक द्वारा कुछ कमियाँ बताई गयी हैं तो उनकी पूर्ति कर पुनः विधिक अभिमत लिया गया है ?		
28.	विधिक अभिमत को केस डायरी का भाग तो नहीं बनाया गया है ?		

धारा 141

विदेश से बालिका या बालक को लाना

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	सूचना मिलने पर क्या तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर ली गयी है ?		
2.	क्या बालक या बालिका का आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये गये हैं एवं आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की दशा में क्या आयु निर्धारण सम्बन्धी चिकित्सीय परीक्षण करा लिया गया है ?		
3.	इस सम्बन्ध में मोटिव स्थापित करने में विशिष्ट साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		
4.	सर्विलांस की मदद से अपहृत/संदिग्धों/नामितों के मोबाईल नम्बरों आदि का विश्लेषण कर लिया गया है ?		
5.	संदिग्ध/नामित अभियुक्तों के परिजनों, रिश्तेदारों एवं दोस्तों से पूछताछ की गयी है ?		
6.	अपहृत की बरामदगी हेतु सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर बरामदगी करायी गयी है ?		
7.	अपहृत की फोटो पम्पलेट तैयार कराकर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराकर एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कार्यवाही की जा चुकी है ?		

8.	घटनास्थल के आस-पास के मार्ग, टोलप्लाजा आदि के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण कर जानकारी एकत्र कर ली गयी है ?		
9.	अपहृत की बरामदगी होने पर अपहृत के धारा 180 बी०एन०एस०एस० के कथन (अपहृत महिला/बालिका होने की स्थिति में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा) अंकित कर ऑडियो/वीडियोग्राफी कराकर अभियोग दैनिकी के साथ संलग्न कर दिया गया है ?		
10.	बालक या बालिका का नियमानुसार चिकित्सीय परीक्षण करा लिया गया है ?		
11.	बालक या बालिका को किस प्रयोजन के लिए लाया गया क्या उसके सम्बन्ध में गहनता से साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
12.	बालक या बालिका को दूतावास से संपर्क कर नियमानुसार उनके परिजनों को सुपुर्द करने की कार्यवाही कर ली गयी है ?		
13.	नाबालिग बालक या बालिका के साथ किसी यौन उत्पीड़न का साक्ष्य मिलने पर नियमानुसार समुचित धाराओं का समावेश करा लिया गया है ?		
14.	संलिप्त अभियुक्तों की साक्ष्य के क्रम में नियमानुसार गिरफ्तारी करा ली गयी है ?		
15.	गिरफ्तारी न होने की दशा में नियमानुसार एन०बी०डब्लू०/ धारा 84, 85 बी०एन०एस०एस० आदि की कार्यवाही करा ली गयी है ?		

16.	गिरफ्तारी के बाद अभियुक्तों के NAFIS पोर्टल पर फिंगर प्रिन्ट अपलोड कर दिये गये है ?		
17.	सोशल मीडिया/बैंक एकाउन्ट का पता लगाकर सम्बन्धित साक्ष्यों को संकलित कर संलग्न केस डायरी कर लिया गया है ?		
18.	सुसंगत साक्ष्य के आधार पर अभियोग में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है ?		
19.	विवेचना पूर्ण होने पर अन्तिम निष्कर्ष अंकित करने से पूर्व विधिक अभिमत लिया गया है ?		
20.	अगर विधिक अभिमत में अभियोजक द्वारा कुछ कमियाँ बताई गयी हैं तो उनकी पूर्ति कर पुनः विधिक अभिमत लिया गया है ?		
21.	विधिक अभिमत को केस डायरी का भाग तो नहीं बनाया गया है ?		

धारा 142 से 146

व्यपहृत या अपहृत को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना, व्यक्ति का दुर्व्यापार, ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यापार किया गया है, शोषण, दासों का आभ्यासिक व्यौहार करना, विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम)

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	क्या अपहरण / व्यपहरण की सूचना मिलने पर क्या तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर ली गयी है ?		
2.	क्या अपहृत के आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये गये हैं एवं आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की दशा में क्या आयु निर्धारण सम्बन्धी चिकित्सीय परीक्षण करा लिया गया है ?		
3.	क्या अपहरण करने के मोटिव को स्थापित करने हेतु विशेष साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		
4.	किस माध्यम से गुमशुदा/अपहृत की बरामदगी का प्रयास किया गया है ?		
5.	अपहृत स्कूल का छात्र/छात्रा है, तो उसके सहपाठी/ मित्रों से जानकारी प्राप्त कर ली गयी है ?		
6.	अपहृत के परिवार के व्यक्तियों से वार्ता कर संदिग्ध व्यक्तियों की सूची बना ली गयी है ?		

7.	सर्विलांस की मदद से अपहृत/संदिग्धों/नामितों के मोबाईल नम्बरों आदि का विश्लेषण कर प्रमाण पत्र सहित संलग्न केस डायरी कर लिया गया है ?		
8.	संदिग्ध/नामित अभियुक्तों के परिजनों, रिश्तेदारों एवं दोस्तों से पूछताछ की गयी है ?		
9.	अपहृत की बरामदगी हेतु सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर बरामदगी का प्रयास किया गया है ?		
10.	अपहृत की फोटो पम्पलेट तैयार कराकर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराकर एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कार्यवाही की जा चुकी है ?		
11.	घटनास्थल के आस-पास के मार्ग, टोलप्लाजा आदि के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण कर जानकारी एकत्र कर ली गयी है ?		
12.	अपहृत की फोटो पम्पलेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यथा-फेसबुक (No More Missing), ट्वीटर आदि पर प्रसारित कराने की कार्यवाही कर ली गयी है ?		
13.	अपहृत की फोटो पम्पलेट/डाटा तैयार कर जनपदीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (डी०सी०आर०बी०)/ एस०सी०आर०बी०/ एन०सी०आर०बी० के माध्यम से सीमावर्ती जनपदों/ सभी राज्यों को गश्ती तलाश हेतु रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी है ?		

14.	अपहृत का डाटा ऑनलाइन पोर्टल "Track The Missing Child" पर अपलोड कराने की कार्यवाही कर दी गयी है ?		
15.	अपहृत की बरामदगी हेतु गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) आदि का सहयोग प्राप्त किया गया है ?		
16.	अपहृत की बरामदगी के उपरान्त चिकित्सकीय परीक्षण नियमानुसार करा लिया गया है ?		
17.	अपहृत की बरामदगी होने पर अपहृत के धारा 180 बी०एन०एस०एस० के कथन (अपहृत महिला/बालिका होने की स्थिति में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा) अंकित कर ऑडियो/वीडियोग्राफी कराकर अभियोग दैनिकी के साथ संलग्न कर दिया गया है ?		
18.	धारा 183 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत मा० न्यायालय में कथन अंकित करा लिया गया है ?		
19.	नाबालिग अपहृत के साथ किसी यौन उत्पीड़न का साक्ष्य मिलने पर नियमानुसार पॉक्सो एक्ट की समुचित धाराओं का समावेश करा लिया गया है ?		
20.	संलिप्त अभियुक्तों की साक्ष्य के क्रम में नियमानुसार गिरफ्तारी करा ली गयी है ?		
21.	गिरफ्तारी न होने की दशा में नियमानुसार एन०बी०डब्लू०/ धारा 84, 85 बी०एन०एस०एस० आदि की कार्यवाही करा ली गयी है ?		
22.	गिरफ्तारी के बाद अभियुक्तों के NAFIS पोर्टल पर फिंगर प्रिन्ट अपलोड कर दिये गये है ?		

23.	सोशल मीडिया/बैंक एकाउन्ट का पता लगाकर सम्बन्धित साक्ष्यों को संकलित कर संलग्न केस डायरी कर लिया गया है ?		
24.	सुसंगत साक्ष्य के आधार पर अभियोग में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है ?		
25.	विवेचना पूर्ण होने पर अन्तिम निष्कर्ष अंकित करने से पूर्व विधिक अभिमत लिया गया है ?		
26.	अगर विधिक अभिमत में अभियोजक द्वारा कुछ कमियाँ बताई गयी हैं तो उनकी पूर्ति कर पुनः विधिक अभिमत लिया गया है ?		
27.	विधिक अभिमत को केस डायरी का भाग तो नहीं बनाया गया है ?		

अध्याय - 07

राज्य के विरूद्ध अपराधो के सम्बन्ध में

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/ नहीं	रिमार्क
1.	यदि अपराध भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने या युद्ध का प्रयत्न करने या दुष्प्रेरण करने से सम्बन्धित है तो क्या भारतीय सेनाओ/ लोक व्यवस्था/ लोक सेवाओ में लगे संगठनो को अस्थिर या अस्त व्यस्त करने के उद्देश्य से किया गया आपराधिक बल का प्रयोग और अपराध करने की रीति से सम्बन्धित साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
2.	यदि अपराध शत्रु देशो को इस उद्देश्य से भारत देश की गोपनीय व संवेदनशील सूचनाए प्रेषित करना, जिससे शत्रु देश उन सूचनाओ का प्रयोग कर सरकार को अस्थिर या अपदस्थ करने का प्रयास करने से सम्बन्धित है तो क्या अपराध की रीति को स्पष्ट करते हुये उक्त के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
3.	यदि अपराध सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से लोगो के मध्य राष्ट्रविरोधी साहित्य को दुष्प्रचारित करते हुये लोगो को सरकार के विरूद्ध सशस्त्र व हिंसात्मक विद्रोह करने के लिए दुष्प्रेरित करने से सम्बन्धित है तो क्या अपराध की रीति को स्पष्ट करते हुये उक्त के सम्बन्ध में इसका साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		

4.	यदि मामला बिंदु संख्या 1 से 3 में वर्णित अपराधो को करने के लिये आपराधिक षडयंत्र गठित करने अथवा उसमें सहभागिता से सम्बन्धित है चाहे ऐसा षडयंत्र भारत में किया गया हो या विदेश में, तो क्या अपराध की रीति को स्पष्ट करते हुये उक्त के सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
5.	अभियुक्तो द्वारा आयुध गोला बारूद आदि का संग्रह किया जाना विवेचना से पाये जाने पर इस बिन्दु पर भी विवेचना किया जाना अपरिहार्य है कि ऐसा संग्रह भारत सरकार को अस्थिर या अपदस्थ करने के उद्देश्य से सम्बन्धित है तो क्या अपराध की रीति को स्पष्ट करते हुये उक्त के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
6.	यदि अपराध भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा छिपाकर युद्ध किये जाने को सुकर बनाने या उसकी संभावना को दृष्टिगत रखते हुये छिपाकर किया जाता है तो क्या उस कार्य या अवैध लोप की रीति को स्पष्ट करते हुये उक्त के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
7.	यदि अपराध किसी व्यक्ति द्वारा आपराधिक बल का प्रदर्शन या आपराधिक बल के प्रदर्शन का प्रयास इस उद्देश्य से कि वह भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल को प्रदत्त विधिपूर्ण शक्तियो में से किसी शक्ति का प्रयोग करने से रोकने या उनका प्रयोग अपने दोषपूर्ण उद्देश्यो की पूर्ति के लिये करता है या भारत के राष्ट्रपति या राज्य के		

	राज्यपाल को उक्त कार्य करने के लिये विवश करने के आश्य से उनका सदोष अवरोध करने से सम्बन्धित है तो क्या अपराध की रीति को स्पष्ट करते हुये उक्त के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
8.	यदि अपराध किसी व्यक्ति द्वारा इस उद्देश्य से सोशल मीडिया प्लेटफार्म व एप्स का प्रयोग करते हुये आम जनमानस की भारत सरकार के विरूद्ध अप्रीति प्रदीप्त करने और आम जनमानस के विधि विरूद्ध तरीके से सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास करने से सम्बन्धित है तो क्या अपराध की रीति को स्पष्ट करते हुये उक्त के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
9.	यदि अपराध किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर या प्रयोजन पूर्वक बोले गये या लिखे गये शब्दो या संकेतो या दृश्यरूपण या इलैक्ट्रानिक संसूचना या वित्तीय साधन या अन्य प्रकार से सशस्त्र विद्रोह या विध्वंशक क्रिया कलाप को प्रदीप्त करने या प्रदीप्त करने का प्रयास या अलगाववादी क्रियाकलापो की भावना को बढावा दिये जाने या भारत की संप्रभुता या एकता व अखण्डता को खतरे में डालने से सम्बन्धित है तो क्या अपराध की रीति को स्पष्ट करते हुये उक्त के सम्बन्ध में इसका साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
10.	क्या साक्षी गण के न्यायालय में उपस्थित होने सम्बन्धी बंध पत्र, उनका मोबाइल नंबर, ई - मेल , स्थायी पता वर्त्तमान पता आयु आदि अभिलिखित कर लिए गये हैं ?		

11.	क्या अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित कर लिया गया है ?		
12.	क्या अभियुक्त की आयु के सम्बन्ध में विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		
13.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर कोई बरामदगी की गयी है और बरामदगी के सम्बन्ध में बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों का अनुपालन करते हुये की गयी वीडियो रिकार्डिंग को केस डायरी का भाग बना लिया गया है ?		
14.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी और जब्ती की रिपोर्ट उ0प्र0 बी.एन.एस.एस. नियमावली 2022 के अनुरूप 48 घंटे के अन्दर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी गयी है ?		
15.	क्या बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी उचित रूप से तैयार कर संलग्न कर लिया गया है ?		
16.	क्या बरामदगी के उपरान्त अभियोग में उचित धाराओं का अंकन कर लिया गया है ?		
17.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		

18.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
19.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
20.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
21.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		
22.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		
23.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		

24.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		
25.	**क्या इस अध्याय के अधीन अपराधो की विवेचना के उपरान्त धारा 217 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है ?**		

अध्याय – 09

निर्वाचन सम्बन्धी अपराध

**(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है।
इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)**

क्र.सं.	विषय	हाँ/ नहीं	रिमार्क
1.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए दर्ज की गयी है ?		
2.	यदि एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की गयी है तो क्या निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचनादाता के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये है ? और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यथा उपबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
3.	क्या जीरो एफआईआर/ ई-एफआईआर के प्रकरणों में सभी मूल अभिलेख संग्रहीत कर लिये गये है ?		
4.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट में सुसंगत धाराओं में पंजीकृत की गयी है ?		
	सामान्य बिन्दु		
1	प्रत्याशी का कोई आपराधिक इतिहास हैं अथवा नहीं ?		

2	प्रत्याशी की आम छवि/शोहरत अच्छी हैं अथवा नहीं ?		
3	प्रत्याशी का किसी प्रतिबन्धित संगठन/संस्था से कोई सम्बन्ध हैं अथवा नहीं ?		
4	प्रत्याशी किसी अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया अथवा नहीं ?		
भारतीय न्याय संहिता-2023 के अध्याय 09 में वर्णित धाराओ से सम्बन्धित बिन्दु			
1.	क्या सम्बन्धित अपराध इस अध्याय के अन्तर्गत आता है, क्योकि वह प्रत्याशी द्वारा किया गया है या निर्वाचन अधिकार से सम्बन्धित है ?		
2.	धारा 170 बी.एन.एस.एस. के मामलों में यदि प्रकरण किसी व्यक्ति को रिश्वत, अवैध पारितोषण देकर मत देने के उत्प्रेरण सें सम्बन्धित है तो रिश्वत और पारितोषण देने की रीति एवं उसके सम्बन्ध में पूर्ण विवरण प्राप्त कर लिया गया है ?		
3.	क्या रिश्वत लेने या देने के प्रयास करने पर भी कार्यवाही की गयी है अथवा नही ?		
4.	क्या जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से ली गयी है उसके विरूद्ध भी कार्यवाही की गयी है अथवा नही ?		

5.	प्रत्याशी या उसके हितबद्ध द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में असम्यक् स्वेच्छा से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया है अथवा नही ? (धारा 171 बीएनएस)		
6.	क्या किसी व्यक्ति द्वारा मत पाने/दिलाने के उददृश्य से किसी व्यक्ति को डराने/धमकाने सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आया है अथवा नही ? (धारा 171 बीएनएस)		
7.	क्या डराने के लिए क्षति का भय दिखाया गया है अथवा नही ? {धारा 171(2)(क)}		
8.	या फिर देवी अप्रसाद या आध्यामिक परिनिंदा का डर दिखाया गया है अथवा नही ? {धारा 171(2)(ख)}		
9.	यदि प्रकरण धारा 171 के अधीन उपरोक्त प्रकार में से किसी प्रकार का है तो क्या वह रीति एवं साधन जिससे की धमकी दी गयी है या असम्यक असर डाला गया है के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलन किया जा चुका है ?		
10.	क्या किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से/कल्पित नाम (जीवित/मृत) से मतपत्र के लिए आवेदन किया गया है या मत देने सम्बन्धित तथ्य प्रकाश में आये है ? (धारा 172 बीएनएस)		
11.	धारा 172 के अधीन प्रकरणों में क्या उस रीति व साधन जिससे की मत पत्र लेने या मतदान का प्रयास किया गया है के सम्बन्ध में निर्वाचन / पीठासीन अधिकारी से		

	मौखिक और अभिलेखीय साक्ष्य संकलित किया जा चुका है ?		
12.	क्या किसी व्यक्ति द्वारा एक बार मत देने के पश्चात उसी निर्वाचन में पुनः मत का प्रयोग किया गया है, यदि हाँ तो क्या इस सम्बन्ध में निर्वाचन / पीठासीन अधिकारी से मौखिक और अभिलेखीय साक्ष्य संकलित किया गया है ?		
13.	निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से क्या किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई मिथ्या कथन या प्रकाशन किये जाने सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आया है ? (धारा 175 बीएनएस)		
14.	धारा 175 बी.एन.एस.एस. के मामलों में जिन व्यक्तियों के समक्ष मिथ्या कथन किये गये है या प्रकाशित किए गये है, क्या उनके मौखिक साक्ष्य एवं अन्य अभिलेखीय व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नियमानुसार संकलित कर लिये गये है ?		
15.	निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से प्रत्याशी या उसके हितबद्ध द्वारा अवैध संदाय आदि तरीको से व्यय (सार्वजनिक सभा, विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन) करने सम्बन्धी मामलों में क्या व्यय के सम्बन्ध में प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराया गया विवरण एवं वास्तव में किये गये व्यय के सम्बन्ध में साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ? (धारा 176 बीएनएस)		

16.	यदि प्रकरण प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन में या निर्वाचन के सम्बन्ध में किये गये व्ययों का लेखा न रखने से सम्बन्धित है तो क्या इस सम्बन्ध में विधिक नियम व लेखा प्रस्तुत करने की अपेक्षा किये जाने, उसके द्वारा उक्त अपेक्षा के अनुरूप लेखा न तैयार किये जाने के सम्बन्ध में साक्ष्य प्राप्त कर लिये गये है ?		
17.	यदि विवेचना में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का संकलन किया गया है तो क्या उसके सम्बन्ध में धारा 63(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न कर लिया गया है ?		
18.	क्या साक्षी गण के न्यायालय में उपस्थित होने सम्बन्धी बंध पत्र, उनका मोबाइल नंबर, ई - मेल , स्थायी पता वर्त्तमान पता आयु आदि अभिलिखित कर लिए गये हैं?		
19.	क्या अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित कर लिया गया है ?		
20.	क्या अभियुक्त की आयु के सम्बन्ध में विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		
21.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर कोई बरामदगी की गयी है और बरामदगी के सम्बन्ध में बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों का अनुपालन करते हुये की गयी वीडियो रिकार्डिंग को केस डायरी का भाग बना लिया गया है ?		

22.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी और जब्ती की रिपोर्ट उ0प्र0 बी.एन.एस.एस. नियमावली 2022 के अनुरूप 48 घंटे के अन्दर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी गयी है ?		
23.	क्या बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी उचित रूप से तैयार कर संलग्न कर लिया गया है ?		
24.	क्या बरामदगी के उपरान्त अभियोग में उचित धाराओं का अंकन कर लिया गया है ?		
25.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
26.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
27.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
28.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों		

	में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
29.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		
30.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		
31.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
32.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		

अध्याय-10

सिक्को, करेंसी, नोटो, बैंक नोटो और सरकारी सटाम्पो के सम्बन्धी अपराध

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ /नहीं	रिमार्क
1.	यदि आतंकवादी कृत्य सिक्के या अन्य सामग्री की कूट कृत भारतीय कागज़ करेसी के निर्माण या उसकी तस्करी या परिचालन से भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुँचाने या उसकी संभावना से सम्बन्धित है तो ऐसे मामलो में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने से पूर्व क्या पुलिस अधीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा यह विनिश्चित कर लिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 113 बीएनएस के तहत पंजीकृत की जाएगी या विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत पंजीकृत की जाएगी ?		
2.	यदि प्रकरण भारतीय सिक्के, सरकारी स्टाम्प, बैंक नोटो, करेंसी नोटो से सम्बन्धित है तो राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम की धारा 6 में विहित समय के भीतर क्या अपराध की सूचना सम्बन्धित थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा राज्य सरकारी को उपलब्ध करा दी गयी है ?		
3.	यदि प्रकरण गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत भारत की मौद्रिक स्थिरता को खतरा पहुँचाने के उद्देश्य से **भारतीय करेंसी के उच्च गुणवत्तापूर्ण कूटकरण के निर्माण, तस्करी अथवा वितरण** से सम्बन्धित है तो क्या उक्त बरामद करेंसी को यह		

	निर्धारित करने के लिए कि बरामद करेंसी उच्च गुणवत्ता पूर्ण कूट कृत करेंसी की श्रेणी में आती है, बरामद कूट कृत करेंसी को उच्च गुणवत्ता पूर्ण कूट कृत भारतीय करेंसी अपराध नियमावली 2023 के नियम 6 में विहित प्रक्रिया के अनुसार अधिसूचित फोरेन्सिक प्राधिकारी के पास विहित समय में भेजा गया है ?		
4.	फोरेन्सिक प्राधिकारी की आख्या में यदि करेंसी के उच्च गुणवत्तापूर्ण कूट करण की पुष्टि होती है तो क्या गैर कानूनी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 15 व 16 के अनुपालन में अग्रतर कार्यवाही हेतु उच्च गुणवत्ता पूर्ण कूट कृत भारतीय करेंसी अपराध नियमावली 2023 के नियम 6 व 7 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है ?		
5.	यदि एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की गयी है तो क्या निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचनादाता के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये है ? और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यथा उपबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
6.	यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 10 की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत की गयी है तो क्या विवेचना निम्नानुसार की गयी है ?		
7.	क्या जब्त/ पकडी हुई सामग्री बैंक नोट, सिक्का, सरकारी स्टाम्प की परिभाषा में आती है ? **(धारा 178 पर विशेष ध्यान)**		
8.	क्या बरामद सामग्री बैंक नोट, सिक्का, सरकारी स्टाम्प के कूट कृत होने के सम्बन्ध में साक्ष्य का संकलन कर लिया गया है ?		

9.	क्या जाली करेंसी, सिक्के एवं सरकारी अवैध स्टाम्प के प्रकरण में पकडे गये अभियुक्त से जाली करेंसी, सिक्के एवं सरकारी अवैध स्टाम्प के श्रोत के सम्बन्ध में जानकारी की गयी है ?		
10.	क्या जाली करेंसी, सिक्को या कूट रचित स्टाम्प के "Carrier" की जानकारी कर उस पर कार्यवाही की गयी है ?		
11.	क्या जाली करेंसी, सिक्के एवं सरकारी अवैध स्टाम्प के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री/उपकरण को कब्जे पुलिस लिया गया है ?		
12.	क्या जाली करेंसी, सिक्के एवं सरकारी अवैध स्टाम्प के प्रकरण में पकडे गये अभियुक्त से उसके गैंग/संगठन व अपराध में शामिल अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		
13.	क्या इस सम्बन्ध में साक्ष्य संकलन कर लिया गया है कि अभियुक्त द्वारा कब से करेंसी, सिक्के एवं सरकारी स्टाम्प के कूटकरण का कार्य किया जा रहा है ?		
14.	क्या पकडी गयी कूटकृत करेंसी, सिक्के एवं सरकारी स्टाम्प को तैयार करने का सम्बन्ध विदेश से है ?		
15.	क्या एसआईबी / सीबीआई / आईबी / एटीएस / एनआईए आदि संस्थाओ से समन्वय स्थापित किया गया है ?		
16.	क्या कूटकृत करेंसी, सिक्के एवं सरकारी स्टाम्प के पकडे जाने पर उसे परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया गया है ?		

17.	क्या इस तथ्य को स्पष्ट रूप से केस डायरी में अंकित कर दिया गया है कि बरामद करेंसी, सिक्के एवं सरकारी स्टाम्प किस प्रकार से तथा किस सीमा तक कूट कृत है ?		
18.	जाली करेंसी के सोर्स का पता लगाने का प्रयास किया गया है या नही , क्या ऐसी करेंसी का प्रयोग टेरर फंडिग में किये जाने के कोई साक्ष्य पाये गये है ?		
19.	क्या कूटकृत करेंसी सिक्के एवं स्टाम्प को तैयार करने में प्रयुक्त रंग, स्याही, ट्रेसिंग पेपर नम्बर एवं सीरीज बनाने के अंक व अक्षर चिन्ह के ब्लॉक एवं उनके श्रोत और अभियुक्त को उनकी उपलब्धता की जांच करते हुये साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		
20.	क्या कूटकृत करेंसी सिक्के एवं स्टाम्प को तैयार करने में प्रयुक्त क्म्प्यूटर, स्कैनर, केस डायरी, पेपर, फ्लापी, पेन ड्राइव आदि को बरामद कर लिया गया है, और क्या बरामदगी में बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है ?		
21.	क्या कूटकृत करेंसी सिक्के एवं स्टाम्प को तैयार करने में प्रयुक्त क्म्प्यूटर, स्कैनर, केस डायरी, पेपर, फ्लापी, पेन ड्राइव जिसमे स्टाम्प का डिजाईन तैयार किया गया उसकी भिज्ञतापूर्वक जांच की गयी है ?		
22.	यदि विवेचना में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का संकलन किया गया है तो क्या उसके सम्बन्ध में धारा 63(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न कर लिया गया है ?		
23.	क्या साक्षी गण के न्यायालय में उपस्थित होने सम्बन्धी बंध पत्र, उनका मोबाइल नंबर, ई - मेल , स्थायी पता वर्त्तमान पता आयु आदि अभिलिखित कर लिए गये हैं ?		

24.	क्या अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित कर लिया गया है ?		
25.	क्या अभियुक्त की आयु के सम्बन्ध में विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		
26.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर कोई बरामदगी की गयी है और बरामदगी के सम्बन्ध में बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों का अनुपालन करते हुये की गयी वीडियो रिकार्डिंग को केस डायरी का भाग बना लिया गया है ?		
27.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी और जब्ती की रिपोर्ट उ0प्र0 बी.एन.एस.एस. नियमावली 2022 के अनुरूप 48 घंटे के अन्दर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी गयी है ?		
28.	क्या बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी उचित रूप से तैयार कर संलग्न कर लिया गया है ?		
29.	क्या बरामदगी के उपरान्त अभियोग में उचित धाराओं का अंकन कर लिया गया है ?		
30.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
31.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
32.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		

33.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
34.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		
35.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		
36.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
37.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		

अध्याय-11
लोक प्रशांति के विरूद्ध आने वाले अपराधों के विषय में

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	क्या 05 या 05 से अधिक व्यक्ति नामजद हैं ? (धारा 189)		
2.	क्या जमाव को पूर्व से सक्षम अधिकारी द्वारा विधि विरूद्ध घोषित किये जाने का आदेश संलग्न है ?		
3.	क्या जमाव को तात्कालिक रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि विरूद्ध घोषित किया गया ?		
4.	जिस व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा विधि विरूद्ध जमाव का आवाहन किया गया है, क्या उसका उल्लेख किया गया है ?		
5.	जिस अपराध को कारित करने के उद्देश्य से विधि विरूद्ध जमाव किया गया है क्या उसका उल्लेख किया गया है ?		
6.	जिस व्यक्ति की भूमि पर विधि विरुद्ध जमाव हुआ है क्या अपराध में उसकी भूमिका के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित किया गया है ?		
7.	जिस सम्पत्ति को कब्जे में लेने या जिस मार्ग, जल या अन्य अमूर्त अधिकार के उपभोग करने के अधिकार से वंचित करने के लिए विधि विरूद्ध जमाव किया गया है, क्या उसका उल्लेख किया गया है ?		

8.	जिस व्यक्ति को विधिपूर्ण कार्य करने से रोकने के लिए विधि विरूद्ध जमाव किया गया है, क्या उसका उल्लेख किया गया है ?		
9.	विधि विरूद्ध जमाव के बिखर जाने के आदेश देने के बावजूद जो व्यक्ति जमाव में बने रहे हैं, क्या उनके नाम का उल्लेख किया गया है ?		
10.	जो व्यक्ति घातक आयुध लेकर जमाव में सम्मिलित हुए, क्या उनके नाम का उल्लेख किया गया है ?		
11.	जिस व्यक्ति द्वारा विधि विरूद्ध जमाव में सम्मिलित होने के लिए व्यक्तियों को किराये पर लिया गया या किराये पर लेने का प्रस्ताव किया गया, क्या उसकी पहचान के बारे में उल्लेख किया गया है ?		
12.	जिस व्यक्ति द्वारा विधि विरूद्ध जमाव में सम्मिलित होने के लिए किराये पर लिये गये व्यक्तियों को किसी परिसर में संश्रय/ आश्रय दिया गया है, क्या उसकी पहचान के बारे में उल्लेख किया गया है ?		
13.	जो व्यक्ति घातक आयुध लेकर किराये पर जमाव में सम्मिलित हुए, क्या उनके नाम का उल्लेख किया गया है ?		
14.	विधि विरूद्ध जमाव में सम्मिलित होने के लिए किराये पर लिये गये क्या व्यक्तियों की पहचान के बारे में उल्लेख किया गया है ?		
15.	क्या विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य का उल्लेख किया गया है ? (धारा 190)		
16.	विधि विरूद्ध जमाव के जिन सदस्यों द्वारा सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया गया है, क्या उनकी पहचान स्थापित करते हुये अपराध में उनकी		

	भूमिका के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित किया गया है ? (धारा 191)		
17.	बलवा करने के आशय से जमाव को किस व्यक्ति द्वारा किस प्रकार से प्रकोपित किया गया है, क्या उसका उल्लेख किया गया है ? (धारा 192)		
18.	क्या लोक प्रशांति में विघ्न डालने वाले व्यक्तियों के नाम का उल्लेख किया गया है ? (धारा 194)		
19.	बलवा इत्यादि को रोकने के लिए लोकसेवक के काम में किस प्रकार बाधा डाली गयी है या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है, क्या उस रीति का उल्लेख करते हुये साक्ष्य संकलित किया गया है ? (धारा 195)		
20.	जिस प्रकार और जिन आधारों पर विभिन्न समूहों, जातियों या समुदायों के बीच आपसी असौहार्द या शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनायें संप्रवर्तित की गयी हैं, क्या उसका उल्लेख करते हुये साक्ष्य संकलित किया गया है ? (धारा 196)		
21.	जिन समूहों, जातियों या समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण व्यवहार पर जिस प्रकार प्रतिकूल व्यवहार डाला गया है या संभाव्य है, क्या उसका उल्लेख किया गया है ?		
22.	धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जाति या समुदाय के विरूद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करने के लिए कोई अभ्यास, आंदोलन, कवायद या क्रियाकलाप संचालित करने वाले व्यक्तियों के नाम का क्या उल्लेख किया गया है ?		
23.	क्या धार्मिक मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जाति या समुदाय के विरूद्ध आपराधिक बल या हिंसा		

	का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम का उल्लेख किया गया है ?		
24.	क्या धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जाति या समुदाय होने के नाते भारत के संविधान के प्रति उनकी सुरक्षा और निष्ठा अथवा प्रभुता और अखंडता की मर्यादा को खण्डित करने वाले, लांछन या प्रकाशन करने वाले व्यक्तियों के नाम का उल्लेख किया गया है ? (धारा 197)		
25.	किसी व्यक्ति को धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जाति या समुदाय होने के नाते, भारत के नागरिक के रूप में उसे अधिकार न देने वाले या उनसे वंचित करने लिए प्रख्यान, परामर्श, सलाह, प्रचार या प्रकाशन करने वाले का नाम का क्या उल्लेख किया गया है ?		
26.	किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के मध्य असौहार्द या शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनायें उत्पन्न करने के लिए किये गये प्रख्यान, परामर्श या अभिवाक, अपील या प्रकाशन करने वाले व्यक्ति के नाम का क्या उल्लेख किया गया है ?		
27.	क्या भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखण्डता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली मिथ्या या भ्रामक जानकारी देने और प्रकाशन करने वाले व्यक्ति के नाम का उल्लेख किया गया है ?		
28.	क्या किसी उपासना स्थल या धार्मिक उपासना अथवा धार्मिक कार्य में लगे हुए किसी जमाव में भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखण्डता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली मिथ्या या भ्रामक जानकारी देने जैसे		

	अपराध करने वाले व्यक्तियों के नाम का उल्लेख किया गया है ?		
29.	विधि विरूद्ध जमाव सक्षम प्राधिकारी द्वारा तितर-बितर करने के बाद भी बने रहने के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित किया गया है ?		
30.	यदि किसी व्यक्ति ने विधि विरूद्ध जमाव में शामिल लोगों को पुलिस से छिपाने या शरण देने का प्रयास किया तो क्या इस सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित किया गया है ?		
31.	विधि विरूद्ध जमाव को विखेरते समय लोकसेवक के द्वारा वीडियो रिकार्डिंग/बाडी वार्म कैमरा से नियमानुसार साक्ष्य संकलित किया गया है ? (धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये)		
32.	विधि विरूद्ध जमाव में घायल जनता के व्यक्तियों व लोकसेवक को उपचार हेतु भिजवाने की दशा में क्या उस सम्बन्ध में चिकित्सीय रिपोर्ट प्राप्त की गयी है ?		
33.	क्या विधि विरूद्ध जमाव स्थल की नक्शा नजरी नियमानुसार तैयार की गयी है ?		
34.	क्या साक्षी गण के न्यायालय में उपस्थित होने सम्बन्धी बंध पत्र, उनका मोबाइल नंबर, ई - मेल , स्थायी पता वर्त्तमान पता आयु आदि अभिलिखित कर लिए गये हैं ?		
35.	क्या अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित कर लिया गया है ?		
36.	क्या अभियुक्त की आयु के सम्बन्ध में विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		
37.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर कोई बरामदगी की गयी है और बरामदगी के सम्बन्ध में बी.एन.एस.एस. के		

	प्रावधानों का अनुपालन करते हुये की गयी वीडियो रिकार्डिंग को केस डायरी का भाग बना लिया गया है ?		
38.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी और जब्ती की रिपोर्ट उ0प्र0 बी.एन.एस.एस. नियमावली 2022 के अनुरूप 48 घंटे के अन्दर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी गयी है ?		
39.	क्या बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी उचित रूप से तैयार कर संलग्न कर लिया गया है ?		
40.	क्या बरामदगी के उपरान्त अभियोग में उचित धाराओं का अंकन कर लिया गया है ?		
41.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
42.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
43.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
44.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		

45.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		
46.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		
47.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
48.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		

अध्याय-12

लोकसेवकों द्वारा या उनसे सम्बन्धित अपराधों के विषय में

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	क्या लोकसेवक द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि के अधीन निदेश की अवज्ञा की गयी है ?		
2.	क्या लोक सेवक द्वारा विधि की अवज्ञा स्वयं जानबूझकर की गई थी या लोकसेवक द्वारा विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से की गई थी ?		
3.	क्या विधि द्वारा नियत रीति से अन्वेषण की प्रक्रिया का लोकसेवक द्वारा अनुपालन किया गया है ?		
4.	क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 397 के उपबन्धों के अनुसार सार्वजनिक या प्राईवेट अस्पताल हो, में पीड़ित का उपचार किये जाने के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलन किया गया है ?		
5.	चिकित्सक/अस्पताल द्वारा उपचार न करने की स्थिति में क्या पुष्टिकारक साक्ष्य संकलित है ?		
6.	क्या लोकसेवक द्वारा क्षति कारित करने के उद्देश्य से गलत दस्तावेज रचे जाने के सम्बन्ध में साक्ष्य		

	संकलित है और वह दस्तावेज मूल या प्रमाणित रूप में संकलित किया गया है ?		
7.	क्या क्षति कारित करने वाला अशुद्ध दस्तावेज सम्बन्धित लोक सेवक के कब्जे या पहुँच या प्राधिकार में होने के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित है ?		
8.	क्या अशुद्ध दस्तावेज के कारण पीड़ित व्यक्ति को स्पष्ट क्षति प्रदर्शित होने के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित है ?		
9.	यदि लोकसेवक होते हुए विधि विरूद्ध व्यापार में संलिप्त होने का आरोप है तो क्या ऐसे व्यापार में संलिप्त होने का दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न है ?		
10.	यदि लोक सेवक द्वारा विधि विरूद्ध सम्पत्ति क्रय किये जाने या नीलामी में बोली लगाने का आरोप है तो क्या सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न किया गया है ?		
11.	यदि लोकसेवक के छद्म प्रतिरूपण करके कोई कार्य या प्रयत्न करने या लोकसेवक होने का अपदेश करने का आरोप है तो क्या इस सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
12.	यदि लोकसेवक द्वारा कपटपूर्ण आशय से दूसरे का पोशाक या टोकन धारण करने के अपराध का आरोप है तो पोशाक या टोकन आरोपी को कहाँ से प्राप्त हुआ क्या इस सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित किया गया है ?		
13.	यदि लोकसेवक पर अन्वेषण की प्रक्रिया का पालन न कर किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने का आरोप है तो		

	अन्वेषण की प्रक्रिया और अपालन की रीति दोनो का उल्लेख करते हुये साक्ष्य संकलित किया गया है ?		
14.	यदि किसी व्यक्ति पर यह जानते हुये कि वह लोकसेवक नहीं है लोकसेवक का प्रतिरूपण करने के अपराध का आरोप है तो क्या प्रतिरूपण की रीति का अंकन करते हुये साक्ष्य संकलित किया गया है ?		
15.	धारा 65, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 76, 77, 79, 124, 134 व 144 के अधीन दण्डनीय संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में उसे बीएनएस की धारा 173 की उपधारा (1) के अधीन दी गयी सूचना को लेखबद्ध करने में असफल रहने के अपराध की दशा में उक्त अपराध से पीड़ित व्यक्ति द्वारा थाने आने व सूचना देने के समय के सम्बन्ध में पुष्टिकारक साक्ष्य संकलित किया गया है ?		
16.	लोकसेवक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये किसी व्यक्ति के मानसिक, आर्थिक व शारीरिक शोषण करने के अपराध के आरोप की दशा में उस व्यक्ति की अपराध से पहले व पश्चात्वर्ती मानसिक, आर्थिक व शारीरिक स्थिति के सम्बन्ध में मौखिक, अभिलेखीय एवं विशेषज्ञ साक्ष्य संकलित किया गया है ?		
17.	क्या साक्षी गण के न्यायालय में उपस्थित होने सम्बन्धी बंध पत्र, उनका मोबाइल नंबर, ई - मेल , स्थायी पता वर्त्तमान पता आयु आदि अभिलिखित कर लिए गये हैं ?		
18.	क्या अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित कर लिया गया है ?		

19.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर कोई बरामदगी की गयी है और बरामदगी के सम्बन्ध में बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों का अनुपालन करते हुये की गयी वीडियो रिकार्डिंग को केस डायरी का भाग बना लिया गया है ?		
20.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी और जब्ती की रिपोर्ट उ0प्र0 बी.एन.एस.एस. नियमावली 2022 के अनुरूप 48 घंटे के अन्दर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी गयी है ?		
21.	क्या बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी उचित रूप से तैयार कर संलग्न कर लिया गया है ?		
22.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
23.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
24.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
25.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत		

	मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
26.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		
27.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		
28.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
29.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		

अध्याय-13
लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

इस अध्याय में धारा 206 से 226 तक समाहित है जिनमें से धारा 209 और धारा 223 में वर्णित अपराध ही संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते है।

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
	धारा 209		
1.	क्या उस व्यक्ति का नाम उल्लिखित है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84(1) प्रकाशित किसी उद्घोषणा की अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट स्थान व समय पर हाजिर होने में असफल रहता है ?		
2.	क्या न्यायालय द्वारा जारी उद्-घोषणा आदेश की प्रमाणित प्रति संकलित कर ली गयी है ?		
3.	यदि ऐसी उद्घोषणा का प्रकाशन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 की उपधारा 2 के अनुसार किया गया है तो क्या उद्-घोषणा के चस्पा किये जाने के सम्बन्ध में मौखिक, अभिलेखीय व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
4.	यदि उद्-घोषणा को साक्षियों की मौजूदगी में चस्पा किया गया है तो क्या उनके कथन अंकित कर लिये गये है ?		
5.	यदि ऐसी उद्-घोषणा का प्रकाशन किसी समाचार पत्र में किया गया है तो क्या उस समाचार पत्र की प्रति संलग्न केस डायरी की गयी है ?		
6.	यदि 10 वर्ष अथवा उससे अधिक के कारावास, आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध से		

	आरोपित व्यक्ति के सम्बन्ध में उद्-घोषणा जारी की गयी हो और उसके उपस्थित होने में असफल होने पर न्यायालय द्वारा उसे उद्-घोषित अपराधी घोषित किया गया हो तो क्या माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न कर दी गयी है ?		
7.	जिस लोकसेवक (विवेचक) के आवेदन पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अंतर्गत उद्-घोषणा जारी की गयी थी, तो क्या उस लोकसेवक का कथन अंकित किया जा चुका है ?		
8.	क्या इस सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है कि अभियुक्त को अपने विरुद्ध बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अंतर्गत उद्-घोषणा जारी करने होने की पर्याप्त सूचना थी और उसके द्वारा उस घोषणा का अनुपालन जानबूझकर नहीं किया गया है ?		
धारा 223 (लोकसेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा)			
1.	क्या उस व्यक्ति की पहचान स्थापित कर ली गयी जिसके द्वारा लोकसेवक के प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा की गयी है ?		
2.	क्या लोकसेवक द्वारा प्रख्यापित आदेश की प्रमाणित एवं पठनीय प्रति प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर दी गयी है ?		
3.	क्या लोकसेवक ऐसे आदेश प्रख्यापित करने के लिये विधिक रूप से सशक्त है ?		
4.	क्या उस व्यक्ति को प्रख्यापित आदेश द्वारा कोई कार्य करने से विरत रहने के लिये या अपने कब्जे में की या अपने प्रबंधाधीन किसी सम्पत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिये निर्दिष्ट किया गया है ?		
5.	क्या प्रख्यापित आदेश की पूर्ण जानकारी अवज्ञा करने वाले व्यक्ति को अवज्ञा करने के समय होने के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		

6.	ऐसी अवज्ञा जो विधिपूर्ण नियोजित व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति या बाधा, क्षोभ या क्षति की जोखिम कारित करने या कारित करने की प्रवृत्ति रखने के सम्बन्ध में उस नियोजित व्यक्ति का बयान अंकित कर लिया गया है ?		
7.	यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को संकट कारित करती है या कारित करने की प्रवृत्ति रखती है या बलवा या दंगा कारित करती है या कारित करने की प्रवृत्ति रखती है तो क्या उक्त के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
8.	जिस आदेश की अवज्ञा का अभियुक्त पर आरोप है उसके सम्बन्ध में क्या अभियुक्त को यह ज्ञान था कि उसके अवज्ञा करने से किसी व्यक्ति की अपहानि होगी क्या इस सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
9.	क्या साक्षी गण के न्यायालय में उपस्थित होने सम्बन्धी बंध पत्र, उनका मोबाइल नंबर, ई - मेल , स्थायी पता वर्त्तमान पता आयु आदि अभिलिखित कर लिए गये हैं ?		
10.	क्या अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित कर लिया गया है ?		
11.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर कोई बरामदगी की गयी है और बरामदगी के सम्बन्ध में बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों का अनुपालन करते हुये की गयी वीडियो रिकार्डिंग को केस डायरी का भाग बना लिया गया है ?		
12.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी और जब्ती की रिपोर्ट उ0प्र0 बी.एन.एस.एस. नियमावली 2022 के अनुरूप 48 घंटे के अन्दर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी गयी है ?		

13.	क्या बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी उचित रूप से तैयार कर संलग्न कर लिया गया है ?		
14.	क्या अभियुक्त की पहचान (नाम व पता तस्दीक करते हुये) स्थापित कर ली गयी है ?		
15.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
16.	विवेचना पूर्ण होने पर अन्तिम निष्कर्ष अंकित करने से पूर्व विधिक अभिमत लिया गया है ?		
17.	अगर विधिक अभिमत में अभियोजक द्वारा कुछ कमियाँ बताई गयी हैं तो उनकी पूर्ति कर पुनः विधिक अभिमत लिया गया है ?		
18.	विधिक अभिमत को केस डायरी का भाग तो नहीं बनाया गया है ?		
19.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
20.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
21.	**विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त अपनी आख्या संकलित किये समस्त साक्ष्यों के साथ उस लोकसेवक को प्रेषित की जाएगी जिसके आदेश के उल्लंघन का आरोप अभियुक्त पर है।**		
22.	**दोनो धाराओं की दशा में अपराध का संज्ञान माननीय न्यायालय द्वारा उस लोकसेवक के परिवाद पर किया जाएगा जिसके आदेश का उल्लंघन हुआ है।**		

अध्याय-14

मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरूद्ध अपराधों के विषय में

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ / नही	रिमार्क
1.	धारा 229 के मामलों में आरोपी द्वारा मिथ्या साक्ष्य जिस न्यायिक कार्यवाही के प्रक्रम में दिया गया है या गढ़ा गया है, तो उसका साक्ष्य संकलित है ?		
2.	यदि आरोपी द्वारा न्यायिक प्रक्रिया से भिन्न किसी अन्य मामले में जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दिया गया है या गढ़ा गया है, तो उसका साक्ष्य संकलित है ?		
3.	धारा 230 के मामलो में मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा मृत्यु से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के आशय से या दोषसिद्ध कराने का सम्भाव्यता जानते हुये किया गया है, इस सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
4.	जिस व्यक्ति को उपरोक्त अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य दिया गया या गढ़ा गया है उसका नाम व पता स्थापित करने वाला साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
5.	किसी निर्दोष व्यक्ति को इस प्रकार मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के परिणामस्वरूप दोष सिद्ध कर दिया गया है तथा		

	उसका निष्पादन भी कर दिया गया है, इस सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
6.	धारा 231 के मामलो में मिथ्या साक्ष्य किसी व्यक्ति को तत्समय भारत में प्रवृत्त मृत्युदण्ड से अन्यथा आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डित कराने के आशय से या सम्भाव्य जानते हुये दिया गया है या गढ़ा गया है, इस सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
7.	उस व्यक्ति के नाम व पता स्थापित करने वाले साक्ष्यों को संकलित कर लिया गया है, जिसको उपरोक्त दण्ड से दण्डित कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य दिया गया है या गढ़ा गया है ?		
8.	धारा 232 के मामलों में उस व्यक्ति या उसमें हितबद्ध व्यक्ति का नाम उल्लिखित है कि नहीं जिसको मिथ्या साक्ष्य देने के लिए या हितबद्ध व्यक्ति के उसके शरीर, ख्याति या सम्पत्ति को क्षति कारित करने की धमकी दी गयी है, इस सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
9.	यदि किसी निर्दोष को उपरोक्त मिथ्या साक्ष्य के परिणामस्वरूप मृत्यु से या सात वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डित किया गया है, तो क्या इस तथ्य के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
10.	धारा 233 के मामलों में क्या इस तथ्य का उल्लेख है कि आरोपी द्वारा उस साक्ष्य को मिथ्या होना या गढ़ा जानते हुये भी उसे असली साक्ष्य के रूप मे उपयोग में लाया गया है ?		

11.	धारा 234 के मामलों में क्या इस तथ्य का साक्ष्य संकलित कर लिया गया है कि प्रमाण पत्र जिसका दिया जाना या हस्ताक्षरित किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है, या जो किसी ऐसे तथ्य से सम्बन्धित न हो, जिसका वैसा प्रमाण-पत्र विधि द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य है ?		
12.	क्या इस तथ्य का साक्ष्य संकलित कर लिया गया है कि प्रमाण पत्र देने या हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति द्वारा यह जानते हुये या विश्वास करते हुये कि वह किसी तात्विक बात के बारे में मिथ्या है, वैसा प्रमाण पत्र जारी किया गया है या हस्ताक्षरित किया गया है।		
13.	धारा 235 के मामलों में क्या इस तथ्य का साक्ष्य संकलित कर लिया गया है कि आरोपी व्यक्ति द्वारा प्रमाण पत्र का सत्य प्रमाण पत्र के रूप में प्रयोग में लाया गया है या प्रयोग में लाने का प्रयत्न किया गया है, जिसके मिथ्या होने के बारे में वह जानता है ?		
14.	धारा 236 के मामलों में क्या इस तथ्य का साक्ष्य संकलित कर लिया गया है कि आरोपी व्यक्ति द्वारा क्या घोषणा की गयी है या उसके द्वारा कौन सा दस्तावेज हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके मिथ्या होने के बारे में वह जानता है ?		
15.	क्या इस तथ्य का साक्ष्य संकलित कर लिया गया है कि घोषणा करने या दस्तावेज हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति द्वारा यह जानते हुये या विश्वास करते हुये कि वह किसी तात्विक बात के बारे में मिथ्या है, वैसी घोषणा की गयी है या दस्तावेज हस्ताक्षरित किया गया है ?		

16.	क्या इस तथ्य का साक्ष्य संकलित कर लिया गया है कि ऐसी घोषणा करने या ऐसा दस्तावेज हस्ताक्षरित करने का आरोपी व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध या प्राधिकृत था ?		
17.	धारा 237 के मामलों में क्या इस तथ्य का साक्ष्य संकलित कर लिया गया है कि आरोपी व्यक्ति द्वारा घोषणा का किसी तात्विक बात के सम्बन्ध में मिथ्या होना जानते हुए सत्य के रूप में प्रयोग किया गया है ?		
18.	धारा 238 के मामलों में क्या इस तथ्य का साक्ष्य संकलित कर लिया गया है कि आरोपी व्यक्ति द्वारा किसी अपराध की जानकारी होते हुए जानबूझकर किसी ऐसे साक्ष्य का विलोपन किया गया है जो किसी अपराधी को वैध दण्ड से बचा सके ?		
19.	धारा 239 के मामलों में क्या इस तथ्य का साक्ष्य संकलित कर लिया गया है कि आरोपी व्यक्ति किसी अपराध की इत्तिला को देने के लिये विधिक रूप से आबद्ध था और उसके द्वारा साशय इसका लोप किया गया है ?		
20.	धारा 240 के मामलों में क्या इस तथ्य का साक्ष्य संकलित कर लिया गया है कि आरोपी व्यक्ति किसी अपराध का घटित होना जानता था और उसके द्वारा साशय उस अपराध के सम्बन्ध में मिथ्या इत्तिला दी गयी है ?		
21.	धारा 241 के मामलों में क्या इस तथ्य का साक्ष्य संकलित कर लिया गया है कि आरोपी व्यक्ति द्वारा ऐसे किस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को नष्ट कर		

	दिया गया है जो साक्ष्य के रूप में किसी लोक सेवक के समक्ष या किसी न्यायिक कार्यवाही में प्रस्तुत की जनि थी ?		
22.	धारा 246 के मामलों में क्या इस तथ्य का साक्ष्य संकलित कर लिया गया है कि ऐसा मिथ्या दावा कपटपूर्वक या बेईमानी से या किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ कारित करने के आशय से किसी न्यायालय में किया गया हो ?		
23.	धारा 247 के मामलों में क्या इस तथ्य का साक्ष्य संकलित कर लिया गया है कि उपरोक्त व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसी राशि के लिए जो शोध्य न हो या जो शोध्य राशि से अधिक है या किसी सम्पत्ति या सम्पत्ति में कोई हित, जिसका वह हकदार न हो, डिक्री व आदेश कपट पूर्वक अभिप्राप्त कर लेगा ?		
24.	धारा 248 के मामलों में क्या इस तथ्य का साक्ष्य संकलित कर लिया गया है कि उपरोक्त व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के विरूद्ध न्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार के बिना उसे क्षति कारित करने के आशय से कोई दाण्डिक कार्यवाही संस्थित की गयी हो या करवायी गयी हो या किसी अपराध का मिथ्या आरोप लगाया हो ?		
25.	धारा 249 के मामलों में क्या इस तथ्य का साक्ष्य संकलित कर लिया गया है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को संश्रय दिया जाता है या छिपाया जाता है, जिसके बारे में यह जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह अपराधी है ?		

26.	धारा 250 के मामलों में क्या इस तथ्य का साक्ष्य संकलित कर लिया गया है कि उपरोक्त व्यक्ति द्वारा कोई परितोषण अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी अपराध को छिपाने के लिये या किसी अपराध के लिये वैध दण्ड से निवारित करने के लिये उसके विरूद्ध कार्यवाही न करने के लिए प्रतिगृहीत किया गया है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है या प्रतिगृहित करने का करार किया गया है ?		
27.	धारा 251 के मामलों में क्या उस अपराध या अपराधी के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है जिसके कथित आपराधिक कृत्य को छिपाने का आरोप है ?		
28.	अपराध, जिसके छिपाये जाने का आरोप है उसकी प्रकृति (शमनीय/अशमनीय) और दण्ड की मात्रा का उल्लेख केस डायरी में कर दिया गया है ?		
29.	धारा 252 के मामलों में वह सम्पत्ति कौन सी है, जिसके वापस कराने के सम्बन्ध में इस धारा में वर्णित अपराध किया गया है, क्या इसके सम्बन्ध में सम्पूर्ण विवरण संकलित कर लिया गया है ?		
30.	धारा 253 के मामलों में क्या उस अपराधी का नाम व पता और उस पर आरोपित अपराध की प्रकृति व दण्ड की मात्रा का उल्लेख केस डायरी में कर लिया गया है ?		
31.	क्या संश्रय के सम्बन्ध में सम्यक मौखिक, अभिलेखीय व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		

32.	इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की दशा में क्या धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सुसंगत प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
33.	धारा 254 के मामलों में क्या उस अपराधी का नाम व पता और उस पर आरोपित अपराध की प्रकृति व दण्ड की मात्रा का उल्लेख केस डायरी में किया गया है ?		
34.	क्या संश्रय के सम्बन्ध में सम्यक मौखिक, अभिलेखीय व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		
35.	इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की दशा में क्या धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सुसंगत प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
36.	धारा 255 के मामलों में आरोपी लोकसेवक के नाम, पदनाम व उसकी वैधानिक स्थिति को स्पष्ट करने वाला साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
37.	क्या कथित विधिक आदेश की प्रमाणित प्रति संकलित कर संलग्न केस डायरी कर दी गयी है ?		
38.	धारा 256 के मामलों में उस व्यक्ति का नाम, पदनाम व पता, जिस व्यक्ति को दण्ड से बचाने के लिए अथवा जिस सम्पत्ति को समपहरण से बचाने के लिये किसी आरोपी द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना की गयी है, क्या इस सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
39.	क्या उस व्यक्ति अथवा सम्पत्ति, जिसके सम्बन्ध में इस धारा का अपराध अभिकथित है, का पूर्ण विवरण संकलित कर लिया गया है ?		

40.	क्या कथित अशुद्ध अभिलेख/लेख की प्रमाणित प्रति नियमानुसार प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर दी गयी है ?		
41.	क्या कथित अशुद्ध अभिलेख/लेख के शुद्ध रूप के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर लिया गया है ?		
42.	धारा 257 के मामलों में क्या उस व्यक्ति का नाम, पदनाम तथा पता, जिसके द्वारा किसी न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, स्थापित किया गया है ?		
43.	क्या आरोपी द्वारा प्रस्तुत की गयी कथित रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति संकलित कर संलग्न केस डायरी की गयी है ?		
44.	क्या कथित रिपोर्ट के शुद्ध रूप के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर लिया गया है ?		
45.	धारा 258 के मामलों में क्या उस व्यक्ति का नाम, पदनाम तथा पता, जिसके द्वारा विधि के प्रतिकूल कार्य करते हुये किसी व्यक्ति को विचारण या परिरोध के लिए सुपुर्दगी दी गयी है, स्थापित कर लिया गया है ?		
46.	क्या उस व्यक्ति का नाम व पता जिसके सम्बन्ध में ऐसा अपराध किया गया है, स्थापित कर लिया गया है ?		
47.	क्या कथित सुपुर्दगी आदेश की प्रमाणित प्रति संकलित कर संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		

48.	धारा 259 के मामलों में क्या उस लोक सेवक का नाम, पदनाम तथा पता, जो किसी को पकड़ने के आबद्ध होते हुये भी पकड़ने का जानबूझकर लोप करता है, स्थापित कर लिया गया है ?		
49.	क्या उस व्यक्ति का नाम व पता, जिसको पकड़ने के लिये लोक सेवक वैध रूप से आबद्ध है, स्थापित कर केस डायरी में अंकित कर लिया गया है ?		
50.	क्या उस विधि अथवा आदेश का उल्लेख किया गया है, जिसके अधीन लोकसेवक आबद्ध था ?		
51.	लोक सेवक द्वारा कथित अपराध जान बूझकर किये जाने के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
52.	क्या उस व्यक्ति पर आरोपित अपराध की प्रकृति व दण्ड की मात्रा, जिसके लिये उसे पकड़ा जाना था, उल्लिखित कर केस डायरी में अंकित कर लिया गया है ?		
53.	धारा 260 के मामलों में क्या उस लोक सेवक का नाम, पदनाम तथा पता, जिसके द्वारा दण्डादेश के अधीन या विधि पूर्वक सुपुर्द किये गये किसी व्यक्ति को पकड़ने का जानबूझकर लोप किया गया है, स्थापित कर लिया गया है ?		
54.	क्या उस व्यक्ति का नाम व पता, जिसको पकड़ने के लिये लोक सेवक वैध रूप से आबद्ध है, स्थापित कर लिया गया है ?		
55.	क्या उस विधि अथवा आदेश का उल्लेख केस डायरी में किया गया है, जिसके अधीन लोकसेवक आबद्ध था ?		

56.	क्या लोक सेवक द्वारा कथित अपराध जान बूझकर किये जाने के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		
57.	क्या उस व्यक्ति पर आरोपित अपराध की प्रकृति व दण्ड की मात्रा, जिसके लिये उसे पकड़ा जाना था, उल्लिखित कर केस डायरी में अंकित कर लिया गया है ?		
58.	धारा 261 के मामलों में क्या उस लोकसेवक का नाम, पदनाम तथा पता स्थापित कर लिया गया है, जो उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में सुपुर्द व्यक्ति का भागना सहन करता है ?		
59.	क्या इस तथ्य के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिये गये है कि ऐसा लोकसवेक किसी अपराध के लिये आरोपित, दोषसिद्ध या अभिरक्षा में रखे जाने के लिये विधि पूर्वक सुपुर्द किये गये किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने के लिए वैध रूप से आबद्ध है ?		
60.	क्या उपरोक्त वर्णित लोकसेवक द्वारा परिरोध में रखे व्यक्ति का निकल भागना उपेक्षा से सहन किये जाने के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
61.	धारा 262 के मामलों में क्या इस तथ्य के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिये गये है कि वह व्यक्ति किस अपराध का आरोपी है या किस अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है ?		
62.	क्या इस तथ्य के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिये गये है कि वह व्यक्ति अपने को पकड़े जाने में जानबूझकर प्रतिरोध करता है या अवैध बाधा डालता है या किसी		

	अभिरक्षा से निकल भागता है या निकल भागने का प्रयत्न करता है ?		
63.	धारा 263 के मामलों में क्या इस तथ्य के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिये गये है कि आरोपित व्यक्ति द्वारा किसी अपराध के लिये दूसरे व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में जानबूझकर प्रतिरोध किया गया है या अवैध बाधा डाला गया है या विधिपूर्वक अभिरक्षा में निरूद्ध किसी व्यक्ति को जानबूझकर छुड़वाता है या छुड़ाने का प्रयत्न करता है ?		
64.	क्या उस व्यक्ति का नाम व पता, जिसके लिए उपरोक्त वर्णित कार्य किया गया है का उल्लेख केस डायरी में कर लिया गया है ?		
65.	क्या उस लोकसवेक का नाम व पदनाम स्थापित कर लिया गया है, जो किसी आरोपी को पकड़ने के लिए लोप करता है या निकल भागना सहन करता है ?		
66.	धारा 264 के मामलों में इस तथ्य के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिये गये है कि क्या वह लोकसेवक किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध है ?		
67.	क्या उपरोक्त अपराध के लिए धारा 259, 260 या धारा 261 या तत्समय प्रवृत्त विधि में कोई उपबंध नहीं होनो के तथ्य का उल्लेख केस डायरी में कर लिया गया है ?		
68.	क्या इस तथ्य के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिये गये है कि लोक सेवक द्वारा ऐसा अपराध जानबूझकर कर दिया गया है या उपेक्षापूर्वक किया गया है ?		

69.	धारा 265 के मामलों में क्या इस तथ्य के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिये गये है कि आरोपी व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने या किसी अन्य व्यक्ति के विधिपूर्वक पकड़े जाने में जानबूझकर कोई प्रतिरोध किया जाता है या अवैध बाधा डाला जाता है या भागने का प्रयत्न किया जाता है या किसी अन्य व्यक्ति को विधिपूर्ण अभिरक्षा से छुड़ाया जाता है या छुड़ाने का प्रयत्न किया जाता है ?		
70.	क्या उपरोक्त अपराध के लिए के लिये धारा 262 या धारा 263 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कोई उपबंध न होने के तथ्य का उल्लेख केस डायरी में कर दिया गया है ?		
71.	धारा 266 के मामलों में क्या इस तथ्य के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिये गये है कि आरोपी व्यक्ति द्वारा दण्ड की सशर्त परिहार स्वीकृत कर लेने पर उस शर्त का जिस पर ऐसा परिहार दिया गया है, जानबूझकर अतिक्रमण किया गया है ?		
72.	धारा 267 के मामलों में क्या इस तथ्य के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिये गये है कि आरोपी द्वारा उस लोकसेवक का जब कि वह न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठा हुआ है, जानबूझकर कोई अपमान किया गया है या उसके कार्य में कोई विघ्न डाला गया है ?		
73.	धारा 268 के मामलों में क्या इस तथ्य के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिये गये है कि आरोपी व्यक्ति ने प्रतिरूपण द्वारा या अन्यथा असेसर के रूप में कार्य किया है ?		

74.	क्या इस तथ्य के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिये गये है कि आरोपी ने किसी मामले में प्रतिरूपण द्वारा या अन्यथा, अपने को यह जानते हुये असेसर के रूप में तालिकांकित, पैनलित गृहीतशपथ जानबूझकर कराया है या होने देना सहन किया है कि वह इस प्रकार तालिकांकित, पैनलित या गृहीत शपथ विधि के प्रतिकूल हुआ है या ऐसे असेसर के रूप में स्वेच्छया सेवा किया है ?		
75.	धारा 269 के मामलों में क्या इस तथ्य के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिये गये है कि अपराध में आरोपित व्यक्ति जमानत पत्र पर या बंध पत्र पर छोड़ा गया है ?		
76.	क्या इस तथ्य के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिये गये है कि आरोपी जमानत या बंध पत्र के निबंधनों के अनुसार न्यायालयों में पर्याप्त कारण के बिना न्यायालय में हाजिर होने में असफल रहता है ?		
77.	क्या साक्षी गण के न्यायालय में उपस्थित होने सम्बन्धी बंध पत्र, उनका मोबाइल नंबर, ई - मेल , स्थायी पता वर्त्तमान पता आयु आदि अभिलिखित कर लिए गये हैं ?		
78.	क्या अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित कर लिया गया है ?		
79.	क्या अभियुक्त अथवा साक्षी का बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. यथावश्यक अंकित करा लिया गया है ?		

80.	क्या अभियुक्त की पहचान (नाम व पता तस्दीक करते हुये) स्थापित कर ली गयी है ?		
81.	क्या अभियुक्त की आयु के सम्बन्ध में विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		
82.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
83.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
84.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
85.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
86.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		

87.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		
88.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
89.	क्या आरोप पत्र के बिन्दु संख्या 16 पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप घटना का संक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, पंचनामा रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, साक्षियों के बयान, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है ?		
90.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		

अध्याय - 15

लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विवरण	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए दर्ज की गयी है ?		
2.	यदि एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की गयी है तो क्या निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचनादाता के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये है ? और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यथा उपबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
3.	क्या जीरो एफआईआर/ ई-एफआईआर के प्रकरणों में सभी मूल अभिलेख संग्रहीत कर लिये गये है ?		
4.	क्या घटना के सम्बन्ध में सभी चश्मदीद साक्षियों , पीड़ित के परिजनों, निकट संबंधियों, स्वतंत्र साक्षियों तथा सम्यक अभिलेख से सम्बन्धित सभी आवश्यक साक्षियों के बयान धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज कर लिए गए हैं ?		
5.	यदि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी है तो क्या साक्षीगण के बयान में विलम्ब का स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया गया है ?		

6.	यदि घटना रात्रि की है अथवा घटना के समय प्रकाश अपर्याप्त रहा है तो प्रकाश के स्रोत के सम्बन्ध में समुचित स्पष्टीकरण साक्षीगण से प्राप्त कर लिया गया है ?		
7.	क्या लोक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाली सामग्री के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
8.	यदि बरामद सामग्री इस प्रकृति की है कि उसका बने रहना लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो क्या उसका विधिपूर्ण ढंग से नमूना संरक्षित करते हुये नियमानुसार व्ययन/निस्तारण करा लिया गया है ?		
9.	यदि घटना के सम्बन्ध में साक्ष्य के रूप में कोई सीसीटीवी फुटेज अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलित किया गया है तो उस साक्ष्य का समुचित रूप से रख रखाव को सुनिश्चित करते हुये धारा 63(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
10.	क्या घटनास्थल का निरीक्षण करते हुये उचित रूप से नक्सा नजरी तैयार कर ली गयी है ?		
11.	क्या घटनास्थल से बरामद होने वाले सभी भौतिक साक्ष्यों को कब्जे में लेकर फर्द बरामदगी विधिवत रूप से तैयार कर ली गयी है ?		
12.	क्या घटनास्थल से लिये गये भौतिक साक्ष्यों को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है ?		
13.	घटना स्थल या अन्य स्थानों से बरामद मालमुकदमाती सामानों की फर्द बनाई गई है।		
14.	लापरवाही से वाहन को चलाने व दुर्घटनाग्रस्त होने के प्रकरणों में वाहन का तकनीकी परीक्षण, ओवर स्पीड		

	लिमिट का प्रमाण पत्र, फिटनेस, बीमा आदि से सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न हैं।		
15.	उपेक्षापूर्ण वाहन चलाने के प्रकरणों में क्या चालक का ड्राइविंग लाइसेंस और उसने कितनी बार परिचालन नियम का उल्लंघन किया है, इसका प्रमाण पत्र संलग्न है ? क्या वाहन के अभिलेखों का सत्यापन कर लिया गया है ?		
16.	ऐसे अपराधों के फलस्वरूप मजरुब को आयी चोटों, या मृत्यु होने की दशा में क्या चिकित्सीय परीक्षण व पोस्ट मार्टम आदि की रिपोर्ट संलग्न है ?		
17.	क्या घटना से सम्बन्धित सभी साक्षीगण का बयान विधि की अपेक्षानुरूप अंकित कर लिया गया है ?		
18.	क्या साक्षी गण के न्यायालय में उपस्थित होने सम्बन्धी बंध पत्र, उनका मोबाइल नंबर, ई - मेल , स्थायी पता वर्त्तमान पता आयु आदि अभिलिखित कर लिए गये हैं ?		
19.	क्या अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित कर लिया गया है ?		
20.	क्या अभियुक्त अथवा साक्षी का बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. यथावश्यक अंकित करा लिया गया है ?		
21.	क्या अभियुक्त की पहचान (नाम व पता तस्दीक करते हुये) स्थापित कर ली गयी है ?		
22.	क्या अभियुक्त की आयु के सम्बन्ध में विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		

23.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर कोई बरामदगी की गयी है और बरामदगी के सम्बन्ध में बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों का अनुपालन करते हुये की गयी वीडियो रिकार्डिंग को केस डायरी का भाग बना लिया गया है ?		
24.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी और जब्ती की रिपोर्ट उ0प्र0 बी.एन.एस.एस. नियमावली 2022 के अनुरूप 48 घंटे के अन्दर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी गयी है ?		
25.	क्या बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी उचित रूप से तैयार कर संलग्न कर लिया गया है ?		
26.	क्या बरामदगी के उपरान्त अभियोग में उचित धाराओं का अंकन कर लिया गया है ?		
27.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
28.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
29.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
30.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों		

	में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
31.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		
32.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		
33.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
34.	क्या आरोप पत्र के बिन्दु संख्या 16 पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप घटना का संक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, पंचनामा रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, साक्षियों के बयान, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है ?		
35.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		

अध्याय - 16

धर्म से सम्बन्धित अपराध

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए दर्ज की गयी है ?		
2.	यदि एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की गयी है तो क्या निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचनादाता के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये है ? और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यथा उपबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
3.	क्या जीरो एफआईआर/ ई-एफआईआर के प्रकरणों में सभी मूल अभिलेख संग्रहीत कर लिये गये है ?		
4.	क्या घटना स्थल की प्रकृति व स्वरूप धार्मिक उपासना स्थल होने के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
5.	क्या उपासना स्थल को क्षतिग्रस्त करने के पीछे के आशय के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
6.	क्या विवेचना में अपराध से सम्बन्धित समस्त सुसंगत धाराओं के आवश्यक अवययों को अभिलिखित कर लिया गया है ?		
7.	**बीएनएस की धारा** 299 के तहत यदि अपराधी द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के आशय से यदि		

	आपत्तिजनक संदेश, चित्र इत्यादि व्हाट्सऐप मैसेज अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रसारित किया गया है तो क्या उस मैसेज का स्क्रीन शॉट लेते हुये मोबाइल फोन अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को फोरेंसिक एनालिसिस के लिए नियमानुसार कब्जे में लिया गया है ?		
8.	यदि आरोपी अपराधी द्वारा फेसबुक/ इंस्टाग्राम/ यूट्यूब पर कोई पोस्ट की गई है तो क्या उसका स्क्रीन शॉट व यूआरएल को कापी किया गया है ?		
9.	यदि आरोपी अपराधी द्वारा अपराध कारित करने में मोबाइल कॉल व व्हाट्सऐप कॉल का प्रयोग किया गया है तो क्या सम्बन्धित मोबाइल नंबर का सीडीआर/आईपीडीआर प्राप्त किया गया है ?		
10.	यदि सीडीआर/आईपीडीआर को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है तो क्या सम्बन्धित टेलीकॉम अधिकारी से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
11.	**बीएनएस की धारा** 298 के तहत जिस व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई गई है अथवा धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त/ अपवित्र किया गया है तो क्या उसके धार्मिक विश्वास के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
12.	**बीएनएस की धारा** 300 के सम्बन्ध में क्या धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों में लगे हुए जमाव में विघ्न कारित करने की रीति के सम्बन्ध में साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		
13.	**बीएनएस की धारा** 301 के सम्बन्ध में क्या कब्रिस्तान, उपासना के स्थान, या अन्त्येष्टि क्रियाओं या मृतकों के अवशेषों के लिए निक्षेप स्थान को स्पष्ट करने वाला साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		

14.	**बीएनएस की धारा** 302 के सम्बन्ध में क्या किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को उसकी श्रवणगोचरता में ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से कोई शब्द उच्चारित करने या ध्वनि कारित करने या कोई अंगविक्षेप करने या कोई वस्तु रखने के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य संकलित किया गया है ?		
15.	यदि अभियुक्त अथवा उसके परिवारजनों व सहयोगियों द्वारा उक्त अपराध के उद्देश्य से किसी विदेशी अथवा अविधिक संस्थाओं से धन प्राप्त किया गया है तो क्या उनके बैंक खातों का इस आशय से फाइनेशियल ऑडिट करा लिया गया है ?		
16.	यदि घटना में संलिप्त अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास है तो क्या उनके सामान्य चरित्र के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित ककरते हुये उनके पूर्ववृत्त का उल्लेख विवेचना में किया गया है ?		
17.	क्या अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित कर लिया गया है ?		
18.	क्या अभियुक्त अथवा साक्षी का बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. यथावश्यक अंकित करा लिया गया है ?		
19.	क्या अभियुक्त की पहचान (नाम व पता तस्दीक करते हुये) स्थापित कर ली गयी है ?		
20.	क्या अभियुक्त की आयु के सम्बन्ध में विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		
21.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर कोई बरामदगी की गयी है और बरामदगी के सम्बन्ध में बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों का अनुपालन करते हुये की गयी वीडियो रिकार्डिंग को केस डायरी का भाग बना लिया गया है ?		

22.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी और जब्ती की रिपोर्ट उ0प्र0 बी.एन.एस.एस. नियमावली 2022 के अनुरूप 48 घंटे के अन्दर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी गयी है ?		
23.	क्या बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी उचित रूप से तैयार कर संलग्न कर लिया गया है ?		
24.	क्या बरामदगी के उपरान्त अभियोग में उचित धाराओं का अंकन कर लिया गया है ?		
25.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
26.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
27.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
28.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
29.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		

30.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		
31.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
32.	क्या आरोप पत्र के बिन्दु संख्या 16 पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप घटना का संक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, पंचनामा रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, साक्षियों के बयान, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है ?		
33.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		

अध्याय - 17
सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है।
इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

धारा 303 से धारा 307 बी0एन0एस0 (चोरी के विषय में)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	क्या सूचना प्राप्त होने का माध्यम यथा मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या स्थानान्तरण पर प्राप्त होने का अंकन किया गया है ?		
2.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट और मुकदमा कायमी जी0डी0 की प्रति को प्रमाणित कर संलग्न केस डायरी कर लिया गया है ?		
3.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट उचित धाराओं में अंकित की गयी है ?		
4.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराये जाने का स्पष्टीकरण किसी साक्षी के बयान में अभिलिखित कर लिया गया है ?		
5.	क्या घटनास्थल पर सबसे पहले पहुँचने वाले व्यक्ति का विस्तृत बयान (प्रश्नोत्तर के रूप में) अंकित कर लिया गया है ?		
6.	क्या घटनास्थल पर पहुँचने वाली फोरेंसिक टीम द्वारा संकलित साक्ष्य तथा फोटोग्राफ और वीडियो आदि प्राप्त कर लिए गये हैं ?		
7.	क्या घटना के सम्बन्ध में फोरेंसिक टीम की आख्या प्राप्त कर ली गयी है तथा उनके बयान अंकित कर लिए गये हैं ?		

8.	क्या कथित चल सम्पत्ति पर पीड़ित का कब्ज़ा स्थापित होने का साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		
9.	क्या कथित चल सम्पत्ति की पहचान व उसका पूर्ण विवरण पीड़ित से प्राप्त कर लिया गया है ?		
10.	क्या कथित चल सम्पत्ति के वास्तविक स्वामी का बयान अंकित करते हुए उससे सम्पत्ति का अधिकार पत्र (खरीद की रसीद आदि) संकलित कर लिया गया है ?		
11.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने वाले व्यक्ति के बयान के बाद घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्सा नज़री समुचित रूप से तैयार कर लिया गया है ?		
12.	क्या नक्शा नज़री जिस व्यक्ति की निशानदेही पर तैयार की गयी है उसका घटनास्थल से सम्बन्ध स्थापित किया गया है ?		
13.	क्या नक्शा नज़री में उन स्थानों का जहाँ अंगुलि चिन्ह पाए जा सकते हैं , दरवाजे और खिडकियों आदि का स्पष्ट अंकन किया गया है ?		
14.	क्या नक्शा नज़री में घटना के चक्षुदर्शी साक्षी गण का स्थान , सी सी टी वी कैमरा लगे होने का स्थान और अभियुक्त/ अभियुक्तों के घटनास्थल पर आने - जाने व बने रहने के मार्ग/स्थान का उचित रूप से अंकन किया गया है ?		
15.	क्या घटनास्थल से प्राप्त भौतिक साक्ष्यों को उचित रूप से विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित कर दिया गया है ?		
16.	क्या घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्यों का किसी संदिग्ध व्यक्ति से मिलान करने के लिए उस संदिग्ध व्यक्ति से नियमानुसार नमूना प्राप्त कर लिया गया है ?		
17.	क्या परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने वाले नमूनों के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रश्न अंकित किये गये हैं ?		

18.	क्या घटना से सम्बन्धित व्यक्तियों के मोबाइल फ़ोन का सी डी आर नियमानुसार धारा 63(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रमाणपत्र के साथ प्राप्त कर लिया गया है ?		
19.	क्या घटना से सम्बन्धित अन्य इलेक्ट्रोनिक साक्ष्यों को नियमानुसार धारा 63(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रमाणपत्र के साथ संकलित कर लिया गया है ?		
20.	क्या घटना से सम्बन्धित सभी साक्षी गण का बयान विधि की अपेक्षानुरूप अंकित कर लिया गया है ?		
21.	क्या साक्षी गण के न्यायालय में उपस्थित होने सम्बन्धी बंध पत्र, उनका मोबाइल नंबर, ई - मेल , स्थायी व अस्थायी पता, आयु, पदनाम तथा पुलिस साक्षीगण के पीएनओ नं0 आदि अंकित कर लिए गये हैं ?		
22.	क्या अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित कर लिया गया है ?		
23.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर कोई बरामदगी की गयी है और बरामदगी के सम्बन्ध में बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों का अनुपालन करते हुये की गयी वीडियोग्राफी को संलग्न केस डायरी कर लिया गया है ? एवं क्या बरामदगी के सम्बन्ध में तैयार की गयी फर्द पर सभी साक्षियों एवं अभियुक्त के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये है ?		
24.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी और जब्ती की रिपोर्ट उ0प्र0 बी.एन.एस.एस. नियमावली 2022 के अनुरूप 48 घंटे के अन्दर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी गयी है ?		
25.	क्या बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी उचित रूप से तैयार कर संलग्न कर लिया गया है ?		
26.	क्या बरामदगी के उपरान्त अभियोग में उचित धाराओं का अंकन कर लिया गया है ?		

27.	क्या अभियुक्त अथवा साक्षी का बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. यथावश्यक अंकित करा लिया गया है ?		
28.	क्या अभियुक्त की पहचान (नाम व पता तस्दीक करते हुये) स्थापित कर ली गयी है ?		
29.	क्या अभियुक्त की आयु के सम्बन्ध में विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		
30.	चोरी यदि लिपिक या सेवक द्वारा की गयी है तो क्या उसके नियोजन में होने का पुष्टिकारक मौखिक/अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		
31.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत आदेश तथा बन्धपत्र की प्रति संलग्न की गयी है ?		
32.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
33.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
34.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
35.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		
36.	विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नहीं बनाया गया है ?		

37.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
38.	क्या आरोप पत्र के बिन्दु संख्या 16 पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप घटना का संक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, पंचनामा रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, साक्षियों के बयान, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है ?		
39.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम तथा पी एन ओ अंकित कर दिया है ?		

धारा 308 बी एन एस (उद्दापन के विषय में)

क्र.सं.	विषय	हाँ / नही	रिमार्क
1.	क्या सूचना प्राप्त होने का माध्यम यथा मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या स्थानान्तरण पर प्राप्त होने का अंकन किया गया है ?		
2.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट और मुक़दमा कायमी जी डी की नक़ल प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर ली गयी है ?		
3.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट उचित धाराओं में अंकित की गयी है ?		
4.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराये जाने का स्पष्टीकरण किसी साक्षी के बयान में अभिलिखित कर लिया गया है ?		
5.	क्या उस व्यक्ति की पहचान स्थापित कर ली गयी है जिसको क्षति करित करने के भय में डाला गया है ?		
6.	उद्दापन करने के लिए प्रयोग किये गये माध्यम यथा फ़ोन कॉल/पत्र की पहचान करके उसके सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
7.	यदि उद्दापन टेलीफोन द्वारा किया गया है तो क्या उस नम्बर का कैफ (उपभोक्ता का आवेदन पत्र) और सी0डी0आर0 धारा 63(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाणपत्र के साथ प्राप्त कर लिया गया है ?		

8.	क्या उददापन के फलस्वरूप परिदत्त की जाने वाली सम्पत्ति के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
9.	क्या उद्दापन के फलस्वरूप परिदत्त सम्पत्ति की बरामदगी कर ली गयी है ?		
10.	क्या घटना से सम्बन्धित अन्य इलेक्ट्रोनिक साक्ष्यों को नियमानुसार धारा 63(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रमाणपत्र के साथ संकलित कर लिया गया है ?		
11.	क्या घटना से सम्बन्धित सभी साक्षी गण का बयान विधि की अपेक्षानुरूप अंकित कर लिया गया है ?		
12.	क्या साक्षी गण के न्यायालय में उपस्थित होने सम्बन्धी बंध पत्र, उनका मोबाइल नंबर, ई - मेल , स्थायी पता वर्त्तमान पता आयु आदि अभिलिखित कर लिए गये हैं ?		
13.	क्या अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित कर लिया गया है ?		
14.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर कोई बरामदगी की गयी है और बरामदगी के सम्बन्ध में बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है ?		
15.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी और जब्ती की रिपोर्ट उ0प्र0 बी.एन.एस.एस. नियमावली 2022 के अनुरूप 48 घंटे के अन्दर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी गयी है ?		
16.	क्या बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी उचित रूप से तैयार कर संलग्न कर लिया गया है ?		

17.	क्या बरामदगी के उपरान्त अभियोग में उचित धाराओं का अंकन कर लिया गया है ?		
18.	क्या अभियुक्त अथवा साक्षी का बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. यथावश्यक अंकित करा लिया गया है ?		
19.	क्या अभियुक्त की पहचान (नाम व पता तस्दीक करते हुये) स्थापित कर ली गयी है ?		
20.	क्या अभियुक्त की आयु के सम्बन्ध में विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		
21.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
22.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत आदेश तथा बन्धपत्र की प्रति संलग्न की गयी है ?		
23.	सुसंगत मामलों में सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
24.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		

25.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
26.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		
27.	विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नहीं बनाया गया है ?		
28.	क्या आरोप पत्र के बिन्दु संख्या 16 पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप घटना का संक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, पंचनामा रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, साक्षियों के बयान के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है ?		
29.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		

धारा 309 बी एन एस (लूट के विषय में)

यदि अपराध लूट का है तो चोरी या उद्दापन के अपराध की चेकलिस्ट में अंकित बिन्दुओं के साथ ही निम्नलिखित बिन्दु भी चेकलिस्ट में समाहित करने होंगे -

1-	क्या चोरी या उद्दापन का अपराध करने में तत्काल मृत्यु,उपहति या सदोष अवरोध के भय में डालने का साक्ष्य संकलित किया गया है ?		
2-	क्या तत्काल मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध के भय में डालने हेतु प्रयोग में लाये गये साधन के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित किया गया है ?		
3-	क्या उक्त साधन की बरामदगी कर ली गयी है ?		
4-	हत्या सहित डकैती के मामलों में क्या डकैती के सम्बन्धित उपरोक्त चेकलिस्ट में समाहित बिन्दुओं के साथ हत्या के अपराध से सम्बन्धित अध्याय 06 भारतीय न्याय संहिता की चेकलिस्ट में अंकित बिन्दु का अनुपालन कर लिया गया है ?		

धारा 310 बी एन एस (डकैती के विषय में)

यदि अपराध डकैती का है तो लूट के अपराध की चेकलिस्ट में अंकित बिन्दुओं के साथ ही निम्नलिखित बिन्दु भी चेकलिस्ट में समाहित करने होंगे -

1-	क्या लूट या लूट का प्रयत्न करने का अपराध पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों द्वारा करने अथवा पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति में या सहयोग से करने का साक्ष्य संकलित किया गया है ?		

धारा 318 बी एन एस (छल के विषय में)

यदि अपराध छल से सम्बन्धित है तो चेकलिस्ट में निम्नलिखित बिन्दुओं को भी समाहित करना होगा -

1-	क्या पीड़ित द्वारा प्रवंचित होने के फलस्वरूप किये गये कार्य का साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		
2-	क्या इस बात का साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है कि आरोपी द्वारा की गयी प्रवंचना से पीड़ित किसी सम्पत्ति को किसी अन्य को परिदत्त करने को उत्प्रेरित हुआ है ? अथवा वह कोई ऐसा कार्य या लोप करने को उत्प्रेरित हुआ है जो वह अन्यथा न करता यदि वह प्रवंचित न होता।		
3-	क्या इस बात का साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है कि आरोपी द्वारा की गयी प्रवंचना के फलस्वरूप पीड़ित व्यक्ति को कोई शारीरिक, मानसिक, ख्याति सम्बन्धी अथवा साम्पत्तिक हानि हुई है या संभाव्य है ?		
4-	यदि प्रवंचना पीड़ित का हित संरक्षित रखने को आबद्ध व्यक्ति द्वारा की गयी है तो क्या इस बात का साक्ष्य मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है किआरोपी पीड़ित का हित संरक्षित रखने को आबद्ध था ?		
5-	यदि प्रवंचना के फलस्वरूप कोई सम्पत्ति किसी को परिदत्त कर दी गयी है अथवा किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना की गयी है तो क्या उस सम्पत्ति अथवा पूर्णतः या अंशतः रचित मूल्यवान प्रतिभूति का साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		

6-	यदि प्रतिरूपण द्वारा छल का आरोप है तो क्या इस बात का साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है कि आरोपी द्वारा किसके रूप में स्वयं को प्रतिरूपित किया गया है ?		

धारा 324 बी एन एस (रिष्टि के विषय में)

यदि अपराध रिष्टि से सम्बन्धित है तो चेकलिस्ट में निम्नलिखित बिन्दुओं को भी समाहित करना होगा -

1-	क्या इस बात का साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है कि आरोपी द्वारा किस सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई गयी है?		
2-	क्या आरोपी द्वारा सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने में प्रयोग किये गये साधन के विषय में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
3-	क्या रिष्टि किये जाने की रीति के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
4-	क्या ऐसे किसी साधन की बरामदगी भी की गयी है?		
5-	क्या बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी उचित रूप से तैयार कर संलग्न कर लिया गया है ?		

धारा 329 बी एन एस (आपराधिक अतिचार आदि के विषय में)

यदि अपराध आपराधिक अतिचार या गृह अतिचार आदि से सम्बन्धित है तो चेकलिस्ट में निम्नलिखित बिन्दुओं को भी समाहित करना होगा -

1-	क्या इस बात का साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है कि जिस सम्पत्ति के सम्बन्ध में आपराधिक अतिचार किया जाना अभिकथित है वह पीड़ित के या किसी अन्य के कब्जे में थी ?		
2-	क्या इस बात का साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है कि किस उद्देश्य से व किस रीति से आपराधिक अतिचार किया गया है ?		
3-	गृह अतिचार की दशा में क्या इस बात का साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है कि जिस सम्पत्ति पर आपराधिक अतिचार किया जाना अभिकथित है वह मानव निवास या किसी सम्पत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में प्रयोग की जा रही थी ?		
4-	क्या इस बात का साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है कि गृह अतिचार/गृह भेदन अधिनियम में वर्णित किस अवैध रीति से किया गया है ?		
5-	क्या इस बात का साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है कि गृह अतिचार किस आपराधिक कृत्य को करने के उद्देश्य से किया गया था ?		

अध्याय - 18

विवेचक द्वारा आर्थिक अपराधों की विवेचना

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	कार्यवाही	हाँ /नहीं	रिमार्क
1.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए दर्ज की गयी है ?		
2.	यदि एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की गयी है तो क्या निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचनादाता के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये है ? और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यथा उपबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
3.	क्या जीरो एफआईआर/ ई-एफआईआर के प्रकरणों में सभी मूल अभिलेख संग्रहीत कर लिये गये है ?		
4.	क्या अपराध के सम्बन्ध में सभी साक्षियों , पीड़ित के परिजनों, निकट संबंधियों, स्वतंत्र साक्षियों तथा सम्यक अभिलेख से सम्बन्धित सभी आवश्यक साक्षियों के बयान धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज कर लिए गए हैं ?		

5.	यदि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी है तो क्या साक्षीगण के बयान में विलम्ब का स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया गया है ?		
6.	क्या सम्पत्ति/ धन/ संविदा आदि से सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त कर लिये गये हैं ?		
7.	क्या रकम की लेन-देन की सम्बन्धी विवाद होने पर बैंक से सम्बन्धित दस्तावेज जिससे रकम का लेन-देन प्रमाणित हो, लिये गये हैं ?		
8.	क्या नकद लेन-देन के प्रकरणों में अभिलेखीय साक्ष्य जैसे प्राप्ति रसीद, विवरण, बैंक स्टेटमेंट आदि प्राप्त कर लिये गये हैं ?		
9.	धारा 336 (1) , 335 भारतीय न्याय संहिता 2023 के मामलों में क्या कोई मिथ्या दस्तावेज तैयार हुआ है तो उसकी मूल प्रति प्राप्त कर ली गयी है ?		
10.	मूल अभिलेख प्राप्त होने की दशा में क्या मूल / विवादित दस्तावेज को एफ०एस०एल० मिलान हेतु प्रेषित किया गया है ?		
11.	मूल अभिलेख प्राप्त होने पर मिलान हेतु उसी अवधि के हस्ताक्षर / हस्तलेख प्राप्त कर प्रेषित किया गया है ? मूल न प्राप्त होने की दशा में प्रतिलिपि पर अंकित हस्तलेख को उसे पहचानने वाले गवाहों से पहचान करा लिया गया है ?		
12.	धारा 338 भारतीय न्याय संहिता 2023 प्रमाणित करने हेतु क्या मूल्यवान प्रतिभूति वसीयत या अन्य दस्तावेज		

	जो दत्तकग्रहण के प्राधिकार, मूलधन, ब्याज या लाभांश से सम्बन्धित रसीद इत्यादि से सम्बन्धित हो, प्राप्त कर लिया गया है ?		
13.	धारा 316 (2), 316 (5) भारतीय न्याय संहिता 2023 हेतु क्या सम्पत्ति पर आधिपत्य अथवा सम्पत्ति के सौंपे/ नियस्त किये जाने का साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		
14.	धारा 316 (5) भारतीय न्याय संहिता 2023 से सम्बन्धित अपराधों में क्या अभियुक्त के उक्त धारा में वर्णित 07 श्रेणियों में से किसी श्रेणी में आने का मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
15.	अभिलेखीय साक्ष्य संकलित करने में क्या धारा 94 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की नोटिस निर्गत कर सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त कर लिये गये हैं ?		
16.	क्या प्राप्त दस्तावेज / अभिलेख की फर्द तैयार कर दस्तावेज / अभिलेख प्रदान करने वाले व जिनके समक्ष फर्द तैयार की गयी, उनके हस्ताक्षर मूल फर्द पर करा लिये गये है ?		
17.	कंपनी द्वारा अपराध किये जाने की दशा में क्या कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कंपनी की बैलेंस शीट, लेजर एकाउंट, एम०ओ०ए०, ए०ओ०ए० आदि तथा कंपनी बनाये जाने / पंजीकृत कराये जाने का प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट), प्राप्त कर लिया गया है ? और इस सम्बन्ध में बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है ?		
18.	कंपनी द्वारा अपराध किये जाने की दशा में कंपनी के निदेशकों की जिम्मेदारी तय करने के लिए क्या कंपनी		

	के समस्त निदेशकों के नाम, पता, कार्यावधि तथा जिस अवधि में अपराध हुआ हो उक्त अवधि में उक्त निदेशक के अपराध में शामिल रहने की रीति के सम्बन्ध में मौखित व अभिलेखीय साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
19.	मूल साक्ष्य उपलब्ध न होने की दशा में क्या द्वितीयक साक्ष्य को संकलित कर लिया गया है और उक्त सम्बन्ध में क्या धारा 67 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन कर लिया गया है ?		
20.	दस्तावेज / अभिलेख प्राप्त करते समय क्या प्रदाता का अभिकथन अंकित कर लिया गया है ?		
21.	सरकारी विभाग से सम्बन्धित अपराध के प्रकरण में अभिलेखों को संरक्षित करने एवं मांगे जाने पर प्रदान करने हेतु क्या नोडल अधिकारी नियुक्त कराया गया है ?		
22.	धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि का उपयोग यदि बेनामी सम्पत्ति खरीदने में किया गया है तो क्या ऐसे बेनामी संव्यवहारों के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित करते हुये बेनामी सम्पत्ति को जब्त कराने की कार्यवाही की गयी है ?		
23.	अभियुक्त के लोक सेवक होने की दशा में, अपराध उसके द्वारा लोक सेवक के रूप में अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किये जाने के सम्बन्ध में मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		

24.	सुसंगत मामलों में लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने हेतु क्या राज्य सरकार अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष समस्त तथ्यों को अंकित करते हुये अभियोजन स्वीकृति का आवेदन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है ?		
25.	भारी धनराशि की धोखाधड़ी से सम्बन्धित मामलों में क्या प्रश्नगत धनराशि आरोपियों के बैंक खाते में जमा होने का मनीट्रेल प्राप्त कर लिया गया है ?		
26.	फर्जी बैनामा / वसीयत के प्रकरणों में क्या सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में निबंधन कार्यालय व राजस्व कार्यालय से समस्त अभिलेख प्रमाणित रूप में प्राप्त कर लिये गये है ?		
27.	सरकारी स्कीम / छात्रवृत्ति घोटाले के प्रकरणों में क्या तत्समय प्रवृत्त विभागीय / राज्य सरकार के सर्कुलर/ शासनादेश प्राप्त कर लिये गये है ?		
28.	निर्माण कार्य में घोटाले के प्रकरणों में क्या स्वीकृत निर्माण कार्य का पूर्ण विवरण, मौके पर वास्तविक रूप से किया गया कुल निर्माण कार्य, कार्य के प्रतिफल में सम्बन्धित विभाग से प्राप्त की गयी कुल राशि के विवरण सम्बन्धी अभिलेख प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर लिये गये है ?		
29.	पौंजी स्कीम आदि सम्बन्धी फ्राड के मामलों में क्या आर०बी०आई०/ कम्पनी रजिस्ट्रार / सेबी से संस्था के पंजीकरण सम्बन्धी व पौंजी स्कीम के ब्रोशर, विवरण		

	सम्बन्धी अभिलेखीय साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
30.	क्या अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित कर लिया गया है ?		
31.	क्या अभियुक्त अथवा साक्षी का बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. यथावश्यक अंकित करा लिया गया है ?		
32.	क्या अभियुक्त की पहचान (नाम व पता तस्दीक करते हुये) स्थापित कर ली गयी है ?		
33.	क्या अभियुक्त की आयु के सम्बन्ध में विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		
34.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर कोई बरामदगी की गयी है और बरामदगी के सम्बन्ध में बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों का अनुपालन करते हुये की गयी वीडियो रिकार्डिंग को केस डायरी का भाग बना लिया गया है ?		
35.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी और जब्ती की रिपोर्ट उ0प्र0 बी.एन.एस.एस. नियमावली 2022 के अनुरूप 48 घंटे के अन्दर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी गयी है ?		
36.	क्या बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी उचित रूप से तैयार कर संलग्न कर लिया गया है ?		

37.	क्या बरामदगी के उपरान्त अभियोग में उचित धाराओं का अंकन कर लिया गया है ?		
38.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
39.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
40.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
41.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
42.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		

43.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		
44.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
45.	क्या आरोप पत्र के बिन्दु संख्या 16 पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप घटना का संक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, पंचनामा रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, साक्षियों के बयान, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है ?		
46.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		

अध्याय-19

धारा 351, 352, 353, 354, 355 के अन्वेषण हेतु

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए दर्ज की गयी है ?		
2.	यदि एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की गयी है तो क्या निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचनादाता के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये है ? और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यथा उपबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
3.	क्या जीरो एफआईआर/ ई-एफआईआर के प्रकरणों में सभी मूल अभिलेख संग्रहीत कर लिये गये है ?		
4.	यदि घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हुई है, तो सम्बन्धित रिकॉर्डिंग अथवा यदि अपराध में फोन अथवा कैमरा इत्यादि प्रयुक्त हुये है तो क्या उन्हें नियमानुसार धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के साथ प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर लिया गया है ?		
5.	क्या घटना के सम्बन्ध में वादी व अन्य साक्षीगण के विस्तृत बयान, घटना स्थल, घटना तिथि समय, अभियुक्तों का विवरण, अभियुक्तों की भूमिका को शामिल करते हुये अंकित कर लिया गया है ?		

6.	क्या निरीक्षण घटनास्थल नियमानुसार कर नक्शा नजरी तैयार करते हुये संलग्न केस डायरी की जा चुकी है ?		
7.	यदि घटना में इलैक्ट्रानिक साधनो का प्रयोग हुआ है तो इस सम्बन्ध में नियमानुसार तकनीकी साक्ष्य संकलित कर विवेचना में शामिल करें जैसेः- मोबाइल वाइस सैम्पलिंग, सीडीआर, सोशल मीडिया चैट आदि का सत्यापन कराया जाये।		
8.	यदि अपराध सोशल मीडिया प्लेटफार्म (जैसे फेसबुक, वाट्सएप, टेलीग्राम आदि) के माध्यम से अपराध कारित कियागया है तो संदिग्धों का यूआरएल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सम्बन्धित टीएसपी, उपभोक्ता आवेदन पत्र, आईपी एड्रेस विहित प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त व संकलित कर लिया गया है तथा उसे विहित प्रक्रिया के द्वारा सम्बन्धित टेलीकॉम कम्पनी से सत्यापित करा लिया गया है ?		
9.	अपराध में जिस कम्प्यूटर साधन / इलेक्ट्रॉनिक युक्ति का प्रयोग किया गया है क्या उसको विहित प्रक्रिया अपनाते हुये अभिग्रहीत कर लिया गया है ?		
10.	क्या इस प्रकार अभिग्रहीत कम्प्यूटर साधन / इलेक्ट्रॉनिक युक्ति को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जा चुका है ?		
11.	क्या अभियुक्त की पहचान स्थापित कर नियमानुसार उसका बयान अंकित कर लिया गया है ?		
12.	क्या अभियुक्त की आयु के सम्बन्ध में विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		

13.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर कोई बरामदगी की गयी है और बरामदगी के सम्बन्ध में बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों का अनुपालन करते हुये की गयी वीडियो रिकार्डिंग को केस डायरी का भाग बना लिया गया है ?		
14.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी और जब्ती की रिपोर्ट उ0प्र0 बी.एन.एस.एस. नियमावली 2022 के अनुरूप 48 घंटे के अन्दर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी गयी है ?		
15.	क्या बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी उचित रूप से तैयार कर संलग्न कर लिया गया है ?		
16.	क्या बरामदगी के उपरान्त अभियोग में उचित धाराओं का अंकन कर लिया गया है ?		
17.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
18.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
19.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
20.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप		

	पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
21.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		
22.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		
23.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
24.	क्या आरोप पत्र के बिन्दु संख्या 16 पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप घटना का संक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, साक्षियों के बयान, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है ?		
25.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		

आयुध अधिनियम, 1959

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है।
इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नही	रिमार्क
1.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए दर्ज की गयी है ?		
2.	यदि एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की गयी है तो क्या निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचनादाता के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये है ? और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यथा उपबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
3.	क्या जीरो एफआईआर/ ई-एफआईआर के प्रकरणों में सभी मूल अभिलेख संग्रहीत कर लिये गये है ?		
4.	क्या घटना के सम्बन्ध में सभी चश्मदीद साक्षियों , पीड़ित के परिजनों, निकट संबंधियों, स्वतंत्र साक्षियों तथा सम्यक अभिलेख से सम्बन्धित सभी आवश्यक साक्षियों के बयान धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज कर लिए गए हैं ?		
5.	यदि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी है तो क्या साक्षीगण के बयान में विलम्ब का स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया गया है ?		

6.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट/ फर्द बरामदगी की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर ली गयी है ?		
7.	क्या बरामदगी की वीडियोग्राफी से सम्बन्धित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मूल रूप में अथवा प्रमाणित प्रति के रूप में प्राप्त कर लिया गया है ? प्रमाणित प्रति की दशा में क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 63(4) के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
8.	क्या मूल गिरफ्तारी मेमो / उसकी प्रमाणित प्रति को प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		
9.	क्या थाने से रवानगी की जी0डी0 की प्रमाणित प्रति संलग्न केस डायरी की गयी है ?		
10.	क्या बरामद आग्नेयास्त्र के चालू हालत मे होने एंव बरामद कारतूसों का जिन्दा हालत मे होने के सम्बन्ध मे आरमोरर की रिपोर्ट प्राप्त कर ली गयी है ?		
11.	यदि बरामद आग्नेयास्त्र/शस्त्र का प्रयोग अपराध मे किया गया है, तो क्या विधि विज्ञान प्रयोगशाला/ बैलिस्टिक विशेषज्ञ से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर ली गयी है ?		
12.	अपराध में प्रयुक्त आग्नायुध लाइसेंसी होने की दशा में क्या लाइसेंस संकलित कर लिया गया है ?		
13.	यदि अपराध में प्रयोग किया गया आग्नायुध लाइसेंसी है तो क्या लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट		

	को प्रेषित कर दी गयी है और इस सम्बन्ध में केस डायरी अंकन कर दिया गया है ?		
14.	क्या अभियोग के वादी, समस्त साक्षियों व अभियुक्त तथा बरामद आग्नायुध के चालू होने के सम्बन्ध में आरमोरर का बयान अंकित कर लिया गया है ?		
15.	बरामद हुये आग्नायुध को सील करने में जिस मोहर का प्रयोग हुया है क्या उसका नमूना मोहर प्राप्त कर संलग्न किया गया है ?		
16.	सुसंगत मामलों में क्या अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग संस्थित करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है ?		
17.	यदि अभियुक्त की उम्र 21 वर्ष से कम है तो क्या आयु के सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्य संकलित कर उचित धारा अधिरोपित कर दी गयी है ?		
18.	अभियुक्त के सरकारी कर्मचारी होने की दशा में क्या गिरफ्तारी के पश्चात् सम्बन्धित विभाग को सूचित किया गया है ?		
19.	बरामद हुया अग्नेयास्त्र गोला बारूद प्रतिबंधित श्रेणी में आता है अथवा नहीं, क्या इस सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		

20.	अपराध में आयुध अधि0 की धारा-25 के किस विशिष्ट प्रावधान का उल्लंघन किया गया है क्या उसका अंकन कर दिया गया है ?		
21.	फर्द बरामदगी / गिरफ्तारी प्रपत्र अभियुक्त के नाम, आयु व पते को क्या विवेचना के दौरान तस्दीक कर लिया गया है ?		
22.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर कोई बरामदगी की गयी है और बरामदगी के सम्बन्ध में बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों का अनुपालन करते हुये की गयी वीडियो रिकार्डिंग को केस डायरी का भाग बना लिया गया है ?		
23.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी और जब्ती की रिपोर्ट उ0प्र0 बी.एन.एस.एस. नियमावली 2022 के अनुरूप 48 घंटे के अन्दर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी गयी है ?		
24.	क्या बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी उचित रूप से तैयार कर संलग्न कर लिया गया है ?		
25.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		

26.	सुसंगत मामलों में सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
27.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
28.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
29.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		
30.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		
31.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		

32.	क्या आरोप पत्र के बिन्दु संख्या 16 पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप घटना का संक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, पंचनामा रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, साक्षियों के बयान, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है ?		
33.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		

कॉपी राइट अधिनियम, 1957

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हां/नहीं	रिमार्क
1.	क्या शिकायत से कापी राइट का उल्लंघन का मामला बनता है ?		
2.	यदि कापी राइट का उल्लंघन का मामला बनता है तो क्या एफआईआर दर्ज कर ली गयी है ?		
3.	क्या शिकायत कापीराइट धारक, उसके विधिक प्रतिनिधि की ओर से की गयी है ?		
4.	क्या विधिक प्रतिनिधि द्वारा शिकायत की जा रही है तो क्या कापीराइट धारक द्वारा उसे पावर ऑफ अटार्नी या विधिक प्राधिकार दिया गया है ?		
5.	क्या अधिकार पत्र को विवेचना में शामिल कर लिया गया है ?		
6.	यदि पुलिस या अन्य व्यक्ति द्वारा कापीराइट उल्लघंन की शिकायत की गयी है तो क्या कापीराइट धारक या उसके विधिक प्रतिनिधि को विवेचना में शामिल कर लिया गया है ?		

7.	क्या कापीराइट अधिकार पत्र की प्रमाणित प्रति विवेचना में संकलित कर ली गयी ?		
8.	क्या शिकायतकर्ता / कापीराइट धारक या उसके विधिक प्रतिनिधि के बयान दर्ज कर लिये गये है ?		
9.	क्या कापीराइट अधिकार पत्र की सत्यता की जांच वेबसाइट के माध्यम से या अन्य तरीके से कर ली गयी है ?		
10.	क्या कापीराइट उल्लंघन में निर्मित की गयी सामग्री के संग्रहण स्थान को चिन्हित कर लिया गया है ?		
11.	किसी परिसर / स्थान की तलाशी लेनी है तो वहाँ पहुँचने से पहले / तलाशी लेने से पहले क्या विश्वास करने के कारण / आधारों को अभिलिखत कर लिया गया है ?		
12.	क्या विश्वास करने के कारण / आधारों हेतु सम्बन्धित परिसर के आस पास के निवासियों के बयान / सीसीटीवी कैमरा फुटेज संकलित कर लिया गया है ?		
13.	क्या तलाशी लेने हेतु कम से कम 2 स्वतंत्र गवाह तैयार कर लिये गये है ? (उन्हें नोटिस देकर गवाह बनने का अनुरोध किया गया है।)		

14.	जिस परिसर की तलाशी लेनी है क्या उसके धारक का पता लगा लिया गया है ?		
15.	यदि परिसर के धारक द्वारा अभियुक्त को परिसर किराये पर दिया गया है तो क्या किरायानामा संकलित कर उसकी जांच कर ली गयी है ?		
16.	क्या अभियुक्त एवं परिसर स्वामी / कब्जाधारी की दुरभिसंधि/ षडयन्त्र की खोजबीन कर ली गयी है ?		
17.	क्या गवाहों के सामने पुलिस टीम द्वारा इस तथ्य की सन्तुष्टि कर ली गयी है कि उनके पास अपराध से सम्बन्धित कोई सामान तो नहीं है ?		
18.	क्या तलाशी एवं जब्ती प्रक्रिया में बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है ?		
19.	क्या बरामद फर्जी माल की इन्वेन्ट्री/सम्पूर्ण विवरण फर्द बरामदगी में दर्ज कर ली गयी है ?		
20.	क्या फर्द बरामदगी पर उपस्थित पुलिस टीम एवं स्वतन्त्र गवाहों के नाम/पते हस्ताक्षर ले लिये गये है ?		
21.	क्या तलाशी के दौरान मौके से मिले दस्तावेजों को अभिग्रहीत कर लिया गया है, उनका विवरण फर्द बरामदगी में कर लिया गया है ?		

22.	क्या माल सुरक्षित तरीके से थाना पर पहुंच गया है और मालखाने में सुसंगत प्रविष्टि करके माल दाखिल करा दिया गया है ?		
23.	क्या माल नमूना/ फर्द बरामदगी सम्बन्धित क्षेत्राधिकार प्राप्त मजिस्टेट के समक्ष पेश कर दिया गया है ?		
24.	अभियुक्त की गिरफ्तारी/नोटिस तथा बयान धारा 180 बी.एन.एस.एस. में दर्ज कर लिये गये है ?		
25.	क्या विवेचना में, जिस सामाग्री के कॉपीराइट का उल्लंघन का आरोप है, उस सामाग्री के कॉपीराइट सम्बन्धी अभिलेखों को मूल रूप में संकलित कर लिया गया है ?		
26.	क्या कॉपीराइट से सम्बन्धित प्रमाणित अभिलेखों से कूट रचित अभिलेखों जिसके द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप है, के मिलान हेतु आवश्यक कार्यवाही कर ली गयी है ?		
27.	क्या विवेचना में धोखाधड़ी से सम्बन्धित बी0एन0एस0 की धारा 318(4) की बढ़ोत्तरी कर ली गयी है ?		
28.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		

29.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
30.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
31.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
32.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		
33.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		
34.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		

35.	क्या आरोप पत्र के बिन्दु संख्या 16 पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप घटना का संक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, पंचनामा रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, साक्षियों के बयान, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है ?		
36.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	पुलिस को पशु क्रूरता सम्बन्धी घटना की सूचना किस माध्यमः- (अ) पीआरवी कॉल (ब) थाने पर दी गयी प्रार्थना पत्र से प्राप्त हुयी है		
2.	क्या पुलिस पार्टी की थाने से रवानगी की जीडी की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर संलग्न कर दी गयी है ?		
3.	क्या मौके पर घटना से सम्बन्धित पशुओं की फर्द बरामदगी की मूल प्रति पर सभी साक्षियों / अभियुक्त के हस्ताक्षर प्राप्त किये गये है ?		
4.	क्या गिरफ्तारी मेमो मूलरूप से संलग्न है तथा उसपर गिरफ्तारीकर्ता पुलिस अधिकारी का नाम पदनाम, अभियुक्त का नाम व हस्ताक्षर कराये गये है ?		
5.	क्या बरामदगी स्थल पर बरामदगी की वीडियोग्राफी की सी0डी0 या पेनड्राईव प्राप्त कर संलग्न केस डायरी की गयी है एवं इस सम्बन्ध में धारा-63(4) बी0एस0ए0 का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये सम्बन्धित का बयान केस डायरी में अंकित कर लिया गया है ?		

6.	क्या बरामद पशुओं के मांस, खाल, सींग, पूंछ आदि तथा जिन्दा पशुओं की फोटोग्राफ व उसके सम्बन्ध में धारा-63(4) बी0एस0ए0 का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये सम्बन्धित का बयान केस डायरी में अंकित कर लिया गया है ?		
7.	क्या बरामद पशु / मांस की डॉक्टर द्वारा प्रारम्भिक जांच एवं उसकी मेडिकल / पोस्टमार्टम रिपोर्ट और यदि बरामद हुया पशु मृत है और गोवंशीय पशु से भिन्न है तो मृत्यु का कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से ज्ञात नहीं है, तो उसकी विसरा परीक्षण आदि की रिपोर्ट प्राप्त कर ली गयी है ?		
8.	क्या बरामद जिन्दा पशुओं की चिकित्सीय परीक्षण में उनको कोई संक्रामक या अन्य खतरनाक बीमारी तो नहींल पायी गयी है ?		
9.	यदि प्रकरण पशुओं के क्रूरता पूर्वक अभिवहन से सम्बन्धित है तो अभिवहन हेतु प्रयोग किये जाने वाले साधन एवं उसकी माप, विशिष्टियों का विवरण केस डायरी में अंकित कर लिया गया है ?		
10.	यदि पशुओं को राज्य से बाहर परिवहन किया जा रहा है तो क्या परिवहन करने वाले के पास परमिट है या नहीं। यदि है तो कितनी अवधि हेतु मान्य है ?		
11.	क्या अभिवहन हेतु प्रयोग में लाये जा रहे वाहन के स्वामित्व से सम्बन्धित, चालन सम्बन्धी अनुज्ञप्ति से सम्बन्धित अभिलेखों को प्राप्त कर लिया गया है ?		

12.	क्या अभिग्रहीत जिन्दा पशुओं की अंतरिम सुपुर्दगी के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर ली गयी है ?		
13.	क्या सूचनादाता, अन्य साक्षियों, चिकित्सक, पशुओं को सुपुर्दगी में लेने वाले व्यक्तियों / संस्थाओं के प्रभारी का कथन अंकित किया जा चुका है एवं उनसे बंध पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
14.	क्या आरोप पत्र में पुलिस साक्षियों के पी0एन0ओ0 नम्बर, स्थायी/ अस्थायी पता तथा मो0नं0 व नियुक्ति का स्थान अंकित कर लिया गया है ?		
15.	क्या पूर्व में इस अधिनियम के अपराध हेतु अभियुक्त/ अभियुक्तगण की दोषसिद्धि हो चुकी है ?		
16.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
17.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
18.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
19.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों		

	में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
20.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		
21.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		
22.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
23.	क्या आरोप पत्र के बिन्दु संख्या 16 पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप घटना का संक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, पंचनामा रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, साक्षियों के बयान, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है ?		
24.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से पंजीकृत करायी गयी है ?		
2.	जिस वस्तु के सम्बन्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी है क्या वह वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 2(क) में वर्णित आवश्यक वस्तु के अन्तर्गत आती है ?		
3.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अपराध सृजन के लिए यह आवश्यक है कि किसी कन्ट्रोल आर्डर का उल्लंघन हुआ हो। जिस कन्ट्रोल आर्डर का उल्लंघन हुआ है, उसका स्पष्ट उल्लेख केस डायरी में करते हुये कन्ट्रोल ऑर्डर की प्रमाणित प्रति संलग्न कर दी गयी है ?		
4.	जब किसी स्थान/ प्रतिष्ठान/ दुकान/ गोदाम आदि पर तलाशी/ जब्ती/ अभिग्रहण की कार्यवाही की गयी है तो क्या उसकी वीडियोग्राफी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रावधानों के अनुसार की गयी है एवं क्या फर्द बरामदगी विधिवत तैयार करते हुये		

	बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी तैयार कर लिया गया है ?		
5.	क्या उपरोक्त फर्द बरामदगी पर सभी अधिकारीगण/कर्मचारी तथा साक्षीगण तथा अभियुक्तों के हस्ताक्षर हैं ?		
6.	क्या फर्द बरामदगी की प्रति अभियुक्तों को दी गयी है ?		
7.	क्या छापे या अभिग्रहण के समय जनसाक्षियों को बुलाया गया है एवं फर्द पर उनके हस्ताक्षर बनवाये गये है ?		
8.	क्या उक्त तलाशी/ जब्ती/ अभिग्रहण की कार्यवाही के समय अधिकारीगण द्वारा या दौराने विवेचना विवेचक द्वारा स्टॉक रजिस्टर/ वितरण रजिस्टर/ लेखे व अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख कब्जे में लेकर उन्हें संलग्न केस डायरी कर लिया गया है ?		
9.	क्या आवश्यक वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण, परिवहन से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति या अन्य आवश्यक प्रपत्र संकलित कर लिये गये है ?		
10.	सम्बन्धित आवश्यक वस्तु की कीमत, उपलब्धता आदि के सम्बन्ध में यदि प्रतिदिन किसी बोर्ड आदि पर प्रदर्शन आवश्यक था तो क्या उसे कार्यवाही के		

	समय आरोपी द्वारा नियत स्थान पर प्रदर्शित न करने के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
11.	क्या वादी मुकदमा, मौके के सभी गवाहान, फर्द के गवाहान तथा अन्य सभी महत्पवूर्ण साक्षियों के बयान अन्तर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. केस डायरी में अंकित कर लिये गये हैं ?		
12.	यदि सरकारी राशन सामग्री/कोटे की सामग्री की कालाबाजारी या गबन आदि से सम्बन्धित मामला है तो क्या सम्बन्धित माहों की ई-पॉश मशीन का रिकार्ड तथा उसकी प्रमाणित प्रति/सम्बन्धित का प्रमाण पत्र संलग्न कर लिया गया है ?		
13.	क्या घटना से पूर्व राशन सामग्री की उठान मात्रा, सम्बन्धित माहों में स्टॉक, उठान तथा वितरण की मात्रा का अंकन तथा इसके सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
14.	क्या इस प्रकार अवशेष राशन की मात्रा एवं अभिग्रहण के समय उपलब्ध राशन की मात्रा का सामग्रीवार अलग-अलग मिलान करके अंकन कर लिया गया है ?		
15.	क्या अन्त में संकलित साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष कि कुल कितनी मात्रा में राशन सामग्री की कालाबाजारी/ गबन/ निज हित में प्रयोग किया गया, का स्पष्ट अंकन किया गया है ?		

16.	यदि राशन सामग्री की कालाबाजारी से सम्बन्धित वाद है तो क्या अन्त्योदय तथा गृहस्थी योजनाओं से आच्छादित लाभार्थियों की सूची तथा पीड़ित लाभार्थियों का शिकायती प्रार्थना पत्र मूलरूप में संकलित कर लिया गया है ?		
17.	यदि प्रकरण पेट्रोल/ डीजल में मिलावट/ कालाबाजारी/ घटतौली से सम्बन्धित है तो क्या सम्बन्धित वितरण मशीन/ नोजल आदि के सम्बन्ध में "सीलबन्दी" की कार्यवाही का साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
18.	क्या अभिग्रहीत पेट्रोल/ डीजल आदि का नियमानुसार नमूना लेकर सील मोहर, नमूना मोहर की कार्यवाही की गयी है ?		
19.	क्या अभिग्रहीत पेट्रोल/ डीजल आदि का नमूना परीक्षण हेतु सम्बन्धित विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है एवं प्रयोगशाला रिपोर्ट को केस डायरी में संलग्न किया गया है ?		
20.	यदि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के साथ किसी अन्य अधिनियम या बी0एन0एस0 के किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है तो क्या उसका विवेचना में समावेश करते हुये उचित धारा का अधिरोपण कर दिया गया है ?		

21.	जब इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई आवश्यक वस्तु या धारा-3 के अधीन किये गये आदेश के अनुसरण में कोई वस्तु/ यान अभिग्रहीत की जाती है तो क्या उसके अभिग्रहण की रिपोर्ट धारा 6(अ) की कार्यवाही हेतु जिले के 'जिलाधिकारी' को दी गयी है ?		
22.	क्या विवेचना के निष्कर्ष में यह अंकित है कि कुल कितनी मात्रा में आवश्यक वस्तु/ राशि की कालाबाजारी / गबन आदि किया गया है तथा किस विशिष्ट कन्ट्रोल आर्डर का उल्लंघन हुआ है, जिससे धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध बन रहा है ?		
23.	क्या विवेचना का निष्कर्ष अंकित करते हुए अंतिम रिपोर्ट/ आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित करने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गयी है ?		
24.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
25.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		

26.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
27.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
28.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		
29.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		
30.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
31.	क्या आरोप पत्र के बिन्दु संख्या 16 पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप घटना का		

	संक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, पंचनामा रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, साक्षियों के बयान, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है ?		
32.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		

उत्तर प्रदेश सरकार

<u>विस्फोटक अधिनियम, 1884</u>

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नही	रिमार्क
1.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए दर्ज की गयी है ?		
2.	यदि एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की गयी है तो क्या निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचनादाता के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये है ? और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यथा उपबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
3.	क्या जीरो एफआईआर/ ई-एफआईआर के प्रकरणों में सभी मूल अभिलेख संग्रहीत कर लिये गये है ?		
4.	क्या विस्फोटक का निर्माण, कब्जा, प्रयोग (परिवहन, आयात और निर्यात) के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
5.	क्या बरामदगी के पश्चात युक्ति युक्त समय के भीतर बरामद विस्फोटकों को निष्क्रिय कराने एवं उनके निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर ली गयी है ?		
6.	क्या विस्फोटक का निर्माण , परिवहन, कब्जा, विक्रय, आयात, निर्यात बिना लाइसेंस के या		

	लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करके किये जाने के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
7.	लाइसेंस की शर्तों के उल्लघंन से सम्बन्धित प्रकरणों में क्या लाइसेंस के सम्बन्ध में अनुज्ञापन अधिकारी के कार्यालय से सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त कर लिये गये है ?		
8.	यदि विस्फोटक सामग्री लाइसेंसी से भिन्न व्यक्ति के पास पायी गयी थी तो क्या लाइसेंस धारक के विरुद्ध भी कार्यवाही की गयी है ?		
9.	यदि लाइसेंसी द्वारा निर्माण, परिवहन, विक्रय हेतु 18 वर्ष से कम या मंदबुद्धि व्यक्ति नियोजित किया गया था तो क्या आयु / मानसिक स्थिति के सम्बन्ध में समुचित साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
10.	विस्फोटक (पटाखे से भिन्न) निर्यात के लिए है तो क्या पैंकिग के उपर "भारत मे विक्रय के लिए नही केवल निर्यात के लिए " मुद्रित है ?		
11.	पटाखो के पैंकिजिंग पर पटाखे का नाम, मात्रा, लड़िया अंकित होने के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		
12.	विस्फोटक का परिवहन मानव आवागमन के लिए प्रयोग किये जाने वाले वाहनों में अनाधिकृत रूप से किये जाने से सम्बन्धित प्रकरणों में क्या उक्त सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		

13.	यदि विस्फोटक का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना वैध अनुमति के अथवा अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करके किया जा रहा था, तो क्या उक्त के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		
14.	यदि विस्फोटक का भण्डारण लाइसेंसी द्वारा लाइसेंस प्राप्त कर किया जा रहा था तो क्या भण्डारित मात्रा लाइसेंस में अनुमन्य मात्रा के अनुरूप थी ?		
15.	क्या विस्फोटको का निर्माण / भण्डारण / विक्रय अथवा अन्य कार्य घनी आबादी के बीच किया जा रहा था ?		
16.	क्या विस्फोटको का निर्माण / भण्डारण / विक्रय अथवा अन्य कार्य लाइसेंस में उल्लिखित सुरक्षात्मक उपाय किये बिना एवं अग्निशमन उपकरणों के बिना किया जा रहा था ?		
17.	क्या तलाशी लेने के सम्बन्ध मे दण्ड प्रकिया संहिता/ बी.एन.एस.एस. मे उल्लिखित प्रावधानो का पालन किया गया है ?		
18.	कंपनी द्वारा किए जाने वाले अपराध के सबंध मे क्या कंपनी के भारसाधक अधिकारी के नाम का उल्लेख केस डायरी में करते हुये अपराध में उसकी भूमिका के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
19.	क्या अपराध का दुष्प्रेरण तथा प्रयत्न करने वाले का नाम, पता ज्ञात कर उनकी भूमिका के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		

20.	बरामद माल यदि पुलिन्दे के रूप में जब्त है तो क्या उस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर करा लिये गये है ?		
21.	अभियुक्त की गिरफ्तारी की दशा में क्या गिरफ्तारी प्रपत्र समुचित रूप से तैयार किया गया है एवं क्या उसकी आयु के सम्बन्ध में तथ्यों को निश्चित किया जा चुका है ?		
22.	यदि सुसंगत मामलों में इस अधिनियम की धाराओं के साथ साथ आयुध अधि0 एंव बी0एन0एस0 के अंतर्गत भी अपराध बन रहा हो तो क्या समुचित धाराओं का अधिरोपण कर लिया गया है ?		
23.	लाइसेंस धारक व्यक्ति द्वारा विस्फोटक पदार्थ/ आतिशबाजी का अवैध निर्माण/ भण्डारण/ विक्रय मे संलिप्त पाये जाने पर सम्बन्धित प्रतिष्ठानो/व्यक्तियो के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुये क्या उनके लाइसेंस को निरस्त कराने की कार्यवाही हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी को आख्या प्रेषित कर दी गयी है ?		
24.	लाइसेंस धारको /प्रतिष्ठानो के विरूद्ध कार्य़वाही की अनुसंशा सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए जाने की स्थिति मे क्या पुलिस अधिकारी द्वारा तत्काल निरोधात्मक आदेशो का पालन किया गया है ?		
25.	क्या विस्फोटक पदार्थ की बरामदगी एवं जब्ती की वीडियोग्राफी बी.एन.एस.एस. के प्राविधान के अनरूप की गयी है तथा विडियो को धारा 63(4) भारतीय साक्ष्य अधि0 के प्रमाण पत्र के साथ संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		

26.	क्या बरामद विस्फोटकों की प्रकृति के सम्बन्ध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त कर संलग्न कर ली गयी है ?		
27.	यदि अभियुक्त को हिंसा या नैतिक अधमता के लिए कम से कम 06 माह की सजा हुई है और दण्डादेश की समाप्ति के पश्चात 05 वर्ष की अवधि के लिए परिशान्ति बनाये रखने एवं सदाचार के लिये बंध पत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है तो क्या इस सम्बन्ध में साक्ष्यों को संकलित कर लिया गया है ?		
28.	क्या घटना से सम्बन्धित सभी साक्षीगण का बयान विधि की अपेक्षानुरूप अंकित कर लिया गया है ?		
29.	क्या साक्षी गण के न्यायालय में उपस्थित होने सम्बन्धी बंध पत्र, उनका मोबाइल नंबर, ई - मेल , स्थायी पता वर्त्तमान पता आयु आदि अभिलिखित कर लिए गये हैं ?		
30.	क्या अभियुक्त अथवा साक्षी का बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. यथावश्यक अंकित करा लिया गया है ?		
31.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर कोई बरामदगी की गयी है और बरामदगी के सम्बन्ध में बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों का अनुपालन करते हुये की गयी वीडियो रिकार्डिंग को केस डायरी का भाग बना लिया गया है ?		
32.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी और जब्ती की रिपोर्ट उ0प्र0 बी.एन.एस.एस.		

	नियमावली 2022 के अनुरूप 48 घंटे के अन्दर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी गयी है ?		
33.	क्या बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी नियमानुसार तैयार कर संलग्न कर लिया गया है ?		
34.	क्या बरामदगी के उपरान्त अभियोग में उचित धाराओं का अंकन कर लिया गया है ?		
35.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
36.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
37.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
38.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
39.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		

40.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		
41.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
42.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नही	रिमार्क
1.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए दर्ज की गयी है ?		
2.	यदि एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की गयी है तो क्या निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचनादाता के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये है ? और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यथा उपबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
3.	क्या ई एफआईआर के प्रकरणों में सभी मूल अभिलेख संग्रहीत कर लिये गये है ?		
4.	क्या राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी एक्ट की धारा 6 के अनुपालन में अनुसूचित अपराध से सम्बन्धित एफ0आई0आर0 पंजीकृत होने की सूचना तत्काल उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित कर दी गयी है ?		
5.	क्या बरामद पदार्थ अधिनियम की धारा 2 में दी गयी विस्फोटक पदार्थ की परिभाषा के अनुसार विस्फोटक पदार्थ अथवा विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ की श्रेणी में आता है ?		

	विस्फोटक पदार्थ मे सम्मिलित है तो किसके अन्तर्गत आता है: (i) कोई विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए सामाग्रीः (ii) किसी विस्फोटक पदार्थ मे या उससे विस्फोटक कारित करने या कारित करने मे प्रयुक्त या आशयित या अनुकूलित या सहायता के लिए- (क) कोई साधन (ख) मशीन (ग) उपकरण (घ) उक्त का कोई भाग **विशेष वर्ग का विस्फोटक पदार्थ** मे सम्मिलित है - i. अनुसंधान विकास विस्फोटक (RDX) ii. पेंटा एरिथ्रोटाल ट्रेट्रा नाइट्रेट(PETN) iii. उच्च गलन विस्फोटक(HMX) iv. ट्रोनाइट्रो टाल्यूइन(TNT) v. निम्न ताप प्लास्टिक विस्फोटक(LTPE) vi. सम्मिश्रण विस्फोटक(CE) vii. 2,4,6 फिनाइल मिथाइल नाइट्रामाइन या ट्रैट्रिल viii. ओ0जी0टी0ओ0एल0		

	ix. पी0ई0के0-1 x. आर0डी0एक्स0/टी0एन0टी0 सम्मिश्रण- xi. अन्य विस्फोटक या संयोजन xii. ऐसा अन्य पदार्थ जिसे केंद्रीय सरकार ने राजपत्र मे अधिसूचित किया हो-		
6.	विस्फोटक पदार्थ की बरामदगी की दशा में क्या बरामदगी के सम्बन्ध में बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है ?		
7.	क्या बरामद हुये विस्फोटक पदार्थों को युक्ति युक्त समय के भीतर निष्क्रिय कराने की कार्यवाही करते हुये उनका निस्तारण कराया गया है ?		
8.	(1) अभिग्रहण अभिलेख पर साक्षियो के हस्ताक्षर किए गए है ? (2) अभिग्रहण कार्यवाही ऑडियो- वीडियो के माध्यम से की गई है ? (3) तलाशी अभिग्रहण आदि की सूची को ई-साक्ष्य ऐप द्वारा अपलोड किया गया है ? (4) वीडियो रिकॉर्डिंग को केस डायरी का भाग बनाया गया है ? (5) वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय Longitude व Latitude एंव रिकॉर्डिंग का समय रिकॉर्ड किया गया है ?		

9.	क्या विस्फोटक पदार्थ / विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ के माध्यम से क्या कोई विस्फोट कारित किया गया है ? यदि हाँ तो क्या सुसंगत धारा का अधिरोपण किया जा चुका है ?		
10.	यदि विस्फोटक पदार्थ / विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ के विस्फोट से व्यक्तियो के जीवन को क्षति या सम्पत्ति को हानि हुयी हो तो क्या इस सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
11.	यदि प्रकरण विस्फोटक पदार्थ/ विशेष वर्ग का विस्फोटक पदार्थ के निर्माण, कब्जे अथवा नियंत्रण से सम्बन्धित है तो क्या इस सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर उचित धारा को अधिरोपण कर लिया गया है ?		
12.	यदि विवेचना के दैरान संकलित साक्ष्य से किसी व्यक्ति द्वारा अपराध के दुष्प्रेरण के सम्बन्ध में तथ्यों का प्रकटन होता है तो क्या उक्त व्यक्ति की पहचान करते हुये अपराध में उसकी भूमिका के सम्बन्ध में साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		
13.	क्या तलाशी और अभिग्रहण के मामलों में ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रोनिक साधनो के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख को समुचित प्रमाण पत्र के साथ संलग्न केस डायरी कर लिया गया है ?		

14.	सभी अभिग्रहित वस्तुओ की सूची तैयार कर अभिग्रहित वस्तुओ की सूची पर साक्षियो के हस्ताक्षर कराए गये है ?		
15.	क्या बरामदगी की सूचना अभिलेखों सहित विहित समय के भीतर सक्षम मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जा चुकी है ?		
16.	क्या घटना से सम्बन्धित सभी साक्षीगण का बयान विधि की अपेक्षानुरूप अंकित कर लिया गया है ?		
17.	क्या साक्षीगण के न्यायालय में उपस्थित होने सम्बन्धी बंध पत्र, उनका मोबाइल नंबर, ई - मेल , स्थायी पता वर्त्तमान पता आयु आदि अभिलिखित कर लिए गये हैं ?		
18.	क्या अभियुक्त अथवा साक्षी का बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. यथावश्यक अंकित करा लिया गया है ?		
19.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर कोई बरामदगी की गयी है और बरामदगी के सम्बन्ध में बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों का अनुपालन करते हुये की गयी वीडियो रिकार्डिंग को केस डायरी का भाग बना लिया गया है ?		
20.	क्या बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी नियमानुसार तैयार कर संलग्न कर लिया गया है ?		

21.	क्या बरामदगी के उपरान्त अभियोग में उचित धाराओं का अंकन कर लिया गया है ?		
22.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
23.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
24.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
25.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
26.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		

27.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		
28.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
29.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		
30.	क्या अभियुक्त के उपरोक्त अधिनियम के अधीन विचारण के लिए जिला मजिस्ट्रेट की सम्मति प्राप्त कर ली गई है ?		

<u>सूचना प्रौद्यौगिकी अधिनियम, 2000</u>

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ / नहीं	रिमार्क
1.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए दर्ज की गयी है ?		
2.	यदि एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की गयी है तो क्या निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचनादाता के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये है ? और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यथा उपबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
3.	क्या जीरो एफआईआर/ ई-एफआईआर के प्रकरणों में सभी मूल अभिलेख संग्रहीत कर लिये गये है ?		
	प्रारंभिक मूल्यांकन –		
1	क्या विवेचना निरीक्षक अथवा उच्चतर पुलिस अधिकारी द्वारा की जा रही है ?		
2	क्या अपराध की प्रकृति की पहचान कर ली गयी है (जैसे- हैकिंग, पहचान की चोरी, फिशिग, आदि) ?		
3	क्या प्रकरण में अधिरोपित आईटी अधिनियम की सुसंगत धाराओं जैसे-धारा 65, 66, 66C, 67 आदि की पहचान कर ली गयी है ?		

साक्ष्य संग्रह -			
1	क्या अपराध में प्रयुक्त सभी उपकरणों और डेटा स्रोतों की पहचान स्थापित कर ली गयी है (जैसे- कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सर्वर, उत्पादक / उपकरण सं0, आई.एम.ई.आई. संख्या, कैफ आदि) ?		
2	क्या अपराध में प्रयुक्त उपकरणों की बरामदगी एवं जब्तीकरण में मानक प्रक्रिया का पालन किया गया है तथा उसे युक्तियुक्त रूप से परीक्षण हेतु FSL को भेजा गया है ?		
3	Hash Value कैलकुलेट की गयी है या नहीं?		
4	Attribution of Device किया गया है या नहीं? (तात्पर्य यह है कि जिसके पास से उपकरण रिकवर की गयी है, उससे उपकरण का सम्बन्ध स्थापित करना।)		
5	Proper chain of custody बनाये रखने के लिए सभी उपकरणों को एक-एक सीरियल नं0 आवंटित किया गया है या नहीं ?		
6	क्या मोबाइल फोन को जब्त करने के लिए फैराडे बैग का प्रयोग किया गया है, जिससे बाहर के किसी सिग्नल से छेड़छाड़ न की जा सके ?		
7	क्या उपयुक्त टूल्स का उपयोग करके डेटा संरक्षित किया है (जैसे- हैशिग, क्लोनिंग आदि) ?		
8	क्या पहचाने गए डिजिटल साक्ष्य के लिए संरक्षण आदेश प्राप्त किया गया है ?		

9	क्या विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए उपकरणों को जब्त किया गया है और उनकी नियमानुसार फर्द बनाकर सर्वसम्बन्धित के हस्ताक्षर बनवाये गये हैं ?		
10	क्या विश्लेषण के लिए स्टोरेज डिवाइस की फॉरेंसिक इमेज या क्लोन बनाए हैं ?		
	फॉरेंसिक जांच -		
1	क्या जांच प्रमाणित फॉरेंसिक लैब टूल्स का उपयोग करके सुरक्षित वातावरण में की गई है और इसका उल्लेख केस डायरी में कर लिया गया है ?		
2	क्या हटाई गई फाइलें पुनः प्राप्त की गयी है तथा लॉग्स, ईमेल, चैट और मेटाडेटा प्राप्त किये गये है ?		
3	क्या संचार या उल्लंघनों के स्रोतों को पहचानने के लिए IP एड्रेस का पता लगाया गया है ?		
4	यदि एन्क्रिप्टेड डेटा पाया गया, तो क्या इसे धारा 69 के प्रावधान के अनुसार डिक्रिप्ट करने अथवा कराने का प्रयास किया गया है ?		
	कानूनी प्रक्रियाएं -		
1	क्या सम्बन्धित सेवा प्रदाताओ को सूचित करते हुये सब्सक्राइबर डिटेल्स, लॉग्स, या IP एलोकेशन प्राप्त किया गया है ?		
2	क्या धारा 69 के तहत वैध इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग प्रावधानों का उपयोग किया गया है ?		

3	क्या एकत्र किए गए सभी साक्ष्यों के लिए चेन ऑफ कस्टडी सुनिश्चित की गयी है ?		
4	क्या संदिग्धों, गवाहों, या साक्ष्य संरक्षको को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में विहित रीति से समन या नोटिस जारी किया गया है ?		
	साइबर कानूनों का अनुपालन-		
1	क्या व्यक्तिगत डेटा को आईटी (उचित सुरक्षा प्रथाएं और प्रक्रियाए और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी) नियम, 2011 के तहत संरक्षित किया गया है ?		
2	क्या संग्रहीत या इंटरसेप्ट किए गए डेटा तक पहुंचने से पहले अनुमतियों की पुष्टि की?		
	रिपोर्टिंग और दस्तावेजीकरण-		
1.	क्या साक्ष्य, विश्लेषण और निष्कर्षों का पूर्ण विवरण देते हुए जांच रिपोर्ट तैयार की गयी है ?		
2.	क्या आवश्यकता अनुसार अन्य एजेंसियों (जैसे- CERT-In या अन्य जांच एजेंसियों) के साथ समन्वय किया गया है ?		
3.	क्या निष्कर्षो को सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ?		
4.	क्या CDR सम्बन्धित प्रकरणों में धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये		

	सम्बन्धित टेलीकॉम कंपनी के नोडल अधिकारी को गवाह बनाया गया है ?		
5.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
6.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
7.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
8.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
9.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		
10.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		

11.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
12.	क्या आरोप पत्र के बिन्दु संख्या 16 पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप घटना का संक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, पंचनामा रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, साक्षियों के बयान, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है ?		
13.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		
जांच के बाद-			
1	क्या भविष्य के संदर्भ या अपील के लिए साक्ष्य को सुरक्षित रखा गया है ?		
2	क्या न्यायालय के आदेशों / निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है ?		

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए दर्ज की गयी है ? (किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियमावली 2016 के नियम 08 का विशेष ध्यान रखते हुये)		
2.	यदि एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की गयी है तो क्या निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचनादाता के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये है ? और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यथा उपबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
3.	क्या जीरो एफआईआर/ ई-एफआईआर के प्रकरणों में सभी मूल अभिलेख संग्रहीत कर लिये गये है ?		
4.	क्या अपचारी बालक के आयु सम्बन्धी अभिलेखीय साक्ष्य एकत्रित कर लिये गये हैं ?		
5.	क्या अपचारी बालक द्वारा कारित अपराध की सूचना पर थाने द्वारा अविलम्ब प्रकरण में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सूचित कर शामिल कर लिया गया है ?		
6.	क्या अपराध की सूचना नियमावली में दिये गये प्रारूप के अनुसार तैयार कर ली गयी है और उसकी सूचना बाल कल्याण समिति को प्रेषित कर दी गयी है ?		

7.	क्या अपचारी बालक का बयान अंकित करना और अन्य कार्यवाहियाँ सादे वस्त्रों में रहने वाले बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा संपादित की गयी है?		
8.	प्रश्नगत प्रकरण में अपचारी बालक की संरक्षा बालक के कल्याण के लिये आवश्यक है ?		
9.	क्या गिरफ्तारी / पकड़े जाने के 24 घण्टे के भीतर अपचारी बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है ? (फार्म संख्या 48 के साथ एवं फार्म संख्या 01 और बालक का बयान)		
10.	क्या अपचारी बालक महिला या ट्रान्सजेण्डर है ?		
11.	यदि महिला/ट्रान्सजेण्डर है तो क्या प्रकरण बालक कल्याण महिला पुलिस अधिकारी को मामला सौंप दिया गया है ?		
12.	यदि अपचारी बालक को गिरफ्तार नहीं किया गया है तो क्या बालक को उसके माता-पिता या संरक्षक को सौंप दिया गया है ?		
13.	क्या एफआईआर/फार्म संख्या 01 की सूचना उसके माता-पिता को दी गयी है ?		
14.	क्या उसके माता-पिता या संरक्षक से फार्म संख्या 2 प्राप्त कर लिया गया है ?		
15.	क्या निर्धारित समय में किशोर न्याय बोर्ड को सूचित / रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी है ?		
16.	क्या गिरफ्तारी की दशा में बोर्ड के पते, गिरफ्तारी का दिनांक/गिरफ्तारी के आधार तथा बोर्ड के समक्ष पेश करने की तिथि/समय की सूचना दी जा चुकी है ?		
17.	क्या जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा सामाजिक विवेचना आख्या तैयार कर ली गयी है ?		

18.	क्या उक्त सामाजिक विवेचना आख्या किशोर न्याय बोर्ड/ बाल कल्याण पुलिस को दे दी गयी है ?		
19.	क्या बालक की उम्र के सम्बन्ध में सारे अभिलेख / मौखिक साक्ष्य संकलित कर फार्म 47 तैयार कर लिया गया है ?		
20.	अपचारी बालक को लाकअप में तो नहीं रखा गया है ?		
21.	अपचारी बालक को निःशुल्क विधिक सहायता की आवश्यकता होने की दशा में क्या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचना प्रेषित कर दी गयी है एवं उसके माता पिता / संरक्षक को इस सम्बन्ध में अवगत करा दिया गया है ?		

उत्तर प्रदेश सरकार

मादक द्रव्यों (NDPS) की बरामदगी/गिरफ्तारी/विवेचना के सम्बन्ध में

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/ नहीं	रिमार्क
1.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए दर्ज की गयी है ?		
2.	यदि एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की गयी है तो क्या निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचनादाता के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये है ? और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यथा उपबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
3.	क्या जीरो एफआईआर/ ई-एफआईआर के प्रकरणों में सभी मूल अभिलेख संग्रहीत कर लिये गये है ?		
4.	क्या अभिसूचना धारा 41(2) एनडीपीएस एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत अभिलिखित की गयी ?		
5.	क्या अभिलिखित सूचना के आधार पर राजपत्रित अधिकारी से अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया गया ? धारा 41(2)		
6.	क्या किसी विशेष परिस्थिति में यदि बिना अधिकार पत्र के तलाशी ली गयी है तो उसके कारण का		

	उल्लेख सामान्य दैनिकी में अंकित किया गया ? (धारा 42(1) एनडीपीएस एक्ट)		
7.	क्या पुलिस थाने से पुलिस के प्रस्थान मय वाहन के साथ किये जाने कि रिपोर्ट जीडी में अंकित की गयी ?		
8.	क्या वाहन के रजिस्टर्ड नम्बर, रंग, प्राईवेट/ सरकारी वाहन एवं वाहन चालक का उल्लेख जीडी में किया गया ?		
9.	क्या वाहन के द्वारा तय की दूरी (घटनास्थल तक) का भी उल्लेख किया गया एवं वाहन के मार्ग का विवरण दिया गया ?		
10.	क्या बन्द स्थान की तलाशी लेने हेतु प्राधिकार पत्र उस स्थान के स्वामी को दिखाया गया है, जिस स्थान की तलाशी ली जानी है ?		
11.	क्या बन्द स्थान की तलाशी लेने के पूर्व उसके स्वामी द्वारा टीम की तलाशी लेने के लिए आग्रह किया गया ?		
12.	क्या तलाशी दो स्वतंत्र साक्षियों एवं भवन स्वामी की उपस्थिति में लेने के पश्चात् उन सभी के हस्ताक्षर फर्द पर बनाये गये ? यदि स्वतंत्र साक्षी नही मिलते तो उसका स्पष्ट कारण उल्लिखित किया गया या नहीं ?		
13.	क्या स्वतंत्र साक्षी जिन्होनें गवाह बनने से इन्कार किया, उनका नाम , पता अंकित किया गया ?		

14.	क्या गांव के सरपंच/ ग्राम चौकीदार को साक्षी बनाने का प्रयास किया गया ?		
15.	क्या तलाशी लेने के पश्चात् उसकी सूचना 72 घण्टें के अन्दर अपने निकट वरीय अधिकारी को दी गयी ? (धारा 42(2) एनडीपीएस एक्ट)		
16.	क्या जामा तलाशी लिये जाने से पूर्व उसे इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि उसे अपनी जामा तलाशी मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के समक्ष दिलाने का अधिकार प्राप्त है ?		
17.	क्या धारा 50 NDPS ACT की नोटिस प्राप्त व्यक्ति द्वारा दिये गये नोटिस पर उसके हस्ताक्षर कराये गये ?		
18.	क्या किसी महिला की व्यक्तिगत तलाशी महिला अधिकारी द्वारा ली गयी ? (धारा 50(4) एनडीपीएस एक्ट)		
19.	क्या बरामद किए गये संदिग्ध पदार्थ के मादक पदार्थ होने की प्रारम्भिक पुष्टि हेतु उसका प्राथमिक परीक्षण ड्रग डिटेक्शन किट (डीडी किट) से मौके पर किया गया ?		
20.	क्या तलाशी में प्राप्त सभी प्रपत्र (दस्तावेज), वस्तुएं जैसे-मोबाईल फोन, सिम कार्ड, पहचान पत्र, वाहन इत्यादि, जिसका प्रथम दृष्टया उद्देश्य मादक पदार्थ की तस्करी को क्रियान्वित करना है, उसका सन्निरीक्षण कर लिया गया है ?		

21.	तलाशी के पश्चात् जब्त मादक सामान/मादक द्रव्य की सूची मौके पर बनायी गयी तथा सूची पर साक्षी/स्वामी (संदिग्ध स्थान) के हस्ताक्षर बनवाये गये एवं क्या सम्पूर्ण प्रक्रिया की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है ?		
22.	क्या बरामद किये गये मादक पदार्थ की मात्रा, गुणवत्ता, पैकिंग की विधा, चिन्ह और संख्या एवं जब्त वस्तुओं की पहचान पैकिंग का विवरण निर्धारित प्रारूप के अन्तर्गत अंकित किया गया है एवं इसका उल्लेख फर्द में किया गया है ?		
23.	क्या तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की हैश वैल्यू मौके पर ली गयी है ?		
24.	क्या सर्च एवं सीजर की वीडियोग्राफी / फोटोग्राफी का प्रमाण पत्र अन्तर्गत धारा 63(4)(C) बीएसए प्राप्त किया ?		
25.	क्या जब्त किये गये मादक पदार्थ एवं अन्य जब्त सामग्री को मौके पर सील मोहर, सर्व मोहर, नमूना मोहर तैयार किया गया ?		
26.	क्या सर्च एंव सीजर मेमो में सर्च का समय, स्थान प्रारम्भ एवं अन्त का समय अंकित किया है ?		
27.	क्या बरामद मादक पदार्थ पर बरामदगी करने वाले, बरामदगी के साक्षियों एवं अभियुक्त व जिसके परिसर से मादक पदार्थ प्राप्त हुआ है , उसके हस्ताक्षर मादक पदार्थ/ वस्तु के सील बंडल पर बनवाये गये है ?		

28.	क्या बरामद संदिग्ध पदार्थ का वजन इलेक्ट्रॉनिक वेड्रिंग मशीन घटनास्थल पर लिया गया है एवं बरामदगी करने वाले एवं अभियुक्त के हस्ताक्षर बनवाये गये है ?		
29.	फर्द घटनास्थल पर किसके द्वारा किसके निर्देश पर लिखी गयी, इस सम्बन्ध में केस डायरी में तथ्यों का उल्लेख कर दिया गया है ?		
30.	यदि बरामदगी रात्रि में अथवा अपर्याप्त रोशनी वाले, अंधेरे वाले स्थान से हुयी है तो क्या उक्त स्थान में रोशनी के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
31.	क्या गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार बताते हुए गिरफ्तारी मेमो मौके पर तैयार कर उसके हस्ताक्षर बनवाये गये एवं फर्द बरामदगी की एक प्रति गिरफ्तार किये गये अभियुक्त को दी गयी है ?		
32.	क्या अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के पारिवारिक सदस्य जिसको अभियुक्त देना चाहें, उसकी सूचना परिजन को दी गयी तथा सूचना के माध्यम का उल्लेख सेल फोन नं0/ टेलिफोन नं0/ वायरलेस आदि अरेस्ट मेमो में किया गया ?		
33.	क्या बरामद माल को घटनास्थल पर सील कर उसकी नमूना मोहर बनायी गयी ?		
34.	क्या घटनास्थल पर समस्त प्रपत्रों को क्रमवार ढंग से तैयार किया गया ?		

35.	किस समय पुलिस पार्टी मय अभियुक्त व माल पुलिस थानें किस तिथि व दिनांक को पहुंची, इसका विवरण जीडी में अंकित किया गया ?		
36.	क्या थाना प्रभारी द्वारा धारा 55 NDPS ACT के अनुपालन में सील बंद माल पर थाना प्रभारी की मुहर लगायी गयी ?		
37.	क्या अभियुक्त/बरामद माल जामा तलाशी का समान फर्द प्राधिकृत थाना के थाना प्रभारी/मोहर्रि मालखाना को देकर उसका उल्लेख जीडी में करते हुए मालखाना प्रभारी से रसीद प्राप्त की गयी,एसएचओ एवं मालखाना प्रभारी द्वारा वह माल मालखानें में कब दाखिल किया गया, इसका उल्लेख किया गया ?		
38.	बरामद माल एवं जामा तलाशी की प्रविष्टि थानें के मालखाना रजिस्टर एवं जामा तलाशी रजिस्टर में की गयी या नहीं?		
39.	क्या गिरफ्तारी एवं माल बरामदगी की सूचना वरीय अधिकारी को 48 घण्टे के अन्दर दी गयी ? (धारा 57 एनडीपीएस एक्ट)		
40.	क्या गिरफ्तार अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण कराया गया ?		
41.	क्या विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान अभियुक्त को उसके गिरफ्तारी किये जाने से 24 घण्टे के अन्दर मय बरामद माल सहित मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ?		

42.	क्या बरामद माल की इंवेन्ट्री निर्धारित प्रारूप / फार्म के अन्तर्गत तैयार की गयी ?		
43.	क्या बरामद माल की सैम्पलिंग हेतु निर्धारित प्रारूप / फार्म में भरकर सैम्पलिंग मजिस्ट्रेट / मा0 न्यायालय से दो प्रतियों में कराकर माल की फोटोग्राफ एवं इन्वेंट्री प्रमाणीकरण कराया गया ?		
44.	क्या मजिस्ट्रेट के समक्ष मादक पदार्थ सैम्पलिंग लिये जाने के उपरान्त उनके हस्ताक्षर शेष माल / सैम्पल पर कराये गये ?		
45.	क्या विवेचक द्वारा वापसी पर नमूना एवं मूल माल / बरामद वस्तुएं / वाहन को मालखाना में दाखिल कर उसकी रसीद प्राप्त की गयी तथा इसका उल्लेख जीडी में किया गया है ?		
46.	क्या बरामद किये गये वाहन के सम्बन्ध में उसकी सूचना वाहन स्वामी को मय प्रपत्र प्रस्तुत होने हेतु सूचित किया गया ?		
47.	क्या नमूना को मजिस्ट्रेट द्वारा प्रामणित करने के उपरान्त माल खाना में दाखिल करने के 72 घण्टे के अन्दर रासायनिक परीक्षण हेतु राज्य फोरेंसिक प्रयोगशाला में सैम्पल लेने के भेजा गया?		
48.	क्या विवेचक द्वारा धारा 67 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत ऑपरेशन टीम के सदस्यों, अभियुक्तगणों, साक्षियों एवं मालखाना मोहर्रिर एवं अन्य प्रासंगिक साक्षियों आदि के कथन को केस डायरी में अंकित किया गया ?		

49.	क्या विवेचना के दौरान धारा 68(E) एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त की अवैध अर्जित सम्पत्ति की जांच की गयी?		
50.	क्या अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति को धारा 68(F) एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत फ्रीज कर 48 घण्टे के अन्दर सक्षम अधिकारी एवं प्रशासक (Competent Authority & Administrator SAFEMA(FOP)A, 1976 & NDPS ACT 1985) DELHI को रिपोर्ट प्रेषित की गयी ?		
51.	क्या मादक पदार्थ के परिवहन में प्रयुक्त वाहन की जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी ?		
52.	क्या विवेचना के दौरान अभियुक्त के फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज के सम्बन्ध में विवेचना की गयी ?		
53.	क्या विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण रिपोर्ट 15 दिवस के अन्दर प्राप्त हुई, यदि नहीं तो क्या प्रयास किये गये ?		
54.	प्रचलित नियमावली के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रदान करने हेतु क्या FSL को अवगत कराया गया है ?		
55.	क्या मोबाईल फोन का फॉरेंसिक विश्लेषण/डाटा विश्लेषण करते हुए अभियुक्तों के मध्य अंतर्सम्बन्ध स्थापित किया गया ?		
56.	क्या अभियुक्तों के अपराधिक इतिहास संग्रहित कर उसका विवरण विवेचना में उल्लिखित किया गया ?		

57.	क्या विवेचनात्मक कार्यवाही समयावधि के अन्दर पूर्ण की गयी ?		
58.	क्या विवेचनात्मक कार्यवाही की संपूर्ण केस डायरी का परिशीलन पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा किया गया है ?		
59.	क्या समयावधि के अन्तर्गत सम्पूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय में समयावधि के अन्तर्गत प्रेषित की गयी है ?		
60.	क्या मादक पदार्थ / वाहन के निस्तारण हेतु धारा 52 (A) एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत आवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया ?		
61.	क्या मजिस्ट्रेट से माल निष्पादन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त माल निष्प्रयोज्य किये जाने हेतु कार्यवाही करने के लिये ड्रग डिस्पोजल कमेटी को हस्तगत किया गया ?		
62.	क्या राज्य औषधि कानून प्रर्वतन एजेंसी द्वारा उनके विभागाध्यक्ष के माध्यम से धारा 52A के अन्तर्गत मादक औषधियों, वाहनों के निपटान की सूचना निर्धारित नियमावली के माध्यम से NCB को प्रेषित की गयी है ?		

63.	क्या उन अभियुक्तगणों जिनकों इस अपराध में 10 वर्ष की सजा संभावित है तथा जिनसे समाज को गम्भीर हानि संभावित है,उनके विरुद्ध PIT NDPS अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट दी गयी ?		
64.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
65.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
66.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
67.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
68.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		

69.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है?		
70.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
71.	क्या आरोप पत्र के बिन्दु संख्या 16 पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप घटना का संक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, पंचनामा रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, साक्षियों के बयान, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है ?		
72.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		

शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है।
इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हां/नही	रिमार्क
1.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए दर्ज की गयी है ?		
2.	यदि एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की गयी है तो क्या निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचनादाता के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये है ? और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यथा उपबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
3.	क्या जीरो एफआईआर/ ई-एफआईआर के प्रकरणों में सभी मूल अभिलेख संग्रहीत कर लिये गये है ?		
4.	यदि एफआईआर फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी पर की गयी है तो क्या मुकदमा वादी, एफआईआर लेखक, फर्द गवाह व अभियुक्त के बयान अंकित करते हुये बरामदगी स्थल व फर्द में अंकित महत्वपूर्ण तथ्यो की पुष्टि कर ली गयी है ?		
5.	यदि एफआईआर अन्तर्रोधन से प्राप्त तथ्यों या प्राप्त इनपुट के आधार पर की गयी है तो क्या अन्तर्रोधन का आदेश संकलित कर संलग्न कर दिया गया है एवं प्राप्त		

	इनपुट के तथ्यो की पुष्टि हेतु साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी है ?		
6.	क्या अभियुक्त की गिरफ्तारी के दौरान उससे बरामद इलैक्ट्रानिक उपकरणो यथा मोबाइल सेट, टैबलेट, लैपटाप, डेस्कटाप, पेन ड्राइव आदि की नियमानुसार तथा समुचित रूप से सील मोहर करना व पूर्ण प्रकिया की वीडियोग्राफी से सम्बन्धित साक्ष्य संकलन कर निम्न अनुसार तथ्य प्रमाणित कर लिये गये है ? 1. मा0 न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर, इलैक्ट्रानिक डिवाइस का नियमानुसार डाटा टेक डाउन करना। डाटा टेक डाउन करने वाले व्यक्ति से धारा-63(4)(सी) भाग-ए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन यथापेक्षित प्रमाण पत्र लेना। 2. नियमित रूप से डॉकट तैयार करते हुये मा0 न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर इलैक्ट्रानिक डिवाइस का डाटा एक्सट्रैक्शन हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजना व समयबद्ध परिणामी आख्या प्राप्त करना व धारा-63(4)(सी) भाग-बी, साक्ष्य अधिनियम के अधीन यथापेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त करना।		
7.	यदि अन्तर्रोधन के तथ्यो के आधार पर कार्यवाही की गयी है तो क्या अन्तर्रोधन पर लिए गये मोबाइल नम्बर से सम्बन्धित डिवाइस की बरामदगी व उसका प्रयोगकर्ता (अभियुक्त) से, उसका सम्बन्ध स्थापित करने के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलन कर लिये गये है ?		

8.	यदि अन्तर्रोधन से कोई साक्ष्य सम्बन्धी तथ्य प्राप्त हुया है या बरामद इलैक्ट्रानिक डिवाइस में कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य के तौर पर आडियो क्लिप मिली है तो क्या माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर अभियुक्त की आवाज़ का मिलान उक्त साक्ष्य / ऑडियो क्लिप से कराया गया है ?		
9.	यदि अभियुक्त द्वारा रेकी कर या किसी विशेष स्थान पर जाकर गोपनीय दस्तावेज आदि संकलित किये गये है तो अभियुक्त की निशानदेही पर उसके आने जाने वाले प्वाइंट का प्वाइंट आउट मेमो तैयार करना व उसका प्रमाणीकरण हेतु उसकी मोबाइल लोकेशन से मिलान कराने एवं उक्त सम्बन्ध में उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज को प्राप्त करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी है ?		
10.	क्या अभियुक्त द्वारा अभियोग घटना से सम्बन्धित प्रयोग किये जा रहे सोशल मीडिया प्लेटफार्मो व एप्स के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकृत संस्था के नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये साक्ष्य संकलन कर लिया गया है ?		
11.	अभियुक्त की निशानदेही पर अन्य दस्तावेज या साम्रगी की बरामदगी की दशा में बरामदगी की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करते हुये यथासंभव दो स्वतंत्र साक्षियो की उपस्थिति में, फर्द बरामदगी तैयार की गयी है एवं उस पर सभी साक्षियों एवं अभियुक्त के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये है ?		

12.	क्या फर्द बरामदगी के गवाहो व स्वतंत्र साक्षियो के बयान अंकित करते हुये बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी तैयार कर लिया गया है ?		
13.	क्या अभियुक्त से अथवा उसकी निशानदेही पर बरामद गोपनीय अभिलेखों को सील करने से पहले बरामद दस्तावेजो की फोटो ले ली गयी है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग हो सके ?		
14.	यदि प्रकरण अभियुक्त द्वारा गोपनीय दस्तावेजों को किसी अन्य व्यक्ति से साझा किये जाने अथवा अंतरित किये जाने से सम्बन्धित है तो क्या इस सम्बन्ध में साझा/ अंतरित किये जाने की रीति को अंकित करते हुये साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
15.	यदि अभियुक्त के कब्जे से कोई हस्तलिखित / हस्ताक्षरित गोपनीय दस्तावेज़, नक्शा आदि बरामद हुये हों तो उन दस्तावेजों / नक्शों को उसके हस्तलेख / हस्ताक्षर से मिलान कराने हेतु विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही कर ली गयी है ?		
16.	यदि अभियुक्त के कब्जे से बरामद वस्तुएं गोपनीय दस्तावेज, नक्शा , पासवर्ड, कोडवर्ड, सूचना आदि गोपनीय प्रकृति व प्रतिबंधित क्षेत्र / स्थान या उसके आस-पास (Vicinity Of Prohibited Place) से सम्बन्धित हैं, तो क्या उक्त सम्बन्ध में तथ्यों का सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणीकरण कराया जा चुका है ?		

17.	उक्त प्रकृति की वस्तुओं का सेना / रक्षा प्रतिष्ठान / राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित स्थान या विभाग आदि से होने के सम्बन्ध में, क्या पुष्टिकारक साक्ष्य संकलन कर लिया गया है ?		
18.	उक्त प्रकृति की बरामद सामग्री, यदि शत्रु को उपलब्ध करायी गयी है तो उक्त सामग्री शत्रु के लिये किस प्रकार उपयोगी है के सम्बन्ध में तथ्यों का उल्लेख केस डायरी में कर दिया गया है ?		
19.	यदि प्रकरण उक्त प्रकृति की सामग्री किसी विदेशी एजेंट / शत्रु को अंतरित करने अथवा साझआ करने से सम्बन्धित है तो अंतरित / साझा करने की रीति व इस प्रयोजन के लिये प्रयोग किये गये साधन / डिवाइस की विधिवत बरामदगी करते हुये समस्त साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
20.	क्या अभियुक्तों के नाम व पते का सत्यापन करते हुये उक्त के सम्बन्ध में समुचित अभिलेखीय साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
21.	यदि अभियुक्त द्वारा गोपनीय अभिलेखों के अवैध प्रकटन, अंतरण व साझआ करने के प्रतिफल स्वरूप कोई आर्थिक / भौतिक लाभ अर्जित किया गया है तो उक्त के सम्बन्ध में साक्ष्य का संकलन करते हुये सक्षम अधिकारी से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही		

	कर ली गयी है और उक्त सम्बन्ध में उक्त अधिकारी का कथन अंकित कर लिया गया है ?		
22.	क्या अभियुक्त के मोबाइल के सीडीआर का विश्लेषण करते हुये प्रमाणित कैफ आईडी व उसमें संलग्न आईडी प्रूफ की प्रमाणित प्रति व उक्त सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सम्बन्धित टेलीग्राम कम्पनी के नोडल अधिकारी का बयान भी अंकित कर लिया गया है ?		
23.	क्या अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी करते हुये केस डायरी में उसका अंकन कर दिया गया है ?		
24.	यदि विवेचना के दौरान कोई अभिलेख अथवा भौतिक साक्ष्य किसी व्यक्ति के कब्जे से प्राप्त की गयी है तो क्या उक्त सम्बन्ध में उस व्यक्ति का कथन केस डायरी में अंकित करते हुये उससे आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
25.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		

26.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
27.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
28.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
29.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		
30.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		
31.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		

32.	क्या आरोप पत्र के बिन्दु संख्या 16 पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप घटना का संक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, पंचनामा रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, साक्षियों के बयान, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है ?		
33.	शासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा-13 के अधीन यथापेक्षित परिवाद संस्थित किये जाने हेतु क्या केन्द्र सरकार / राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली गयी है ?		
34.	क्या परिवाद करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा परिवाद पत्र पर दिनांक सहित अपने स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		
35.	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त क्या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुचित विलम्ब के बिना माननीय न्यायालय में परिवाद दाखिल कर दिया गया है ?		

पॉक्सो अधिनियम, 2012

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ / नहीं	रिमार्क
1.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए दर्ज की गयी है ?		
2.	यदि एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की गयी है तो क्या निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचनादाता के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये है ? और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यथा उपबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
3.	क्या जीरो एफआईआर/ ई-एफआईआर के प्रकरणों में सभी मूल अभिलेख संग्रहीत कर लिये गये है ?		
4.	यदि पीड़ित बालिका है तो क्या एफ0आई0आर0 महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अंकित की गयी है ?		
5.	यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट बालक द्वारा पंजीकृत करायी गयी है तो क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट सरल भाषा में अंकित की गयी है जिससे वह उसकी अंर्तवस्तु को समझ सके ?		

6.	क्या घटनास्थल से वैज्ञानिक / फॉरेन्सिक व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की गयी है ?		
7.	क्या पीड़ित की आयु के निर्धारण के सम्बन्ध में अभिलेखीय / मौखिक साक्ष्य संकलित कर लिया गया है एवं क्या अभिलेखीय साक्ष्य का सत्यापन करा लिया गया है ?		
8.	क्या पीड़ित का चिकित्सीय परीक्षण 24 घण्टे की अवधि के भीतर कराया जा चुका है ?		
9.	यदि पीड़ित कोई बालिका है तो क्या चिकित्सीय परीक्षण महिला चिकित्सक द्वारा उसके माता पिता अथवा ऐसे व्यक्ति जिस पर बालक विश्वास करता है की उपस्थिति में कराया गया है ?		
10.	पीड़ित की आयु के सम्बन्ध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध न होने की दशा में क्या पीड़ित की आयु निर्धारण हेतु किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 94 में विहित प्रक्रिया अपनाते हुये आयु निर्धारण हेतु चिकित्सीय परीक्षण कराने की कार्यवाही की गयी है ?		
11.	क्या पीड़ित का कथन अंतर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. सादे कपड़ों में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अनावश्यक विलम्ब के बिना दर्ज किया जा चुका है ?		

12.	क्या बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के अंतर्गत पीड़िता का कथन अनावश्यक विलम्ब के बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके माता पिता अथवा ऐसे व्यक्ति जिस पर बालक विश्वास करता है की उपस्थिति में, अंकित कराया जा चुका है ?		
13.	यदि पीड़ित बालक मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो क्या उसका कथन विशेष शिक्षक या बालक से संपर्क की रीति से सुपरिचित व्यक्ति की उपस्थिति में अंकित कराया गया है ?		
14.	क्या पीड़ित बालक का कथन श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी अभिलिखित कर लिया गया है ?		
15.	क्या पीड़िता की पहचान के प्रकटन से संरक्षित करने के लिए यथासंभव उपाय कर लिये गये है ?		
16.	क्या विवेचना के दौरान बालक को अभियुक्त के संपर्क में आने से बचाने के लिए यथासंभव उपाय कर लिये गये है ?		
17.	पीड़ित को किसी भी दशा में रात्रि में पुलिस स्टेशन में निरुद्ध तो नहीं किया गया है ?		
18.	यदि पीड़ित बालक को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता हो तो क्या उसे 24 घण्टे के अंदर संरक्षण गृह या निकटतम अस्पताल में रखने की व्यवस्था की जा चुकी है ?		

19.	यदि प्रकरण बालक के लैंगिक शोषण सम्बन्धी किसी सामाग्री या वस्तु जैसे- अश्लील साहित्य, लिंग सम्बन्धी या बालक के अश्लील प्रदर्शन से सम्बन्धित है तो क्या उक्त सामग्री या वस्तु को संकलित कर लिया गया है ?		
20.	क्या घटनास्थल का नक्शा नजरी विधिवत रूप से तैयार कर लिया गया है ?		
21.	क्या घटनास्थल से प्राप्त समस्त वैज्ञानिक / फॉरेन्सिक साक्ष्य को परीक्षण हेतु अनावश्यक विलम्ब के बिना प्रयोगशाला को भेजा जा चुका है ?		
22.	क्या अभियुक्त को गिरफ्तार करने के पश्चात् उसका चिकित्सीय परीक्षण विहित रीति से कराया जा चुका है तथा उसकी आयु के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
23.	क्या चिकित्सीय परीक्षण में पीड़ित व अभियुक्त के शरीर से प्राप्त जैविक / भौतिक साक्ष्य को मिलान हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है ?		
24.	क्या प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित कर संलग्न केस डायरी किया जा चुका है ?		
25.	क्या बाल संरक्षण समिति को नियत समय में अपराध की सूचना उपलब्ध करा दी गयी है ?		

26.	यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है और उसके द्वारा अपनी जमानत हेतु आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कया गया है तो क्या उक्त जमानत आवेदन की सूचना / प्रति पीड़ित अथवा उसके माता-पिता/ संरक्षक व बाल कल्याण समिति को उपलब्ध करा दी गयी है ?		
27.	क्या पीड़ित अथवा उसके माता पिता / संरक्षक को उनके निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार से अवगत करा दिया गया है ?		
28.	क्या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर आदि के सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
29.	क्या घटना के संबध में पीड़ित, समस्त तथ्यात्मक साक्षियों, चिकित्सक व अन्य औपचारिक साक्षियों का कथन अंकित करते हुये समस्त अभिलेखों, भौतिक साक्ष्यो को विधिवत रूप से संलग्न केस डायरी किया जा चुका है ?		
30.	यदि विवेचना के दौरान कोई अभिलेख अथवा भौतिक साक्ष्य किसी व्यक्ति के कब्जे से प्राप्त की गयी है तो क्या उक्त सम्बन्ध में उस व्यक्ति का कथन केस डायरी में अंकित करते हुये उससे आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
31.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और		

	जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
32.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
33.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
34.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
35.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		
36.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		
37.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में पीड़ित बालक की पहचान सुरक्षित करते हुये गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल		

	नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
38.	क्या विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर समुचित धाराओं का अधिरोपण अभिलेखों में कर दिया गया है ?		
39.	क्या आरोप पत्र के बिन्दु संख्या 16 पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप घटना का संक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, पंचनामा रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, साक्षियों के बयान, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है ?		
40.	क्या विवेचक द्वारा आरोप पत्र पर दिनांक सहित अपने स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 यथासंशोधित 2018

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ /नहीं	रिमार्क
1.	क्या विवेचना करने वाला पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत उक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अभियोगों की विवेचना हेतु सशक्त है ?		
2.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए दर्ज की गयी है ?		
3.	क्या ट्रैप आयोजन से पूर्व ट्रैप हेतु प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र को विवेचना में सम्मिलित कर लिया गया है ?		
4.	यह भी सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिये कि जिस व्यक्ति के विरूद्ध ट्रैप की कार्यवाही की गयी है क्या वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा-2 के अन्तर्गत लोक सेवक की परिधि में आता है ?		
5.	जिस कर्मचारी/ अधिकारी के विरूद्ध जिस तिथि को ट्रैप की कार्यवाही की गयी थी उस तिथि को क्या उक्त कर्मचारी / अधिकारी सेवा निवृत्त/ स्थानान्तरित/ निलम्बित अथवा लाइन हाजिर तो नहीं था ?		

6.	शिकायतकर्ता द्वारा जिस राजकीय कार्य हेतु लोक सेवक के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत की गयी थी, क्या वह कार्य सम्बन्धित लोक सेवक के पास लंबित था ?		
7.	क्या ट्रैप की कार्यवाही करने की अनुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली गयी थी ?		
8.	ट्रैप की कार्यवाही जिन साक्षियों के समक्ष की गयी थी, क्या वह निष्पक्ष थे एवं ऐसे साक्षियों का शिकायतकर्ता से कोई सम्बन्ध तो नहीं था इसके अतिरिक्त क्या साक्षी पुलिस विभाग के कर्मचारी तो नहीं थे ?		
9.	यदि उक्त साक्षी लोक सेवक थे तो क्या उन लोक सेवकों को साक्षी के रूप में ट्रैप कार्यवाही में शामिल होने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया था ?		
10.	ट्रैप के मामले में जिस अपराधी के कब्जे से फिनाफ्थलीन पाउडर द्वारा ट्रीटेड नोटो को साक्ष्य के रूप में बरामद किया गया है तो उस अपराधी के हाथ के साथ-साथ कपड़े आदि जिसमें रिश्वत का धन रखा गया है, या अन्य वस्तु, जिससे ग्रहण किया गया धन सम्पर्क में आया हो, क्या उसको सोडियम कार्बोनेट के घोल से धुलवाकर घोल को मुहरबन्द करते हुए शीशियों में सुरक्षित रख लिया गया है एवं क्या उसे बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के वैज्ञानिक परीक्षण हेतु भेज दिया गया है ?		

11.	क्या नक्शा नजरी में अभियुक्त, शिकायतकर्ता एवं लोकसाक्षियों के स्थान को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है ?		
12.	ट्रैप के मामले में यह आवश्यक है कि जिस कार्य के लिए रिश्वत की माँग की गयी है, क्या वह कार्य ट्रैप किये गये लोक सेवक से सम्बन्धित था एवं क्या उस कार्य से सम्बन्धित सभी अभिलेख तत्काल कब्जे में लेकर विवेचना में सम्मिलित कर लिये गये है ?		
13.	जिला न्यायालय अथवा उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय के किसी अराजपत्रित कर्मचारी के विरूद जांच अथवा ट्रैप की कार्यवाही करने से पूर्व क्या सम्बन्धित जिला जज से लिखित अनुमति प्राप्त कर ली गयी थी एवं क्या लिखित अनुमति को संकलित कर केस डायरी के साथ संलग्न कर लिया गया है ?		
14.	क्या ट्रैप की कार्यवाही करते समय एकत्र किये गये डीजिटल/इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को नियमानुसार सील करते हुये विवेचना में सम्मिलित कर लिया गया है ?		
15.	क्या ट्रैप के बाद अनावश्यक विलम्ब शिकायतकर्ता के बयान धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सम्मुख करा लिया गया है ?		
16.	शिकायतकर्ता एवं अभियुक्त के मध्य यदि व्हाट्सऐप मैजेस किया गया हो तो क्या उस मैसेज का स्क्रीन शॉट तथा मोबाइल को फोरेंसिक एनालिसिस के लिए विहित प्रक्रिया अपनाते हुये कब्जे में लिया जा चुका है ?		

17.	शिकायतकर्ता एवं अभियुक्त के मध्य यदि मोबाइल कॉल व व्हाट्सऐप कॉल अथवा किसी अन्य सोशल मीडिया माध्यम से संपर्क किया गया है तो क्या सम्बन्धित मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की पहचान के सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख सहित सीडीआर / आईपीडीआर अथवा सोशल मीडिया अकाउंट की आईडी सम्बन्धी साक्ष्य संकलित कर संलग्न केस डायरी किया गया है ?		
18.	यदि सीडीआर / आईपीडीआर को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है तो क्या सम्बन्धित टेलीकॉम नोडल अधिकारी से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4) के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
19.	रिश्वत में दिये गये नोटों की बरामदगी होने पर उन्हें सील तो नहीं किया गया है ?		
20.	क्या ट्रैप में बरामद नोटों के नम्बर जी डी में अंकित कर दिये गये है ?		
21.	आय से अधिक सम्पत्ति प्रमाणित होने पर क्या उक्त सम्पत्ति अर्जन के सम्बन्ध में समस्त अभिलेखीय साक्ष्यों को संकलित कर लिया गया है ?		
22.	क्या लोकसाक्षियों के अभिकथन उन्हीं की भाषा में ट्रैप में उनकी भूमिका के अनुरूप अभिलिखित कर लिये गये है ?		

23.	क्या विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट को केस डायरी के साथ संलग्न करते हुये उसका उल्लेख केस डायरी में कर दिया गया है ?		
24.	क्या ट्रैप की कार्यवाही के बाद अभियोग पंजीकृत होने के 02 माह के अन्दर विवेचना समाप्त कर ली गयी है ?		
25.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन स्वीकृति विहित समय में प्राप्त कर ली गयी है ?		

उत्तर प्रदेश सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि० 1989
यथा संशोधित अधिनियम 2015/2018

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है।
इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ / नहीं	रिमार्क
1.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए दर्ज की गयी है ?		
2.	यदि एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की गयी है तो क्या निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचनादाता के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये है ? और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यथा उपबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
3.	क्या जीरो एफआईआर/ ई-एफआईआर के प्रकरणों में सभी मूल अभिलेख संग्रहीत कर लिये गये है ?		
4.	क्या विवेचना करने वाला पुलिस अधिकारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि० 1989 के अंतर्गत पंजीकृत अभियोगों की विवेचना हेतु सशक्त है ?		
5.	क्या क्षेत्राधिकारी/ उपाधीक्षक को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने के बाद संसूचित कर दिया गया है ?		

6.	क्या पीड़ित के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का होने सबंधी प्रमाण पत्र एवं अभियुक्त का जाति से सबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर जाति सम्बन्धित तथ्यों को सुनिश्चित कर लिया गया है ?		
7.	क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध किये गये अत्याचार की सूचना, सक्षम अधिकारी (जैसे-जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस उपाधीक्षक से कम पंक्ति का न हो) को दे दी गयी है ?		
8.	क्या घटना स्थल पर फोरेंसिक यूनिट की मदद से भौतिक / इलेक्ट्रॉनिक, वैज्ञानिक व फॉरेन्सिंक साक्ष्य का विधिवत रूप से संकलन किया गया है ?		
9.	क्या विवेचना में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की हैश वैल्यू (HASH VALUE) प्राप्त की गयी है ?		
10.	क्या मौके पर जब्तीकरण का मेमो तैयार किया गया है और मौके पर ही सील/मुहर किया गया है एवं क्या संपूर्ण प्रक्रिया की फोटोग्राफी / वीडियोग्राफी कर ली गयी है ?		
11.	यदि मामला लैंगिक अपराधों से सम्बन्धित है तो क्या उसके सम्बन्ध में चिकित्सक का बयान / रिपोर्ट प्राप्त कर ली गयी है ?		
12.	क्या चोटों के सम्बन्ध में चिकित्सक की रिपोर्ट (एक्स-रे रिपोर्ट, सी.टी. स्कैन रिपोर्ट, मृत्यु की दसा		

	में पोस्टमार्टम रिपोर्ट) प्राप्त कर लिये गये हैं और चिकित्सक का बयान अंकित कर लिया गया है ?		
13.	लैंगिक अपराध के सम्बन्ध में क्या चिकित्सीय परीक्षण 24 घण्टे के अन्दर करा लिया गया है और यदि लैंगिक अपराध नाबालिग के साथ हुआ है, तो क्या पॉक्सों एक्ट की सुसंगत धाराओं का समावेश करते हुये पीड़ित की आयु के सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
14.	क्या घटना के सभी चक्षुदर्शी साक्षियों की पहचान सुनिश्चित करते हुये उनके कथन अंकित कर लिये गये है एवं क्या उनसे बंध पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
15.	क्या पुलिस अधिकारियों/ औपचारिक साक्षियों के कथन उनका नाम पदनाम, मोबाइल नं0 एवं पीएनओ नं0 अंकित कर लिये गये है ?		
16.	क्या विवेचना के दौरान संकलित किये गये इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
17.	क्या विवेचना अधिनियम में निर्धारित समय सीमा/दिवस (60 दिन के अन्दर) पूर्ण कर ली गयी है ?		
18.	क्या आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की स्थिति में पीड़ित अथवा उसके परिवार जनों को राहत राशि प्रदान किये जाने हेतु सक्षम अधिकारियों को सूचना		

	अनावश्यक विलम्ब के बिना प्रेषित कर दी गयी है ?		
19.	क्या सक्षम अधिकारियों द्वारा राहत के हकदार एवं पीड़ितो व उनके कुटुम्ब के सदस्यों तथा आश्रितों की सूची बना ली गयी है / प्राप्त कर ली गयी है ?		
20.	क्या अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों की सम्पत्ति की हानि एवं उसकी प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध मनें आवश्यक रिपोर्ट अनावश्यक विलम्ब के बिना तैयार कर ली गयी है ?		
21.	क्या पीड़ित और साक्षीगण की सुरक्षा हेतु समुचित उपाय कर दिये गये हैं ?		
22.	क्या पीड़ित (SC/ST) को तत्काल प्रभाव से प्रारंभिक राहत प्रदान कर दी गयी है ?		
23.	क्या अधिनियम के अध्याय-4 (क) के सम्बन्धों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और साक्षियों के अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में नोडल अधिकारी एवं सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को घटना के सम्बन्ध मे सूचित कर दिया गया है ?		
24.	क्या साक्षी गण के न्यायालय में उपस्थित होने सम्बन्धी बंध पत्र, उनका मोबाइल नंबर, ई - मेल , स्थायी पता, वर्तमान पता, आयु आदि अभिलिखित कर लिए गये हैं ?		

25.	प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज होने के दशा में क्या अभियुक्त की पहचान (नाम व पता तस्दीक करते हुये) स्थापित कर ली गयी है ?		
26.	क्या अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित कर लिया गया है ?		
27.	क्या अभियुक्त अथवा साक्षी का बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. यथावश्यक अंकित करा लिया गया है ?		
28.	क्या अभियुक्त की आयु के सम्बन्ध में विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		
29.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर कोई बरामदगी की गयी है और बरामदगी के सम्बन्ध में बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों का अनुपालन करते हुये की गयी वीडियो रिकार्डिंग को केस डायरी का भाग बना लिया गया है ?		
30.	क्या बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी उचित रूप से तैयार कर संलग्न कर लिया गया है ?		
31.	क्या बरामदगी के उपरान्त अभियोग में उचित धाराओं का अंकन कर लिया गया है ?		
32.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		

33.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
34.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
35.	बीएनएस के अधीन 10 वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों की विवेचना में क्या इस सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है कि अभियुक्त यह जानता था कि जिस व्यक्ति या सम्पत्ति के प्रति अपराध किया गया है वह व्यक्ति एससी/ एसटी वर्ग का है या वह सम्पत्ति उसकी है ?		
36.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
37.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		
38.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		

39.	यदि अभियुक्त पूर्व में एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत पूर्व दोषसिद्ध हो तो क्या इस सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्य संकलित कर केस डायरी के साथ संलग्न कर दिया गया है ?		
40.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
41.	क्या आरोप पत्र के बिन्दु संख्या 16 पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप घटना का संक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, पंचनामा रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, साक्षियों के बयान, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है ?		
42.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		

प्रदेश सरकार

ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क्स
1.	ट्रेडमार्क अधिनियम धारा 115 के अनुसार अधिनियम की धारा 103, 104 व 105 के अंतर्गत दंडनीय अपराध ही संज्ञेय प्रकृति के है अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से पूर्व सूचना में अंकित तथ्यों से क्या मामला इन धाराओं के अंतर्गत आने की पुष्टि कर ली गयी है ?		
2.	यदि एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की गयी है तो क्या निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचनादाता के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये है ? और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यथा उपबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
3.	क्या जीरो एफआईआर/ ई-एफआईआर के प्रकरणों में सभी मूल अभिलेख संग्रहीत कर लिये गये है ?		
	यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट ट्रेडमार्क धारक की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा पंजीकृत करायी गयी है तो क्या प्राधिकार पत्र को संकलित कर संलग्न केस डायरी करते हुये प्राधिकृत व्यक्ति का कथन शिकायत के सम्बन्ध में अंकित कर लिया गया है ?		

4.	क्या ट्रेड मार्क अधिकार पत्र की मूल / प्रमाणित प्रति विवेचना में संकलित कर ली गयी है ?		
5.	क्या ट्रेड मार्क उल्लंघन की रीति एवं उक्त उल्लंघन करते हुये तैयार की गयी सामग्री को साक्ष्य के रूप में संकलित कर लिया गया है ?		
6.	क्या ट्रेड मार्क धारक या उनके विधिक प्रतिनिधि का बयान शिकायत के सम्बन्ध में दर्ज कर लिये गये है ?		
7.	क्या ट्रेड मार्क अधिकार पत्र की सत्यता की जांच जारी करने वाले प्राधिकारी अथवा अन्य विधिपूर्ण रीति से कर ली गयी है ?		
8.	क्या ट्रेड मार्क उल्लंघन में निर्मित की गयी सामग्री के निर्माण, संग्रहण आदि के स्थान को चिन्हित कर लिया गया है ?		
9.	यदि विवेचना के दौरान किसी स्थान की तलाशी, किसी वस्तु / सामग्री की बरामदगी की गयी है तो क्या तलाशी एवं बरामदगी हेतु बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है ?		
10.	क्या ऐसी तलाशी / जब्ती पुलिस उपाधीक्षक या उसके समकक्ष किसी पुलिस अधिकारी द्वारा की गयी है ?		

11.	क्या ऐसी तलाशी / जब्ती करने से पहले ट्रेडमार्क से सम्बन्धित अपराध में अंर्तविलित तथ्यों पर रजिस्ट्रार की राय प्राप्त की गयी है ?		
12.	जिस परिसर / स्थान में ट्रेडमार्क उल्लंघन का कार्य निष्पादित किया जा रहा था, तो क्या उस परिसर के आस पास के निवासियों के कथन उक्त सम्बन्ध में अंकित कर लिये गये है ?		
13.	यदि उक्त परिसर / स्थान पर या उसके आस पास सीसीटीवी उपलब्ध हो तो क्या उक्त सीसीटीवी फुटेज व उसके सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र विधिपूर्ण रीति से संकलित कर संलग्न केस डायरी कर दी गयी है ?		
14.	जिस परिसर का उपयोग ट्रेडमार्क का उल्लंघन में हो रहा है, तो क्या अभियुक्त उस परिसर का स्वामी / किरायेदार है ?		
15.	यदि अभियुक्त उस परिसर का किरायेदार है तो क्या किरायेदारी के सम्बन्ध में मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
16.	यदि परिसर किराये पर लिया गया है तो क्या इस बिन्दु पर विवेचना की गयी है कि अभियुक्त व परिसर स्वामी के बीच अपराध किये जाने के सम्बन्ध में कोई दुःसंधि तो नहीं है एवं क्या अपराध स्वामी की		

	जानकारी अथवा उसकी मौन सहमति से तो नहीं किया जा रहा है ?		
17.	क्या तलाशी / जब्ती में बरामद वस्तु / सामग्री / मशीनरी के सम्बन्ध में फर्द विधिपूर्वक तैयार करते हुये उस पर सभी साक्षियों / अभियुक्त के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये है ?		
18.	क्या जब्त की गयी सभी वस्तुओं को यथाशीघ्र सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है ?		
19.	क्या सभी सम्बन्धित साक्षियों व अभियुक्त का कथन बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत अंकित किया जा चुका है ?		
20.	क्या बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी उचित रूप से तैयार कर संलग्न कर लिया गया है ?		
21.	क्या बरामदगी के उपरान्त अभियोग में उचित धाराओं का अंकन कर लिया गया है ?		
22.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		

23.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
24.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
25.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
26.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		
27.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		
28.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि		

	का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
29.	क्या आरोप पत्र के बिन्दु संख्या 16 पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप घटना का संक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, पंचनामा रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, साक्षियों के बयान, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है ?		
30.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		

विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1967

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हां/नही	रिमार्क
1.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए दर्ज की गयी है ?		
2.	यदि एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की गयी है तो क्या निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचनादाता के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये है ? और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यथा उपबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
3.	क्या जीरो एफआईआर/ ई-एफआईआर के प्रकरणों में सभी मूल अभिलेख संग्रहीत कर लिये गये है ?		
4.	क्या राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी एक्ट की धारा 6 के अनुपालन में अनुसूचित अपराध से सम्बन्धित एफ0आई0आर0 पंजीकृत होने की सूचना तत्काल उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित कर दी गयी है ?		
5.	यदि एफआईआर आसूचना या अन्य किसी माध्यम से संकलित सूचना के आधार पर पंजीकृत हुयी है तब क्या आसूचना व अन्य माध्यम से प्राप्त तथ्यों की पुष्टि		

	हेतु विवेचनात्मक कार्यवाही द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया है ?		
6.	क्या प्रकरण से सम्बन्धित प्रथम सूचना दाता, एफ0आई0आर0 लेखक व अन्य गवाहों के बयान अंकित कर लिये गये है ?		
7.	क्या घटनास्थल की नक्शा नजरी नियमानुसार सम्पूर्ण विशिष्टियों को अंकित करते हुये बनायी गयी है ?		
8.	क्या अभियुक्त की गिरफ्तारी के दौरान उससे बरामद राष्ट्र विरोधी साहित्य /आतंक समर्थित/ प्रतिबंधित आतंकी संगठन से सम्बन्धित साहित्य व अन्य साम्रगी यथा किताब, झण्डा, बैनर, फोटो आदि (चाहे वे फिजीकल फार्म में हो या डिजीटल) तथा कब्जे से बरामद इलैक्ट्रानिक उपकरणों यथा मोबाइल सेट, टैबलेट, लैपटाप, डेस्कटाप, पेन ड्राइव आदि की नियमानुसार तथा समुचित रूप से सील कर प्रकिया की वीडियोग्राफी करा ली गयी है ? i. मा0 न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर, इलैक्ट्रानिक डिवाइस का नियमानुसार डाटा टेक डाउन करना। डाटा टेक डाउन करने वाले व्यक्ति से धारा-63(4)(सी) भाग-ए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन यथापेक्षित प्रमाण पत्र लेना। ii. नियमित रूप से डॉकट तैयार करते हुये मा0 न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर इलैक्ट्रानिक डिवाइस का डाटा एक्सट्रैक्शन हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला		

	भेजना व समयबद्ध परिणामी आख्या प्राप्त करना व धारा-63(4)(सी) भाग-बी, साक्ष्य अधिनियम के अधीन यथापेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त करना। iii. प्रतिबंधित संगठन के प्रचार प्रसार से सम्बन्धित साहित्य के सम्बन्ध में, संगठन को प्रतिबंधित किये जाने सम्बन्धी आदेश का संकलन। iv. यदि कोई संगठन विधि विरूद्ध संगम घोषित है, तो उससे सम्बन्धित अधिसूचना का संकलन अवश्य किया जाये व केस डायरी में समाहित किया जाये।		
9.	यदि अन्तर्रोधन से प्राप्त तथ्यो के आधार पर कार्यवाही की गयी है तो क्या अन्तर्रोधन पर लिए गये मोबाइल नम्बर से सम्बन्धित डिवाइस की बरामदगी व उसका प्रयोगकर्ता (अभियुक्त) से, उसका सम्बन्ध स्थापित करने के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलन करते हुये अन्तर्रोधन का आदेश करने वाले सक्षम प्राधिकारी की अनुमति पत्र की कॉपी संलग्न कर आदेश की एक प्रति निर्धारित समयावधि में अभियुक्त को प्रदान की गयी है ?		
10.	यदि अन्तर्रोधन से कोई साक्ष्य सम्बन्धी तथ्य आया है या बरामद इलैक्ट्रानिक डिवाइस में कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य के तौर पर आडियो क्लिप मिली है तो क्या माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर अभियुक्त की वॉयस का मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से करा लिया गया है ?		

11.	संकलित साहित्य व सामग्री, चैट आदि किस प्रकार से किसी आतंकी संगठन व राष्ट्र विरोधी कार्यो के सम्बन्ध में करने का कार्य कर रहा था और अन्य लोगो के बीच प्रचार प्रसार, पक्ष पोषण व दुष्प्रेरण आदि करके लोगो को कट्टर (रेडीक्लाईज) बनाने का कार्य कर रहा क्या इस सम्बन्ध में पुष्टिकारक साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
12.	क्या अभियुक्त द्वारा घटना से सम्बन्धित प्रयोग किये जा रहे सोशल मीडिया प्लेटफार्म व एप्स के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकृत संस्था के नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
13.	सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर विधि विरूद्ध या राष्ट्र विरोधी कोई कंटेन्ट प्रसारित करने के सम्बन्ध में क्या सम्बन्धित सोशल मीडिया प्लेटफार्म के नोडल अधिकारी से उक्त अकाउन्ट के प्रयोगकर्ता के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्राप्त करते हुये उक्त प्रसारित कंटेन्ट को किन-किन व्यक्तियो / ग्रुपो में शेयर किया गया है, की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर उसको लाइक करने वाले लोगो की जानकारी व सम्बन्धित व्यक्तियो से पूछताछ कर बयान अंकित कर लिये गये है ?		
14.	अभियुक्तो द्वारा अपने कथित संगठन या गैंग में अन्य लोगो को जोड़ने का प्रयास किया गया हो या जोड़ा गया हो, तो क्या इस सम्बन्ध में भी पुष्टिकारक साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		

15.	यदि अभियुक्त/ अभियुक्तो द्वारा स्वयं या अन्य लोगो को किसी ड्रिल का प्रशिक्षण लिया गया हो या लोगो को दिलाया गया हो तो क्या उसके सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		
16.	अभियुक्त की निशानदेही पर या अन्यथा किसी दस्तावेज या साम्रगी की रिकवरी करने की स्थिति में क्या पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करते हुये यथासंभव दो स्वतंत्र साक्षियो की उपस्थिति में, फर्द बरामदगी तैयार कर फर्द गवाहो व स्वतंत्र साक्षियो के बयान अंकित कर नक्शा नजरी तैयार कर ली गयी है? (सील करने से पहले बरामद दस्तावेजो की फोटो भी ले ली जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग हो सके)		
17.	यदि अभियुक्त के कब्जे से कोई डाकूमेंट या उसके हस्तलेख से सम्बन्धित दस्तावेज यथा नक्शा(साइट प्लान) आदि वस्तुएं बरामद हुई हैं तो क्या हस्तलेख मिलान हेतु उक्त हस्तलेख से सम्बन्धित प्रमाणित दस्तावेज एफएसएल भेज कर एफ एस एल से परिणामी आख्या प्राप्त कर ली गयी है ? (धारा-63(4)(सी) भाग-बी, साक्ष्य अधिनियम के अधीन यथापेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त करना)		
18.	क्या अभियुक्तो के किसी अन्य आतंकी संगठन या आतंकी से सम्बन्ध के बारे में भी विस्तृत जाँच कर, साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		

19.	क्या अभियुक्तों के नाम व पते का सत्यापन कर इस सम्बन्ध में समुचित दस्तावेज संकलित कर संलग्न केस डायरी कर लिये गये है ?		
20.	अभियुक्तों के आय के स्रोतो का विश्लेषण इस उद्देश्य से किया जाये कि उक्त आय कहाँ से हुयी है। टेरर फंडिग के सम्बन्ध में ट्रेल की जानकारी करते हुये साक्ष्य संकलन किया जाये। यथा बैंक एकाउन्ट की जानकारी कर समस्त प्रपत्रो को बैंक से प्राप्त करना व उसका प्रमाणीकरण सम्बन्धित बैंक अधिकारी से कराना व बैंकर बुक एक्ट की धारा 2ए के अन्तर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सम्बन्धित बैंक अधिकारी का बयान अंकित कर लिया गया है ?		
21.	अभियुक्तो के कब्जे से यदि शस्त्र या विस्फोटक पदार्थो की बरामदगी हुयी है तो क्या उनके स्रोत के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी करते हुये प्रारम्भिक बिन्दु से पूरी ट्रेल की जानकारी करते हुये साक्ष्य संकलित कर बरामद विस्फोटक पदार्थ को निष्क्रिय करवा लिया गया है ?		
22.	यदि अभियुक्तो द्वारा विस्फोटको/ आग्नेयास्त्र/ रासायनिक पदार्थो या अन्य किसी साधन से कोई आतंकी घटना करते हुये जनधन की हानि कारित हुई है तो क्या विवेचना के क्रम में घटना स्थल का निरीक्षण करने वाली फारेंसिक फील्ड यूनिट , डॉग स्क्वाड आदि जो टीमे घटनास्थल पर गयी थी, उनके बयान अंकित कर लिये गये है और साथ ही घटनास्थल की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी प्राप्त कर		

	ली गयी है तथा मौके से जो सैम्पल जमा किये गये है उनको जाँच हेतु नियमानुसार विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेज दिया गया है ?		
23.	धारा-15 विधि विरूद्ध क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत यथा परिभाषित किसी अन्य प्रकार से की गयी आतंकवादी घटना के सम्बन्ध में भी इस चेकलिस्ट में यथा निर्दिष्ट कार्य किये जायेगें।		
24.	आवश्यकता होने पर अभियुक्तो का पीसीआर लेकर, अपेक्षित कार्यवाही करते हुये यदि किसी साम्रगी की रिकवरी की गयी है तो क्या सर्च व सीजर की कार्यवाही का रिकवरी मेमो तैयार करते हुये पूरी प्रकिया की वीडियोग्राफी कराकर उसे विवेचना में समाहित कर लिया गया है ?		
25.	क्या अभियुक्त के मोबाइल के सीडीआर का विश्लेषण करते हुये प्रमाणित कैफ आईडी व उसमें संलग्न आईडी प्रूफ की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर उक्त सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये सम्बन्धित टेलीकॉम कम्पनी के नोडल अधिकारी का बयान अंकित कर लिया गया है ?		
26.	विवेचना के उपरान्त प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में विहित समय के भीतर शासन से अनुरोध कर, उसी क्रम में रिव्यू अथॉरिटी के द्वारा अपेक्षित तिथि पर प्रकरण को रिव्यू हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है ?		

27.	क्या अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी कर उसका केस डायरी में अंकन कर दिया गया है ?		
28.	क्या धारा-6 एनआईए एक्ट, 2008 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट की सूचना राज्य सरकार को प्रेषित पत्र / सूचना की प्रति संलग्न कर दी गयी है ?		
29.	क्या आतंकवादी कार्यवाही से अर्जित/ व्युत्पन्न (Derived) सम्पत्ति चाहे स्थावर हो या जंगम, जिसके अन्तर्गत स्टैम्प, करेंसी, बैंक नोट, नगदी, या अन्य सम्पत्तियां भी हैं, को विवेचना के क्रम में चिन्हित कर लिया गया है ?		
30.	विवेचक द्वारा उपरोक्त प्रकृति की चिन्हित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में क्या सक्षम प्राधिकारी/अभिहित अधिकारी को सूचित करते हुये, ऐसे सक्षम प्राधिकारी/अभिहित अधिकारी की पूर्व अनुमति से सम्पत्तियों को अभिग्रहण व कुर्क कर ऐसे अभिग्रहण व कुर्क सम्पत्तियों के अभिग्रहण के सम्बन्ध में उक्त अभिग्रहण व कुर्क किये जाने के 48 घण्टे के अन्दर कार्यवाही से उक्त सक्षम प्राधिकारी को अवगत करा दिया गया है ?		
31.	यदि विवेचना विवेचक द्वारा, विवेचना हेतु विहित समयावधि 90 दिवस के अवधि में पूर्ण किया जाना संभव नही है तो क्या विवेचना में अन्य कौन कौन से साक्ष्य संकलित किया जाना अपेक्षित है, का उल्लेख करते हुये विवेचक द्वारा सम्बन्धित न्यायालय में विवेचना के लिये अतिरिक्त समयावधि विस्तार		

	(अधिकतम 90 दिवस) का प्रार्थना पत्र लोक अभियोजक के माध्यम से प्रस्तुत कर अवधि विस्तार का आदेश प्राप्त कर लिया गया है ? (धारा 43 D (2) (b))		
32.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
33.	सुसंगत मामलों में सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
34.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
35.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
36.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		

37.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है?		
38.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
39.	क्या आरोप पत्र के बिन्दु संख्या 16 पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप घटना का संक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, पंचनामा रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, साक्षियों के बयान, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है ?		
40.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट तलाशी एवं बरामदगी के आधार पर दर्ज की गयी है तो क्या बरामदगी धारा 50 में अधिकृत व्यक्ति द्वारा की गयी है ?		
2.	क्या अपराध का अन्वेषण/जांच ऐसे अधिकारी द्वारा की जा रही है जो राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत है ?		
3.	यदि अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तो क्या कम्पनी किस व्यक्ति के प्रभार में थी या कौन व्यक्ति कम्पनी के संचालन के लिए जिम्मेदार था, क्या इस सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
4.	यदि कोई व्यक्ति अवैध शिकार और उसके व्यापार के सम्बन्ध में आरोपित किया गया है तो उसके द्वारा इस अधिनियम के उल्लंघन में अर्जित सम्पत्ति क्या 6 वर्ष की अवधि के भीतर अर्जित की गयी है ?		
5.	क्या इस अधिनियम के उल्लंघन में अभियुक्त द्वारा अपने अथवा अपने नातेदार के पक्ष में अवैध ढंग से अर्जित सम्पत्ति की पहचान कर ली गयी है ?		

6.	क्या पहचान की गयी सम्पत्ति को छिपाये जाने से या स्थानान्तरित किये जाने से निवारित करने के लिए क्या सम्पत्ति जब्त की गयी है या उस पर रोक लगायी गयी है ?		
7.	क्या ऐसे आदेश की तामील सम्बन्धित व्यक्ति पर की गयी है और क्या ऐसे आदेश व तामीला की प्रति ऐसे आदेश के 48 घण्टे के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की गयी है ?		
8.	क्या आरोपित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन पूर्व में दोषसिद्ध रह चुका है ?		
9.	क्या तलाशी और जब्ती वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 50 और बी.एन.एस.एस. की धारा 103 की प्रक्रिया के अनुसार की गयी है ?		
10.	क्या फर्द बरामदगी में तलाशी एवं जब्ती से सम्बन्धित प्रत्येक तथ्य एवं घटना प्रासंगिक सूचना/खुफिया जानकारी प्राप्त होने के समय से ही शुध्द रूप से अंकित की गयी है ?		
11.	क्या तलाशी एवं जब्ती ज्ञापन मौके पर ही तैयार किया गया है ?		
12.	क्या तलाशी के तुरन्त बाद अभियुक्त का बयान स्वतन्त्र साक्षियों की उपस्थिति में दर्ज किया गया है ?		

13.	क्या तलाशी एवं जब्ती ज्ञापन में बरामद वस्तुओं के सभी भौतिक माप दण्ड जैसे रंग, बनावट आकार, गन्ध, वस्तुओं की सामान्य स्थिति का सही एवं स्पष्ट विवरण अंकित किया गया है ?		
14.	खाल बरामदगी के मामले में किसी भी परिरक्षक (Preservative) कट (Cut), गोली के प्रवेश बिन्दु एवं निकास बिन्दु (Entry and exit point of Bullett) आदि के निशान की उपस्थिति के सम्बन्ध में दिखायी देने/महसूस किये जाने वाले अवलोकन को क्या तलाशी/जब्ती ज्ञापन में अंकित किया गया है ?		
15.	यदि फर्द बरामदगी में कोई ओवर राइटिंग / कटिंग / परिवर्तन / परिवर्धन है तो क्या विवेचना के दौरान उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया गया है ?		
16.	क्या बरामद की गयी सभी सामग्री, वाहन, जाल, उपकरण, हथियार आदि को अधिकारिता वाले न्यायालय में पेश किया गया है ?		
17.	क्या आरोपी/अभियुक्त के बैंक खातों की जाँच कर ली गयी है ?		
18.	क्या बन्य जीव का विवरण, सामान्य नाम, वैज्ञानिक नाम तथा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूची जिसमें वन्य जीव सूचीबद्ध है का उल्लेख केस डायरी/फर्द बरामदगी में किया गया है ?		

19.	यदि वन्य जीव या उसकी खाल या शरीर के अन्य भागों की पहचान सुनिश्चित नहीं है तो क्या इस सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त वन्य जीव संस्थान/चिकित्सक से पहचान सुनिश्चित करायी गयी है ?		
20.	गिरफ्तारी व बरामदगी मेमों की सभी प्रविष्टियां क्या सही-सही अंकित है ?		
21.	क्या अभियुक्त और साक्षीगण की पहचान स्थापित कर ली गयी है ?		
22.	यदि किसी मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी या जहाँ एक से अधिक अभियुक्त हैं तो क्या प्रथम अभियुक्त की गिरफतारी से 60 दिन के भीतर सक्षम न्यायालय में परिवाद/रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया गया है ?		
23.	क्या इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध के सम्बन्ध में कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलित किया गया है और उसके सम्बन्ध में धारा 63(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है ?		
24.	क्या बरामद की गयी वस्तुओं की शुद्ध एवं स्पष्ट सूची तैयार की गयी है एवं उसे तैयार करने वाले अधिकारियों द्वारा एवं साक्षियों तथा आरोपी/अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है ?		

25.	यदि तलाशी से कोई कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अभिग्रहीत किया गया है तो क्या उसके जाँच हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किया गया है और परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गयी है ?		
26.	अवैध शिकार के मामले में क्या बरामद हथियार/बुलेट को जाच हेतु भेजा गया है और परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गयी है ?		
27.	क्या मृत पशु / जीव का पोस्टमार्टम कराया गया है, यदि हाँ तो क्या पोस्टमार्टमकर्ता चिकित्सक का बयान अंकित करते हुये पोस्टमार्टम रिपोर्ट को संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		
28.	क्या घटना से सम्बन्धित सभी साक्षीगण का बयान विधि की अपेक्षानुरूप अंकित कर लिया गया है ?		
29.	क्या साक्षी गण के न्यायालय में उपस्थित होने सम्बन्धी बंध पत्र, उनका मोबाइल नंबर, ई - मेल , स्थायी पता वर्त्तमान पता आयु आदि अभिलिखित कर लिए गये हैं ?		
30.	क्या अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित कर लिया गया है ?		
31.	क्या अभियुक्त अथवा साक्षी का बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. यथावश्यक अंकित करा लिया गया है ?		

32.	क्या अभियुक्त की आयु के सम्बन्ध में विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		
33.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
34.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
35.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
36.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही करने से पूर्व पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
37.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		
38.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी		

	तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		
39.	क्या केस डायरी में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
40.	क्या परिवाद ऐसे अधिकारी द्वारा योजित किया गया है जो कि इस अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत सशक्त है ?		

पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट (सार्वजनिक जुआ अधिनियम), 1867

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए दर्ज की गयी है ?		
2.	यदि एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की गयी है तो क्या निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचनादाता के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये है ? और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यथा उपबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
3.	क्या जीरो एफआईआर/ ई-एफआईआर के प्रकरणों में सभी मूल अभिलेख संग्रहीत कर लिये गये है ?		
4.	क्या जुआ के सार्वजनिक स्थान पर होने के साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		
5.	क्या जुआ अधिनियम में उपबंधित उपकरणों/ साधनों का प्रयोग करके खेले जाने के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		
6.	क्या जुआ खेलने में प्रयुक्त उपकरण, साधन व धनराशि नियमानुसार जब्त कर ली गयी है ?		

7.	क्या जब्ती के सम्बन्ध में बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है ?		
8.	क्या जब्ती की फर्द बरामदगी नियमानुसार तैयार करते हुए उस पर सर्व सम्बन्धित के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये है और अभियुक्त के भी हस्ताक्षर उसको फर्द की एक प्रति प्रदान कर, प्राप्त कर लिये गये है ?		
9.	क्या फर्द के सभी साक्षीगण का बयान केस डायरी में अंकित कर लिया गया है ?		
10.	जुआ खेलने में अगर इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग किया गया है तो क्या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों / साधनों को निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुये जब्त किया गया है ?		
11.	इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों / साधनों के सम्बन्ध में धारा 63(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र लेते हुये उसको परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित कर दिया गया है ?		
12.	क्या जुआ में प्रयोग की जा रही / प्राप्त हो रही धनराशि के सम्बन्ध में बैंक / वित्तीय संस्थाओं से अभिलेखीय साक्ष्य संकलित किये गये है ?		
13.	जुआ किसी घर, आहाते या परिसर में होने पाये जाने की दशा में, क्या उस स्थल पर प्रवेश के सम्बन्ध में		

	आवश्यक अनुमति लेते हुये साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
14.	जुआ किसी घर, आहाते या परिसर में होने पाये जाने की दशा में, क्या उस घर, आहाते या परिसर के स्वामी या अधिष्ठाता द्वारा जानबूझकर या जानते हुये कि उस स्थान को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जुआ खेले जाने में प्रयुक्त हो रहा है, अनुज्ञा देने के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
15.	क्या अपराधी के इस अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
16.	क्या साक्षी गण के न्यायालय में उपस्थित होने सम्बन्धी बंध पत्र, उनका मोबाइल नंबर, ई - मेल , स्थायी पता वर्त्तमान पता आयु आदि अभिलिखित कर लिए गये हैं ?		
17.	क्या अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित कर लिया गया है ?		
18.	क्या अभियुक्तगण अथवा साक्षी के बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. यथावश्यक अंकित करा लिया गया है ?		
19.	क्या अभियुक्तगण की पहचान स्थापित कर ली गयी है ?		

20.	क्या अभियुक्त की आयु के सम्बन्ध में विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		
21.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर कोई बरामदगी की गयी है और बरामदगी के सम्बन्ध में बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों का अनुपालन करते हुये की गयी वीडियो रिकार्डिंग को केस डायरी का भाग बना लिया गया है ?		
22.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी और जब्ती की रिपोर्ट उ0प्र0 बी.एन.एस.एस. नियमावली 2022 के अनुरूप 48 घंटे के अन्दर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी गयी है ?		
23.	क्या बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी उचित रूप से तैयार कर संलग्न कर लिया गया है ?		
24.	क्या बरामदगी के उपरान्त अभियोग में उचित धाराओं का अंकन कर लिया गया है ?		
25.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
26.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		

27.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
28.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
29.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		
30.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		
31.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
32.	क्या आरोप पत्र के बिन्दु संख्या 16 पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप घटना		

	का संक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, साक्षियों के बयान आदि के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है ?		
33.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		

उत्तर प्रदेश सरकार

<u>लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984</u>

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए दर्ज की गयी है ?		
2.	यदि एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की गयी है तो क्या निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचनादाता के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये है ? और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यथा उपबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
3.	क्या जीरो एफआईआर/ ई-एफआईआर के प्रकरणों में सभी मूल अभिलेख संग्रहीत कर लिये गये है ?		
4.	जिस सम्पत्ति को क्षति कारित किया जाना अभिकथित है क्या उसके स्वामित्व (लोक सम्पत्ति होने) के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित किये गये है ?		
5.	जिस साधन से क्षति कारित किया जाना अभिकथित है क्या उसकी बरामदगी व जब्ती नियमानुसार बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के अनुसार की गयी है ?		
6.	यदि लोक सम्पत्ति को क्षति अग्नी या विस्फोटक पदार्थ से कारित की गयी है तो क्या इस सम्बन्ध में		

	साक्ष्य संकलित करते हुये, इस अधिनियम के अंतर्गत उचित धारा का अधिरोपण कर दिया गया है ?		
7.	यदि घटना के सम्बन्ध में कोई सीसीटीवी फुटेज, फोटोग्राफ या वीडियोग्राफ प्राप्त हुआ है तो क्या उसे नियमानुसार धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के साथ संलग्न केस डायरी कर लिया गया है ?		
8.	क्या साक्षी गण के न्यायालय में उपस्थित होने सम्बन्धी बंध पत्र, उनका मोबाइल नंबर, ई - मेल , स्थायी पता वर्त्तमान पता आयु आदि अभिलिखित कर लिए गये हैं ?		
9.	क्या अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित कर लिया गया है ?		
10.	क्या अभियुक्त अथवा साक्षी का बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. यथावश्यक अंकित करा लिया गया है ?		
11.	क्या अभियुक्त की पहचान (नाम व पता तस्दीक करते हुये) स्थापित कर ली गयी है ?		
12.	क्या अभियुक्त की आयु के सम्बन्ध में विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		
13.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर कोई बरामदगी की गयी है और बरामदगी के सम्बन्ध में बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों का अनुपालन करते हुये की गयी		

	वीडियो रिकार्डिंग को केस डायरी का भाग बना लिया गया है ?		
14.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी और जब्ती की रिपोर्ट उ0प्र0 बी.एन.एस.एस. नियमावली 2022 के अनुरूप 48 घंटे के अन्दर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी गयी है ?		
15.	क्या बरामदगी स्थल / घटनास्थल का नक्शा नजरी उचित रूप से तैयार कर संलग्न कर लिया गया है ?		
16.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
17.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
18.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
19.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		

20.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		
21.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		
22.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
23.	क्या आरोप पत्र के बिन्दु संख्या 16 पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप घटना का संक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, पंचनामा रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, साक्षियों के बयान, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है ?		
24.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है।
इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए दर्ज की गयी है ?		
2.	यदि एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की गयी है तो क्या निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचनादाता के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये है ? और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यथा उपबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
3.	क्या जीरो एफआईआर/ ई-एफआईआर के प्रकरणों में सभी मूल अभिलेख संग्रहीत कर लिये गये है ?		
4.	क्या दहेज दिये / लिये जाने के सम्बन्ध में मौखिक, अभिलेखीय व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
5.	क्या दहेज दिये / लिये जाने के समय के सम्बन्ध में मौखिक, अभिलेखीय व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		

6.	क्या दहेज की मांग किये जाने / सूची दिये जाने के सम्बन्ध में मौखिक, अभिलेखीय व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
7.	यदि दहेज की मांग टेलीफोन के माध्य से किया गया है तो क्या नियमानुसार धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
8.	यदि दहेज की मांग के सम्बन्ध में कोई ऑडियो / वीडियो क्लिप या सीसीटीवी फुटेज प्राप्त है तो क्या उसे नियमानुसार धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
9.	क्या किसी व्यक्ति द्वारा समाचार पत्र या अन्य किसी माध्यम से विज्ञापन के द्वारा अपने पुत्र / पुत्री या रिश्तेदार के विवाह के उपलक्ष्य में कोई हित, सम्पत्ति / कारोबार में अंश या धन आदि देने का प्रचार करने के सम्बन्ध में आवश्यक साक्ष्य संकलित करते हुये, इस अधिनियम के अंतर्गत समुचित धारा का अधिरोपण कर दिया गया है ?		
10.	क्या किसी व्यक्ति द्वारा क्रम संख्या 09 में वर्णित विज्ञापन को मुद्रित, प्रकाशित या प्रसारित करने के सम्बन्ध में आवश्यक साक्ष्य संकलित करते हुये, इस अधिनियम के अंतर्गत समुचित धारा का अधिरोपण कर दिया गया है ?		

11.	क्या साक्षी गण के न्यायालय में उपस्थित होने सम्बन्धी बंध पत्र, उनका मोबाइल नंबर, ई – मेल , स्थायी पता वर्त्तमान पता आयु आदि अभिलिखित कर लिए गये हैं ?		
12.	क्या अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित कर लिया गया है ?		
13.	क्या अभियुक्त अथवा साक्षी का बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. यथावश्यक अंकित करा लिया गया है ?		
14.	क्या अभियुक्त की पहचान (नाम व पता तस्दीक करते हुये) स्थापित कर ली गयी है ?		
15.	क्या अभियुक्त की आयु के सम्बन्ध में विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		
16.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर कोई बरामदगी की गयी है और बरामदगी के सम्बन्ध में बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों का अनुपालन करते हुये की गयी वीडियो रिकार्डिंग को केस डायरी का भाग बना लिया गया है ?		
17.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी और जब्ती की रिपोर्ट उ0प्र0 बी.एन.एस.एस. नियमावली 2022 के अनुरूप 48 घंटे के अन्दर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी गयी है ?		

18.	क्या बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी उचित रूप से तैयार कर संलग्न कर लिया गया है ?		
19.	क्या बरामदगी के उपरान्त अभियोग में उचित धाराओं का अंकन कर लिया गया है ?		
20.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
21.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
22.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
23.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		

24.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		
25.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		
26.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
27.	क्या आरोप पत्र के बिन्दु संख्या 16 पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप घटना का संक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, पंचनामा रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, साक्षियों के बयान, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है ?		
28.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		

पासपोर्ट अधिनियम, 1967

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए दर्ज की गयी है ?		
2.	यदि एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की गयी है तो क्या निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचनादाता के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये है ? और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यथा उपबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
3.	क्या जीरो एफआईआर/ ई-एफआईआर के प्रकरणों में सभी मूल अभिलेख संग्रहीत कर लिये गये है ?		
4.	क्या आरोपी द्वारा भारत से प्रस्थान या प्रस्थान करने का प्रयत्न करने हेतु वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज का प्रयोग न करने के सम्बन्ध में आवश्यक मौखिक, अभिलेखीय व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		
5.	यदि अभियुक्त पर पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने हेतु जानबूझकर कोई असत्य जानकारी देने या तात्विक जानकारी छिपाने का आरोप है तो क्या		

	इसके सम्बन्ध में आवश्यक मौखिक, अभिलेखीय व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		
6.	यदि अभियुक्त पर किसी अन्य व्यक्ति को जारी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज का प्रयोग करने का आरोप है तो क्या दोनो के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने वाले साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		
7.	यदि विवेचना के दैरान संकलित साक्ष्य से किसी व्यक्ति द्वारा अपराध के दुष्प्रेरण के सम्बन्ध में तथ्यों का प्रकटन होता है तो क्या उक्त व्यक्ति की पहचान करते हुये अपराध में उसकी भूमिका के सम्बन्ध में साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		
8.	भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के नोटिफिकेशन सं- G.S.R. 662(E) Dated 1st December 1979 के अनुक्रम में राज्य सरकार से नियमानुसार अभियोजन संस्थित करने से पूर्व अभियोजन स्वीकृति ले ली गयी है ?		
9.	क्या अपराध करने के मोटिव को स्थापित करने हेतु विशेष साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		
10.	क्या तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया नियमानुसार बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के अनुसार की गयी है ?		
11.	जाली पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज बरामद होने की दशा में क्या उस जाली पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज		

	के स्रोत की जानकारी के सम्बन्ध में विवेचना व साक्ष्य संकलन कर लिया गया है ?		
12.	क्या साक्षी गण के न्यायालय में उपस्थित होने सम्बन्धी बंध पत्र, उनका मोबाइल नंबर, ई – मेल , स्थायी पता वर्त्तमान पता आयु आदि अभिलिखित कर लिए गये हैं ?		
13.	क्या अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित कर लिया गया है ?		
14.	क्या अभियुक्त अथवा साक्षी का बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. यथावश्यक अंकित करा लिया गया है ?		
15.	क्या अभियुक्त की पहचान (नाम व पता तस्दीक करते हुये) स्थापित कर ली गयी है ?		
16.	क्या अभियुक्त की आयु के सम्बन्ध में विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		
17.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर कोई बरामदगी की गयी है और बरामदगी के सम्बन्ध में बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों का अनुपालन करते हुये की गयी वीडियो रिकार्डिंग को केस डायरी का भाग बना लिया गया है ?		
18.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी और जब्ती की रिपोर्ट उ0प्र0 बी.एन.एस.एस. नियमावली		

	2022 के अनुरूप 48 घंटे के अन्दर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी गयी है ?		
19.	क्या सुसंगत मामलों में बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी उचित रूप से तैयार कर संलग्न कर लिया गया है ?		
20.	क्या बरामदगी के उपरान्त अभियोग में उचित धाराओं का अंकन कर लिया गया है ?		
21.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
22.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
23.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
24.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		

25.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		
26.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		
27.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
28.	क्या आरोप पत्र के बिन्दु संख्या 16 पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप घटना का संक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, साक्षियों के बयान, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है ?		
29.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		

आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1981

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए दर्ज की गयी है ?		
2.	यदि एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की गयी है तो क्या निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचनादाता के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये है ? और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यथा उपबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
3.	क्या जीरो एफआईआर/ ई-एफआईआर के प्रकरणों में सभी मूल अभिलेख संग्रहीत कर लिये गये है ?		
4.	जिस आवश्यक सेवा को बनाये रखने में बाधा पहुँचाने का कार्य किया गया है क्या वह अधिसूचित है ?		
5.	क्या अधिसूचना की प्रमाणित प्रति जो प्रकाशित की गयी, संकलित कर ली गयी है ?		
6.	अधिसूचना के घटना की तिथि तक प्रभावी होने के सम्बन्ध में मौखिक / अभिलेखीय साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
7.	आरोपी पर अवैध हड़ताल को वित्तीय सहायता प्रदान करने का आरोप होने पर क्या वित्तीय सहायता		

	पहुँचाने के सम्बन्ध में इलेक्ट्रॉनिक / अभिलेखीय साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		
8.	आरोपी द्वारा तालाबन्दी / कामबन्दी का आवाहन करने के सम्बन्ध में मौखिक / इलेक्ट्रॉनिक / अभिलेखीय साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
9.	क्या साक्षी गण के न्यायालय में उपस्थित होने सम्बन्धी बंध पत्र, उनका मोबाइल नंबर, ई – मेल , स्थायी पता वर्त्तमान पता आयु आदि अभिलिखित कर लिए गये हैं ?		
10.	क्या अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित कर लिया गया है ?		
11.	क्या अभियुक्त अथवा साक्षी का बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. यथावश्यक अंकित करा लिया गया है ?		
12.	क्या अभियुक्त की पहचान (नाम व पता तस्दीक करते हुये) स्थापित कर ली गयी है ?		
13.	क्या अभियुक्त की आयु के सम्बन्ध में विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		
14.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर कोई बरामदगी की गयी है और बरामदगी के सम्बन्ध में बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों का अनुपालन करते हुये की गयी वीडियो रिकार्डिंग को केस डायरी का भाग बना लिया गया है ?		
15.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी और जब्ती की रिपोर्ट उ0प्र0 बी.एन.एस.एस. नियमावली		

	2022 के अनुरूप 48 घंटे के अन्दर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी गयी है ?		
16.	क्या बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी उचित रूप से तैयार कर संलग्न कर लिया गया है ?		
17.	क्या बरामदगी के उपरान्त अभियोग में उचित धाराओं का अंकन कर लिया गया है ?		
18.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
19.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
20.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
21.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
22.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		

23.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		
24.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
25.	क्या आरोप पत्र के बिन्दु संख्या 16 पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप घटना का संक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, पंचनामा रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, साक्षियों के बयान, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है ?		
26.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हां/नहीं	रिमार्क
1.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति संलग्न है ?		
2.	क्या फर्द बरामदगी की प्रमाणित प्रति संलग्न है ?		
3.	क्या गिरफ्तारी मेमो मूल रूप से संलग्न है ?		
4.	अपराध की पूर्व सूचना प्राप्त होने की दशा में क्या बरामदगी स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में विधिवत रूप से वीडियोग्राफी करते हुये की गयी है ?		
5.	गोवंशीय पशु के वध की दशा में क्या शव का पोस्टमार्टम किया गया है ?		
6.	क्या पुलिस पार्टी की थाने से रवानगी व आमद/ कायमी की जीडी की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर दी गयी है ?		
7.	यदि अवैध रूप से गोवध होने या अवैध परिवहन होने की पूर्व सूचना थाने पर प्राप्त हुयी हो तो क्या उक्त सूचना से सम्बन्धित जीडी की प्रमाणित प्रति संलग्न केस डायरी की गयी है ?		

8.	घटना स्थल पर बरामदगी की वीडियोग्राफी की सी0डी0 या पेनड्राईव व उसके सम्बन्ध में धारा 63(4) बी0एस0ए0 का प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		
9.	बरामद गोवंशीय पशु के मांस, खाल, सींग, पूंछ आदि तथा जिन्दा गोवंशीय पशु की फोटोग्राफ/ वीडियोग्राफी के सम्बन्ध में धारा 63(4) बी0एस0ए0 का प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		
10.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी और जब्ती की रिपोर्ट उ0प्र0 बी.एन.एस.एस. नियमावली 2022 के अनुरूप 48 घंटे के अन्दर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी गयी है ?		
11.	क्या बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी उचित रूप से तैयार कर संलग्न कर लिया गया है ?		
12.	क्या बरामदगी के उपरान्त अभियोग में उचित धाराओं का अंकन कर लिया गया है ?		
13.	क्या बरामद मांस, पूंछ, सींघ, सिर आदि के गोवंशीय पशु का होने के सम्बन्ध में पशु चिकित्सक द्वारा की गयी प्रारंभिक जांच की गयी है तो क्या जांच आख्या को संकलित कर संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		
14.	क्या बरामद मांस के संकलित किये गये सैम्पल को परीक्षण हेतु एफएसएल को भेजा गया है ?		

15.	क्या एफएसएल से प्राप्त आख्या में परीक्षित मांस के गोवंशीय पशु का मांस होने की पुष्टि हुयी है एवं क्या एफएसएल से प्राप्त आख्या को संलग्न केस डायरी कर दिया गया है ?		
16.	बरामद गोवंशीय जिन्दा पशु को यदि अभियुक्त द्वारा विकलांग बनाया हो या शारीरिक चोट पहुंचायी गयी हो तो क्या इस सम्बन्ध में उक्त पशु का चिकित्सीय परीक्षण कराकर चिकित्सीय रिपोर्ट प्राप्त कर संलग्न केस डायरी कर दी गयी है ?		
17.	क्या बरामद गोवंशीय पशुओं की अभिरक्षा अथवा उनके भरण-पोषण की उचित व्यवस्था की जा चुकी है ?		
18.	क्या अधिग्रहीत जिन्दा गोवंशीय पशुओं के भरण-पोषण पर अभियुक्त से व्यय की वसूली सम्बन्धी तथ्य केस डायरी में अंकित है ?		
19.	यदि गोमांस के अवैध परिवहन में किसी वाहन का प्रयोग किया गया हो तो गोमांस की पुष्टि होने पर क्या उक्त वाहन के चालक / ऑपरेटर, स्वामी की संलिप्तता के सम्बन्ध में समस्त तथ्य संकलित किये जा चुके है ?		
20.	क्या गोमांस या गाय या उसके वंशज का परिवहन करने वाले वाहन की जब्ती हेतु रिपोर्ट सम्बन्धित जिले के जिला मजि0/ पुलिस आयुक्त को भेजी जा चुकी है ?		
21.	क्या अभियोग के वादी, एफआईआर लेखक, बरामदगी के साक्षियों, स्वतंत्र साक्षियों एवं अभियुक्त का बयान अंकित करते हुये उसका धारा 190(2)		

	बी.एन.एस.एस. के बंध पत्र प्राप्त कर संकलित केस डायरी कर दिया गया है ?		
22.	क्या अभियुक्त की आयु के सम्बन्ध में विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		
23.	क्या पूर्व में इस अधिनियम के अपराध हेतु अभियुक्त/ अभियुक्तगण की दोषसिद्धि हो चुकी है ?		
24.	क्या धारा-5(क) का उल्लंघन करने वाले अभियुक्त का नाम व फोटो अभियुक्त के मौहल्ले के किसी महत्वपूर्ण स्थान या ऐसे सार्वजनिक स्थल पर जहां से वह खुद को छिपाता है, प्रकाशित किया गया है ?		
25.	गोवंशीय पशु के वध की दशा में क्या घटना स्थल से खून आलूदा, सादा मिट्टी ली गयी है ?		
26.	यदि भारी मात्रा में गोमांस की बरामदगी होती है तो क्या इस बिन्दु पर कि बरामद गोमांस अभियुक्तगण ने कहां से लादा, कहां काटा, किस फैक्ट्री, फर्म या कम्पनी से लादा, उस फैक्ट्री, फर्म या कम्पनी पर लाईसेन्स था या नहीं, के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		
27.	गोवंशीय पशु के उत्तर प्रदेश राज्य से अन्य राज्य में अवैध परिवहन के मामलों में क्या बरामद पशुओं के संक्रामक बीमारी से ग्रसित न होने के सम्बन्ध में चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट विहित प्रारूप में प्राप्त कर ली गयी है एवं सुसंगत धाराओं का अधिरोपण किया जा चुका है ?		
28.	यदि गोवंश को राज्य से बाहर परिवहन किया जा रहा है तो क्या परिवहन में प्रयुक्त वाहन के पास गोवध		

	निवारण नियमावली के प्रारूप 'एच' में विहित वैध अनुज्ञप्ति है ?		
29.	यदि प्रकरण में लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित होतो क्या उक्त लाइसेंस को निरस्त कराने हेतु आख्या प्रेषित कर दी गयी है ?		
30.	यदि अभियुक्त गोवध के अपराध हेतु पूर्व में दोषसिद्ध है तो क्या उसके द्वारा पूर्व में भी अपराध किये जाने का तथ्यों के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
31.	क्या साक्षी गण के न्यायालय में उपस्थित होने सम्बन्धी बंध पत्र, उनका मोबाइल नंबर, ई - मेल , स्थायी पता वर्त्तमान पता आयु आदि अभिलिखित कर लिए गये हैं ?		
32.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
33.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
34.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
35.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा		

	अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
36.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		
37.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		
38.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
39.	क्या आरोप पत्र के बिन्दु संख्या 16 पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप घटना का संक्षिप्त विवरण, नक्शा नजरी, पंचनामा रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, साक्षियों के बयान, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के साथ विवेचक द्वारा अपने निष्कर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है ?		
40.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		

यू0पी0 आबकारी अधिनियम, 1910

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है।
इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए दर्ज की गयी है ?		
2.	यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट तलाशी एवं बरामदगी के आधार पर दर्ज की गयी है तो क्या तलाशी और बरामदगी की वीडियोग्राफी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अनुरूप की गयी है ?		
3.	क्या किसी परिसर की तलाशी के समय तलाशी प्राधिकार पत्र की प्रति उस स्थान के भारसाधक को दिखाकर एवं तलाशी के समय दो स्वतंत्र गवाहों और परिसर के मालिक / कब्जाधारी के हस्ताक्षर लिए गए ?		
4.	क्या तलाशी दल ने परिसर की तलाशी शुरु करने से पहले परिसर के मालिक / कब्जाधारी द्वारा स्वयं की व्यक्तिगत तलाशी की पेशकश के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित कर लिया गया है ?		
5.	क्या जब्ती एवं अधिग्रहण योग्य सभी बरामद एवं सुसंगत वस्तुओं को सावधानीपूर्वक सूची में दर्ज किया गया तथा जब्ती ज्ञापन (मेमो) में उनका डाकुमेंटेशन किया गया है ?		

6.	क्या बरामदगी ज्ञापन (मेमो) बरामदगी स्थल की नक्शा नजरी मौके पर सावधानीपूर्वक तैयार कर उसमें तलाशी कार्यवाही के प्रारंभ और समाप्ति समय सहित घटनाओं के अनुक्रम को सही ढंग से दर्शाया गया है ?		
7.	क्या धारा 72(1)(5) में वाहन जब्ती की रिपोर्ट कार्यकारी मजिस्ट्रेट को दी गयी है ?		
8.	क्या धारा 72(5) के अनुसार वाहन स्वामी को वाहन जब्ती को नोटिस दिया गया है ?		
9.	क्या यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि सभी बरामद/जब्त दस्तावेजों/वस्तुओं/चीजों के जब्ती ज्ञापन (मेमो) पर उस व्यक्ति के जिसके परिसर की तलाशी ली गई थी या जिससे बरामदगी की गई थी, दो स्वतंत्र गवाहों, विवेचक के हस्ताक्षर हैं ?		
10.	क्या गिरफ्तार व्यक्ति के सम्बन्ध में गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देने वाला लिखित गिरफ्तारी ज्ञापन (मेमो) तैयार किया गया है ?		
11.	यदि गिरफ्तारी किसी गवाह की उपस्थिति में की गई तो क्या गिरफ्तारी ज्ञापन (मेमो) पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त किये गये है ?		
12.	क्या गिरफ्तारी की सूचना गिरफ्तार व्यक्ति के किसी रिश्तेदार या मित्र को दी गई थी और गिरफ्तारी ज्ञापन पर उसका उल्लेख किया गया था ?		

13.	क्या व्यक्तिगत तलाशी ज्ञापन (मेमो) (फर्द जामा-तलाशी) तैयार किया गया है ?		
14.	क्या गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया ?		
15.	क्या बरामदगी के पश्चात बरामद मदिरा, परिवहन में प्रयुक्त साधन, पैकेजिंग, यान आदि के सम्बन्ध में उन्हें राज्य के पक्ष मे अभिग्रहीत करने के लिए जिला मजिस्ट्रैट के समक्ष रिपोर्ट प्रेषित की गई ? [धारा -72]		
16.	क्या बरामद मदिरा, परिवहन में प्रयुक्त साधन, पैकेजिंग, यान आदि के सम्बन्ध में उन्हें राज्य के पक्ष में अभिग्रहीत करने के लिए जिला मजिस्ट्रैट द्वारा आदेश पारित किया गया ? [धारा -73]		
17.	क्या बरामद मदिरा, जिसे राज्य के पक्ष में अभिग्रहीत किया गया है को मानव उपयोग के योग्य न पाए जाने की दशा मे जिला मजिस्ट्रैट द्वारा उन्हे नष्ट करने का आदेश किया गया है ? [धारा -73A]		
18.	क्या बरामद माल बरामदगी के बाद यथाशीघ्र मालखाने में जमा करा दिए गए थे और तदनुसार मालखाना रजिस्टर में प्रविष्टियां की गई थीं तथा मालखाना प्रभारी का बयान दर्ज किया गया था ?		
19.	क्या बरामद मदिरा को तनकीह परीक्षण हेतु भेजा गया था तथा इस सम्बन्ध में विशेषज्ञ की आख्या प्राप्त कर उसे संलग्न केस डायरी किया गया है ?		

20.	क्या अपराध में अभियुक्त व्यक्तियों की भूमिका, उनके संबंधों आदि के बारे में स्वतंत्र पुष्टिकारी साक्ष्य स्थापित करने के सम्बन्ध में सभी सुसंगत साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		
21.	जहां किसी व्यक्ति के वैध कब्जे से विक्रय किये जाने योग्य मदिरा बरामद हुयी है तो क्या वह बरामद मदिरा की मात्रा तक उसे अपने कब्जे में रखने के लिए विधिक रूप से अनुमन्य है ?		
22.	क्या सील किये गये माल के पुलिन्दे पर अभियुक्त के हस्ताक्षर कराये गये है ?		
23.	क्या अभियुक्त की आयु के सम्बन्ध में विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?		
24.	क्या घटना से सम्बन्धित सभी साक्षीगण का बयान विधि की अपेक्षानुरूप अंकित कर लिया गया है ?		
25.	क्या साक्षी गण के न्यायालय में उपस्थित होने सम्बन्धी बंध पत्र, उनका मोबाइल नंबर, ई - मेल , स्थायी पता वर्त्तमान पता आयु आदि अभिलिखित कर लिए गये हैं ?		
26.	क्या अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी और जब्ती की रिपोर्ट उ0प्र0 बी.एन.एस.एस. नियमावली 2022 के अनुरूप 48 घंटे के अन्दर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी गयी है ?		

27.	क्या बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी उचित रूप से तैयार कर संलग्न कर लिया गया है ?		
28.	क्या अभियोग में उचित धाराओं का अंकन कर लिया गया है ?		
29.	यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या जमानतदारों के नाम पते प्राप्त कर लिये गये हैं और जमानत सम्बन्धी समस्त तथ्यों का अंकन केस डायरी में कर दिया गया है ?		
30.	सुसंगत मामलों में यदि अभियुक्त के विदेश भाग जाने की सम्भावना है तो क्या लुक आउट सर्कुलर जारी कराये जाने की कार्यवाही की गयी है ?		
31.	यदि अभियुक्त विदेश भाग गया है तो क्या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ?		
32.	क्या विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपराध और अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करने के उपरान्त और आरोप पत्र/ अंतिम आख्या प्रेषित करने से पूर्व सुसंगत मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया गया है ?		
33.	क्या विधिक अभिमत में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है ?		

34.	क्या विधिक अभिमत को विवेचना का भाग तो नही बनाया गया है और विधिक अभिमत सम्बन्धी किसी तथ्य का अंकन केस डायरी में तो नहीं किया गया है ?		
35.	क्या आरोप पत्र में अभियोजन साथियों की सूची में गवाहों के नाम के साथ स्थाई /अस्थाई दोनों पते, मोबाइल नंबर , पदनाम, पीएनओ नंबर, ईमेल आदि का उचित रूप से संपूर्ण विवरण अंकित कर लिया गया है ?		
36.	क्या आरोप पत्र प्रेषित करने वाले विवेचक ने आरोप पत्र पर अपने दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपना नाम, पदनाम, स्थायी व अस्थायी पता तथा पी0एन0ओ0 नं0 अंकित कर दिया है ?		

उ0प्र0 गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970

**(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है।
इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)**

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	क्या रिपोर्ट में वर्णित मामले गुण्डा की परिभाषा में आने वाले अपराध है ?		
2.	क्या जिस व्यक्ति के विरूद्ध गुण्डा अधिनियम की कार्यवाही प्रस्तावित है वह 18 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक आयु का है अथवा महिला या दिव्यांग है ?		
3.	क्या जिस व्यक्ति के विरुद्ध गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है वह कार्यवाही संस्थित करते समय कारागार में निरुद्ध तो नहीं है ?		
4.	क्या गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही की प्रस्तावित रिपोर्ट में उल्लिखित अपराध पारिवारिक विवाद, वैवाहिक विवाद, दुर्घटना सम्बन्धी विवाद, मामूली मारपीट के मामले, एकल छेड़खानी के मामले अथवा अत्यन्त पुराने मामले है ?		

5.	क्या अभियुक्त एक अभयस्त अपराधी है और उसके विरुद्ध 02 या उससे अधिक अभियोगों में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है ?		
6.	जिन अभियोगों के आधार पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही हेतु आख्या प्रेषित की जा रही है क्या वह अभियोग अत्यधिक पुराने तो नहीं है ?		
7.	जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है उसकी वर्तमान सक्रियता के सम्बन्ध में तथ्यों को आख्या में अंकित कर दिया गया है ?		
8.	क्या बीट सूचना दस्तावेजों पर आधारित विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गयी है और क्या थाना प्रभारी उससे संतुष्ट है ?		
9.	क्या जिस व्यक्ति के विरूद्ध गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रस्तावित है, सम्बन्धित थाना प्रभारी द्वारा ऐसे व्यक्ति के सम्पूर्ण आपराधिक इतिहास/ विवरण/ क्रियाकलापों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है ?		
10.	क्या थाना प्रभारी द्वारा प्रेषित अभिलेखीय आख्या और जाँच रिपोर्ट पर सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किया गया है ?		
11.	क्या गुण्डा प्रस्तावित व्यक्ति संगठित माफिया यथा भू-माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, साइबर		

	माफिया अथवा अनैतिक देह व्यापार में संलिप्त व्यक्ति है ?		
12.	क्या रिपोर्ट में अंकित मामलों के आधार पर प्रस्तावित व्यक्ति के विरुद्ध पूर्व में गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही हेतु आख्या तो नहीं भेजी गयी है ?		
13.	क्या प्रस्तावित व्यक्ति के विरूद्ध पूर्व से गुण्डा अधिनियम की कार्यवाही न्यायालय में लम्बित है ?		
14.	क्या पूर्व में प्रेषित आख्या के आधार पर जिला बदर का कोई आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया है ?		

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और
समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	क्या जिन अभियोगो का उल्लेख गैंग चार्ट में किया जा रहा है वह अभियोग क्या गैंगेस्टर अधिनियम की धारा 2 (ख) में वर्णित श्रेणी में से किसी श्रेणी में आते है ?		
2.	क्या गैंग-चार्ट का प्रारूप उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण नियमावली 2021 में दिये गये प्रपत्र संख्या-01 के अनुरूप है ?		
3.	जिन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंग चार्ट तैयार किया जा रहा है क्या उनकी संख्या 02 या 02 से अधिक है ?		
4.	क्या गैंग चार्ट में उस उद्देश्य का उल्लेख है जिस उद्देश्य से अभियुक्त द्वारा वह अपराध किये गये है, जिनके आधार पर गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है ?		
5.	क्या गिरोह में ऐसा कोई सदस्य तो सम्मलित नही है जिसके द्वारा 03 वर्ष या उससे पूर्व ऐसा आपराधिक		

	कृत्य किया हो जो गैंगेस्टर एक्ट में परिभाषित अपराधों की परिधि में नही आता है ?		
6.	जिन अभियुक्तो के विरुद्ध गैंग चार्ट तैयार किया जा रहा है क्या वह सभी अभियुक्त व्यस्क और स्वस्थचित है ?		
7.	यदि कोई अभियुक्त अव्यस्क है जिसकी आयु 16 वर्ष से अधिक है और उसके द्वारा किया गया अपराध गैंगेस्टर नियम 22(2) में उल्लिखित श्रेणी का है एवं उसके विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक है तो क्या इस सम्बन्ध में जिला स्तरीय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है ?		
8.	क्या गैंग चार्ट में गैंग के कार्यक्षेत्र अर्थात् जनपदीय, अंर्त-जनपदीय, अंर्त-राज्यीय होने के सम्बन्ध में तथ्यों का अंकन कर दिया गया है ?		
9.	जिन आधार अभियोगों के आधार पर गैंग चार्ट तैयार किया गया है तो क्या उन अभियोगो के आरोप पत्र में नामित समस्त अभियुक्तों का नाम गैंग चार्ट में अंकित कर लिया गया है ?		
10.	यदि आधार अभियोगो के आरोप पत्र में अभियुक्त किसी व्यक्ति का नाम गैंग चार्ट में अंकित न किया जा रहा हो तो क्या उस सम्बन्ध में कारण सहित तथ्यों का उल्लेख गैंग चार्ट में किया गया है ?		

11.	क्या गैंग चार्ट में अंकित अभियुक्तों के चयन में मनमानीपूर्ण ढंग से कार्य तो नही किया गया है ?		
12.	क्या गैंग चार्ट बनाने हेतु सम्बन्धित थाने का प्रभारी निरीक्षक / थाना अध्यक्ष द्वारा गिरोह के आपराधिक क्रिया कलापों का विवरण उल्लिखित करते हुये प्रारंभिक गैंग चार्ट तैयार कर उसे समस्त प्रपत्रों के साथ नोडल अधिकारी को प्रेषित किया गया है ?		
13.	क्या थाना प्रभारी निरीक्षक / थाना अध्यक्ष द्वारा प्रारंभिक गैंग चार्ट में अंकित समस्त तथ्यों की शुद्धता एवं सत्यता के सम्बन्ध में तथ्यों को सत्यापित कर लिया गया है ?		
14.	क्या गैंग चार्ट नोडल अधिकारी जोकि एसीपी/ क्षेत्राधिकारी स्तर का हो, के द्वारा प्रारंभिक गैंग चार्ट में अंकित तथ्यों से संतुष्ट होने के पश्चात् तैयार किया गया है और क्या नोडल अधिकारी द्वारा गैंग चार्ट पर अपना नाम पदनाम अंकित करते हुये सतिथि उस पर अपने हस्ताक्षर किये गये है ?		
15.	क्या अभियुक्त के आपराधिक इतिहास व आपराधिक क्रिया कलापों के सम्बन्ध में तथ्यों को सीसीटीएनएस एवं आईसीजेएस पोर्टल पर अद्यतन कर दिया गया है ?		

16.	जिन अभियोगो का उल्लेख गैंग चार्ट में किया जा रहा है उनके आधार पर पूर्व में अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर की कार्यवाही तो नहीं की गयी है ?		
17.	क्या गैंग चार्ट पर अपर पुलिस अधीक्षक व अन्य उच्चाधिकारियों एवं गैंग चार्ट को अनुमोदित करने वाले जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस आयुक्त द्वारा गैंगेस्टर नियमावली 2021 के नियम 16(2)(3) में विहित टिप्पणी, अपना नाम, पदनाम सहित अंकित करते हुये सतिथि हस्ताक्षर किये गये है ?		
18.	क्या जिन अभियोगो के आधार पर गैंग चार्ट तैयार किया जा रही है उनमें से किसी में अंतिम आख्या (फाइनल रिपोर्ट), तो प्रेषित नहीं की गयी है ?		
19.	क्या जिन अभियोगो के आधार पर गैंग चार्ट तैयार किया जा रही है उन सभी अभियोगो में विवेचना के पश्चात आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है ?		
20.	क्या गैंग चार्ट में अंकित किसी भी अभियोग की विवेचना प्रचलित तो नहीं है ?		
21.	क्या जिन अभियोगो के आधार पर गैंग चार्ट तैयार किया जा रहा है वह सभी अभियोग न्यायालयों में विचाराधीन है ?		
22.	क्या अभियुक्त के विरुद्ध तैयार किये जाने वाले गैंग चार्ट में ऐसे मामलों का उल्लेख तो नहीं है जिनमें		

	अभियुक्त को दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा चुका है ?		
23.	जिन मामलों में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया है उन मामलों का उल्लेख पृथक से संलग्न उसके आपराधिक इतिहास में कर दिया गया है ?		
24.	क्या गैंग चार्ट में अंकित समस्त अभियोगो की अद्यतन स्थिति का पूर्ण विवरण गैंग चार्ट के साथ संलग्न है ?		
25.	क्या गैंग चार्ट के साथ गैंग चार्ट में अंकित अभियोगो की प्रथम सूचना रिपोर्ट व आरोप पत्र की प्रमाणित एवं पठनीय छायाप्रति संलग्न कर दी गयी है ?		
26.	क्या गैंग चार्ट के साथ गैंग पंजीयन रजिस्टर में अभियुक्तों से सम्बन्धित प्रवष्टि की पठनीय एवं प्रमाणति छायाप्रति संलग्न कर दी गयी है ?		
27.	क्या गैंग चार्ट के साथ प्रत्येक अभियुक्त का विस्तृत विवरण (डोजियर) विहित प्रारूप में तैयार कर संलग्न कर दिया गया है ?		
28.	क्या गैंग चार्ट में अंकित प्रत्येक अभियुक्त के नाम, पते, आयु के सम्बन्ध में समस्त तथ्यों को सत्यापित कर लिया गया है ?		

29.	यदि अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत निरोधात्मक कार्यवाही , गुण्डा नियंत्रण अधिनियम , राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गयी है तो उसका उल्लेख गैंग चार्ट में करते हुये क्या सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न कर दिये गये है ?		
30.	क्या गैंग चार्ट में अपराध किये जाने के उद्देश्य (लोक व्यवस्था भंग करना / आर्थिक / भौतिक / दुनियावी / अन्य लाभ प्राप्त करना) एवं प्रकरण गैंगेस्टर अधिनियम की धारा 2(ख) के किस खण्ड में आता है, का उल्लेख गैंग चार्ट में कर दिया गया है ?		
31.	क्या गैंग चार्ट का अनुमोदन जिला पुलिस प्रभारी एवं जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस आयुक्त की संयुक्त मीटिंग में किये गये विचार विमर्श के पश्चात किया गया है ?		
32.	क्या विवेचक गैंगेस्टर एक्ट की विवेचना करने के लिए सक्षम है ? (गैंगेस्टर एक्ट की विवेचना अनिवार्यतः अन्य थाने के प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्ष / निरीक्षक द्वारा की जाएगी।)		
33.	क्या विवेचना के दौरान अभियुक्तों के भय व आतंक के सम्बन्ध में साक्ष्यों का संकलन कर लिया गया है ?		
34.	क्या विवेचना के दौरान लोक व्यवस्था भंग होने अथवा अभियुक्तों द्वारा आर्थिक भौतिक दुनियवी व		

	अन्य लाभ प्राप्त करने के सम्बन्ध में मौखिक और अभिलेखीय साक्ष्यों का संकलन कर लिया गया है ?		
35.	क्या विवेचना के दौरान गैंग चार्ट में अंकित समस्त अभियोगों की अद्यतन स्थिति यथा न्यायालय का नाम, वाद संख्या, विचारण का स्तर, अग्रिम तिथि सहित अंकित कर दी गयी है ? यदि कोई साक्षी पक्ष द्रोही हो गयी हो तो उसका भी उल्लेख किया जायेगा।		
36.	यदि विवेचना में भूमि आदि पर कब्जे के सम्बन्ध में साक्ष्य अपेक्षित है तो क्या उक्त सम्बन्ध में राजस्व अभिलेखों यथा खसरा खतौनी और मानचित्र का संकलन करते हुये केस डायरी के साथ संलग्न कर लिया गया है ?		
37.	क्या अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उन्हें विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है ?		
38.	क्या विवेचना के दौरान गिरोहबंद अधिनियम के वादी, एफ0आई0आर0 लेखक व गैंग चार्ट में अंकित समस्त आधार अभियोगों के वादी, पीड़ित एफ0आई0आर0 लेखक, बरामदगीकर्ता एवं विवेचकों का कथन अंकित करते हुये अन्य सुसंगत साक्ष्य संकलित कर लिये गये है ?		
39.	यदि विवेचना में यह तथ्य प्रमाणित हो रहा हो कि अभियुक्त द्वारा गिरोहबंद अधिनियम के अधीन विचारणीय अपराधों से अपने लिये अथवा अपने परिवारजनों के लिए कोई सम्पत्ति अथवा धनीय लाभ		

	अर्जित किया है तो क्या उक्त सम्पत्ति / धनीय लाभ के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्की की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी है ?		
40.	क्या समस्त अभियुक्तों का कथन विवेचना के दौरान अंकित किया जा चुका है ?		
41.	क्या विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य के आधार पर अपराध प्रमाणित होने के सम्बन्ध में अपना स्पष्ट निष्कर्ष केस डायरी में अंकित कर दिया गया है ?		
42.	क्या विवेचना 06 माह में पूर्ण कर ली गयी है ?		
43.	यदि 06 माह में विवेचना पूर्ण न हो तो क्या विवेचना हेतु अतिरिक्त समय जनपदीय पुलिस प्रभारी से प्राप्त कर लिया गया है ?		
44.	क्या विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् और आरोप पत्र / अंतिम आख्या न्यायालय को प्रेषित किये जाने से पूर्व अन्वेषण सम्बन्धी समस्त दस्तावेज विवेचक द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से अभियोजनकर्ता को प्रेषित किये गये है ?		
45.	यदि अभियोजनकर्ता द्वारा अन्वेषण की त्रुटियों में सुधार करने हेतु रिपोर्ट दी गयी है तो क्या उक्त के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही कर ली गयी है ?		
46.	क्या आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करने से पूर्व जिला पुलिस प्रभारी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है ?		

उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2021

यथासंशोधित 2024

(यह चेकलिस्ट सुझावात्मक है, जो विवेचना एवं विवेचना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य के लिए है। इस चेकलिस्ट को केस डायरी का भाग न बनाया जाये।)

क्र.सं.	विषय	हाँ/नहीं	रिमार्क
1.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए दर्ज की गयी है ?		
2.	यदि एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की गयी है तो क्या निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचनादाता के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये है ? और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यथा उपबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
3.	क्या जीरो एफआईआर/ ई-एफआईआर के प्रकरणों में सभी मूल अभिलेख संग्रहीत कर लिये गये है ?		
4.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट में सुसंगत धाराओं का समावेश कर लिया गया है ?		
5.	क्या अधिनियम की धारा 2(क) में परिभाषित "प्रलोभन" 2(ख) में "प्रपीड़न" 2(ड.) में "कपटपूर्ण साधन" आदि अवयवों का समावेश विवेचना के मध्य कर लिया गया है ?		
6.	अधिनियम की धारा 2(ज) में धर्म को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है । अतःक्या यह देख लिया गया है कि धर्म का प्रयोग विवेचना के मध्य		

	संकुचित अर्थ में न करके अधिनियम के अनुरूप व्यापकता के आधार पर विवेचना में किया है ?		
7.	पीड़ित का अभिकथन विवेचना के मध्य अंकित करते समय क्या यह देख लिया गया है कि अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अपराध के समस्त सुसंगत अवयवों के समावेश के लिए पीड़ित के अभिकथन में समस्त तथ्यों को अभिलिखित कर दिया गया है ?		
8.	विवेचना में यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि क्या कारित अपराध अध्यादेश लागू होने (27 नवंबर, 2020) के बाद का है ?		
9.	धर्म सम्परिवर्तित कराने वाले अपराधी द्वारा पीड़ित/पीड़िता को यदि व्हाट्सऐप मैजेस किया गया हो तो क्या उस मैसेज का स्क्रीन शॉट तथा मोबाइल को फोरेंसिक एनालिसिस के लिए कब्जे में ले लिया गया है ?		
10.	यदि आरोपी अपराधी द्वारा फेसबुक /इंस्टाग्राम/ यूट्यूब पर कोई पोस्ट की गई है तो क्या उसका स्क्रीन शॉट व यूआरएल को कापी करते हुये स्क्रीन शॉट के सम्बन्ध में धारा 63(4) बीएसए का प्रमाण पत्र लिया गया है ?		
11.	यदि आरोपी अपराधी द्वारा ईमेल की गई है तो क्या ईमेल आईडी एवं ईमेल का स्क्रीन शॉट प्राप्त कर लिया गया है व स्क्रीन शॉट के सम्बन्ध में धारा 63(4) बीएसए का प्रमाण पत्र ले लिया गया है ?		

12.	यदि आरोपी अपराधी द्वारा अपराध कारित करने में मोबाइल कॉल व व्हाट्सऐप कॉल का प्रयोग किया गया है तो क्या सम्बन्धित मोबाइल नंबर का प्रमाणित सीडीआर/आईपीडीआर प्राप्त कर लिया गया है ?		
13.	यदि सीडीआर/आईपीडीआर को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है तो क्या सम्बन्धित टेलीकॉम अधिकारी से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4) के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?		
14.	अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित पीड़ित व्यक्ति के सम्बन्ध में क्या यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि वह दिव्यांग, अवयस्क, मानसिक रूप से दुर्बल, महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति की श्रेणी में नहीं आता है ? यदि पीड़ित उपरोक्त श्रेणी से आच्छादित है तो क्या विवेचना में उसका स्पष्ट उल्लेख करते हुये दिव्यांग, अवस्यक, एससी एसटी आदि के सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्य अर्जित कर लिये गये है ?		
15.	क्या उपरोक्त श्रेणी से आच्छादित पीड़ित के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के दिए गए दिशा-निर्देश के क्रम में काउंसलिंग करायी गई है ?		
16.	क्या अभियुक्त, उसके नातेदारों व सामूहिक धर्म सम्परिवर्तन में लिप्त संस्थाओं/संगठनों के वित्तीय लेन देन के सम्बन्ध में इस आशय से बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से साक्ष्य संकलित कर लिया गया		

	है कि उनके द्वारा धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से किसी विदेशी अथवा अविधिक संस्थाओं से धन प्राप्त तो नहीं किया गया है ?		
17.	क्या ऐसे व्यक्तियों/ संस्थाओं को अभियुक्त बनाया गया है, जिन्होंने विधि विरूद्ध धर्म सम्परिवर्तन के लिए उत्प्रेरित किया है ?		
18.	यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म सम्परिवर्तित करता है, तो क्या अधिनियम की धारा 8 के अनुपालन में 60 दिवस से पूर्व अनुसूची-एक में विहित प्रारूप में जिलाधिकारी के समक्ष घोषणा के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलन कर लिया गया है ?		
19.	क्या धर्म परिवर्तक द्वारा किसी व्यक्ति के धर्म से अन्य धर्म में सम्परिवर्तित करने के लिए अनुष्ठान करने से पूर्व अनुसूची-दो में विहित प्रपत्र में नोटिस 01 माह पूर्व जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिला मजिस्ट्रेट को देने के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलन कर लिया गया है ?		
20.	धारा 8 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन न करने पर क्या सुसंगत धाराओं का विवेचना में समावेश किया गया है ?		
21.	धर्म सम्परिवर्तित व्यक्ति द्वारा क्या अधिनियम की धारा 9 (1) के अंतर्गत अनुसूची-तीन में विहित प्रपत्र में धर्म सम्परिवर्तन के सम्बन्ध में 60 दिवस के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष घोषणा के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलन कर लिया गया है ?		
22.	क्या धर्म सम्परिवर्तित व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 9 (4) के अंतर्गत उपरोक्त घोषणा के 21 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी पहचान स्थापित करते हुये घोषणा की विषयवस्तु की पुष्टि कर दी गयी है ?		

23.	क्या स्वेच्छया धर्म परिवर्तित करने वाले व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 1 से 4 का पालन न किये जाने पर विवाह को शून्य मानते हुए तदनुसार सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्यवाही कर ली गयी है ?		
24.	क्या अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अपराध के समस्त पक्षकारों जिन्होंने धर्म सम्परिवर्तन कारित करने को सुकर बनाया है, को अभियुक्त के रूप में विवेचना में शामिल कर लिया गया है ?		
25.	यदि विधि विरूद्ध धर्म सम्परिवर्तन के सम्बन्ध में किन्ही विदेशी अथवा अविधिक संस्थाओं से धन प्राप्त किया गया है तो क्या उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम-2024 के अनुसार धारा 5 (2) का अधिरोपण कर दिया गया है ?		

परिशिष्ट

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 में प्राप्त कराये जाने वाले प्रदर्शों के सम्बन्ध में

क्र.सं.	विवरण	हाँ/ नहीं	रिमार्क
	समान्य चेकलिस्ट		
1.	क्या सम्पूर्ण प्रदर्श सील्ड अवस्था में मय राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नमूना मुहर के साथ हैं ?		
2.	क्या अग्रेषण पत्र सम्बन्धित राजपत्रित अधिकारी के पदनाम की रबर स्टैम्प सहित हस्ताक्षरित है एवं अग्रेषण अधिकारी का CUG नम्बर व email address अंकित है ?		
3.	क्या अग्रेषण पत्र पर वाहक के हस्ताक्षर सम्बन्धित राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये गये हैं ?		
4.	क्या अग्रेषण पत्र पर समस्त प्रदेशों का विवरण तथा परीक्षण सम्बन्धी प्रश्न वर्णित हैं ?		
	फारेन्सिक एकॉस्टिक अनुभाग		
1.	क्या विवादित वायस मैचिंग परीक्षण हेतु सम्बन्धित रिकार्डिंग/मूल डिवायस सील्ड अवस्था में है ?		
2.	क्या विवादित रिकार्डिंग की प्रमाणित हिन्दी ट्रांसक्रिप्सन (वार्तालाप का लिखित प्रारुप) संलग्न है ?		

3.	क्या विवादित डिवाइस (वॉयस मैचिंग) से सम्बन्धित नमूना (वॉयस) डिवाइस मूल रूप में उपलब्ध है ?		
4.	यदि नहीं, तो उसकी कोई प्रति Pen Drive अथवा CD में उपलब्ध है ?		
5.	क्या Pen Drive अथवा CD को राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित BSA, Sec 63(4) (c) प्रमाण पत्र के साथ भेजा गया है ?		
	कम्प्यूटर फोरेन्सिक अनुभाग		
1.	क्या समस्त संदिग्ध कंप्यूटर उपकरणों के स्थान और स्थिति का विवरण अंकित है ?		
2.	क्या समस्त संदिग्ध कंप्यूटर उपकरणों की दशा (क्षतिग्रस्त, चालू अथवा बंद है) का विवरण अंकित है ?		
3.	क्या समस्त संदिग्ध कंप्यूटर उपकरणों का एक्सेस पासवर्ड/पिन/पैटर्न आदि का विवरण अंकित है ?		
4.	क्या सिम कार्ड धारकों के साथ उनके आइसीसीआईडी, मूल पिन व पीयूके नम्बर अंकित हैं ?		
5.	क्या समस्त संदिग्ध कंप्यूटर उपकरणों की बैटरी डिवायस से अलग है ?		
6.	क्या संदिग्ध DVR के साथ ब्लैंक हार्डडिस्क (04TB) संलग्न है ?		
	बायोलाजी अनुभाग, सीरोलॉजी अनुभाग		

1.	क्या परीक्षण हेतु ऊतक (50 से 100 ग्राम) रोगाणु रहित कैंची से काटकर सामान्य नमक के घोल में रोगाणु रहित बोतल में एयर टाइट ढक्कन से बंद है ?		
2.	क्या घटनास्थल से प्राप्त बाल तथा अभियुक्त और पीड़िता के बाल अलग-अलग पालीथीन पैकेट मे सील्ड हैं ?		
3.	क्या टिबिया और फीमर हड्डियों के 15cm के टुकड़े तथा विसरल आर्गन के टुकड़े, बंद प्लास्टिक डिब्बों में सील्ड हैं ?		
4.	क्या कपड़ो पर लगे वीर्य, रक्त के धब्बे (हवा में सुखाकर, साफ कागज में) प्रदर्श के आकार अनुसार प्लास्टिक के बैग में सील किये गये हैं ?		
5.	क्या स्लाइड स्वैब में किसी प्रकार के टोन या डाई का उपयोग तो नहीं किया गया है ?		
6.	क्या स्वैब के साथ सादा कॉटन का सैम्पल लिया गया है ?		
	रसायन अनुभाग		
1.	क्या गांजा/चरस/अफीम/डोडा पोस्ता/भांग आदि प्रदर्श (मात्रा लगभग 24 ग्राम) एक डिब्बे में रखकर समुद्रित कपड़े में, स्पष्ट विवरण के साथ मय नमूना मुहर प्रेषित है ?		
2.	2. क्या हेरोइन/मारफीन/स्मैक/ब्राउन शुगर/कोकीन / नशीले पदार्थ (Homogenous) की 5 gram मात्रा एक कपड़े में समुद्रित व स्पष्ट विवरण के साथ मय नमूना मुहर प्रेषित है ?		

3.	बीयर, देशी/अंग्रेजी शराब के प्रत्येक बैच की एक-एक शीशी/बोतल/कैन एक कपड़े में समुद्रित एवं स्पष्ट विवरण के साथ मय नमूना मुहर		
4.	क्या असली नकली के मिलान हेतु साथ में असली (प्रमाणिक) नमूना लिया गया है ?		
5.	यदि हाँ, तो क्या असली (प्रमाणिक) नमूना परीक्षण हेतु प्रेषित किया जा रहा है ?		
6.	क्या डीजल केरोसिन पेट्रोल आदि पदार्थ परीक्षण हेतु एल्यूमुनियम कंटेनर में वुडेन बाक्स में संरक्षित हैं ?		
7.	क्या शिकायत कर्ता/अभियुक्त ट्रैप टीम के सदस्यों के हाथों का धोवन (मात्रा लगभग 150 ml), अलग-अलग कांच की शीशियों में सील किया गया है ?		
8.	क्या बरामद भारतीय करेंन्सी नोट लिफाफे में मय नोटो के नम्बर व विवरण के साथ प्रेषित हैं ?		
	डी0एन0ए0 अनुभाग		
1.	क्या रक्त (2-3 ml) ई.डी.टी.ए. शीशी में रखकर बर्फ के बॉक्स में संरक्षित किया गया है ?		
2.	क्या थक्का, थक्के को रोगाणुरहित ट्यूब में डालने के उपरान्त ट्यूब में बराबर मात्रा में नारमल सलाइन में संरक्षित किया गया है ?		
3.	ऊतक व अंग फार्मलीन में तो परिरक्षित नहीं किये गये हैं ?		
4.	क्या बाल जड़ सहित हैं ?		

5.	क्या पूरे कंकाल के स्थान पर दो पूर्ण हड्डियाँ लम्बी (उदाहरणार्थ-हयूमरस, मोलर दांत आदि) प्रेषित हैं ?		
6.	क्या स्लाइड/स्वैब आदि मेडिकल ऑफिसर द्वारा तैयार किये गये हैं ?		
7.	क्या जमा प्रदर्श (उतक, रक्त आदि) रोगाणु रहित पात्र में रेफ्रीजरेट अथवा बर्फ के बाक्स में 4°C तापमान पर एक कांच अथवा प्लास्टिक की बोतल में (जिसमें 0.9% DNS हो), बॉक्स में रखकर परिरक्षित किये गये हैं ?		
8.	**पितृत्व के केस में-** क्या स्वाभाविक माता, पिता व संतान का रक्त नमूना डी.एन.ए. प्रपत्रानुसार 'भरकर SP/SSP के माध्यम से 2-8° C तापमान पर EDTA वायल में रखकर 72 घंटो के अन्दर प्रेषित किया जा रहा है ?		
9.	**पहचान के केस में-** क्या पोस्टमार्टम के उपरान्त रक्त नमूना मृतक मृतका के हदय से/ ऊतक या मांसपेशियां (नार्मन सलाइन में संरक्षित) / हड्डियाँ प्राथमिकता के आधार पर हयूमरस, टिबिया, दांत (मोलर), पसली (रिब्स), चिकित्साधिकारी द्वारा संरक्षित सर्वमोहर एवं सम्भावित मृतक मृतका के माता-पिता अथवा पति पत्नी व संतान का EDTA वायल में रक्त नमूना प्रेषित किया जा रहा है ? सेक्सुल असाल्ट (लैंगिक अपराध) 1. क्या पीड़िता व अभियुक्त का रक्त नमूना (72 घण्टे के अन्दर प्राप्त), 2-8°C तापमान पर EDTA वायल में संरक्षित किया गया है ?		

	2. क्या पीडिता के मेडिकल एग्जामिनेशन के समय चिकित्सक द्वारा संरक्षित बायोलॉजिकल सैम्पल सर्वमोहर विवरण सहित मय नमूना मुहर प्रेषित हैं ? 3. क्या पीडिता के अण्डर गारमेंट सूखी अवस्था में, गर्भवती होने की स्थिति में पीड़िता के गर्भ से एम्नियोटिक फ्लूड/ गर्भपात की दशा में फीटस (नार्मल सलाइन में), प्रसव के उपरान्त रक्त नमूना EDTA वायल में प्रेषित है ?		
	प्रलेख अनुभाग		
1.	क्या विवादित लेख/ हस्ताक्षर के मूल प्रलेख प्रेषित हैं ?		
2.	क्या परीक्षण के लिये लेख हस्ताक्षर के संदिग्ध अथवा वास्तविक लेखक से 06 पृथक- पृथक पन्नों पर, प्रत्येक पन्ने पर कई-कई बार (15-20), सम्पूर्ण मैटर राजपत्रित अधिकारी/न्यायालय के समक्ष लिखा हुआ प्रेषित है ?		
3.	क्या प्रत्येक पन्ने पर नमूना लेखक के नाम व विवरण को राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराया गया है ?		
4.	क्या सम्बन्धित व्यक्ति के दैनिक कार्यकलाप में लिखे समकालीन लेखों/हस्ताक्षरो (जैसे- विवादित लेखों/हस्ताक्षरों के कॉमन शब्द। हस्ताक्षर युक्त स्कूल, कालेज की कापियों, प्रार्थना पत्र, बैक के प्रलेख आदि), मूल रुप में प्रेषित हैं ?		
5.	क्या अग्रेषण पत्र में प्रलेखों का सम्पूर्ण विवरण व घटना का संक्षिप्त विवरण (जैसे- सुसाइड नोट, बैनामा, वसीयत, चेक नम्बर, बैंक का नाम आदि) अंकित है ?		

6.	क्या परीक्षण के लिये विवादित एवं नमूना प्रलेखों के मूल प्रदर्श (छायाप्रतियों नहीं होनी चाहिये) प्रेषित हैं ?		
	लाई डिटेक्शन अनुभाग		
1.	क्या न्यायालय द्वारा संदिग्ध/अभियुक्त/वादी का लाई-डिटेक्शन का आदेश संलग्न है ?		
2.	क्या सम्बन्धित का लाईडिटेक्शन परीक्षण कराने हेतु सहमति/शपथ पत्र संलग्न है ?		
3.	क्या संदिग्ध/अभियुक्त/वादी से पूछे जाने वाली प्रश्नावली (15-20 प्रश्न) संलग्न है ?		
4.	क्या संदिग्ध/अभियुक्त/वादी के दो पासपोर्ट फोटोग्राफ, आधार कार्ड की फोटोकापी संलग्न है ?		
5.	क्या संदिग्ध/अभियुक्त/वादी का एक दिवस पूर्व का CMO द्वारा प्रदत्त मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र (हृदय सम्बन्धी, ब्लड प्रेशर, स्वसन, मिर्गी कोविड आदि) संलग्न है ?		
	भौतिक अनुभाग		
1.	क्या घटनास्थल से प्राप्त टूल मार्क्स (विवादित टूल से मिलान हेतु) प्रेषित किये गये हैं ?		
2.	क्या हैगिंग में प्रयुक्त कपड़े, रस्सी आदि प्रेषित हैं ?		
3.	क्या ओरिजनल व डुप्लीकेट सीमेन्ट की जाँच हेतु समान मात्रा व प्रिन्ट का मूल कम्पनी का पैक व सम्बन्धित कम्पनी से प्राप्त अधिकार पत्र संलग्न है ?		

4.	क्या होलोग्राम, मोनोग्राम व ब्लॉक कम्पोजीशन का कॉपीराइट एक्ट में रजिस्ट्रेशन प्रपत्र व सम्बन्धित मोनोग्राम, होलोग्राम आदि मूल रुप में संलग्न हैं ?		
5.	क्या प्लास्टर आफ पेरिस में सुरक्षित पैक कर फुटकास्ट आदि मय संदिग्ध व घरवालों के नमूना फुटकास्ट के साथ सम्पूर्ण विवरण के साथ प्रेषित है ?		
	विष अनुभाग		
1.	क्या Viscera (लगभग 50 gm), Viscera Vial में तथा रक्त EDTA Vial में संरक्षित है ?		
2.	एल्कोहल के केस में, Saturated नार्मल सलाइन में परिरक्षित है या नहीं ?		
3.	क्या हृदय फार्मलीन में परिरक्षित है या नहीं ?		
4.	क्या अग्रेषण पत्र के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचायतनामा, केस हिस्ट्री, एफ.आई.आर संलग्न है ?		
5.	क्या मरीज भर्ती रहा है ?		
6.	यदि हाँ, तो क्या सम्पूर्ण चिकित्सकीय विवरण मय दवाओं के पर्चो के साथ संलग्न है ?		
	आग्नेयास्त्र		
1.	क्या जिन्दा कारतूस शस्त्र के नाल में अलग कर अलग बण्डल में सील किये गये हैं ?		
2.	क्या समस्त प्रदर्श अलग-अलग बण्डल में सील गय नमूना मोहर व सम्पूर्ण विवरण के साथ प्रेषित है ?		

3.	क्या देशी आग्नेयास्त्रों की अभियोजन स्वीकृति हुयी है अथवा नहीं ?		
4.	यदि हाँ, तो क्या सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित नमूना मुहर संलग्न है ?		
5.	क्या प्रदर्शों व नमूना मुहर को विवेचक व राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित / हस्ताक्षरित किया गया है ?		
6.	क्या शस्त्रों में फिंगर प्रिन्ट की सम्भावना है ?		
7.	यदि हाँ, तो क्या फिंगर प्रिन्ट की जाँच कराने हेतु फिंगर प्रिंट ब्यूरो प्रेषित किया जा चुका है ?		
8.	आग्नेयास्त्रों का बोर स्पष्ट अंकित है या नहीं ?		
	विस्फोटक अनुभाग		
1.	क्या निष्क्रिय बम विस्फोटक सामग्री के सम्बन्ध में BDS द्वारा निष्क्रिय प्रमाण पत्र संलग्न है ?		
2.	क्या विस्फोटित अवशेष के सम्बन्ध में घटनास्थल के निरीक्षण व संकलित साक्ष्य के सम्बन्ध में निरीक्षण करने वाली टीम का प्रमाण पत्र संलग्न है ?		
3.	क्या BDS की टीम द्वारा निष्क्रिय करवाने के पश्चात जीवित बम, विस्फोटक सामग्री व आतिशबाजी/पटाखे आदि के सावधानीपूर्वक सील करवाकर पृथक-पृथक नमूना (अल्प मात्रा लगभग 10 ग्राम) मय प्रमाणित नमूना मुहर प्रेषित क्या गया है ?		

4.	क्या उच्च विस्फोटक के मामले में डेटोनेटर को निष्क्रिय करवाकर, सावधानीपूर्वक सील करवाकर उच्च विस्फोटक के नमूने मय प्रमाणित नमूना मुहर प्रेषित है ?		
5.	क्या विस्फोट के घटनास्थल से एकत्र साक्ष्य (यथा-विस्फोट के अवशेष, कन्टेनर के पार्ट्स, प्रोजेक्टाइल, एक्सप्लोसिव डिवाइस के पार्ट्स (बैट्री, वायर आदि) व अन्य आवश्यक सामग्री एवं विभिन्न स्थानों से लिये गये स्वैब आदि), अलग-अलग प्रलीथीन पैकेटों में स्पष्ट विवरण/लेबलिंग व मार्किंग कर सील करवाकर मय प्रमाणित नमूना मुहर प्रेषित हैं ?		
	अतिरिक्त		
1.	**प्रपत्र-** एफ.आई.आर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचायतनामा, घटना का संक्षिप्त विवरण संलग्न		
2.	**नमूना मुहर-** स्पष्ट विवरण के साथ विवेचक व राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रत्येक बण्डल की अलग-अलग नमूना मुहर		
3.	**अग्रेषण पत्र-** राजपत्रित अधिकारी द्वारा वाहक के हस्ताक्षर प्रमाणित होने के साथ		

उत्तर प्रदेश सरकार